VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Classroom Study Material 2020

(September 2019 to September 2020)

www.visionias.in
+91 8468022022
DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH

विषय सूची

1. भारत और उसके पड़ोसी देश (India and its Neighbours) 5

1.1. भारत-चीन (India-China) 5

1.2. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) 10

1.3. भारत-नेपाल (India-Nepal) 12

1.3.1. भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद (Indo-Nepal Territorial Dispute) 12

1.3.2. नेपाल-चीन कनेक्टिविटी समझौता (Nepal China Connectivity Deal) 14

1.4. भारत-श्रीलंका (India-Sri Lanka) 15

1.5. भारत-मालदीव (India-Maldives) 16

1.6. भारत-अफ़ग़ानिस्तान (India-Afghanistan) 18

1.6.1. अफगान शांति प्रक्रिया (Afghan Peace Process) 18

1.7. भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) 20

1.7.1. आतंकी गतिविधियां और भारत-पाकिस्तान संबंधों में पारस्परिक अविश्वास (Terror Activities and Mutual Distrust in India-Pakistan Relations) 20

1.7.2. गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit Baltistan) 23

1.7.3. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विकास परियोजनाएं (Development Projects in Pakistan Occupied Kashmir) 24

1.8. दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग (Regional Cooperation in South Asia) 25

1.8.1. सार्क का पुनः प्रवर्तन (SAARC Revival) 25

1.8.2. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल {Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)} 27

1.8.3. सीमापारीय नदी जल प्रबंधन (Trans-Boundary River Water Management) 29

1.8.4. पड़ोसी देशों के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग (India's Energy Cooperation with Neighbouring Countries) 31

2. हिन्द महासागर क्षेत्र एवं हिन्द-प्रशांत (Indian Ocean Region and Indo-Pacific) 34

2.1. भारत और हिंद-प्रशांत (India and the Indo-Pacific) 34

2.2. भारत और क्वाड (India and Quad) 37

2.3. लघुपक्षीय समूहों का उद्भव (Rise of the Minilaterals) 39

3. दक्षिण-पूर्वी एवं पूर्वी एशिया (South East and East Asia) 41

VISION IAS

3.1. भारत-म्यांमार (India-Myanmar)....41

3.2. भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा संबंध (India South Korea Defence Relations) 43

3.3. भारत-ताइवान (India-Taiwan) 44

3.4. भारत-जापान संबंध (India-Japan Relations)....46

3.5. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India-Australia Relations)....47

3.6. भारत-वियतनाम (India-Vietnam) 49

4. पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व (West Asia/Middle East)....51

4.1. इज़राइल-फिलिस्तीन (Israel-Palestine) 51

4.1.1. अब्राहम समझौता (Abraham Accord) 52

4.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (India UAE) 54

4.3. भारत-सऊदी अरब (India Saudi Arabia)....55

4.4. चाबहार-जाहेदान रेलवे लाइन (Chabahar-Zahedan Railway Line) 57

5. अफ्रीका (Africa)....60

5.1. भारत-अफ्रीका (India-Africa)....60

6. यूरोप (Europe) 63

6.1. भारत-यूरोपीय संघ संबंध (India-E.U. Relations) 63

6.2. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध (India-UK Relations) 65

6.3. भारत-फ्रांस (India France)....66

6.4. भारत-जर्मनी (India-Germany)....68

6.5. ब्रेक्जिट: यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपीय संघ का परित्याग (BREXIT: UK Leaves the European Union) 69

7. रूस (Russia)....72

7.1. भारत-रूस (India-Russia)....72

8. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)....75

8.1. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका (India-USA)....75

9. भारत-मध्य एशिया (India-Central Asia) 78

9.1. भारत-मध्य एशिया संवाद (India-Central Asia Dialogue)....78

VISION IAS

10. लैटिन अमरिका और कैरिबियन देश (Latin America and the Caribbean) 81

10.1. भारत-मर्कोसुर (India-MERCOSUR)..81

10.2. भारत-कैरीकॉम (India-CARICOM) 82

11. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह और शिखर सम्मेलन (Important International/Regional Groups and Summits) 84

11.1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका (Role of WHO) 84

11.1.1. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) 86

11.2. विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली (Dispute Settlement System of WTO)..........................87

11.3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council)..91

11.4. गुट-निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन (Non-Aligned Movement Summit) 94

11.5. भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित {India Elected Non-Permanent Member of UN Security Council (UNSC)} 96

11.6. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping Forces)...97

11.7. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (United Nations Convention on the Law of The Sea: UNCLOS)..98

11.8. परमाणु अप्रसार संधि के 50 वर्ष (Nuclear Non-Proliferation Treaty at 50)..100

11.9. ओपन स्काई संधि (Open Skies Treaty) 103

11.10. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) 104

12. अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ (International Events)..107

12.1. दक्षिण चीन सागर (South China Sea)..107

12.2. हांगकांग में नया सुरक्षा कानून (New Security Law in Hong Kong)...108

13. विविध (Miscellaneous)..110

13.1. भारतीय कूटनीति (Indian Diplomacy) 110

13.1.1. बदलते विश्व में भारतीय विदेश नीति (Indian Foreign Policy in a Changing World) 110

13.1.2. भारत की सॉफ्ट पावर (India's Soft Power) 112

13.1.3. चिकित्सा कूटनीति (Medical Diplomacy)...114

13.1.4. नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी प्रभाग (New and Emerging Strategic Technologies Division) 115

VISION IAS

13.2. वैश्विक मंच पर कश्मीर मुद्दा (Kashmir Issue at Global Forums) 117

13.3. ई-कूटनीति (E-Diplomacy) 119

13.4. कोविड जनित आपात स्थितियों से निपटने हेतु सामूहिक कार्रवाई (Collective Action in the Times of COVID) 120

13.5. डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (Data Free Flow with Trust) 122

1. भारत और उसके पड़ोसी देश (India and its Neighbours)

1.1. भारत-चीन (India-China)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत एवं चीन के मध्य पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control: LAC) पर पिछले आठ महीने से गतिरोध जारी है। दोनों देश सीमा विवाद को हल करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक वार्ता में भी संलग्न हैं।

वर्तमान गतिरोध के बारे में

CHINA AND INDIA'S DISPUTED BORDER

- मई 2020 के दौरान चीनी सैनिकों द्वारा **गलवान नदी घाटी** के आसपास LAC को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ भी की गई। पूर्वी लद्दाख में LAC को पार कर कई स्थानों पर चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जिससे भारत और चीन के मध्य तनाव अपने उच्च स्तर तक पहुँच गया। (मानचित्र देखिए)।
- इसके पश्चात् चीनी सेना के साथ हुई सैन्य झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ज्ञातव्य है कि यह 45 वर्षों के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में पहला हिंसक व घातक संघर्ष था।
- हालांकि, इसी दैरान दोनों देश सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संवाद और संचार बनाए रखने के लिए सहमत हुए। अब तक 8 से अधिक दौर की वार्ताएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा कुछ मुद्दों पर वार्ता अब भी जारी है। दोनों पक्ष दोनों देशों के नेताओं द्वारा मतभेदों को विवादों का रूप नहीं देने और सीमावर्ती क्षेत्र में शांति एवं संतुलन को संयुक्त रूप से बनाए रखने हेतु पूर्व में व्यक्त अपनी प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से कायम करने पर सहमत हुए।
- हालांकि, सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार चीन त्वरित गति से LAC पर रडारों का उन्नयन और उनकी तैनाती कर रहा है।

भारत- चीन सीमा विवाद

- भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा सर्वत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं की गई है तथा LAC भी **पारस्परिक रूप से सहमत सीमा रेखा नहीं** है।
- LAC वह सीमांकन है, जो भारत-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से पृथक करती है। भारत द्वारा LAC की लंबाई 3,488 कि.मी. मानी गई है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 कि.मी. ही स्वीकार करता है।
- LAC को **तीन भागों में विभाजित** किया गया है, यथा- पश्चिमी, मध्य और पूर्वी।
    - **पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख):** यहाँ पर सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित **जॉनसन रेखा** से संबंधित है, जो कुनलुन पर्वत तक विस्तृत थी तथा अक्साई चिन को जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत में शामिल करती थी।
        - भारत द्वारा जॉनसन रेखा को मान्यता प्रदान करते हुए अक्साई चिन पर अपना राज्यक्षेत्र होने का दावा किया गया। हालाँकि, चीन इस रेखा को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तथा इसकी बजाय वह **मैकडॉनल्ड रेखा** को स्वीकार करता है, जो अक्साई चिन को उसके नियंत्रण में दर्शाती है।
    - **मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड):** इस क्षेत्र में अत्यल्प विवाद है। इस अंचल में बाड़ाहोती (जिला चमोली, उत्तराखंड) मैदान के कुछ इलाकों को छोड़कर LAC पर कोई विशेष विवाद नहीं है। उल्लेखनीय है कि **भारत और चीन परस्पर आदान-प्रदान किए गए मानचित्रों पर व्यापक रूप से सहमत हैं।**
    - **पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम):** इस क्षेत्र में विवाद वर्ष 1914 में चीन, भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों की शिमला बैठक में निर्धारित **मैकमोहन रेखा** (अरुणाचल प्रदेश में) से संबंधित है।
        - हालांकि, इस बैठक में चीनी प्रतिनिधियों द्वारा समझौते हेतु प्रयास प्रारंभ किए गए थे, परन्तु बाद में उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया। त्वांग मार्ग को भारत द्वारा वर्ष 1951 में अपने राज्यक्षेत्राधीन कर लिया गया था, जिस पर चीन द्वारा दावा किया जा रहा था।

वर्तमान गतिरोध के संभावित कारण

चीन की मंशा का स्पष्टीकरण सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके लिए विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा भिन्न-भिन्न कारणों को उद्धृत किया गया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- **LAC से संलग्न क्षेत्र में अवसंरचना का विकास:** विगत एक दशक में, भारत ने सीमा और LAC से संलग्न क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं।
    - भारत द्वारा सीमावर्ती सड़कों के उन्नयन का अधिकांश कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें एक सामरिक सैन्य-उपयोग में प्रयुक्त की जाने वाली सड़क भी शामिल है। यह सड़क पश्चिमी क्षेत्र के **उत्तरी सिरे में दौलत बेग ओल्डी में अवस्थित एक हवाई क्षेत्र** को **दक्षिण की ओर श्योक एवं दरबुक गांवों** से जोड़ती है। वर्ष 2019 में पूर्ण हुई यह **"DS-DBO (दरबुक व श्योक-दौलत बेग ओल्डी) सड़क"** पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय सैन्य बलों की पार्श्व आवाजाही (lateral movement) को अत्यधिक सुविधाजनक बनाती है तथा यात्रा समय में लगभग 40 प्रतिशत की कमी करती है।
- **डोकलाम प्रकरण का प्रभाव:** एक व्यापक संदर्भ में, मौजूदा विवाद के लिए **वर्ष 2017 के डोकलाम में हुए चीन-भारत गतिरोध** को भी उत्तरदायी माना गया है। भारत के कड़े विरोध ने चीन को भारत-चीन-भूटान के त्रिसंगम (trijunction) पर एक सड़क का विस्तार करने से रोक दिया था।
- **जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन:** इससे पूर्व चीन ने लद्दाख को एक नए संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किए जाने का भी विरोध किया था तथा भारत पर LAC के संदर्भ में एकपक्षीय परिवर्तन का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
- **कोविड-19 के कुप्रबंधन पर चीन के विरुद्ध वैश्विक प्रतिक्रिया:** हाल ही में, भारत ने भी विश्व स्वास्थ्य सभा में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की निष्पक्ष जांच की मांग हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया था। वर्तमान चीनी आक्रामकता को भारत द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही संगठन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की संभावना के साथ भी संबद्ध किया जा सकता है।
- **नई चीनी आक्रामकता के संकेत:** भारत-चीन सीमा पर चीन की आक्रामकता उसकी निम्नलिखित गतिविधियों से भी संबद्ध है:
    - हांगकांग को नियंत्रित करने हेतु बीजिंग ने नया सुरक्षा कानून लागू किया है,
    - दक्षिण चीन सागर में नव प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया गया है,
    - मई 2020 में बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन के दौरान गैर-शांतिपूर्ण रीति से ताइवानी एकीकरण का दृष्टिकोण अपनाए जाने के संकेत प्राप्त हुए।
- मजबूत समुद्री घटक के साथ **क्वाड** अर्थात् चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue: Quad), **लचीली आपूर्ति शृंखला पहल (Resilient Supply Chain Initiative: RSCI)** जैसे प्रस्तावों में भारत की भागीदारी को चीन द्वारा संभावित चीन-विरोधी लोकतंत्रों के गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है। चीन का मानना है कि इनका उद्देश्य हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के समुद्री उत्थान को नियंत्रित एवं संतुलित करना है।

दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद निपटान तंत्र (Border Dispute Settlement Mechanism)

भारत और चीन के मध्य LAC के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान हेतु निम्नलिखित पांच समझौतों की एक शृंखला पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

- वर्ष 1993 में LAC पर **शांति एवं संयम बनाए रखने हेतु समझौता;**
- वर्ष 1996 में LAC पर **सैन्य क्षेत्र में विश्वास-बहाली उपायों पर समझौता;**
- वर्ष 2005 में LAC पर **सैन्य क्षेत्र में विश्वास-बहाली उपायों के कार्यान्वयन हेतु साधनों पर प्रोटोकॉल;**
- वर्ष 2012 में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु एक **कार्यकारी तंत्र की स्थापना पर समझौता; तथा**
- वर्ष 2013 का **सीमा रक्षा सहयोग समझौता।**

ये समझौते सैन्य और राजनीतिक स्तरों पर राजनयिक संलग्नता हेतु कार्य प्रणाली उपलब्ध करवाते हैं तथा दोनों पक्षों को तनाव की स्थिति में "यथास्थिति" पर पुनः पहुंचने हेतु प्रतिबद्धताओं का एक समुच्चय प्रदान करते हैं।

एक पूर्ण-विकसित भारत-चीन युद्ध की संभावना क्यों नहीं है?

- **विवाद की प्रकृति और वैचारिक कट्टरता (ideological fundamentalism) का अभाव:** भारत और चीन द्वारा परस्पर एक-दूसरे के संदर्भ में वैचारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के एक-दूसरे के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के विपरीत है।

VISION IAS

- **सैन्य और राजनीतिक स्तरों पर कूटनीतिक संबद्धता की इच्छाशक्ति:** दोनों देश विवाद के अधिक विस्तार की स्थिति में शिखर सम्मेलन आधारित कूटनीति का पुनर्प्रयोग करते हैं, जैसा कि वर्ष 2015 में लद्दाख और वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान देखा गया था। दोनों पक्षों ने **पहले से ही हस्ताक्षरित समझौतों** के आधार पर वर्तमान विवाद को कम करने के मंतव्य को दोहराया है।
- **गतिरोध के विवरण को लेकर अस्पष्टता:** दोनों सरकारों की राष्ट्रीय मीडिया को प्रबंधित करने और विवाद से संबंधित तथ्यों को गोपनीय बनाए रखने की क्षमता, घरेलू दर्शकों को प्रबंधित करने के प्रयासों में सहायक है।
- **दोनों पक्षों के लिए सीमित युद्ध की भौतिक लागत संभावित लाभ से कहीं अधिक है:**
    - **चीन के लिए,** भारत के साथ सीमा पर संघर्ष दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता को कम कर देगा, जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसे बीजिंग अपना प्राथमिक सुरक्षा प्रतिद्वंद्वी मानता है) के लिए सुभेद्य बन जाएगा। इसलिए, संभवतः बीजिंग दो-मोर्चों पर युद्ध का जोखिम उठाने का पक्षधर नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 के कारण हुई प्रतिष्ठा की क्षति और चीन के उत्थान के संदर्भ में पहले से मौजूद आशंकाओं के कारण बीजिंग द्वारा सैन्य बल का उपयोग उसके लिए क्षति में अधिक वृद्धि करेगा।
    - **भारत के लिए,** कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान-समर्थित आतंकी घुसपैठ प्राथमिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। इससे भी महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यदि सामरिक स्थलों का सुरक्षा से भिन्न अवलोकन किया जाए तो LAC पर विवादित भूमि के विशाल खंडों में तेल अथवा बहुमूल्य खनिज भंडार जैसे किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन निक्षेपित नहीं हैं। इसलिए प्रादेशिक आक्रामकता के लाभ, निवारक मूल्यों तक ही सीमित होते हैं और इस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र आक्रामक बलों को अल्प लाभ प्रदान करते हैं।

भारत और चीन के बीच अन्य मुद्दे

- **चीन की पहल:** चीन द्वारा आरंभ की गई कई पहलें भारत के दृष्टिकोण से संदेहजनक हैं-
    - **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** भारत ने **संप्रभुता, पारदर्शिता संबंधी चिंताओं, ऋण भार के मुद्दों** आदि के आधार पर BRI का बहिष्कार किया है। विदित है कि BRI का एक हिस्सा, जिसे 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (China-Pakistan Economic Corridor: CPEC) कहा जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है।
    - **हिंद महासागर में बढ़ती मौजूदगी:** भारत के समुद्री क्षेत्र के चतुर्दिक बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों के निर्माण की चीनी नीति (जैसे- म्यांमार में कोकोस द्वीप, बांग्लादेश में चटगाँव, श्रीलंका में हंबनटोटा, मालदीव में माराओ एटॉल और पाकिस्तान में ग्वादर) को **चीन द्वारा भारत की घेराबंदी** के रूप में देखा जाता है।
- **नदी जल विवाद:** चीन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में अनेक बांधों {जिएक्सु (Jiexu), जांगमू (Zangmu) और जियाचा (Jiacha)} का निर्माण कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो (Tsangpo) कहा जाता है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई है लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे पर कोई औपचारिक संधि नहीं की गई है।
- **दक्षिण एशिया में उपस्थिति:** चीन दक्षिण एशिया के देशों में निवेश और उनके साथ व्यापार में वृद्धि कर रहा है और पड़ोस में भारत की पारंपरिक स्थिति को चुनौती दे रहा है।
- **व्यापार असंतुलन (Trade imbalance):**
    - चीन, **भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है, जबकि भारत चीन के व्यापारिक भागीदार देशों में शीर्ष दस में शामिल है। चीन के साथ **51.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का व्यापार घाटा भारत के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यह चीन में विनिर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भारत की असमर्थता की ओर संकेत करता है।
    - चीन के पक्ष में एक महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन तथा बाजार पहुंच और सुरक्षा संबंधी मुद्दों ने द्विपक्षीय व्यापार को सीमित कर रखा है।
    - **चीन की संरक्षणवादी नीतियां:** ये नीतियाँ चीनी बाजारों में प्रवेश करने की भारतीय कंपनियों की क्षमता में बाधा डालती हैं।
- **पाकिस्तान को चीन का समर्थन:** चीन पाकिस्तान को अनेक प्रकार से सहायता कर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान भारत के विरुद्ध असममित युद्ध (asymmetric warfare) की नीति को जारी रखे हुए है। ज्ञातव्य है कि चीन पाकिस्तान को निवेश (जैसे- CPEC), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कश्मीर व आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में उसका पक्ष लेकर आदि के माध्यम से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है।

भारत के पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव

- **पाकिस्तान:** चीन, CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) पर कार्य कर रहा है, जो पाक अधिकृत भारतीय क्षेत्र से भी होकर

VISION IAS

गुजरता है। साथ ही, ग्वादर बंदरगाह पर भी चीन की उपस्थिति विद्यमान है।

- **बांग्लादेश:** चीन द्वारा बांग्लादेश में 25 ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जा रहा है। साथ ही, इसके द्वारा बांग्लादेश के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, चीनी सरकार द्वारा बांग्लादेश के प्रथम संचार उपग्रह बंगबंधु-1 के वित्त-पोषण में सहायता प्रदान की गई है।
- **श्रीलंका:** हाल ही में, चीन ने श्रीलंकाई नौसेना को एक युद्धपोत सौंपा है। साथ ही, इसने चीन निर्मित घुसपैठ रोधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किए हैं। हंबनटोटा बंदरगाह पर चीन की उपस्थिति है।
- **मालदीव:** मालदीव के कुल ऋण में चीन का योगदान लगभग 70 प्रतिशत है। मालदीव ने भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही, चीन को कई प्रमुख द्वीपों को पट्टे पर देने हेतु मालदीव ने अपने कानूनों में परिवर्तन किया है और बीजिंग को मकुनुधू (Makunudhoo) में एक पर्यवेक्षण वेधशाला बनाने की अनुमति प्रदान की है, जो भारत की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है।
- **म्यांमार:** दोनों देशों के मध्य एक व्यापक सामरिक समन्वय साझेदारी है। कोकोस द्वीप पर चीन की उपस्थिति है।

अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लाभ और सीमाएं

वुहान और मामल्लपुरम में भारत-चीन के दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसने गतिरोध के दौरान उनके संबंधों को संभालने में पर्याप्त सहायता की है।

अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के हित

- **भारत के हित:** भारत के लिए चीन के साथ संलग्नता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भारत को अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसी देश के समकक्ष लाता है और एक व्यवस्था के अंतर्गत उन मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है जहां परिणाम संबंधी कोई दबाव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, यह चीन के साथ राजनयिक संबंधों में नवीनतम विकास को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है।
    - उदाहरण के लिए, अत्यधिक तनावपूर्ण डोकलाम संकट के पश्चात् पिछले वर्ष आयोजित **वुहान शिखर सम्मेलन** से दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव में कमी आई तथा इसने एक अति संघर्षपूर्ण घटना के पश्चात् चीन-भारत संबंधों के परिचालन को प्रबंधित किया।
    - नई दिल्ली, अब चीन की अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी समीक्षा करता है तथा बीजिंग से भी पारस्परिकता की अपेक्षा करता है। चीन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी होने के साथ-साथ इसकी विदेश नीति के सम्मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती भी है। भारत, चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकता है तथा यह दोनों राष्ट्रों के मध्य बढ़ते शक्ति अंतराल से भी भिज्ञ है।
- **चीन का हित:** यह चीन की दूरदर्शिता ही है कि वह संबंधों में अप्रत्याशित गिरावट से बचने के लिए भारत के साथ संलग्नता के महत्व को बल प्रदान करता है। निम्नलिखित कारक इसकी व्याख्या करते हैं:
    - **घरेलू स्तर पर,** चीन, हांगकांग में विरोध-प्रदर्शन, शिनजियांग के उइगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अशांति और दलाई लामा के पश्चात् तिब्बत में अशांति की संभावनाओं का सामना कर रहा है।
    - अमेरिका और चीन के मध्य वर्तमान **व्यापार युद्ध** चीन की विदेश नीति में संघर्षरत संबंधों को सीमित करने के लिए बीजिंग पर दबाव डालेगा और संभवतः डालता है।
    - **अतः चीन को ऐसे भागीदारों की आवश्यकता है** जो इन चुनौतियों में से कुछ को दूर करने में सहायता कर सकें। इसके प्रमुख परंपरागत सहयोगी, रूस ने अत्यधिक सहायता नहीं की है क्योंकि वह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्णतः एकीकृत नहीं है, साथ ही, रूस पश्चिमी राष्ट्रों के साथ चीन की भांति अलगाव का सामना भी कर रहा है।
    - **ठीक इसी समय, भारत, पश्चिमी राष्ट्रों के साथ साझेदारी में वैश्विक आर्थिक संरचना** को आकार प्रदान करने हेतु सुदृढ़ता और विश्वनीयता दोनों के साथ उभरती हुई आर्थिक शक्ति बना हुआ है। भारत ने प्रमुख शक्तियों के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने की क्षमता प्रदर्शित की है।

हालाँकि, अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की स्पष्ट सीमाएँ हैं, जैसा कि वुहान के पश्चात् से भारत को ज्ञात हुआ है। मामल्लपुरम में प्रदर्शित सभी चर्चाओं और प्रतीकात्मकता के बावजूद, महत्वपूर्ण परिणाम अस्पष्ट बने हुए हैं। यह दोनों राष्ट्रों की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त अलग-अलग विचारों में अभिव्यक्त होता है तथा साथ ही, सीमा विवाद और चीन-पाकिस्तान गठबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, संबंधों को और सुदृढ़ करने हेतु अन्य राजनयिक मार्गों का भी एक साथ उपयोग किया जाना चाहिए।

VISION IAS

आगे की राह

- **वुहान शिखर सम्मेलन की भावना की पुनर्कल्पना (वुहान में वर्ष 2018 में आयोजित 'अनौपचारिक शिखर सम्मेलन'):** यह शिखर सम्मेलन वस्तुतः कुछ मानदंडों को स्थापित करने का एक प्रयास था, जो दोनों देशों में नीति निर्माताओं और नौकरशाहों के लिए दिशा-निर्देशों के एक नए समुच्चय के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसे निम्नलिखित **पांच स्तंभों** पर तैयार किया गया है:
    - **"भारत और चीन का एक-साथ उदय",** जहाँ स्वतंत्र विदेशी नीतियों के साथ ये दो प्रमुख शक्तियां एक वास्तविकता हैं।
    - वैश्विक शक्ति में निरंतर परिवर्तन को देखते हुए दोनों राष्ट्रों के आपसी संबंधों को पुनः महत्व देना, जो **"स्थिरता हेतु एक सकारात्मक कारक"** बन गया है।
    - दोनों पक्ष **"एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करने के महत्व"** को स्वीकार करते हैं।
    - शांतिपूर्वक सीमा का प्रबंधन करने हेतु दोनों पक्ष **"अपनी संबंधित सेनाओं को रणनीतिक मार्गदर्शन"** प्रदान करेंगे।
    - दोनों पक्ष **"सामान्य हित के सभी मामलों पर अधिकाधिक परामर्श"** के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें एक वास्तविक "विकासात्मक साझेदारी" का निर्माण करना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त दोनों पक्ष मामल्लपुरम सम्मेलन (वर्ष 2019 में आयोजित) में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने पर सहमत हुए। इसके मुख्य परिणामों में शामिल हैं:
    - **व्यापार:** दोनों देश उन्नत व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध को स्थापित करने के उद्देश्य से एक **उच्च-स्तरीय आर्थिक और व्यापार संवाद तंत्र** स्थापित करने तथा दोनों देशों के बीच व्यापार को बेहतर ढंग से संतुलित करने पर सहमत हुए। इसका उद्देश्य भारत और चीन के बीच एक 'विनिर्माण साझेदारी' का सृजन करना है।
    - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर कार्य करना:** दोनों नेताओं ने यह सहमति व्यक्त की कि एक नियम-आधारित और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षित, वित्त-पोषित और समर्थन प्रदान करने वालों के विरुद्ध फ्रेमवर्क को विश्व भर में सुदृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
    - **पीपल टू पीपल संपर्क:** दोनों राष्ट्रों के मध्य राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, वर्ष 2020 को **इंडिया-चाइना कल्चरल एंड पीपल टू पीपुल एक्सचेंज** के वर्ष के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रों के मध्य सभ्यता से जुड़ी विशेषताओं को सम्मान देने के लिए, तमिलनाडु और फुजियान प्रांत के मध्य एक 'सिस्टर-स्टेट रिलेशनशिप' स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इन संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक परिषद स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
    - **चेन्नई कनेक्ट:** दोनों नेताओं ने इस प्रकार से मतभेदों को प्रबंधित करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वे **"किसी भी मुद्दे पर मतभेद को विवाद में परिवर्तित नहीं होने देंगे"।**
- चीन के साथ अपने संबंधों में सतर्कतापूर्ण आशावाद के बावजूद, यह धारणा बढ़ती जा रही है कि चीन का व्यवहार, राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है।
    - इसी पृष्ठभूमि में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है। इस प्रकार, भविष्य में हम आपसी हित के मुद्दों पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कहीं बेहतर साझेदारी देख सकते हैं, जिसमें चीन को लेकर भी पर्याप्त विचार किए जाने की संभावना है।
    - इसे हाल ही में क्वाड-बैठक को लेकर भारत की मुखरता में देखा जा सकता है। भारत संभवतः **"क्वाड प्लस" (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मौजूदा समूह का विस्तार करके इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल करना)** जैसे समूह के माध्यम से अधिकाधिक सहयोग-पूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु प्रयासरत है।

इस गतिरोध की पृष्ठभूमि में भारत द्वारा किए गए आर्थिक उपाय

- सरकार ने भारत में टिक टॉक, PUBG आदि लोकप्रिय ऐप सहित 100 से अधिक चीनी ऐप्स के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में 574 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, अतः लागू किया गया प्रतिबंध एप्लिकेशन के उपयोगकर्ता आधार और डेटा पूंजी के अभूतपूर्व नुकसान के रूप में एक बड़ा झटका है। इससे एप विनिर्माताओं को विज्ञापनों से प्राप्त होने वाले राजस्व का संभावित नुकसान हो सकता है।
- सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जो "भारत के साथ सीमा साझा करने वाले

VISION IAS

देशों" से किए जाने वाले विदेशी निवेश के लिए केंद्र से "पूर्व अनुमोदन" को अनिवार्य करते हैं। इस कदम को व्यापक रूप से घरेलू फर्मों पर चीनी प्रभाव के विरुद्ध एक बचाव का उपकरण माना गया है। ज्ञातव्य है कि घरेलू फर्में कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक मंदी की परिस्थितियों के कारण पहले ही संघर्षरत हैं।

- भारत ने खराब गुणवत्ता वाले चीनी आयात को रोकने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के कठोर मानदंडों को लागू किया है।
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने घोषणा की है कि चीनी कंपनियों को सड़क परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निष्कर्ष

- वुहान और मामल्लपुरम शिखर सम्मेलनों में दोनों देशों ने इस बात पर बल दिया कि भारत एवं चीन एक-दूसरे के 'विरोधी' नहीं हैं, अपितु एक बहुध्रुवीय विश्व में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। प्रमुख तथ्य यह है कि चीन, भारत की क्षमता की अवहेलना नहीं कर सकता है। शीत युद्ध के पश्चात् के दौर में 'सैन्य' संघर्षों को रोकने के लिए 'नियंत्रण एवं संतुलन' को अब एक वैध साधन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- LAC पर जारी वर्तमान विवाद विगत कुछ वर्षों में घटित प्रवृत्तियों की एक निरंतरता है। हालांकि, वर्तमान विवाद में **एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि** अतीत के असतत और भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत टकरावों के विपरीत, नवीनतम टकराव LAC से संलग्न कई स्थानों पर उत्पन्न हुए हैं। ये चीनी सेना की पूर्व विचारित उच्च भागीदारी और उच्चतम नेतृत्व द्वारा इन सैन्य गतिविधियों को प्रदत्त स्वीकृति को प्रदर्शित करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, भले ही निकट भविष्य में मौजूदा तनावों को हल कर लिया जाए, किन्तु चीन को लेकर भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं, विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में निरंतर सतर्कता बनाए रखने के लिए सैन्य बल पुनर्गठन करने की अनिवार्यता को रेखांकित कर रही हैं। इस प्रकार, भारत को किसी भी प्रकार की चीनी आक्रामकता का विरोध करने के लिए पूर्णतः सक्रिय रहना चाहिए और साथ ही तनाव को कम करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का उपयोग करना चाहिए।

1.2. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बांग्लादेश के प्रधान मंत्री द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा की गई, जिसके दौरान सात प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

इस यात्रा के प्रमुख परिणाम

- संयुक्त वक्तव्य के तहत सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी में वृद्धि, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सहयोग आदि जैसे विभिन्न अधिमानित सहयोगात्मक क्षेत्रों को रेखांकित किया गया।
- इस यात्रा के दौरान **सात प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप प्रदान किया गया,** जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - एक तटीय निगरानी प्रणाली उपलब्ध करवाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU);
    - भारत को वस्तुओं के निर्यात और भारत से वस्तुओं के आयात हेतु चट्टोग्राम व मोंगला बंदरगाहों के प्रयोग पर मानक परिचालन प्रक्रिया;
    - त्रिपुरा के 'सबरूम' कस्बे हेतु पेयजल आपूर्ति योजना के लिए भारत द्वारा फेनी नदी से जल की प्राप्ति पर एक समझौता ज्ञापन; आदि।

भारत-बांग्लादेश संबंधों का महत्व

भू-राजनीतिक महत्व

- **पूर्वोत्तर की सुरक्षा:** बांग्लादेश, एक मित्र राष्ट्र के रूप में यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी भूमि का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाए। बांग्लादेश की कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न विद्रोही समूहों, यथा- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (NDFB) के कई शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हुई।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी:** उत्तर-पूर्वी राज्य स्थलरूद्ध क्षेत्र हैं तथा इस क्षेत्र से समुद्र तक पहुँचने हेतु बांग्लादेश के माध्यम से एक लघु मार्ग उपलब्ध हो सकता है। बांग्लादेश के साथ पारगमन समझौता सामाजिक-आर्थिक विकास और पूर्वोत्तर भारत के एकीकरण को प्रोत्साहित करेगा।

VISION IAS

- **दक्षिण-पूर्वी एशिया हेतु एक सेतु:** बांग्लादेश, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक स्वभाविक स्तंभ है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों के लिए एक 'सेतु' के रूप में कार्य कर सकता है। बांग्लादेश; BIMSTEC (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) और BBIN-MVA (बाग्लादेश-भूटान-इंडिया-नेपाल-मोटर व्हीकल एग्रीमेंट) जैसी पहलों का महत्वपूर्ण घटक है।
- **दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सुदृढ़ता:** बांग्लादेश आर्थिक संवृद्धि और रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) के सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने एवं इसे सुदृढ़ करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा:** बांग्लादेश सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट अवस्थित है। यह हिंद महासागर में समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष और चरमपंथवाद का विरोध:** एक स्थिर, उदार और सहिष्णु बांग्लादेश, उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि को रोकने और साथ ही, चरमपंथवाद विरोधी प्रयासों, खुफिया जानकारी साझा करने तथा अन्य आतंकवाद-विरोधी प्रयत्नों में भारत की सहायता कर सकता है।
- **चीन का प्रति-संतुलन:** एक तटस्थ बांग्लादेश इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक प्रसार को नियंत्रित करेगा तथा चीन की स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स की नीति का विरोध करने में भारत की सहायता भी करेगा।

आर्थिक महत्व

- **व्यापार संबंध:** बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - भारत और बांग्लादेश के मध्य एक व्यापार सुविधाजनक समझौता हस्ताक्षरित है। इसके अतिरिक्त ये दोनों देश एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (Asia Pacific Trade Agreement: APTA), सार्क अधिमान्य व्यापार समझौते (SAARC Preferential Trade Agreement: SAPTA) और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (South Asian Free Trade Area: SAFTA) पर समझौते के सदस्य भी हैं। ज्ञातव्य है कि ये समझौते व्यापार हेतु प्रशुल्क व्यवस्था को प्रबंधित करते हैं।
  - सीमा शुल्क और आव्रजन दस्तावेज़ों में कमी, 49 थल सीमा शुल्क स्टेशनों की स्थापना, एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण आदि सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं।
- **निवेश के अवसर:**
  - भारत से बांग्लादेश तक संचयी **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** वर्ष 2014 के 243.91 मिलियन डॉलर से दोगुना होकर दिसंबर 2018 में 570.11 मिलियन डॉलर हो गया।
- **कनेक्टिविटी:** भारत, अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार पर प्रोटोकॉल (Protocol on Inland Water Transit and Trade: PIWTT) के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय और अंत:क्षेत्रीय बॉर्डर कनेक्टिविटी हेतु जलमार्गों की क्षमता का दोहन करने के लिए बांग्लादेश की सहायता कर रहा है।
- **ऊर्जा:** रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, भारत एवं रूस के सहयोग से बांग्लादेश में स्थापित की जाने वाली एक परियोजना है। इसके तहत, भारत बांग्लादेश में कार्मिक प्रशिक्षण एवं परामर्श सहायता प्रदान करेगा तथा स्थल पर निर्माण और स्थापना संबंधी गतिविधियों में भाग लेगा व नॉन-क्रिटिकल सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
  - वर्तमान में भारत, बांग्लादेश को दैनिक आधार पर 660 मेगावाट विद्युत का निर्यात करता है।
- **रक्षा:** रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क समझौते के माध्यम से, भारत सामरिक और परिचालन अध्ययन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी कर रहा है।
- **अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी:** आपदा प्रबंधन, टेली-एजुकेशन, टेली-मेडिसिन, अंतर-सरकारी नेटवर्क आदि क्षेत्रों में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई उपग्रह {सार्क (SAARC) सैटेलाइट} प्रक्षेपित किया गया है।
  - भारत ने बांग्लादेश के साथ शिक्षा की डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का भी विस्तार किया है।
- **विकास में सहयोग:** वर्तमान में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है। भारत ने विगत 8 वर्षों में बांग्लादेश को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स (LOCs) प्रदान किए हैं।

सांस्कृतिक संबंध

- हाल ही में संपन्न बैठक में एक **संयुक्त घोषणा-पत्र** के तहत **महात्मा गांधी की जयंती (2019), बंगबंधु शेख मुजीब-उर-रहमान (2020) की जन्म शताब्दी** और **बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध के 50 वर्ष (2021) पूर्ण होने** का उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया गया।

VISIONIAS

संबंधों में विद्यमान चुनौतियां

- **नदी विवाद:** भारत बांग्लादेश के साथ 54 सीमा-पार नदियों को साझा करता है। कुछ प्रमुख विवादों में अग्रलिखित शामिल हैं- तीस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा, बराक नदी पर प्रस्तावित तिपाईमुख जल-विद्युत परियोजना, गंगा नदी विवाद आदि।
- **अवैध अप्रवासी:** राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC) में असम में रहने वाले 1.9 मिलियन लोगों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें वर्ष 1971 के पश्चात् असम में बसने वाले "बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासियों" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। बांग्लादेश अपने मत पर कायम है कि 1971 के युद्ध के दौरान किसी भी प्रवासी द्वारा अवैध रूप से असम में प्रवास नहीं किया था और विवादास्पद NRC परस्पर संबंधों को कमजोर कर रहा है।
- **सीमा प्रबंधन:** भारत-बांग्लादेश सीमा छिद्रिल प्रकृति की है, जो हथियारों, मादक द्रव्यों और लोगों एवं मवेशियों की तस्करी व दुर्व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करती है।
- **परियोजना क्रियान्वयन में विलंब:** वर्ष 2017 तक, भारत ने बांग्लादेश को लगभग 7.4 बिलियन डॉलर के तीन लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट्स प्रदान किए थे। हालाँकि, अभी तक कुल प्रतिबद्धताओं का 10% से भी कम का वितरण किया गया है।
- **चाइना फैक्टर:** चीन द्वारा बांग्लादेश को भारत के विकल्प के रूप में दक्षिण एशिया में पैठ बनाने हेतु एक रणनीतिक केंद्र बिंदु के रूप में देखा जा रहा है।
- **बढ़ता चरमपंथ:** बांग्लादेश में हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी (HUJI), जमात-ए-इस्लामी और HUJI-B जैसे समूहों की उपस्थिति भारत विरोधी भावनाओं को प्रेरित करती है। इनका प्रचार सीमा पार तक प्रसारित हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत-बांग्लादेश संबंध विगत दशक में सहयोग के कई क्षेत्रों में विकास के साथ परिपक्व हुआ है। हालांकि, जितनी शीघ्रता से मौजूदा चुनौतियों को हल कर लिया जाएगा, यह दोनों देशों के लिए उतना ही बेहतर होगा। **74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा** के पार्श्व में, भारत ने बांग्लादेश को NRC और जल-साझाकरण के मुद्दों के विषय में चिंतित न होने का आश्वासन दिया है। ज्ञातव्य है कि भू-अर्थशास्त्र (जियो-इकोनॉमिक्स) के स्थानांतरण के बावजूद भी बांग्लादेश के साथ सुदृढ़ संबंध आवश्यक हो गए हैं। बांग्लादेश अपनी बढ़ती आर्थिक सफलता और अपनी 8 प्रतिशत की संवृद्धि दर के साथ क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदान करता है। भारत-बांग्लादेश संबंधों को **सहयोग, समन्वय** और **समेकन** के आधार पर आगामी स्तर तक ले जाने की सम्भावना है, क्योंकि प्रधान मंत्री ने दोनों देशों के मध्य संबंधों की वर्तमान अवधि को **'सोनाली अध्याय'** (स्वर्णिम अध्याय) की संज्ञा प्रदान की है।

1.3. भारत-नेपाल (India-Nepal)

1.3.1. भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद (Indo-Nepal Territorial Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नेपाल द्वारा एक नवीन राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया है,** जिसमें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे- उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को उसके संप्रभु क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया गया है।

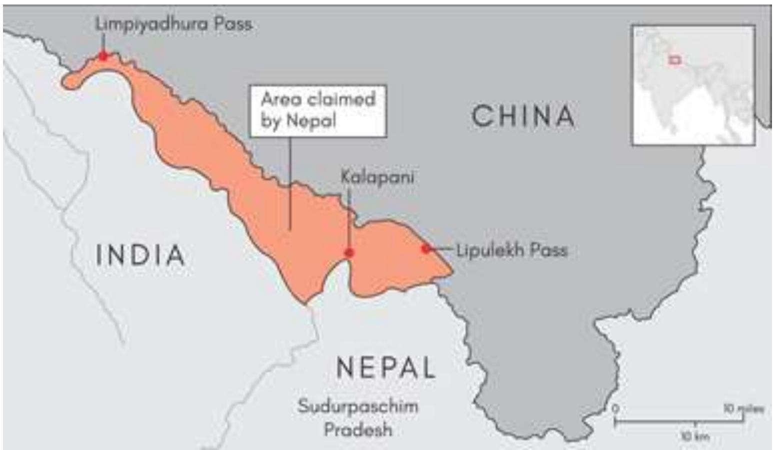

अन्य संबंधित तथ्य

- **यह मानचित्र** भारत द्वारा उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक सड़क निर्माण पर नेपाल द्वारा आपत्ति प्रकट करने के पश्चात् **प्रतिकार के रूप में तैयार किया गया है।**
    - यह सड़क **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** के निकट है और लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग प्रदान करती है।
    - इससे **तीर्थयात्रियों को** सिक्किम और नेपाल के खतरनाक ऊंचाई वाले मार्गों का परिवर्जन करने में सहायता प्राप्त होगी।
- भारत द्वारा नेपाल की हालिया कार्रवाई को **'एकपक्षीय कार्यवाही'** के रूप में वर्णित किया गया है, जो ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। साथ ही, भारत द्वारा यह भी दावा किया गया है कि ये क्षेत्र सदैव भारतीय राज्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं।

- इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात्, भारत ने नवंबर 2019 में एक नया मानचित्र प्रकाशित किया था, जिसमें **कालापानी** क्षेत्र को भारतीय राज्यक्षेत्र के एक हिस्से के रूप में दर्शाया गया था।
- नया मानचित्र और इसके परिणामस्वरूप नेपाल की आपत्ति ने **दोनों देशों के मध्य अनसुलझे सीमा विवाद को प्रकट किया है।**

भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद से संबंधित तथ्य

- भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद **कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा (तीनों उत्तराखंड में)** और **सुस्ता (बिहार)** क्षेत्रों के संदर्भ में विद्यमान हैं।
- **कालापानी क्षेत्र नेपाल और भारत के मध्य विवाद का सर्वप्रमुख विषय है।** उच्च हिमालय अंचल में इस क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 37,000 हेक्टेयर भू-भाग शामिल है।
  - यह उत्तराखंड के **पिथौरागढ़ जिले** के सुदूरतम पूर्वी छोर पर स्थित है।
  - **यह भारत, चीन और नेपाल के एक त्रिसंगम (tri-junction) पर स्थित है,** जो दक्षिण एशियाई कूटनीति में सामरिक महत्व का क्षेत्र है।
- बिहार में **सुस्ता** गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। दोनों देशों के मध्य यह विवाद प्रायः गंडक नदी के परिवर्तित प्रवाह के कारण उत्पन्न हुआ है।
- **नेपाल वर्ष 1816 की सुगौली की संधि** (काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हस्ताक्षरित) को सीमा परिसीमन पर एकमात्र प्रामाणिक दस्तावेज़ मानता है।
  - सुगौली की संधि के प्रावधानों के तहत, नेपाल द्वारा सिक्किम, कुमाऊँ, गढ़वाल और पश्चिमी तराई (समतल भूमि) क्षेत्र पर अपना अधिकार त्याग दिया गया था। **मेची नदी** को भारत के साथ **पूर्वी सीमा** के रूप में माना गया, जबकि **काली नदी** (नेपाल में महाकाली के नाम से जानी जाती है) को **उत्तर-पश्चिमी सीमा** के रूप में सीमांकित किया गया।
    - सुगौली की संधि में **गंडक को भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा** के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - नेपाल सीमा का प्रारंभ लिम्पियाधुरा के निकट काली नदी के उद्गम स्रोत से मानता है, जो नदी के शेष प्रवाह की तुलना में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार, **लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी तीनों क्षेत्रों को काली नदी के पूर्व में माना गया है।**
- दूसरी ओर **भारत** का मत है कि सीमा कालापानी से आरम्भ होती है। भारत के अनुसार यही नदी का उद्गम स्थल भी है।
  - काली नदी वसंत ऋतु में लिपुलेख दर्रे के निम्नवर्ती स्थल से उद्गमित होती है और सुगौली संधि इन धाराओं के उत्तरी क्षेत्रों का सीमांकन नहीं करती है।
  - उन्नीसवीं शताब्दी के प्रशासनिक और राजस्व रिकॉर्ड में उल्लिखित किया गया है कि कालापानी भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित है और वर्तमान उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले का भाग है।
  - **भारत द्वारा 1950 के दशक से ही इस क्षेत्र को नियंत्रित किया गया है** और इसके प्रशासन के संचालन तथा चीन से संलग्न सीमा तक सैन्य बलों को तैनात करने के अतिरिक्त पूर्व में भी यहां अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है।
  - चीन द्वारा वर्ष 2015 में, लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार का विस्तार करने की सहमति व्यक्त करके इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को मान्यता प्रदान की गई थी।

भारत नेपाल सीमा

- भारत और नेपाल लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं जो **भारतीय राज्यों, यथा- पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम** से संलग्न है।
- दोनों देशों द्वारा **वर्ष 1950 की शांति और मैत्री संधि** के पश्चात् एक बेहतर रूप से निर्धारित एवं औपचारिक रूप से स्वीकृत "खुली

VISION IAS

सीमा" को प्रोत्साहित किया गया।
- एक "खुली सीमा" का तात्पर्य दोनों देशों के नागरिकों की स्वतंत्र और अप्रतिबंधित आवागमन से है।
- खुली सीमा के कारण दोनों देशों के मध्य बेहतर सामाजिक और व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ, जिसे **'रोटी-बेटी का रिश्ता'** कहा जाता है।

सीमा विवाद निपटाने में समस्याएं:

- **चीन कारक:** नेपाल सरकार द्वारा जारी नवीनतम राजनीतिक मानचित्र को चीन के प्रभाव के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, जिसका कारण दोनों देशों में साम्यवादी सरकारें तथा उनके मध्य उभरते घनिष्ठ संबंध हैं।
  - चीन द्वारा नेपाल को बंदरगाह की सुविधा प्रदान करने और ट्रांस हिमालयन रेलवे तक पहुंच प्रदान करने से भारत पर नेपाल की निर्भरता कम होगी तथा इससे इस विवाद के निपटान हेतु भारत को नेपाल से प्राप्त होने वाला लाभ भी अल्प हो जाएगा।
- **सीमा का निर्धारण:** विवाद मुख्य रूप से नदी की उत्पत्ति और पर्वतों से होकर गुजरने वाली उसकी विभिन्न सहायक नदियों के भिन्नतापूर्ण निर्धारण के कारण विद्यमान है।
- **बिग ब्रदर जैसा व्यवहार:** ऐसा आरोप लगाया जाता है कि नेपाल के प्रति भारत का रवैया बड़े भाई जैसा रहता है, जिससे वहां के नागरिकों के मध्य असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है।
- **नेपाल की आंतरिक राजनीति के कारण भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि** राजनीतिक दलों द्वारा अपनी स्थिति को भारत-समर्थक से भारत-विरोधी में परिवर्तित किया गया है।

निष्कर्ष

दोनों पक्षों के मध्य परस्पर विश्वास के निर्माण हेतु कालापानी विवाद का शीघ्रता से और निष्ठापूर्वक समाधान किया जाना चाहिए। दोनों देशों द्वारा मानचित्रों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने और कूटनीतिक रूप से निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए एक **संयुक्त सीमा सीमांकन समिति** (Joint Boundary Demarcation Committee) की नियुक्ति की जानी चाहिए।

1.3.2. नेपाल-चीन कनेक्टिविटी समझौता (Nepal China Connectivity Deal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन और नेपाल ने काठमांडू व तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के मध्य सभी मौसमों में संचालन योग्य सड़क संपर्क (रोड कनेक्टिविटी) स्थापित करने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

चीन के साथ नेपाल की बढ़ती निकटता के कारण

- **भारत पर निर्भरता:** अपनी भौगोलिक बाधाओं के कारण, नेपाल ने स्वयं को भारत पर बहुत अधिक निर्भर पाया है, जिसके कारण इसे निर्यात वृद्धि हेतु कभी भी तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
- **भारत के बारे में नकारात्मक धारणा:** यह धारणा निम्नलिखित घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई है -
  - भारत द्वारा गैर-प्रशुल्क बाधाओं के अधिरोपण और मानक अवसंरचना के अभाव ने भारत के प्रति नेपाल के असंतोष में वृद्धि की है।
  - नेपाल में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भारत की ओर से होने वाला विलंब, चीन द्वारा सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए, महाकाली समझौते का कार्यान्वयन दो दशक से अधिक समय के पश्चात् अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है।
- **चीन से संभावित लाभ:** नेपाल को चीन की आवश्यकता, चीन-नेपाल संबंध में किसी भी संभावित चुनौतियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
  - बुद्ध की जन्मस्थली, लुम्बिनी और प्रसिद्ध पोखरा घाटी में चीनी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नेपाल, चीन के रेलवे को एक अवसर के तौर पर देखता है।
  - रेलवे संपर्क, नेपाल की समग्र आर्थिक क्षमता में वृद्धि करने में सहायता कर सकता है।
- **वैचारिक आधार:** नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा चीन का पक्ष लेने के साथ-साथ निरंतर भारत का विरोध किया जाता रहा है। वर्तमान में नेपाली कांग्रेस द्वारा भी चीन का समर्थन किया जा रहा है।

भारत के लिए संभावित निहितार्थ

- **बफर स्टेट का क्षरण:** अतीत में नेपाल ने भारत-चीन टकराव की स्थिति में भारत का पक्ष लेने के संबंध में अनिच्छा व्यक्त की है। ऐसे में यह अनिश्चित है कि भविष्य में भारत-चीन युद्ध की स्थिति में, नेपाल 1950 की संधि (साथ ही उत्तरवर्ती संधियों) की मूल भावना के अनुरूप भारत का पक्ष लेगा या नहीं।

VISION IAS

- **भूटान सहित अन्य पड़ोसियों पर प्रभाव:** भूटान भी भारत और चीन के संदर्भ में समान परिस्थितियों का सामना कर रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से नेपाल के जुड़ने से भारत और अन्य राष्ट्रों के लिए इससे अप्रभावित रहना अत्यधिक कठिन प्रतीत हो रहा है।
- **क्षेत्रीय समूहों पर प्रभाव:** चीन-नेपाल संबंधों में वृद्धि BIMSTEC (बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) जैसे क्षेत्रीय समूहों (जिसमें नेपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है) के प्रयासों की सफलता को बाधित कर सकता है।

आगे की राह

- नेपाल, भारत पर अपनी निर्भरता को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता। नेपाल के लिए भारत की महत्ता अनेक अर्थों में बनी हुई है और भविष्य में भी बनी रहेगी। हालाँकि, चीन के साथ नेपाल की संलग्नता को न्यूनतम रखने की भारत की रणनीति अब एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।
- भारत द्वारा नेपाल के साथ नई आर्थिक, विकासात्मक और अवसंरचना संबंधी पहलें आरंभ की जानी चाहिए जो न केवल नेपाल के नागरिकों को भौतिक लाभ प्रदान करेगी, अपितु नेपाल की चीन के साथ संलग्नता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सुभेद्यताओं को भी संबोधित करेगी।

1.4. भारत-श्रीलंका (India-Sri Lanka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रीलंका के निर्वाचित राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा से यह परिलक्षित हुआ है कि श्रीलंका, भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु इच्छुक है।

भारत-श्रीलंका संबंधों को बल प्रदान करने वाले समकालीन कारक

श्रीलंका में भारतीय हितों को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं: श्रीलंकाई गृह-युद्ध के पश्चात् मित्रवत संबंध, श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक लोगों की गरिमा का सम्मान, भारत द्वारा अपने निकटवर्ती पड़ोसियों से मित्रवत व्यवहार, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा आदि।

- **वाणिज्यिक/व्यापार संबंध:**
    - भारत, विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि SAARC में श्रीलंका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
    - मार्च 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के पश्चात् श्रीलंका और भारत के मध्य व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है।
- **विकासात्मक सहयोग:**
    - श्रीलंका, भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले विकास ऋणों का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता देश है, उदाहरणार्थ- 167.4 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट के माध्यम से, सुनामी से क्षतिग्रस्त **कोलम्बो-मटारा रेल लाइन** की मरम्मत और उन्नयन कार्यक्रम।
- **आर्थिक और अवसंरचना सहयोग:**
    - भारत ने **त्रिंकोमाली बंदरगाह** और तेल टैंक फार्मों तथा कोलंबो के निकट केरावलपिटिया में LNG टर्मिनल को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
    - कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए भारत-जापान के मध्य संयुक्त समझौता और अन्य परियोजनाएं, जैसे- मटाला हवाई अड्डे को संचालित करने का प्रस्ताव।
    - जाफना-कोलंबो रेल ट्रैक और अन्य रेलवे लाइनों को अपग्रेड करने, भारत से बिजली आयात के लिए बिजली पारेषण लाइनें प्रदान करने तथा **कांकेषनथुराई बंदरगाह** के पुनर्निर्माण सहित उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में अवसंरचना का निर्माण।

भारत-श्रीलंका संबंधों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:

- **भारत-श्रीलंका संबंधों में चीनी कारक:** भारत-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा का मंच (श्रीलंका) होने के संदर्भ में, श्रीलंका ने चीन की प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना, यथा- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन किया है।
    - यह चीन की समुद्री रणनीति के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों में से एक है।
- **नृजातीय मुद्दा:** यह श्रीलंका में सिंहली बहुमत और तमिल अल्पसंख्यकों के मध्य लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष है, जिसने हाल के दशकों में द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से कमजोर किया है। इसके अतरिक्त, इसमें श्रीलंका में युद्ध-अपराध की जांच और जवाबदेही संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं।

- **मत्स्यन संबंधी विवाद:** दोनों देशों के क्षेत्रीय जल (territorial waters) की निकटता को देखते हुए (विशेष रूप से पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी क्षेत्र), मछुआरों के दिग्भ्रमित होने की घटनाएं सामान्य हैं।

निष्कर्ष

- भारत के लिए विशेष हित के कुछ मुद्दों के संबंध में राष्ट्रपति गोतबया का आश्वासन, आपसी विश्वास को प्रगाढ़ बनाने का एक सुअवसर है। भारत-श्रीलंका एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं अर्थात् एक अधिक संतुलित और उत्पादक संबंध को प्रोत्साहित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
- श्रीलंका के लिए अपने बड़े पड़ोसी राष्ट्र की संवेदनशीलता के प्रति जागरूक होने, जबकि भारत के लिए, अपने छोटे पड़ोसी राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करने की चुनौती विद्यमान है।
- इन कदमों के अंतर्गत तमिलों के साथ श्रीलंका के विश्वास बहाली उपायों, व्यापक सीमा-पार आर्थिक सहयोग के साथ-साथ उत्तरी श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य सहयोग को बढ़ाना तथा मत्स्यन संबंधी विवादों के समाधान हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति से कार्य करना शामिल हो सकते हैं।

1.5. भारत-मालदीव (India-Maldives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने मालदीव के लिए अनेक नई संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में इस द्वीपीय देश की सहायता करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

घोषित की गई परियोजनाओं में सम्मिलित हैं:

- यात्रा के लिए एक "**एयर बबल समझौता**", एक सीधी वायु परिवहन सेवा और दूरसंचार संपर्क के लिए समुद्री केबल।
- माले को तीन पड़ोसी द्वीपों – विलिंगिली (Villingili), थिलाफूसी (Thilafushi) और गुल्हीफाहू (Gulhifalhu)- से जोड़ने वाले **ग्रेटर माले संपर्क परियोजना (GMCP) को सहयोग प्रदान करने हेतु** 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता। मालदीव में GMCP सबसे बड़ी नागरिक अवसंरचना परियोजना होगी।
- **400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता,** जो वर्ष 2018 में घोषित 800 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता के अतिरिक्त है।

एयर बबल समझौते (Air bubble agreements)

- "परिवहन बबल्स" (Transport Bubbles) या "वायु यात्रा समझौते" (Air Travel Arrangements) **दो देशों के मध्य अस्थायी व्यवस्था या समझौते हैं।** इनका लक्ष्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबित होने की स्थिति में व्यावसायिक यात्री सेवाओं को पुनः आरंभ करना है।
- इन समझौतों की प्रकृति अन्योन्याश्रित होती है, अर्थात दोनों देशों की एयरलाइन्स को समान लाभ प्राप्त होते हैं।
- भारत ने **कई देशों के साथ** एयर बबल समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। **इनमें** अफ़ग़ानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव, क़तर, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं।

मालदीव का सामरिक महत्व

- मालदीव **भारत के पश्चिमी तट के सन्निकट** स्थित है और **इस क्षेत्र में तीसरे देश की नौसैनिक उपस्थिति को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में इसकी क्षमता** इसे भारत के लिए उल्लेखनीय सामरिक महत्व प्रदान करती है।

- **मालदीव** हिंद महासागर से गुजरने वाले **व्यापारिक समुद्री मार्गों के केंद्र पर स्थित हैं। भारत का मात्रा के अनुसार (by volume) 97% और मूल्य के अनुसार (by value) 75%** से अधिक **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** इस क्षेत्र के माध्यम से होता है।
- भारत की महत्वाकांक्षा हिंद महासागर क्षेत्र में **'एकमात्र-सुरक्षा प्रदाता'(Net-security provider)** बनने की है और इसके लिए **मालदीव के साथ सुदृढ़ सैन्य और नौसैनिक संबंध** अनिवार्य हैं, ताकि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने साथ-साथ अपने पड़ोसी देशों के हितों की रक्षा कर सके।
- चीन वर्ष 2011 में ही **मालदीव में** अपने दूतावास की स्थापना के पश्चात इस द्वीपीय देश में **अपने प्रभाव में तीव्रता से वृद्धि कर रहा है**। इसलिए, भारत के लिए यह **भू-राजनैतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया** है कि वह मालदीव में अपनी उपस्थिति को बनाए रखे।

भारत-मालदीव संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन

- **आर्थिक संबंध:**
  - भारत और मालदीव ने **वर्ष 1981 में व्यापार समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार 288.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2018) का है जो मुख्य रूप से भारत के पक्ष में है। **भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है।**
- **रक्षा सहयोग:**
  - भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) को सबसे अधिक संख्या में प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराता है। भारत उसकी लगभग 70% प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
- **विकासात्मक सहयोग:**
  - भारत द्वारा मालदीव में पूरे किए गए प्रमुख विकास सहायता कार्यों में **इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल**, मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निर्माण इत्यादि सम्मिलित हैं।
  - **उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDPs) के अंतर्गत प्रारंभ परियोजनाओं को अनुदान:** इसमें एंबुलेंस, सम्मेलन केंद्र (Convention Centre), ड्रग्स पुनर्वास केंद्र, पुलिस थानों का उन्नतीकरण इत्यादि जैसी परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
  - भारत ने वर्ष **2004 में हिंद महासागर की सुनामी के विध्वंसक परिणामों के पश्चात** और वर्ष **2014 में माले जल संकट** के दौरान ऑपरेशन **'नीर'** के अंतर्गत बड़े पैमाने पर मालदीव को सहायता प्रदान की थी।
- **लोगों के मध्य परस्पर संबंध (People to people relations):**
  - मालदीव में भारतीय समुदाय **दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय** है। मालदीव के लगभग 25% चिकित्सक और शिक्षक भारतीय हैं।
  - वर्ष 2011 में माले में **भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC)** का उद्घाटन किया गया था, जो **योग, शास्त्रीय संगीत और नृत्य** के पाठ्यक्रमों को संचालित करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय व्यावसायिक फिल्में, टीवी धारावाहिक और संगीत मालदीव में बहुत लोकप्रिय हैं।

उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं (High Impact Community Development Projects: HICDPs)

- HICDPs आजीविका और आय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक और बाल सशक्तीकरण, खेल और संधारणीय विकास के क्षेत्र में **उच्च-स्तरीय सामुदायिक प्रभाव और भागीदारी वाली परियोजनाएं** हैं।
- भारत ने **अन्य देशों जैसे अफ़ग़ानिस्तान, भूटान आदि के साथ भी HICDP पर हस्ताक्षर किया है।**

कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागरीय देशों तक भारत की पहुंच

- भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता पहुंचाने के लिए **मिशन सागर** आरंभ किया।
- इसके अंतर्गत भोजन सामग्री और कोविड से संबंधित दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए **आईएनएस केसरी** को **मालदीव, मारीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस** भेजा गया।
- यह प्रधान मंत्री के **'सागर' ('SAGAR') अर्थात 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास'** के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- सागर (SAGAR) दृष्टिकोण को वर्ष 2015 में भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो अन्य देशों के बीच, **शांति और सुरक्षा** को बढ़ाने तथा आपात स्थितियों से निपटने **के लिए सामूहिक कार्रवाई और सहयोग** की संभावना पर बल देता है।

VISION IAS

भारत-मालदीव संबंधों में चुनौतियां

- **2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक की **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं** के विकास के लिए मालदीव की **चीन पर निर्भरता** और इसके परिणामस्वरूप बढ़ता विदेशी ऋण- जो **देश की GDP का 40%** है- भारत के लिए एक चिंता का विषय है। यह चीन की **ऋण-जाल कूटनीति** के संदर्भ में चिंताएं उत्पन्न करता है।
- **मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता:**, मालदीव में अभी तक लोकतंत्र सुदृढ़ रूप में स्थापित नहीं हो सका हैं, जो चिंता का एक अन्य कारण है क्योंकि यह भारत के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2012 में मालदीव ने भारतीय अवसंरचना कंपनी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ **511 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को रद्द** करने की घोषणा की थी।
- मालदीव की राजनीतिक अस्थिरता ने **हिंद महासागर की समग्र सुरक्षा** को चुनौती दी है, इसका कारण **बढ़ता कट्टरवाद (200 से अधिक लोगों के इस्लामिक स्टेट में सम्मिलित होने की रिपोर्ट है)** और विदेशी निवेश को अपारदर्शी मंजूरी प्रदान करना है।

आगे की राह

- दोनों देशों को साझा मंचों जैसे हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ (Indian Ocean Rim Association: IORA) और हिन्द महासागर नौसैनिक परिसंवाद (Indian Ocean Naval Symposium: IONS) का उपयोग करते हुए **क्षेत्रीय सहयोग** को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- यद्यपि **मालदीव की 'भारत प्रथम नीति' (India First Policy) और भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' (Neighbourhood First Policy)** सहज रूप से एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन रणनीतिक संवेदनशीलता के साथ इन नीतियों को लागू करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

1.6. भारत-अफ़ग़ानिस्तान (India-Afghanistan)

1.6.1. अफगान शांति प्रक्रिया (Afghan Peace Process)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अफगान सरकार और तालिबान के मध्य पहली अंत:अफगान शांति वार्ता (intra-Afghan peace talks) कतर में संपन्न हुई।

अफगान शांति वार्ता के बारे में

- इस प्रक्रिया में अफ़ग़ानिस्तान में अफगान सरकार और तालिबान के मध्य हो रहे **युद्ध और संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव एवं वार्ता शामिल हैं।**
- फरवरी 2020 में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के समापन तथा अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की वापसी के मुद्दों पर **तालिबान के साथ एक शांति समझौता किया था। यह अंत: अफगान वार्ता इस समझौते का हिस्सा थी।**
- हालांकि यह समझौता मार्च-अप्रैल 2020 में होना था, परन्तु तालिबान और अफगान सरकार द्वारा कैदियों की पारस्परिक रिहाई पर मतभेद होने के कारण इसमें विलंब हुआ था।

अफगान-तालिबान मुद्दे की पृष्ठभूमि

- **तालिबान का उदय** सोवियत संघ के विघटन से पूर्व तथा **1990 के दशक के प्रारंभ में** अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के उपरांत हुआ था।
- सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात, **अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर अलक़ायदा और तालिबान सरकार के विरुद्ध** अफ़ग़ानिस्तान में **एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था।**
- **अमेरिका लगभग 20 वर्षों से** तालिबान पर स्पष्ट विजय के बिना **इस संघर्ष में संलग्न है।**
- **अफ़ग़ानिस्तान में इस संघर्ष के समय में ही एक निर्वाचित अफगान सरकार** ने तालिबान सरकार को प्रतिस्थापित कर दिया था, जिसके कारण मानव विकास के अधिकांश उपायों में सुधार हुआ है। परन्तु अभी भी अफ़ग़ानिस्तान का लगभग एक तिहाई भाग एक "संघर्षरत" क्षेत्र बना हुआ है।

VISION IAS

भावी चिंताएँ

- **अनवरत जारी हिंसा:** संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2020 के प्रथम छह महीनों में, अफ़ग़ानिस्तान में सैकड़ों बच्चों और 3,500 से अधिक अफगान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बलों के सैनिकों सहित लगभग 1,300 नागरिक मारे गए हैं।
- **मानवाधिकारों के लिए खतरा:** मानवाधिकारों के संबंध में तालिबान के विगत रिकॉर्ड को देखते हुए गंभीर चिंताएं प्रकट की जा रही हैं। ज्ञातव्य है कि तालिबान शासन के तहत विशेष रूप से महिलाओं तथा शियाओं एवं हजारा (Hazaras) (अफ़ग़ानिस्तान में तीसरा सबसे बड़ा नृजातीय समूह) समुदाय के विरुद्ध हिंसा सबसे व्यापक रही थी।
  - तालिबान इस्लामिक कानून के अपने संस्करण को देश की शासन प्रणाली के रूप में पुन: लागू करना चाहता है। हालांकि, वर्ष 1996-2001 के अपने शासन की तुलना में इस सशस्त्र समूह ने महिलाओं के मुद्दे और सामाजिक समानता के प्रति अल्प सख्त व्यवहार किए जाने पर अस्पष्ट टिप्पणियां की हैं।

भारत के लिए आगे की राह

- भारत ने **"अफगान-स्वामित्वाधीन, अफगान के नेतृत्व वाले और अफगान-नियंत्रित"** (Afghan-led, Afghan-owned, and Afghan-controlled) शांति प्रक्रिया के लिए अपने पूर्ववर्ती मत को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, भारत ने शांति और सुलह प्रक्रिया के संबंध में कुछ रेड लाइन्स (एक ऐसी सीमा जिसके उल्लंघन से सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है) निर्धारित किए हैं, यथा-
  - सभी पहलों और प्रक्रियाओं में वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार सहित अफगान समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए।
  - किसी भी प्रक्रिया को संवैधानिक विरासत (constitutional legacy) और राजनीतिक अधिदेश का सम्मान करना चाहिए।
  - किसी भी प्रक्रिया को ऐसी किसी भी अनियंत्रित व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जहां आतंकवादी और उनके समर्थक अपनी गतिविधियों को पुनर्स्थापित कर सकें।
- अब तक भारत की यह घोषित नीति रही है कि वह तालिबान के साथ संलग्न नहीं होगा, क्योंकि भारत का यह विचार है कि पाकिस्तान द्वारा इस कट्टरपंथी समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। **हालाँकि, भारत का वर्तमान तालिबान के साथ संबंध, कई कारणों से महत्वपूर्ण हो सकता है:**
  - **तालिबान की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय वैधता और विश्वसनीयता:** तालिबान के बाह्य संबंधों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन पाकिस्तान के साथ इसके संबंध और इसके पूर्ववर्ती विरोधियों (विशेष रूप से ईरान तथा रूस) एवं चीन के साथ इसके संपर्क के रूप में परिलक्षित हो सकता है।
  - राजनीतिक रूप से सशक्त होते तालिबान के साथ राजनयिक संपर्क स्थापित करना अफ़ग़ानिस्तान में **भारत के मौजूदा और भावी आर्थिक हितों की रक्षा हेतु** महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जिसमें मध्य एशियाई ऊर्जा बाजारों और व्यापक संपर्क परियोजनाओं (उदाहरणार्थ- चाबहार बंदरगाह) से संबद्ध हित भी शामिल हैं।
  - तालिबान के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध **भारत को भावी अफ़ग़ानिस्तान से कुछ लाभ उपलब्ध करवाएगा।**
    - **तालिबान का उग्रवादी दल 'हक्कानी नेटवर्क' भारत का कट्टर विरोधी रहा है** और उसने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया हुआ है।
    - भारत की सुरक्षा के लिए एक अन्य खतरा अफ़ग़ानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में **इस्लामिक स्टेट-खुरासान (Islamic State-Khorasan) की बढ़ती उपस्थिति** है।

इस समझौते के प्रमुख निष्कर्ष

- **विदेशी सैन्य बल की वापसी:** संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 135 दिनों के भीतर अपने सैनिकों की संख्या को लगभग 12,000 से घटाकर 8,600 करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
- **कैदियों की रिहाई:** कैदियों का आदान-प्रदान करना भी इस समझौते में शामिल है।
- **तालिबान को मान्यता:** तालिबान सदस्यों को प्रतिबंधित सूची से हटाने के लिए अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
- **आतंकवाद का मुकाबला करने के उपाय:** अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए तालिबान किसी भी आतंकी समूह को अफ़ग़ानिस्तान की धरती का उपयोग नहीं करने देगा।
- **अंतः-अफगान वार्ता:** अफगान समाज के सभी हितधारकों के मध्य अंतःअफगान वार्ता प्रारंभ की जाएगी और तालिबान इसके प्रति प्रतिबद्ध होगा। तालिबान ने मार्च 2020 में अफगान सरकार के साथ वार्ता प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की है।

VISION IAS

यह युद्ध इतने लंबे समय तक क्यों चला?

- **तालिबान द्वारा उग्र प्रतिरोध:** इसके कारण नाटो सैन्यबलों को उन्हें पूर्णतः समाप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा था। अफगान बलों की अक्षमता और शासन संबंधी सीमाओं के कारण तालिबान को और अधिक बल मिला था।
- **अन्य पश्चिमी देशों की अनिच्छा:** अफ़ग़ानिस्तान में अपने सैनिकों को और अधिक समय तक रखने के लिए अन्य नाटो देशों की अनिच्छा।
- **अमेरिकी रणनीति में राजनीतिक स्पष्टता का अभाव:** जिसने विगत 18 वर्षों में इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह आरोपित किए हैं।
- **प्रत्येक पक्ष द्वारा गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास:** साथ ही, शांति वार्ता के दौरान तालिबान द्वारा अपनी प्रभाव क्षमता को अधिकतम करने का भी प्रयास किया जा रहा था।
- **बढ़ते आतंकी हमले:** जैसे कि अफ़ग़ानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला, जो हाल के दिनों में हुए कुछ सबसे रक्तरंजित हमलों में से एक था।
- **पाकिस्तान की भूमिका:** चूंकि तालिबान की जड़ें पाकिस्तान में भी फैली हुई हैं और वे पाकिस्तान की सहायता से अमेरिका द्वारा किए गए आक्रमण के दौरान वहां फिर से एकत्रित होने में सक्षम हो गए थे।

विभिन्न देशों के हित

- **पाकिस्तान:** 9/11 आतंकी हमलों के उपरांत तालिबान के प्रमुख आधार के विनष्ट होने के पश्चात् पाकिस्तान अमेरिका के "वॉर ऑन टेरर" (आतंक के विरुद्ध युद्ध) अभियान में संलग्न हो गया था। यह पाकिस्तान का तालिबान के साथ उसके विगत संबंधों में आया एक परिवर्तन था। हालाँकि, बाद के वर्षों में पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अपने संबंधों को पुन: स्थापित किया है तथा हाल ही तक, दोनों के बीच कई गुप्त समझौते भी हुए हैं।
- **रूस और ईरान:** वर्ष 2001 से पूर्व, रूस और ईरान ने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (National United Front) का समर्थन किया था, जिसे तालिबान के विरुद्ध नॉर्दर्न अलायंस (उत्तरी गठबंधन) के रूप में भी जाना जाता है। इसके बावजूद, हाल ही के वर्षों में, तालिबान ने रूस और ईरान के साथ संबंध स्थापित करने की पहल आरंभ की है। तालिबान ने स्वयं को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत {इस्लामिक स्टेट का मध्य एशियाई प्रदेश जिसे आई.एस.-के (IS-K) नाम से जाना जाता है} के विरुद्ध एक सक्षम बल सिद्ध किया है। ज्ञातव्य है कि इस प्रांत का उदय ईरान और रूस दोनों के लिए चिंता का विषय है।
- **चीन:** चीन के साथ तालिबान के संबंध इस क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि अफगान सरकार ने शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तालिबान और पाकिस्तान को प्रोत्साहित करने हेतु चीन के समर्थन की मांग की है, परन्तु शांति व अंत: अफगान वार्ता के लिए चीन के प्रयास पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

निष्कर्ष

एक समावेशी शांति प्रक्रिया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और पीड़ितों की सार्थक भागीदारी सम्मिलित हो, प्रत्येक अफगान नागरिक के मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए शांति का एकमात्र मार्ग है। हालाँकि प्रत्येक देश अपने-अपने संबंधों की नीति को संबंधित रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने का अभिलाषी है, परन्तु सभी के लिए अति महत्वपूर्ण लक्ष्य अफ़ग़ानिस्तान में शांति की स्थापना करना है। इस संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के मध्य आम सहमति है कि तालिबान से कैसे निपटा जाए, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है।

1.7. भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan)

1.7.1. आतंकी गतिविधियां और भारत-पाकिस्तान संबंधों में पारस्परिक अविश्वास (Terror Activities and Mutual Distrust in India-Pakistan Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सीमा-पार से भारतीय सुरक्षा बलों पर बार-बार हो रहे आतंकी हमलों के कारण भारत-पाकिस्तान के मध्य तनाव विगत कुछ वर्षों से उच्च स्तर पर है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों में आतंकवाद की पृष्ठभूमि

- द्विराष्ट्र सिद्धांत (पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान) के माध्यम से निर्मित पाकिस्तान के साथ ही **जम्मू और कश्मीर पर अधिकार के लिए संघर्ष** के कारण दोनों देशों के मध्य **कई युद्ध और सैन्य टकराव** हुए हैं।

VISIONIAS

- परन्तु, वर्ष 1971 के पश्चात् द्विराष्ट्र सिद्धांत तब विफल हो गया, जब बांग्ला भाषी मुस्लिम आबादी द्वारा बांग्लादेश नामक एक नए देश का गठन कर लिया गया।
- वर्ष 1971 के पश्चात् से पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य अक्षमता के कारण भारत के विरूद्ध युद्ध लड़ने के तरीके में अनैतिक और अपरंपरागत विधियों का उपयोग करना आरंभ किया है। पाकिस्तान में डीप स्टेट (Deep State) की उपस्थिति (पाकिस्तानी सेना पर ISI का प्रत्यक्ष प्रभाव) ने भारत को क्षति पहुंचाने हेतु **राज्य नीति के रूप में आतंकवाद का पोषण** किया है।
    - **डीप स्टेट:** इसका आशय किसी निकाय (जिसमें सामान्यतया किसी संस्था या सेना के प्रभावशाली सदस्य सम्मिलित होते हैं) द्वारा सरकारी नीतियों में गुप्त रूप से हेरफेर या उन्हें नियंत्रित करने से है।
- इस नीति के परिणामस्वरूप दोनों राष्ट्रों के मध्य आपसी अविश्वास उत्पन्न हुआ है।
- इसके बावजूद भी दोनों राष्ट्रों की सरकारों ने **विश्वास बहाली के उपायों (बस कूटनीति, खेल, शिखर सम्मेलन, करतारपुर गलियारा आदि)** को अपनाने का प्रयास किया है। परन्तु सीमा पार से प्रायोजित आतंकी गतिविधियों ने भारत-पाक वार्ता की संभावनाओं को क्षीण किया है।

पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी (राष्ट्र नीति) के रूप में आतंकवाद

- पाकिस्तानी डीप स्टेट **इस्लामी कट्टरपंथी समूहों (मुजाहिदीन)** को अपने विरोधियों के दमन हेतु एक रणनीतिक साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है।
- अफ़ग़ानिस्तान में पूर्व सोवियत संघ के विरूद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्तपोषित मुजाहिदीनों की सफलता के पश्चात् इस रणनीति को अपनाने में लगातार वृद्धि हुई है।
- **मुख्य रूप से ऐसे समूह तीन प्रकार के हैं:**
    - **भारत के विरूद्ध कार्य करने वाले आतंकवादी संगठन:** लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आदि।
    - **अफ़ग़ानिस्तान के विरूद्ध कार्य करने वाले आतंकवादी संगठन:** अलक़ायदा और तालिबान।
    - **पाकिस्तानी तालिबान (जैसे- तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान):** यह समूह विद्रोही हो गया है और स्वयं पाकिस्तान के विरूद्ध ही संघर्ष कर रहा है।
- **आतंक के विरुद्ध कार्रवाई का अभाव:** पाकिस्तान सदैव पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अस्वीकार करता रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए अपने **आतंकी संगठनों के विरूद्ध मिथ्या कार्रवाई** करता है।
- साथ ही, यदि पाकिस्तान में सशस्त्र विद्रोह होता है, तो पाकिस्तानी सरकार के पास इनसे निपटने हेतु पर्याप्त **सैन्य क्षमता नहीं** है। ज्ञातव्य है कि इन संगठनों ने पाकिस्तान में कुछ क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ है।

पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय

- **सैन्य प्रयास:** भारत द्वारा वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में आतंकी शिविरों पर हमले किए गए थे। इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में सभी आतंकियों का सफाया करने के लिए **ऑपरेशन ऑल आउट** को भी आरंभ किया गया है।
- **आर्थिक प्रयास:** भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया गया **"सर्वाधिक तरजीही राष्ट्" (Most Favoured Nation: MFN)** का दर्जा वापस ले लिया गया है।
- **सामरिक बदलाव:** भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में प्रत्यक्ष रूप से बलूचिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का अभूतपूर्व उल्लेख किया गया था।
- **कूटनीतिक प्रयास**
    - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया सहित सभी प्रमुख देशों ने **आतंक-रोधी गतिविधियों के लिए भारत का समर्थन** किया है। **सऊदी अरब** और **इस्लामिक देशों के संगठन (Organization of Islamic Countries: OIC)** ने भी आतंकवाद पर भारत के कड़े विरोध का समर्थन किया है।
    - भारत ने जम्मू-कश्मीर में नदियों पर बांध बनाकर **सिंधु जल संधि के अंतर्गत अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग** करना आरंभ कर दिया है।
    - वर्ष 2016 में, उरी हमले के पश्चात्, भारत ने सार्क (South Asian Association of Regional Cooperation) देशों के 19वें शिखर सम्मेलन से पाकिस्तान को सफलतापूर्वक अलग-थलग कर दिया था। तब से लेकर, अब तक सार्क की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है।

VISION IAS

- **आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय उपाय:** भारत द्वारा आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा को अपनाने और **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (Comprehensive Convention on International Terrorism: CCIT)** के अंतर्गत इससे निपटने हेतु आवश्यक उपायों को अपनाने पर बल दिया जाता रहा है।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियों का प्रभाव

- **क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में बाधक:** दोनों देशों के लोगों के बहुत कम परस्पर संपर्क हैं। साथ ही, यह क्षेत्र परमाणु शक्ति की स्पर्धा का भी केंद्र बन गया है।
- **सार्क और व्यापार में बाधक: पाकिस्तान की गतिरोध उत्पन्न करने संबंधी नीति** और **आतंकवाद समर्थित राजनीति के कारण** दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप यूरोपीय संघ जैसे राष्ट्र समूह की भांति क्षेत्रीय व्यापार, बाजार पहुंच व समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सका है।
- **शस्त्र की खरीद के कारण संसाधनों का अति दोहन:** दोनों देशों के मध्य हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा के कारण, संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। इन संसाधनों का उपयोग इस क्षेत्र में अन्य मानव जनसांख्यिकी चुनौतियों जैसे निर्धनता, रोगों आदि से निपटने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2000-2016 की अवधि में, जम्मू-कश्मीर को 1.14 ट्रिलियन रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए गए थे, परन्तु इसका अधिकांश भाग सुरक्षा संबंधी मदों में व्यय हो गया था।
- **कुछ ही लोगो द्वारा बहुमत के हितों की उपेक्षा करके,** जिसमें **पाकिस्तानी डीप स्टेट और कश्मीर घाटी का एक छोटा वर्ग** सम्मिलित है, इस क्षेत्र की समग्र विचार-विमर्श को दिशा प्रदान करते हैं।
- इस क्षेत्र में विकास की कमी के कारण **बढ़ते असंतोष** से ऐसा दुष्चक्र उत्पन्न हुआ है, जिसमें इस क्षेत्र की युवा आबादी को कट्टरपंथी अपनी ओर सरलता से आकर्षित कर रहा है।

आतंकी अवसंरचना के प्रति बहुआयामी रणनीति बनाने की आवश्यकता

- **पाकिस्तान आधारित आतंकवाद से निपटना:**
  - **आतंकवाद के लिए दंडित करना:** ऐसी सुसंगत नीति विकसित की जानी चाहिए, जिसमें पाकिस्तानी डीप स्टेट को भारत के विरूद्ध आतंक को प्रायोजित करने हानि का वहन करना पड़े। जैसा कि बालाकोट में हवाई हमले द्वारा किया गया था।
  - **रक्षा संरचना को दक्ष करना:** भारतीय रक्षा बलों को नियंत्रण रेखा, जम्मू-कश्मीर या अन्य क्षेत्रों के सभी स्तरों पर तत्परता बनाए रखनी होगी।
  - **आर्थिक उपाय:** पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम है और ऋण बोझ अत्यधिक है। यदि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) पाकिस्तान को **ब्लैक लिस्ट** में शामिल कर देता है, तो उसकी वित्तीय स्थिति पंगु हो जाएगी। यह दबाव पाकिस्तान पर बनाए रखा जाना चाहिए।
  - **पाकिस्तान का सदैव सहयोग करने वालों के साथ वार्ता-** भारत को आतंक विरोधी अपने नीति पर चीन, सऊदी अरब, तुर्की आदि जैसे देशों के साथ वार्ता करने की आवश्यकता है। यह नीति आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने या आतंक-रोधी गतिविधियों पर कार्य करने से संबंधित हो सकती है।
- **भारत की आतंक-रोधी क्षमताओं में सुधार करना**
  - **कश्मीर का विकास:** इसमें लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि करना, उड़ान जैसी योजनाओं के अंतर्गत रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करना, कट्टरपंथी बन चुके युवाओं के साथ वार्ता कर उनको मुख्यधारा में लाना सम्मिलित है।
  - **खुफ़िया जानकारी जुटाना:** विभिन्न एजेंसियों, सुरक्षा बलों और लोगों के मध्य समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ खुफ़िया जानकारी तंत्र में व्यापक सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
  - **राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (National Counter Terrorism Centre: NCTC):** इस केंद्र के संबंध में आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। यह केंद्र वर्ष 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों के पश्चात् प्रस्तावित, **संघीय आतंकवाद विरोधी संस्था** के रूप में कार्य करेगा।
  - **कट्टरपंथ का उन्मूलन:** ISIS, लोन वुल्फ हमलों (बिना किसी आतंकी संगठन के सहयोग से एकल रूप से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना) के खतरों को देखते हुए, **कट्टरपंथ के उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय प्रयास** लागू किए जाने चाहिए। ज्ञातव्य है कि महाराष्ट्र व कर्नाटक जैसे राज्यों द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए गए हैं।
  - **आतंकी वित्तपोषण पर प्रहार:** आतंकी गतिविधियों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाली राशि के सभी स्रोतों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

पाकिस्तान की आतंकी अवसंरचना से निपटने में समस्याएं

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को दीर्घावधि तक पूर्णतया अलग-थलग करना कठिन है, क्योंकि:
    - इसकी विशाल जनसंख्या है,
    - इसके पास परमाणु क्षमताएं हैं, और
    - कुछ इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान का समर्थन करते हैं।
- **पाकिस्तानी की शासन व्यवस्था के अंगों (कार्यपालिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज सहित) पर पाकिस्तानी डीप स्टेट द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित किया चुका** है। अतीत में जब भी अन्य अंगों ने सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास किया जाता था तो उसे पाकिस्तानी डीप स्टेट ने अक्षम बना दिया था।
- **पाकिस्तान की शासन व्यवस्था में** पाकिस्तानी **डीप स्टेट इतनी गहन पैठ बना चुका है कि इसका अब समाधान नहीं किया जा सकता है**। यदि परमाणु हथियार आतंकी समूहों के हाथ लग जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

1.7.2. गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit Baltistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को अस्थायी प्रांतीय दर्जा प्रदान किया है।

गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बारे में

- यह क्षेत्र **जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था।**
- यह कबायली लड़ाकों और पाकिस्तान सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के पश्चात् **वर्ष 1947** से पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
- इसका नाम परिवर्तित कर **'पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र'** कर दिया गया और **वर्ष 1949 के कराची समझौते** के माध्यम से इस पर पाकिस्तान की संघीय सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया।
- अब तक, यह न क्षेत्र तो स्वतंत्र था, और न ही इसे प्रांतीय दर्जा प्राप्त है। इसे पाकिस्तान द्वारा एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई थी।
- **वर्ष 2018 के आदेश** का उद्देश्य **गिलगित बाल्टिस्तान** को पाकिस्तान के **पांचवें प्रांत** के रूप में शामिल करना और **गिलगित बाल्टिस्तान** को विधायी, न्यायिक तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा पाकिस्तान के शेष संघीय ढांचे के साथ एकीकृत करना है।
    - बलूचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के अन्य चार प्रांत हैं।

भारत का पक्ष

- भारत ने दावा किया है कि **गिलगित एवं बाल्टिस्तान के क्षेत्रों सहित संपूर्ण जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, "भारत के अभिन्न अंग" हैं।**
- भारत के **वर्ष 1994 के संसदीय संकल्प द्वारा यह** पुनः अभिपुष्ट किया गया कि यह क्षेत्र "जम्मू और कश्मीर राज्य का एक हिस्सा है और वर्ष 1947 में भारत द्वारा इस राज्य के अधिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग है"।

गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र का महत्व

- **रणनीतिक अवस्थिति: गिलगित बाल्टिस्तान** भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और चीन के प्रतिच्छेदन बिंदु (intersection) पर स्थित है।
- **बृहत् क्षेत्र:** गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से **पांच गुना से भी अधिक है।** इसमें नृजातीय-भौगोलिक रूप से दो भिन्न क्षेत्र शामिल हैं यथा: बाल्टिस्तान (जो लद्दाख का हिस्सा था) और गिलगित।
- **जल और ऊर्जा सुरक्षा:** गिलगित बाल्टिस्तान अपने जल और ऊर्जा संसाधनों के कारण भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व, **सिंधु नदी गिलगित बाल्टिस्तान से ही होकर प्रवाहित होती है।**
    - **सियाचिन ग्लेशियर** जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी गिलगित बाल्टिस्तान में ही स्थित हैं। सिंधु नदी की **जलविद्युत क्षमता** भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण सिद्ध करती है।
- **चीनी हस्तक्षेप: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा** गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो चीन द्वारा प्रायोजित बहुराष्ट्रीय परिवहन और बुनियादी अवसंरचना संबंधी गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने के लिए भारत की अनिच्छा में वृद्धि करता है।
- इसके अतिरिक्त, **गिलगित बाल्टिस्तान** की स्थिति (दर्जे) में वर्तमान परिवर्तन को इस रूप में देखा जा रहा है कि नियंत्रण रेखा पर यथा-स्थिति (Status quo) स्थापित कर ली गई है।

VISION IAS

1.7.3. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विकास परियोजनाएं (Development Projects in Pakistan Occupied Kashmir)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China Pakistan Economic Corridor: CPEC) के अंतर्गत चीन, भारत की आपत्ति के बावजूद **पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK)** में **1,124** मेगावाट की **कोहाला जलविद्युत परियोजना** स्थापित कर रहा है।

PoK में चीन की परियोजनाओं का भारत पर प्रभाव

- **कश्मीर समस्या के समाधान में तृतीय पक्ष:** PoK में चीन की स्थायी उपस्थिति से भारत और पाकिस्तान की स्थितियों में 'जटिलता' आने की संभावना है। साथ ही, कश्मीर मुद्दे का समाधान निकालने में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चीन स्वयं इस द्विपक्षीय विवाद में उलझ गया है।
- **दो मोर्चों पर युद्ध:** भारत को दोनों में से **किसी भी एक देश के साथ टकराव की स्थिति में पाकिस्तान-चीन गठजोड़** से उत्पन्न खतरे से भी निपटना पड़ सकता है।
    - इस प्रकार स्थाई रूप से चीन के सैनिकों की भारतीय क्षेत्र के अत्यधिक निकट उपस्थिति **'दो मोर्चों'** पर युद्ध का खतरा उत्पन्न कर सकती है।
- **पाकिस्तान द्वारा रक्षा उपकरणों का आवागमन:** काराकोरम राजमार्ग के विस्तार और इसकी भार वहन करने की क्षमता में वृद्धि से सेनाओं की तैनाती में अदला-बदली करने और हथियारों व आयुधों के आवागमन की गतिशीलता में सुधार होगा। इससे भारत की तुलना में **पाकिस्तान की रक्षा संबंधी तत्परता में भी सुधार** होगा।
- **चीन के लिए सामरिक संपर्कता:** भौगोलिक रूप से, गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र एशिया के केंद्र में अवस्थित एक सामरिक संधिस्थल है। यह एशिया के सभी भागों से संपर्क स्थापित करने हेतु चीन को रणनीतिक लाभ प्रदान करता है।
- **आपदाएं:** इस क्षेत्र में किया जा रहा कोई भी निर्माण कार्य **प्रकृति पर कुछ अवांछित दबाव उत्पन्न** कर सकता है। इससे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप आदि के कारण जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।

PoK में चीन की अन्य परियोजनाएं

- चीन ने **गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में सिंधु नदी** पर कंक्रीट से निर्मित गुरुत्व बांध **"डायमर-बाशा बांध"** के निर्माण के लिए पाकिस्तान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- चीन द्वारा PoK के आजाद कश्मीर में झेलम नदी पर **आजाद पट्टन बांध** का निर्माण भी किया जा रहा है।
- **चीन के सड़क और पुल निगम (China Roads and Bridges Corporation)** द्वारा **गिलगित-बाल्टिस्तान में काराकोरम राजमार्ग का विस्तार किया जा रहा है।** चीन की इस कंपनी द्वारा (वर्तमान में इस कंपनी को तुर्की और मलेशिया में **काली सूची (Black list) में सूचीबद्ध किया गया है)** काराकोरम राजमार्ग का विस्तार करने में विनाशकारी पर्यावरणीय पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है।

- चीन के कशगर से गिलगित होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर तक **रेलमार्ग का निर्माण भी किया जा रहा है।**

आगे की राह

- **PoK पर सुदृढ़ नीति:** भारत को अनियमित और अस्थायी प्रयास संबंधी प्रस्तावों की नीति को रद्द कर देना चाहिए। इन प्रस्तावों की बजाय **PoK** पर एक सुदृढ़ नीति को अपनाया जाना चाहिए।
- **नियंत्रण रेखा के साथ अवसरंचना का विकास:** भारत को नियंत्रण रेखा के साथ अपनी **रक्षा और नागरिक अवसंरचना के निर्माण में वृद्धि** करनी चाहिए। इससे भारत **PoK** से चीन और पाकिस्तान की संयुक्त सेनाओं से किसी भी प्रकार के खतरे का रणनीतिक रूप से सामना करने में सक्षम हो सकेगा।
- **CPEC के प्रतिपक्ष के रूप में भारत-चीन रेशम मार्ग का निर्माण करना:** भारत को प्रत्यक्ष रूप से **भारत-चीन रेशम मार्ग गलियारा (India-China Silk Route Corridor: ICSRC)** योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपनी जवाबी रणनीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। यह मार्ग पारंपरिक **लद्दाख-शिंजियांग धुरी** के साथ अवस्थित हो सकता है।

VISION IAS

- भारत द्वारा पूर्वोत्तर या सिक्किम के माध्यम से चीन को कई अन्य वैकल्पिक मार्ग प्रदान किए जा सकते हैं, जो चीन के विकास केंद्रों (प्रधान शहरों) के अत्यधिक निकट हैं।

1.8. दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग (Regional Cooperation in South Asia)

1.8.1. सार्क का पुनः प्रवर्तन (SAARC Revival)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रीलंका के पूर्व प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बेहतर क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण एशिया के विकास के लिए सार्क (SAARC) के पुनः प्रवर्तन का समर्थन किया है।

वर्तमान परिदृश्य की पृष्ठभूमि

- अंतिम SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2014 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि इसके उपरांत शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जा सका है, क्योंकि वर्ष 2016 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन को पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में रद्द कर दिया गया था।
    - वर्ष 2016 में, भारत सहित अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था।
- वर्ष 2019 में सार्क की मंत्रिस्तरीय बैठक में दोनों देशों के मंत्रियों ने एक दूसरे के अभिभाषण का बहिष्कार किया।
- वर्ष 2016 में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय आउटरीच वार्ता में, सार्क के स्थान पर "बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल" (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) अर्थात् बिम्सटेक के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इसमें यह संकेत दिए गए थे कि बिम्सटेक (जिसका पाकिस्तान सदस्य नहीं है) को सार्क के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

SAARC के पुनः प्रवर्तन की आवश्यकता

- एक संगठन के रूप में सार्क, ऐतिहासिक और समकालीन रूप से इस क्षेत्र के देशों की दक्षिण एशियाई पहचान को प्रतिबिंबित करता है। इसके अतिरिक्त, इसकी अपनी एक भौगोलिक पहचान भी है। इसी प्रकार, इस क्षेत्र में सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और खान-पान संबंधी समानताएं भी विद्यमान हैं, जो दक्षिण एशिया को परिभाषित करती हैं।
- दक्षिण एशियाई देश अपनी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के कारण घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे परंपरागत के साथ-साथ उभरते मुद्दों, जैसे- आतंकवाद, ऊर्जा की कमी, जल-कूटनीति, जलवायु परिवर्तन इत्यादि का सामना कर रहे हैं। सार्क इन मुद्दों के समयबद्ध समाधान करने के लिए चर्चा प्रारंभ करने हेतु एक मंच प्रदान कर सकता है।
- बिम्सटेक, सार्क का पूरक बन सकता है, लेकिन सार्क को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों के मध्य अत्यधिक अंतर विद्यमान है। सार्क की स्थापना के उपरांत विगत 32 वर्षों में इसके 18 शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है और इसके पास विभिन्न तंत्र, क्षेत्रीय केंद्रों और सम्मेलनों के एक व्यापक नेटवर्क के साथ-साथ एक स्थायी सचिवालय भी है। दूसरी ओर, बिम्सटेक ने हाल ही में प्रगति करना प्रारंभ किया है और अभी तक इसे इसकी स्पष्ट भूमिका प्राप्त नहीं हो पाई है।
- **अन्य संगठनों के प्रति झुकाव:** यदि सार्क निरर्थक हो जाता है तो इसकी संभावना हो सकती है कि अन्य पड़ोसी देश SCO (शंघाई सहयोग संगठन) में शामिल हो जाएं, क्योंकि कई देशों द्वारा इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया जा चुका है या पहले से ही उन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
    - यदि भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव कम होता है, तो यह उसकी वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका की आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवरोधक सिद्ध हो सकता है।
- **आर्थिक एकीकरण:** विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया विश्व का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार सदस्यों के कुल व्यापार के 5% से भी कम है। अतः, सार्क इस क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
- **नेबरहुड फर्स्ट नीति,** जिसमें सार्क केंद्रीय स्तंभ बन सकता है और वैश्विक भूमिका निभाने के लिए भारत इसका क्षेत्रीय स्तंभ हो सकता है। इस प्रकार यदि हम एशियाई सदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो दक्षिण एशिया इस परिकल्पना से अलग-थलग नहीं रह सकता।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को परस्पर सहयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ (EU) और आसियान (ASEAN) का अनुभव, सदस्य देशों की आर्थिक संवृद्धि में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है।

VISION IAS

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (South Asian Association for RegionalCooperation: SAARC) के बारे में

- इसकी स्थापना वर्ष 1985 में **सार्क चार्टर** पर हस्ताक्षर के माध्यम से **ढाका** (बांग्लादेश) में की गई थी। इसका सचिवालय **काठमांडू** (नेपाल) में अवस्थित है।
- **उद्देश्य:** दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक संवृद्धि, क्षेत्रीय अखंडता, परस्पर विश्वास तथा लाभ आदि को तीव्रता प्रदान करना।
- **सदस्य राष्ट्र:** अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय सहयोग के लिए अन्य पहलें

दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (South Asia Cooperative Environment Programme: SACEP)

- वर्ष 1982 में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण, प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देना तथा उसका समर्थन करना है।
- सदस्य देश: अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

दक्षिण एशिया समुद्र कार्यक्रम (South Asia Seas Programme: SASP)

- यह वर्ष 1995 में हिंद महासागर की तटीय सीमा को साझा करने दक्षिण एशिया के पांच समुद्री देशों, यथा- बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अपनाया गया एक क्षेत्रीय समझौता है।
- इसका उद्देश्य पर्यावरणीय दृष्टि से और संधारणीय रूप से क्षेत्र के समुद्री पर्यावरण और संबंधित तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा एवं प्रबंधन करना है।

दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Sub-regional Economic Cooperation: SASEC) कार्यक्रम

- SASEC कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 2001 में एशियाई विकास बैंक (ADB) से बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के अनुरोध के प्रत्युत्तर में किया गया था, ताकि उनके बीच आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- यह सीमा पार कनेक्टिविटी में सुधार, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करके क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए **एक परियोजना-आधारित साझेदारी** है।

बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA) {Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA)}

- इस समझौते पर चार BBIN देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल) के मध्य यात्री, व्यक्तियों तथा मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनियमन हेतु जून 2015 में हस्ताक्षर किया गया था।
- भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने इस समझौते की अभिपुष्टि कर दी है, जबकि इस समझौते की अभिपुष्टि हेतु भूटान, अपनी संसद की स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहा है। भारी वाहनों के यातायात में होने वाली वृद्धि से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण भूटान ने अब तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है।
- SASEC-कार्यक्रम के अंतर्गत ADB इस पहल को तकनीकी, सलाहकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है।

सार्क (SAARC) की विफलताएं एवं चुनौतियाँ

- वर्ष 2006 में लागू 'दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता' (South Asia Free Trade Agreement: SAFTA) को सामान्यत: सार्क की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया जाता है। हालांकि, इसकी संवेदनशील सूची (sensitive lists) की उपस्थिति को देखते हुए यह कहा जाता है कि इसकी स्थापना में निहित मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना अभी भी शेष है।
- सार्क के अंतर्गत पाकिस्तान के असहयोग के कारण कुछ बड़ी पहलों के समक्ष अवरोध उत्पन्न हुआ है, उदाहरण के लिए, सार्क-मोटर वाहन समझौता (Motor Vehicles Agreement: MVA) और सार्क उपग्रह परियोजना। ज्ञातव्य है कि इन परियोजनाओं को क्रमशः BBIN-MVA और दक्षिण एशिया उपग्रह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- सार्क के पास संघर्ष की स्थिति में मध्यस्थता करने या विवादों के समाधान हेतु कोई ठोस व्यवस्था विद्यमान नहीं है।
- **सुरक्षा सहयोग:** खतरे की स्थिति के संबंध में आम सहमति का अभाव है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान से सीमा-पार आतंकवाद

VISION IAS

भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान इन चिंताओं का समाधान करने में विफल रहा है।

- **भारत और अन्य सदस्य देशों के मध्य विषमता:** अन्य राष्ट्र भारत को "बिग ब्रदर" के रूप में देखते हैं और यहीं कारण है कि सार्क के तहत विभिन्न समझौतों को लागू करने के लिए ये देश अनिच्छुक रहे हैं।
- सार्क के पास संसाधनों का अभाव है और सदस्य देश अपने योगदानों में वृद्धि करने के भी अनिच्छुक हैं।

आगे की राह

- सार्क को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, संगठन में सुधार किया जाना चाहिए तथा सदस्य देशों को आवश्यक परिवर्तनों के बारे में आम सहमति बनानी चाहिए। इसलिए, इस दिशा में प्रथम कदम इस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप अनौपचारिक वार्ता, औपचारिक मध्यस्थता और समाधान तंत्र के लिए एक तंत्र की स्थापना करना हो सकता है।
- **श्रीलंका के पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित 'आर्थिक एकीकरण रोड मैप':** यह एक प्रस्तावित "उप-क्षेत्र" है, जिसके अंतर्गत भारत के पांच दक्षिणी राज्य और श्रीलंका शामिल हैं, जिसके द्वारा 300 मिलियन लोगों और 500 बिलियन डॉलर से अधिक की कुल GDP का दोहन किया जाएगा।
    - सफल क्षेत्रीय एकीकरण के लिए पैरा-टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को दूर करते हुए, ई-कॉमर्स का दोहन एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, इस प्रकार के रोड मैप के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- BBIN मोटर वाहन समझौते (MVA) जैसी उपक्षेत्रीय सहयोग परियोजनाओं को गति प्रदान करने से सदस्यों के बीच सहयोग जारी रखने और परस्पर विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।

1.8.2. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल {Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बिम्सटेक (BIMSTEC) सचिवालय द्वारा अपनी **स्थापना के 23 वर्ष उपरांत बिम्सटेक-चार्टर को अंतिम रूप** प्रदान किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- आगामी वर्ष जनवरी माह में श्रीलंका में आयोजित होने वाले इसके पांचवें शिखर सम्मेलन के दौरान इस चार्टर पर हस्ताक्षर होना पूर्व-निर्धारित है।
- **इस चार्टर से की जा रही अपेक्षाएं:**
    - यह सहयोग संबंधी दीर्घकालिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा;
    - यह संस्थागत संरचना में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निरूपित करेगा; तथा
    - निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करेगा।
- एक समर्पित चार्टर के अभाव में, बिम्सटेक का संचालन वर्ष 1997 के **बैंकाक घोषणा-पत्र** के आधार पर किया जा रहा है। इसमें कुछ कमियां विद्यमान हैं:
    - इसमें व्यापक प्रावधान नहीं किए गए हैं।
    - वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित होने के बावजूद भी यह घोषणा-पत्र परिवर्तित हुए भू-राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप नहीं है।

बिम्सटेक के बारे में

- बिम्सटेक की स्थापना **वर्ष 1997 में चार देशों, यथा- बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड** द्वारा **BIST-EC (बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड - इकोनॉमिक कोऑपरेशन)** के रूप में की गयी थी।
- **म्यांमार (वर्ष 1997), नेपाल (वर्ष 2004) और भूटान (वर्ष 2004) के इस समूह में शामिल होने** के बाद इसे **BIMSTEC** नाम दिया गया था।
- इसका **प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2004 में बैंकाक** में आयोजित किया गया था।
- इसका **सचिवालय ढाका, बांग्लादेश** में स्थित है।
- बिम्सटेक क्षेत्र में लगभग 1.5 बिलियन लोग निवास करते हैं, जो कि **वैश्विक आबादी का लगभग 22% हिस्सा** है। इस क्षेत्र का **संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2.8 ट्रिलियन डॉलर** है।

VISION IAS

- **संस्थापक सिद्धांत:** बिम्सटेक के अंतर्गत सहयोग **संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक लाभ** आदि सिद्धांतों के प्रति सम्मान पर आधारित होगा।
- **सहयोग के क्षेत्र:** बिम्सटेक ने सहयोग के लिए **14 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (priority areas)** निर्धारित किए हैं तथा प्रत्येक देश द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है।
  - **भारत इनमें से चार क्षेत्रों में अग्रणी देश रहा है,** उदाहरण के लिए- आतंकवाद-रोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध उपाय, परिवहन एवं संचार, पर्यटन व पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन।
  - यह चार्टर इन 14 क्षेत्रों में सहयोग को 7 क्षेत्रकों (Sectors) में पुनःश्रेणीबद्ध करता है:
    - व्यापार, निवेश और विकास,
    - पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन,
    - सुरक्षा,
    - कृषि एवं खाद्य सुरक्षा,
    - लोगों के मध्य परस्पर संपर्क,
    - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, तथा
    - कनेक्टिविटी (संपर्क)।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्व

- **आर्थिक:** बिम्सटेक तीव्र गति से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समूह बनने की दिशा में अग्रसर है। पूर्व एशिया आर्थिक समूह (East Asia Economic Grouping: EAEG) और आसियान अर्थात् दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (Association of South East Asian Nations: ASEAN) को छोड़कर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कई अन्य आर्थिक समूहों की तुलना में इसका अंतर-क्षेत्रीय व्यापार काफी अधिक है।
  - **लगभग 25 प्रतिशत वैश्विक व्यापार मार्ग बंगाल की खाड़ी** से होकर गुजरते हैं और इसमें प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विशाल एवं अप्रयुक्त स्रोत विद्यमान हैं।
- **दक्षिण एशिया का तीव्र एकीकरण:** जहाँ भारत और पाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय विवाद के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC) एक "निष्क्रिय" समूह सिद्ध हो रहा है, वहीं दक्षिण एशिया के एक उप-क्षेत्रीय समूह के रूप में बिम्सटेक भारत को पाकिस्तान के बिना दक्षिण एशिया को एकीकृत करने का अवसर प्रदान करता है।
- **दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ना:** बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य एक सेतु है। बिम्सटेक का लाभ उठाते हुए, भारत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में और उसके आसपास कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
  - बिम्सटेक के साथ भौतिक संपर्क से भारत को आसियान के **मास्टर प्लान ऑफ़ कनेक्टिविटी 2025** के साथ स्वयं को एकीकृत करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास:** एक सफल बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement: FTA) दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक वाणिज्यिक और व्यवसाय केंद्र (hub) के रूप में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
  - इस समूह में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के दो राष्ट्र, यथा- **म्यांमार और थाईलैंड** की अवस्थिति पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारत की महत्वाकांक्षी संपर्क योजनाओं हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- **चीन के प्रभाव को प्रति संतुलित करने के लिए:** भारत के पड़ोस में चीन का प्रभाव और उपस्थिति उसकी बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से बहुत बढ़ गई है। भारत, बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी आर्थिक संलग्नता के माध्यम से, इन देशों में चीन के प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** बिम्सटेक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का विशाल और अप्रयुक्त भंडार है, जिसका उपयोग भावी विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा सकता है।
  - अन्य बिम्सटेक देशों के साथ भारत, **बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में म्यांमार के रखाइन तट पर** ऊर्जा के अवसरों की खोज कर रहा है।

बिम्सटेक के समक्ष चुनौतियां

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** सदस्य देशों के मध्य प्रभावी और सतत राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण दो दशकों से इस संगठन में काफी हद तक निष्क्रियता व्याप्त है।
  - वर्ष 1997 से, बिम्सटेक नेताओं ने शिखर-सम्मेलन स्तर पर केवल चार बार ही बैठक की है।

VISION IAS

- **बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता:** बिम्सटेक ने वर्ष 2004 में FTA पर चर्चा करने के लिए एक संरचना को अपनाया था। इसके अंतर्गत अग्रलिखित को शामिल किया गया है: (i) वस्तुओं के व्यापार में प्रशुल्क में छूट (ii) सीमा शुल्क सहयोग; (iii) सेवाओं में व्यापार; (iv) निवेश सहयोग तथा (v) विवाद समाधान। हालाँकि, इन क्षेत्रों में बहुत कम प्रगति हुई है।
- **क्षेत्रीय भू-राजनीति:** भावी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समक्ष क्षेत्रीय भू-राजनीति के संबंध में कुछ चिंताएं विद्यमान हैं।
  - यह **नेपाल और थाईलैंड** द्वारा वर्ष 2018 में भारत के **पुणे में आयोजित प्रथम बिम्सटेक आतंकवाद-रोधी सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेने** से स्पष्ट हुआ है। इन देशों की गैर-भागीदारी का अनुमानित कारण यह था कि वे चीन को यह संदेश देना चाह रहे थे कि बिम्सटेक चीन विरोधी सैन्य मंच के रूप में विकसित हो सकता है।
- **भारतीय आधिपत्य की धारणा:** इस मंच की धारणा है कि यह एक भारत के प्रभुत्व वाला एक समूह है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसका **सामना भारत को सार्क (SAARC) में भी लंबे समय** से करना पड़ रहा है।
  - **बांग्लादेश को प्राय: यह भय रहता** है कि **भारत जब भी कनेक्टिविटी के मुद्दे** पर चर्चा करता है, तो इसका तात्पर्य **"केवल भारत के लिए लाभ"** होता है। इस प्रकार का भय और आशंका बिम्सटेक की मूल संरचना पर प्रश्न एवं अविश्वास उत्पन्न करते हैं। इस अवधारणा के कारण वस्तुओं के मुक्त आवागमन की किसी भी संभावना को क्षति पहुँचती है।
- **भौतिक अवसंरचना:** बिम्सटेक क्षेत्र **निम्नस्तरीय सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, अंतिम छोर तक (last-mile) अपर्याप्त संपर्क** तथा जटिल सीमा शुल्क और समाशोधन प्रक्रियाओं से प्रभावित है, जिसके कारण व्यापार में अवरोध उत्पन्न होते हैं। न केवल कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के संदर्भ में बल्कि लोगों के मध्य परस्पर संपर्क को बढ़ावा देने हेतु भी क्षेत्र को आपस में जोड़ने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
- **मजबूत संस्थागत ढांचे की अनुपस्थिति:** वर्ष 2014 में ढाका में स्थापित बिम्सटेक सचिवालय, संगठन के विकास में पर्याप्त रूप से योगदान करने में असमर्थ रहा है और इसका अत्यल्प बजट एक ठोस कार्य के संपादन की इसकी क्षमता को भी प्रभावित करता है।

आगे की राह

- बिम्सटेक को **भू-राजनीति पर कम** और **आर्थिक एवं सामाजिक विकास की साझा क्षेत्रीय चिंताओं पर अधिक ध्यान** देना चाहिए।
- **FTA को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप प्रदान किया जाना** चाहिए। FTA सदस्यों के मध्य सीमा-पार उत्पादन को अधिक सुदृढ़ करने तथा नई मूल्य शृंखला सृजित करने में सहायता कर सकता है।
- बिम्सटेक को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए, इसकी **सदस्यता का आधार विस्तारित** करने की आवश्यकता है। बिम्सटेक को **तीन प्रमुख एशियाई शक्तियों,** यथा- **इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर** तक अपनी **सदस्यता के विस्तार** पर विचार करना चाहिए।
- **बिम्सटेक सचिवालय को अधिकाधिक वित्तीय संसाधनों के माध्यम से सशक्त** बनाया जाए, ताकि वह संगठन के एजेंडे का सक्रिय रूप से संचालन कर सके।

1.8.3. सीमापारीय नदी जल प्रबंधन (Trans-Boundary River Water Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **मेकांग नदी पर चीन द्वारा निर्मित बांधों के प्रभाव** को रेखांकित करने वाले एक नवीन अध्ययन ने यह प्रश्न आरोपित किया है कि क्या चीन में उद्भव होने वाली अन्य नदियों (जैसे- ब्रह्मपुत्र) पर निर्मित बांध नदी के अनुप्रवाह (downstream) पर स्थित देशों को समान रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

सीमापारीय जल प्रबंधन की आवश्यकता

- **नदियों पर निर्भरता:** वैश्विक स्तर पर दो या दो से अधिक देशों द्वारा साझा की जाने वाली 260 से अधिक नदी द्रोणियां मौजूद हैं तथा इनके संदर्भ में की गई 145 संधियां कार्यरत हैं।
  - विश्व की 45 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा की जाने वाली नदी बेसिनों में निवास करती हैं।
- **जलाभाव:** इन नदियों पर बांधों और अन्य संरचना का निर्माण जलाभाव की समस्या को उत्पन्न कर सकता है।
  - **ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट** द्वारा **जलाभाव** की विश्व के वृहत्तम सामाजिक और आर्थिक जोखिमों में सर्वप्रमुख जोखिम के रूप में पहचान की गई है तथा जिसके कारण वर्ष 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत तक की क्षति हो सकती है।
- **परिवर्तित हो रही जलवायु:** आगामी 20 वर्षों में, तेजी से परिवर्तित हो रही पारिस्थितिकी तंत्र की धारणाएं, राष्ट्रों को संसाधनों और उनकी क्षेत्रीय संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए एकपक्षीय कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित कर सकती हैं।
  - भारत के **हिमाच्छादन में कमी** सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों (तीनों का उद्गम तिब्बत से होता है) में जल के अपवाह को प्रभावित करेगा।

VISION IAS

- **अधिप्लावन (Spillover) प्रभाव:** सीमापारीय जल सहयोग, अधिप्लावन प्रभाव उत्पन्न करता है जो राजनीतिक तनाव, सुरक्षा और विदेश नीति के अन्य उद्देश्यों में सहयोग प्रदान करता है।
- **अर्थव्यवस्था का विकास:** नदियों के बेहतर सीमापारीय प्रबंधन से इनका व्यावसायिक उपयोग, जैसे- कृषि, बांध निर्माण और विद्युत् उत्पादन किया जा सकता है।
- **सॉफ्ट पॉवर:** नदियाँ, विभिन्न लोगों की पहचान, संस्कृतियों और धार्मिक अनुभूतियों का एक अविभाज्य हिस्सा होती हैं और इसलिए देशों के मध्य सहयोग भी **सॉफ्ट पॉवर कूटनीति** में सहायता कर सकता है।

सीमापारीय नदी जल प्रबंधन से संबद्ध प्रमुख मुद्दे

- **नदी के ऊपरी क्षेत्र (riparian) में स्थित देशों को लाभ:** सीमापारीय नदियों के संदर्भ में चीन जैसे कुछ देशों में वृहत विद्युत क्षमता उपलब्ध है, क्योंकि यह नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण अधिकतम जल उपयोग करता है, जिससे निचले क्षेत्र में स्थित देशों में जलाभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
    - हिमालय को दक्षिण एशिया का **"वाटर टावर"** कहा जाता है। भारत की अधिकांश उत्तरी नदियों का उद्गम तिब्बत से होता है। चीन तिब्बत पर अपने पूर्ण नियंत्रण के परिणामस्वरूप जल आधिक्य (water hegemony) की स्थिति में है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सत्ता के क्षेत्रीय असंतुलन, परस्पर शत्रुता, संदेह एवं एक सार्वभौमिक रूप से **बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था की अनुपस्थिति** के कारण, सीमापारीय नदियों के साझा उपयोग और साथ ही तटवर्ती पारिस्थितिकीय तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना जटिल हो गया है।
- **संघीय मुद्दे:** सीमापारीय नदी विवादों के समझौतों के समापन में विलंब होने में प्रायः राज्य प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं।
    - **प्रस्तावित तीस्ता समझौते का पश्चिम बंगाल द्वारा विरोध किए जाने** के परिणामस्वरूप भारत और बांग्लादेश के मध्य यथास्थिति बनी हुई है।
- **नदियों के कारण सीमा विवाद:** प्रायः नदियां **दो देशों के मध्य सीमा निर्धारण** का भी कार्य करती हैं। नदी के अपवाह में नियमित परिवर्तन के कारण, ये सीमा विवाद का एक कारक भी बन सकती हैं। उदाहरण: भारत और नेपाल महाकाली नदी द्वारा पृथक हैं।
- देशों के मध्य आंकड़ों के प्रभावी साझाकरण के अभाव ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन में अधिक अव्यवस्था उत्पन्न की है।
    - ब्रह्मपुत्र नदी के जल संबंधी आंकड़ों को, चीन प्रायः इसके निचले क्षेत्र में स्थित देशों के साथ साझा नहीं करता है।

भारत एवं पड़ोसी देशों के मध्य नदी जल सहयोग

- **सिंधु जल संधि (1960):** यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों के समाधान हेतु एक तंत्र प्रदान करने वाला एक सहयोगपूर्ण समझौता है।
- **भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (JRC):** इसे वर्ष 1972 में मित्रता, सहयोग और शांति संधि के आधार पर गठित किया गया था। इसे भारत और बांग्लादेश के मध्य साझी नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने की दिशा में सर्वाधिक प्रभावी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने हेतु एवं संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से गठित किया गया था।
- **भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी जल के बंटवारे पर संधि (वर्ष 1996):** यह दोनों देशों के मध्य अपनी पारस्परिक सीमा के निकट फ़रक्का बैराज पर सतही जल साझा करने हेतु किया गया एक समझौता है।
- **कोसी नदी समझौता (वर्ष 1954), गंडक नदी समझौता (वर्ष 1959), टनकपुर बैराज समझौता (वर्ष 1991) और महाकाली नदी संधि (वर्ष 1996):** इन संधियों को भारत और नेपाल के मध्य हस्ताक्षरित किया गया है।
    - ये संधियां विभिन्न प्रत्याहार अधिकारों (withdrawal rights) और निर्माण एवं जल विद्युत ऊर्जा के साझाकरण हेतु उपबंधित की गई हैं।

- **भारत-भूटान समझौते:** दोनों देशों के मध्य यह सहयोग, सीमापारीय नदी जल समझौतों के प्रमुख सफल प्रयासों में से एक है।
    - **वांगचू नदी पर चुखा बांध** के निर्माण के लिए भारत और भूटान द्वारा समन्वित प्रयास किए गए हैं। इसने भूटान को निम्न लागत वाली विद्युत् का उपयोग करने में सहायता प्रदान की है तथा भारत को अतिरिक्त विद्युत् के विक्रय से भूटान को वित्तीय लाभ भी प्राप्त हुआ है।
- **भारत-चीन द्वारा जल संबंधी आंकड़ों का साझाकरण:** वर्ष 2006 में, भारत और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के लिए प्रतिवर्ष 15 मई से 15 अक्टूबर तक जल संबंधी आंकड़ों को साझा करने पर सहमति

VISION IAS

व्यक्त की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा वर्ष 2013 और वर्ष 2015 में समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षरित समझौते को नवीनीकृत किया गया है।

आवश्यक दृष्टिकोण

- **एकीकृत दृष्टिकोण:**सभी ट्रांस-हिमालयी सह-तटीय देशों को न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय विधिक सिद्धांतों के आधार पर जल प्रबंधन प्रणाली को अपनाने के लिए एकजुट होना चाहिए।
- **हितधारकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना:** स्थानीय उपयोगकर्ताओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, ट्रांस-नेशनल विधायी तंत्र सहित सभी जल आयोगों में स्थानीय समितियों के प्रतिनिधियों की न्यूनतम संख्या को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **आंकड़ों में पारदर्शिता:** पारदर्शिता, जल पर साझाकृत लाभ के निर्माण और **"जल युद्धों (water wars)" के बजाय "जल शांति (water peace)" के विचारों** के निर्माण में सहायता करेगी।
- **संस्थागत तंत्र:** एक बहु-पार्श्व तंत्र का सृजन, जिसमें सभी सह-तटवर्ती देशों / बेसिनों को आनुपातिक शक्तियां प्राप्त होंगी। आदर्श रूप में इस निकाय के पास बेसिनों एवं उसके जल से संबंधित सीमापारीय विधायी शक्तियां उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही, इस निकाय को निर्वाचित एवं प्रतिनिधित्व आधारित होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सर्वोत्तम प्रथाओं में से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- **बर्लिन रूल ऑन वाटर रिसोर्सेस:** यह अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के उपयोग पर हेलसिंकी नियमों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून संघ के नियमों के पुनरीक्षणों का परिणाम है।
- **यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन नॉन-नेविगेशनल यूजेज ऑफ़ इंटरनेशनल वॉटर रिसोर्सेज (वर्ष 1997):** यह जलस्रोतों एवं इनके जल के उपयोग से संबंधित सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के उपायों से संबंधित है।
- **मेकांग नदी आयोग:** यह **"एग्रीमेंट ऑन दी कॉपरेरेशन फॉर दी सस्टेनेबल डेवलॅपमेंट ऑफ़ मेकांग रिवर, 1995 (मेकांग समझौता)"** हेतु एशिया में एक प्रमुख बहुपक्षीय प्रयास है। इस पर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।

1.8.4. पड़ोसी देशों के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग (India's Energy Cooperation with Neighbouring Countries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत एवं भूटान ने जल-विद्युत परियोजना के संबंध में **प्रथम जॉइंट वेंचर के लिए संधि पर हस्ताक्षर** किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- 600 मेगावाट की **खोलोंगछू (Kholongchhu) परियोजना** वर्ष 2008 में सहमत **चार परियोजनाओं** में से एक है। अन्य तीन परियोजनाएं बुनाखा, वांगछू और चामखारछू हैं।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी **विद्युत के आयात/निर्यात (सीमा पार) के लिए दिशा-निर्देश-2018,** भारत और पड़ोसी देशों के मध्य विद्युत के आयात/निर्यात की सुविधा प्रदान करता है।

वैश्विक स्तर पर सफल कुछ क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग समझौते

- **ग्रेटर मेकांग उप-क्षेत्र (Greater Mekong Sub-Region):** इसमें कंबोडिया, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम सम्मिलित हैं। इन देशों की जीवाश्म ईंधन के जलविद्युत उत्पादन से प्रतिस्थापन के कारण 14.3 बिलियन डॉलर की अनुमानित बचत हुई है।
- **सदर्न अफ्रीकन पावर पूल (Southern African Power Pool: SAPP):** यह 12 अफ्रीकी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय पॉवर पूल (विद्युत समुच्चय) है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं को **विश्वसनीय और किफायती विद्युत की आपूर्ति प्रदान करना** है।
- **नॉर्डिक पूल** (Nordic Pool) विद्युत् व्यापार और जल, तापीय, नाभिकीय, पवन और सौर आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से विद्युत की सोर्सिंग (प्राप्ति) हेतु **विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है।**

पड़ोसी देशों के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग

- **भारत-भूटान:** दोनों देशों द्वारा वर्ष 2006 में **भारत और भूटान जलविद्युत विकास एवं व्यापार फ्रेमवर्क समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक 10,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता को विकसित करना है।

VISION IAS

- प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं- **ताला जल विद्युत परियोजना** (1,020 मेगावाट/MW) और **दोर्जीलंग जल विद्युत परियोजना** (भूटान, भारत और बांग्लादेश के मध्य त्रिपक्षीय सहयोग की 1,125 मेगावाट की परियोजना)।

- **भारत-नेपाल विद्युत व्यापार:** दोनों ने वर्ष 2014 में विद्युत व्यापार समझौते (Power Trade Agreement) पर हस्ताक्षर किए थे, जो दोनों देशों को विद्युत आपूर्ति की कमी के समय विद्युत क्रय और विक्रय करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।
  - वर्तमान में, दोनों देशों के मध्य 22 सीमा पार (cross border) विद्युत् एक्सचेंज सुविधा केंद्र परिचालित हैं।
  - पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के लिए वर्ष 1996 में महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **भारत-बांग्लादेश विद्युत व्यापार:**
  - दोनों देशों ने **विद्युत और ग्रिड कनेक्टिविटी** के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु वर्ष 2010 में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे।
  - भारत वर्तमान में बांग्लादेश को लगभग 1,200 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करता है, जिसे वर्ष 2021 तक बढ़ाकर 2,500 मेगावाट किया जाना है।
- **भारत-म्यांमार:** वर्तमान में, भारत द्वारा मोरेह (मणिपुर) से तामू (म्यांमार) तक इंटरकनेक्शन ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से म्यांमार को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

पड़ोसी देशों के साथ विद्युत सहयोग के लाभ

- **अप्रयुक्त जल विद्युत क्षमता का उपयोग:** भूटान और नेपाल की संयुक्त जल विद्युत क्षमता 1,13,000 MW है और पूर्वोत्तर भारत में 58,000 MW की जल विद्युत क्षमता विद्यमान है।
- **मौसमी संपूरकता का प्रभावी उपयोग:** शीतऋतु के दौरान जब भूटान और नेपाल की **नदियों का जल कम हो जाता** है, तब वे भारत से विद्युत का आयात करते हैं। जब भारत में मानसून के दौरान अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (जैसे- सौर ऊर्जा) अल्प प्रभावी हो जाते हैं, तब जल विद्युत का दोहन ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक मांग की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होता है।
- **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी:** जल विद्युत क्षमता के दोहन से विद्युत निर्माण हेतु जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत सीमा पार विद्युत व्यापार क्षमता का दक्षतापूर्ण दोहन करता है, तो वह वर्ष 2015-2040 तक की अवधि में 35,000 MW के कोयले से संचालित विद्युत संयंत्र निर्माण में कमी कर सकता है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** यह अनुमानित है कि यदि भारत सीमा पार विद्युत व्यापार क्षमता का दक्षतापूर्ण दोहन करता है, तो वह वर्ष 2015-2040 की अवधि के दौरान **विद्युत क्षेत्रक से होने वाले CO2 उत्सर्जन में 6.5% की कमी कर सकता है।**
- **निवेश के अवसरों का सृजन:** सीमा पार परस्पर संबद्ध प्रणाली (interconnected systems) के निर्माण हेतु देशों के मध्य विद्यमान उत्पादन, पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होगी। इसके परिणामस्वरूप **निवेश के पर्याप्त अवसरों का सृजन होगा, जहां निजी क्षेत्रक भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है।**
- **आर्थिक और वित्तीय लाभ:** सीमा पार उपभोक्ताओं को स्थिर विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने से औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ अर्जित होंगें।
- **व्यापक मितव्ययिता:** क्षेत्रीय दृष्टिकोण से वांछित आकारिक मितव्ययिता (Economies of Scale) का सृजन होता है और इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की लागत में भी कमी आती है।

ऊर्जा सहयोग के लिए दक्षिण एशिया में बहुपक्षीय पहलें

- ऊर्जा और ईंधन के स्वच्छ स्रोतों तक पहुंच तथा व्यापार और निवेश में वृद्धि के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 में **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पहल (South Asia Regional Initiative for Energy Integration: SARI/EI)** आरंभ की गई थी।
  - **इसमें 8 देश शामिल हैं:** अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- सार्क (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन/SAARC) देशों में **क्षेत्रीय ग्रिड के एकीकृत परिचालन** को सुगम बनाने हेतु वर्ष 2014 में सभी सदस्य देशों ने **सार्क ऊर्जा सहयोग (विद्युत) फ्रेमवर्क समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे।
- **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Subregional Economic Cooperation: SASEC) परिचालन योजना 2016-2025:** यह योजना **सदस्य देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका)** के मध्य साझेदारी के लिए चार-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों में से एक के रूप में ऊर्जा (विद्युत) को निर्धारित करती है।

सीमा-पार विद्युत पारेषण में चुनौतियां

- **नीतिगत चुनौतियां:** एक सामंजस्यपूर्ण नीतिगत ढांचे का अभाव सीमा-पार क्षेत्रीय विद्युत बाजार के विकास में प्रमुख बाधा है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय विद्युत नीतियां पड़ोसी देशों में प्रतिस्पर्धी बाजार के विकास के प्रति समर्पित नहीं होती हैं।
- **अवसंरचनात्मक/तकनीकी बाधाएं:** सीमा-पार विद्युत व्यापार में ठोस ग्रिड कनेक्टिविटी का अभाव है। सीमा-पार विद्युत व्यापार हेतु सीमित पारेषण नेटवर्क और पारेषण एवं वितरण (Transmission & Distribution: T&D) के दौरान क्षति, प्रमुख बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं।
- **राजनीतिक चुनौतियां:** राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के प्रमुख कारण हैं। उदाहरणार्थ- प्रशुल्क निर्धारण (tariff fixation) में राजनीतिक निहितार्थ समाविष्ट होते हैं, इसलिए विद्युत व्यापार के लिए समान प्रशुल्क का निर्धारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **निवेश संबंधी चुनौतियां/वित्तीय बाधाएं:** सरकार के स्वामित्व वाली इकाईयों की खराब वित्तीय दशाओं को देखते हुए, जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर ध्यान केंद्रित करते हुए निजी क्षेत्रक को निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- ऊर्जा (विद्युत) उपलब्धता सुनिश्चित करने और सीमा-पार विद्युत पारेषण के प्रभावी उपयोग के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतिगत संरचना, सीमा पार संचालन समिति और स्वतंत्र बहुपक्षीय विनियामक संस्था की आवश्यकता है।
- क्षेत्र में उपलब्ध जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करनी चाहिए।
- नीति निर्माताओं, विनियामकों, विषय वस्तु से संबंधित विशेषज्ञों, अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया के मध्य सामयिक ज्ञान को साझा करने के लिए एक साझे मंच का गठन किया जाना चाहिए।

2. हिन्द महासागर क्षेत्र एवं हिन्द-प्रशांत (Indian Ocean Region and Indo-Pacific)

2.1. भारत और हिंद-प्रशांत (India and the Indo-Pacific)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र की ओर हुए वैश्विक आर्थिक झुकाव और बढ़ते सैन्य शक्तिकरण के परिणामस्वरूप हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं।

'हिंद-प्रशांत' क्या है?

- 'हिंद-प्रशांत' पद पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से संलग्न सागरों को शामिल करते हुए **हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region: IOR) और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र** को एक **एकल क्षेत्रीय संरचना** के रूप में प्रस्तुत करता है।
- **'हिंद-प्रशांत' क्षेत्र की भौगोलिक व्याख्याएं/अवधारणाएं** सभी देशों के लिए भिन्न-भिन्न रही हैं। अमेरिका जैसे देश हिंद-प्रशांत को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में संदर्भित करते हैं जिसके अंतर्गत अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के तट शामिल हैं। जबकि भारत और जापान के लिए यह अवधारणा अत्यंत विस्तृत है, जो **अफ्रीकी महाद्वीप के तटों** को भी शामिल करती है।

'हिंद-प्रशांत' की ओर इस वैश्विक झुकाव हेतु उत्तरदायी कारक

- **महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्ग (Sea Lines of Communication: SLoC):** मोजाम्बिक चैनल और बाब-अल-मान्देब आदि जैसे **प्रमुख संकरे समुद्री मार्ग (choke points)** की उपस्थिति के साथ, यह क्षेत्र नए आधिपत्य व्यवस्था को आकार देने और सुचारू व्यापार प्रवाह को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी रहा है।
- **उन्नत व्यापार और अर्थव्यवस्था:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत विश्व का लगभग **44%** भूपृष्ठ क्षेत्र शामिल है; जिसमें विश्व की **65%** आबादी अधिवासित है। साथ ही, **विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 62%** है; और विश्व की पण्य वस्तु के **46%** व्यापार हेतु उत्तरदायी है।
- **बढ़ते गैर-पारंपरिक जोखिम:** इसके तहत अन्य घटनाओं के साथ **समुद्री डकैती, अवैध मत्स्यन, मानव तस्करी, आतंकवाद और पर्यावरणीय जोखिमों से संबंधित** घटनाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र इन खतरों से निपटने के लिए सभी राष्ट्रों के **एकीकृत और सहयोगी प्रयासों** की आवश्यकता पर बल देता है।

- **प्राकृतिक संसाधनों में बढ़ोतरी:** हिंद और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का एक विशाल भंडार विद्यमान है जिनमें अपतटीय हाइड्रोकार्बन, समुद्रतल के खनिज, दुर्लभ धातुएं, मत्स्य पालन आदि सम्मिलित हैं।
- **चीन से संबंधित कारक (चाइना फैक्टर):** पिछले कुछ दशकों में चीन की आक्रामक विदेश नीति, तीव्र आर्थिक विस्तार, सैन्य आधुनिकीकरण एवं शक्ति प्रदर्शन के कारण क्षेत्रीय और इस क्षेत्र से बाहर के देशों के समक्ष चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इस संबंध में कुछ चिंताएं निम्नलिखित हैं:
  - **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से संबंधित मुद्दे,** जैसे- अपारदर्शिता, असंधारणीय ऋण संबंधी बोझ के सृजन को बढ़ावा देना आदि।
  - **अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रथाओं के प्रति चीन का नकारात्मक रुख:** जैसे- दक्षिण चीन सागर विवाद में स्थाई मध्यस्थता न्यायालय के निर्णय को चीन द्वारा द्वारा स्वीकार न करना।
  - **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) का बढ़ता सैन्यीकरण:** जिबूती में चीन द्वारा निर्मित अपने नौसैनिक अड्डे के अलावा **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान), हम्बनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका) आदि जैसे रणनीतिक-वाणिज्यिक बंदरगाहों की स्थापना।

संबंधित तथ्य

जर्मनी की हिंद-प्रशांत नीति

- जर्मनी द्वारा हाल ही में **हिंद-प्रशांत** (इंडो-पैसिफिक) केंद्रित व्यापक **सुरक्षा और आर्थिक सहयोग** की नीति को अपनाया गया है।
- जर्मनी की इस नीति का उद्देश्य **हिंद-प्रशांत देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना** तथा बहुपक्षीयता को बढ़ावा देना है। इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का सामना करना और उसके प्रभावों को कम करना भी शामिल है। साथ ही, इसमें मानवाधिकारों, नियम आधारित मुक्त व्यापार, कनेक्टिविटी, डिजिटल व्यवस्था को अपनाने और विशेष रूप से सुरक्षा नीति से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के हित

- **हिंद महासागरीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा:** भारत का लगभग **50%** व्यापार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित है और हिंद महासागर क्षेत्र द्वारा भारत के लगभग **90%** व्यापार और उसके ऊर्जा स्रोतों की पूर्ति की जाती है। हालांकि, भारत, हिंद महासागर क्षेत्र में बाधा रहित नौपरिवहन, संकीर्ण समुद्री मार्गों (choke points) की सुरक्षा, संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और गैर-पारंपरिक सुरक्षा संबंधी खतरों का समाधान करने की दिशा में प्रयासरत है।
- **भू-राजनीतिक आकांक्षाएं:** भारत इस क्षेत्र में, विशेष रूप से अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी व्यापक उपस्थिति और मुख्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में भारतीय भूमिका को स्थापित कर सकता है जो उसे वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करते हैं।
- **चीन का सामना करने हेतु:** इस क्षेत्र में भारत अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर चीन को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान प्राप्त करने से रोक सकता है।
- **व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने हेतु:** भारत इस क्षेत्र में स्थित अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रवाह सुनिश्चित करके व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।
- **संधारणीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में:** आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार भारत, इस क्षेत्र के संधारणीय विकास को बनाए रखने हेतु नीली अर्थव्यवस्था के विकास के माध्यम से सहायता कर सकता है।
- **अन्य हित:** इसमें समुद्री प्रदूषण का समाधान; मत्स्यन संबंधी अवैध, अनियमित और असूचित (Illegal, Unregulated, and Unreported: IUU) गतिविधियों का विनियमन; गहरे सागरीय क्षेत्र में खनिज अन्वेषण और प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन सम्मिलित हैं। इसमें भारत अपनी उपस्थिति के माध्यम से उपर्युक्त मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र हेतु भारत का दृष्टिकोण (India's vision for Indo-Pacific)

वर्ष 2018 की **शांगरी ला वार्ता** में प्रधान मंत्री के भाषण में हिन्द-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला गया था:

- **एक स्वतंत्र, खुला एवं समावेशी क्षेत्र की स्थापना करना;**

VISION IAS

- **हिंद-प्रशांत के केंद्र के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया को स्थापित करना,** जहाँ आसियान (ASEAN) द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी;
- **क्षेत्र के लिए एक साझा व नियम आधारित व्यवस्था,** जो सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और समानता आदि जैसे सिद्धांतों पर आधारित हो;
- **अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत एक अधिकार के रूप में, समुद्र और हवाई क्षेत्र के साझा स्थान तक समान पहुंच; तथा**
- साझा मूल्यों और हितों पर आधारित **साझेदारी के माध्यम से इस क्षेत्र के देशो के मध्य व्याप्त आपसी विरोध को कम करना।**

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के प्रयास

- **इस क्षेत्र में पारंपरिक भूमिकाओं को सुदृढ़ और संरक्षित करना:**
  - **सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का आपूर्तिकर्ता:** भारत विशेषकर मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका जैसे अपने अधिकांश छोटे पड़ोसियों देशों के लिए प्राथमिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का आपूर्तिकर्ता और रणनीतिक साझेदार रहा है।
  - **अग्रणी सहायक के रूप में:** भारतीय नौसेना मुख्यतः संकट और आपदा के दौरान मानवीय सहायता या चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले राष्ट्रों तक अग्रिम पहुंच सुनिश्चित करने वाले देशों में से एक रही है। उदाहरणस्वरूप- मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत उपलब्ध कराने के हेतु "ऑपरेशन वनीला"।
- **विदेश नीति और पहलें:**
  - **वर्ष 2019 में हिंद-प्रशांत प्रभाग का गठन:** बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC), हिंद महासागर रिम संघ (IORA- हिंद महासागर की तटीय परिधि में आने वाले देशों की एक क्षेत्रीय सहयोग पहल), मेकांग गंगा सहयोग और भारत-प्रशांत द्वीपसमूह सहयोग मंच (Forum for India-Pacific Island Cooperation: FIPIC) जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ विभिन्न विषयों व आयामों पर सहयोग हेतु वर्ष 2019 में हिंद-प्रशांत प्रभाग का गठन किया गया था। साथ ही, क्वाड (संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया देशों का समूह), आसियान (ASEAN) आदि जैसे मंचों के माध्यम से देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है।
- हिंद-प्रशांत महासागर पहल, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए), एशिया अफ्रीका विकास गलियारा (विकास और परियोजनाओं में सहयोग करना, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना और संस्थागत क्षमता को विकसित करने के लिए) जैसी पहलें आरंभ की गई हैं।
- **हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाली नीतियां, जैसे-**
  - **सागर दृष्टिकोण (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) (Security and Growth for All in the Region: SAGAR):** इस समग्र नीति का उद्देश्य सागरीय क्षेत्र में, विशेष रूप से हिंद महासागर में भारत के भू-राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों का अनुसरण करना और बढ़ावा देना है।
  - **मौसम परियोजना:** इसका उद्देश्य उन तथ्यों पर प्रकाश डालना है कि कैसे मानसूनी पवनों से संबंधित ज्ञान और परिवर्तन हिंद महासागरीय क्षेत्र में पारस्परिक क्रिया को आकार प्रदान करते हैं और कैसे समुद्री मार्गों के साथ साझा ज्ञान प्रणालियां, परंपराएं, प्रौद्योगिकियां एवं संबंधित विचारों का प्रसार इस दिशा में सहयोग कर सकते हैं।

इस क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियां

- **सीमित नौसैनिक क्षमता और सैन्य ठिकानों की कमी:** वार्षिक बजट (वर्ष 2020-21) में सैन्य आवंटन का हिस्सा मात्र लगभग **15 प्रतिशत** है, जिसके कारण भारत अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार करने में सक्षम नहीं है।
- **विकास की धीमी गति:** उदाहरण के लिए एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (AAGC) पहल आरंभ होने के बाद भी इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है।
- **व्यापार के समक्ष चुनौतियाँ:** इस क्षेत्र में प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क उपायों, निम्नस्तरीय अवसंरचना आदि के कारण व्यापार संबंधी चुनौतियां विद्यमान हैं।
- **महाद्वीपीय और समुद्री रणनीतियों को संतुलित करना:** हिंद-प्रशांत पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से चीन के साथ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात है वे भौगोलिक रूप से चीन से दूर अवस्थित हैं; वहीं भारत को चीन के साथ अपने महाद्वीपीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए संसाधनों के उपयुक्त आवंटन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **इस क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदारियों में मौजूदा बाधाएं:** प्रत्येक राष्ट्र, हिंद और प्रशांत महासागरों में भिन्न-भिन्न राजनीतिक हित और संसाधनों तक अपनी पहुँच को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत है, जिसके कारण किसी विषय पर सर्वसम्मति का अभाव और प्राथमिकताओं में भी मतभेद मौजूद हैं।

आगे की राह

- **गैर-पारंपरिक राष्ट्रों के साथ गठजोड़ को बढ़ावा देना:** भारत को अब इस क्षेत्र में साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइक्रोनेशिया जैसी व्यापक संभावना वाले अन्य गैर-पारंपरिक राष्ट्रों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित द्वीपीय राष्ट्रों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- **द्वीपीय क्षेत्रों का रणनीतिक उपयोग:** भारत को हिंद-प्रशांत भागीदारों के सहयोग से द्वीपीय क्षेत्रों की क्षमता का उपयोग अपनी पहुंच आदि का विस्तार करने के लिए करना चाहिए।
- **क्वाड+ जैसे नवाचारी तंत्र:** जैसे कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **कोविड-19** जनित चुनौतियों से निपटने के लिए हाल ही में आयोजित **क्वाड+ वार्ता** (अन्य चार देशों के अलावा दक्षिण कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड) इस दिशा में उठाए गए सही कदम हैं।

2.2. भारत और क्वाड (India and Quad)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, क्वाड्रीलेटरल ग्रुपिंग (Quadrilateral Grouping-चतुष्कोणीय समूह) के विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में सम्पन्न हुई।

क्वाड (Quad अर्थात् चतुष्कोण समूह) के बारे में

- क्वाड का गठन वर्ष 2007 में चार देशों, यथा- संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था।
- हालांकि, यह कई आरंभिक कारणों के चलते अपनी महत्ता सिद्ध नहीं कर पाया था और लगभग एक दशक बाद देशों के बीच बढ़ती निकटता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र का बढ़ता महत्व, चीन और अन्य कारणों से बढ़ते खतरे के आलोक में वर्ष 2017 में इसका पुनरूद्धार कर सक्रिय किया गया था।
- तब से यह **कूटनीतिक परामर्श और सदस्य देशों के समन्वय के लिए** ऐसे मंच के रूप में उभरा है, जो स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र एवं नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने जैसे पारस्परिक हितों पर चर्चा करने के लिए कार्यकारी और मंत्रिस्तरीय स्तरों पर नियमित रूप से बैठक आयोजित करते हैं।
- क्वाड का उद्देश्य हमेशा से, वैध और महत्वपूर्ण व्यापक सामूहिक हितों वाले सभी देशों की सुरक्षा और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना रहा है।

भारत के लिए क्वाड का महत्व

- **चीन का सामना करने में:** क्वाड, भारत को **क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता** के लिए सम्मान सुनिश्चित करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे मुद्दों पर समान विचारधारा वाले देशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान करता है।
    - यह भारत के विरुद्ध चीन की आक्रामक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए **संयुक्त मोर्चे की व्यवस्था प्रदान** करता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर सैन्य तनाव के कारण आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं।
- **कोविड-19 के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार करना:** इस वैश्विक महामारी ने वैश्विक स्तर पर गंभीर बदलाव उत्पन्न किए हैं, जिसने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं, विनिर्माण गतिविधियों और सभी देशों की समग्र अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
    - क्वाड, भारत को न केवल समन्वित अनुक्रियाओं के माध्यम से वैश्विक महामारी से उबरने में बल्कि नई वैश्विक व्यवस्था में भी अपना स्थान सुरक्षित करने में भी सहायता कर सकता है।
- **अन्य मुद्दों पर समान सहमति:** कनेक्टिविटी और अवसंरचनात्मक विकास, आतंकवाद-रोधी सुरक्षा, साइबर और समुद्री सुरक्षा; बहुपक्षीय संस्थानों का सुधार जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत, क्वाड के अन्य सदस्यों के साथ समान मत रखता है।

VISION IAS

- इन मुद्दों पर क्वाड सदस्यों का समर्थन भारत के लिए अपने रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को साकार करने में दीर्घावधि तक सहायक हो सकता है।

- **भारत की रक्षा क्षमताओं को अतिरिक्त सुदृढ़ करना:** संयुक्त गश्ती, रणनीतिक सूचनाओं के आदान-प्रदान आदि के माध्यम से क्वाड सदस्यों के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग से भारत को वित्त, नौसेना क्षमता, सैन्य आवीक्षण (जासूसी) और तकनीकी एवं निगरानी क्षमताओं में सुधार या उन्हें अद्यतन करने से संबंधित सहायता मिल सकती है।
- **भारत की हिंद-प्रशांत दूरदर्शिता की प्राप्ति:** क्वाड के सभी सदस्यों ने सर्वनिष्ठ नियमों पर आधारित व्यवस्था का पालन करते हुए **स्वतंत्र, खुला, समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र** सुनिश्चित करने हेतु कभी न कभी अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जहां सभी देशों को समुद्र और हवाई क्षेत्र के सर्वनिष्ठ स्थानों तक समान पहुंच प्राप्त हो।

क्वाड सदस्यों के साथ भारत के संबंध

- भारत **सभी क्वाड सदस्यों के साथ 2 + 2 मंत्रिस्तरीय संवाद आयोजित करता है।**
- भारत ने **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग के लिए हाल ही में सभी मूलभूत समझौतों** {(बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट: BECA), लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA)} पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज और सूचना साझाकरण समझौतों जैसे कुछ मूलभूत समझौते किए हैं।
- भारत अपने क्वाड भागीदारों के साथ नियमित रूप से **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास** करता है। उदाहरण के लिए- जापान के साथ JIMEX (जापान-इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज), ऑस्ट्रेलिया के साथ AUSINDEX (ऑस्ट्रेलिया-इंडिया एक्सरसाइज), संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ मालाबार सैन्य अभ्यास आदि।

चुनौतियां

- **अस्पष्ट एजेंडा:** क्वाड में सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य, रणनीतिक उद्देश्य और संस्थागत संरचना का अभाव है। सदस्य देशों ने क्वाड की बैठकों के बाद कोई संयुक्त वक्तव्य भी जारी नहीं किया है, बल्कि सदस्य देशों में स्वयं के व्यक्तिगत विचारों को प्रस्तुत किए है।
- **चीन का प्रभाव:** चीन के क्वाड सदस्यों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं जिसका उपयोग सदस्य राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने या उनको प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। यह भारत के लिए समस्याजनक हो सकता है।
  - **उदाहरण के लिए-** कोविड-19 की उत्पत्ति के क्षेत्र का पता लगाने की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच संबंधी ऑस्ट्रेलिया की मांग के आलोक में, चीन ने ऑस्ट्रेलियाई बीफ (beef) आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही जौ (barley) पर नए प्रशुल्क भी लगाए हैं।
- **क्षमताओं और बोझ साझाकरण में भिन्नता:** हिंद महासागर में वित्तीय संसाधनों, रणनीतिक जागरूकता और सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से क्वाड के चारों सदस्यों का स्तर समान नहीं हैं। इससे असंतुलित साझेदारी की स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें भागीदारों पर असमान रूप से अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
- **चीन को विरोधी बनाने की संभावना:** चीन, क्वाड को चीन विरोधी गठबंधन के रूप में देखता है। इस प्रकार, क्वाड के साथ भारत की बढ़ती संलग्नता से भारत के चीन के साथ संबंधों के और अधिक बिगड़ने का खतरा विद्यमान है।
- **प्राथमिकताओं में अंतर:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भीतर, ऑस्ट्रेलिया और जापान की प्राथमिकताएं प्रशांत क्षेत्र में निहित हैं, जबकि भारत का ध्यान मुख्य रूप से हिंद महासागर में केंद्रित है।

निष्कर्ष

क्वाड के सदस्यों को मिलजुल कर सकारात्मक कार्ययोजना का निर्माण करना चाहिए जो मानवीय सहायता और आपदा राहत में सामूहिक कार्रवाई करने, खोज और बचाव या समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए नौपरिवहन की निगरानी, अवसंरचना से

VISION IAS

संबंधित सहायता, कनेक्टिविटी संबंधी पहलों आदि पर आधारित हो। यह चीन की ओर से बढ़ते अवरोध की समस्या का सामना करने में सहायता करेगा और साथ ही इससे संस्थागत संरचना के निर्माण में भी प्रगति संभव हो सकेगी।

अन्य क्षेत्रीय साझेदारों, जैसे- आसियान, पूर्वी अफ्रीकी के समुद्र तटवर्ती राष्ट्रों (East African littoral nations), फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, प्रशांत महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों आदि और बिम्सटेक (BIMSTEC), हिंद महासागर आयोग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे फोरमों के साथ सहयोग करने से, क्वाड की समूह के रूप में वैश्विक स्थिति और भी सुदृढ़ हो सकती है।

2.3. लघुपक्षीय समूहों का उद्भव (Rise of the Minilaterals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आभासी (virtual) त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह वार्ता हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी।
- **इस बैठक का उद्देश्य:** तीनों देशों के मध्य मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का निर्माण करना तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र को एक नियम-आधारित, शांतिपूर्ण, सुरक्षित व समृद्ध क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी क्षमता का एक-दूसरे के साथ समन्वय करना।
- तीनों पक्षों ने **वार्षिक आधार पर वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त** की।

हालांकि, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का 2+2 संवाद, क्वाड (Quad) आदि प्रायः आयोजित किए जाते रहे हैं, तथापि हाल के समय में **'लघुपक्षीय' (minilaterals) समूहों** के गठन को बढ़ावा मिला है। ज्ञातव्य है कि एक भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय समूह पहले से ही विद्यमान है और भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समूह भी आकार ग्रहण कर रहा है।

आपूर्ति शृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI)

- ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के व्यापार मंत्रियों द्वारा **आपूर्ति शृंखला लचीलापन पर एक पहल आरंभ करने की घोषणा की गई (इसे सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था)।**
- यह एक दृष्टिकोण है जो देश को आपूर्ति के संदर्भ में किसी एक अथवा केवल कुछ देशों पर निर्भर होने के बजाय अपने **आपूर्ति जोखिम को आपूर्ति करने वाले राष्ट्रों के एक समूह में विविधिकरण को** सुनिश्चित करने में सहायता करता है।
- **उद्देश्य**
  - **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करने** के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना।
  - भागीदार देशों के मध्य **परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना।**
  - इसे वर्तमान समय में चीन के नेतृत्व वाली वैश्विक आपूर्ति शृंखला के वर्चस्व को कम करने और उसे पुनः आकार देने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

'लघुपक्षीय' (minilaterals) समूहों के उद्भव हेतु उत्तरदायी कारक

- **हितों के अभिसरण में सरलता:** लघु साझेदारी विशिष्ट पारस्परिक उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
- **रणनीतिक तर्क:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपनी भागीदारी के कारण भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह इन तीनों देशों के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त है।
- **कुछ साझेदारों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं से आगे बढ़ना:** विशिष्ट साझेदारों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं के निवारणार्थ बड़े समूहों के साझेदार अपने हितों के लिए लघु साझेदारियों को अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए- अमेरिकी नीतियों की अस्थिरता।
- **अनौपचारिक संवादों की खोज करना:** त्रिपक्षीय समूह, कठोर प्रतिबद्धताओं की स्थापना और विस्तृत औपचारिक वार्ताओं के बिना लोचशील नीति के अंतर्गत उभरते मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी मंच है।

VISION IAS

* **यह बहुपक्षवाद और बहुपक्षीय संस्थानों से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु प्रभावी है:**
    * **ध्रुवीकरण और वैचारिक संघर्ष:** बहुपक्षीय संस्थान / समूह प्राय: कुछ प्रभावशाली देशों के नेतृत्व में संचालित होते हैं। इससे विचारधाराओं या विशेष मुद्दों में मतभेदों की तर्ज पर विसंगति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जहाँ व्यक्तिगत दृष्टिकोण को संबोधित करने के लिए अत्यल्प या कोई स्थान नहीं बचता है।
    * **वि-भूमंडलीकरण (Reverse globalization) और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि:** देश अब अधिक अंतर्मुखी होते जा रहे हैं अर्थात् वे अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोच्च मान्यता प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों से परे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करना कठिन प्रतीत हो रहा है।
    * **संस्थागत कठिनाई:** यह एक ऐसी अवस्था है, जहां संस्थान पर्याप्त गति से अनुकूलन और परिवर्तन करने में विफल होते हैं। मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों को नई और उभरती वैश्विक चुनौतियों, जैसे- जलवायु परिवर्तन, डेटा की निजता, साइबर सुरक्षा आदि को संबोधित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

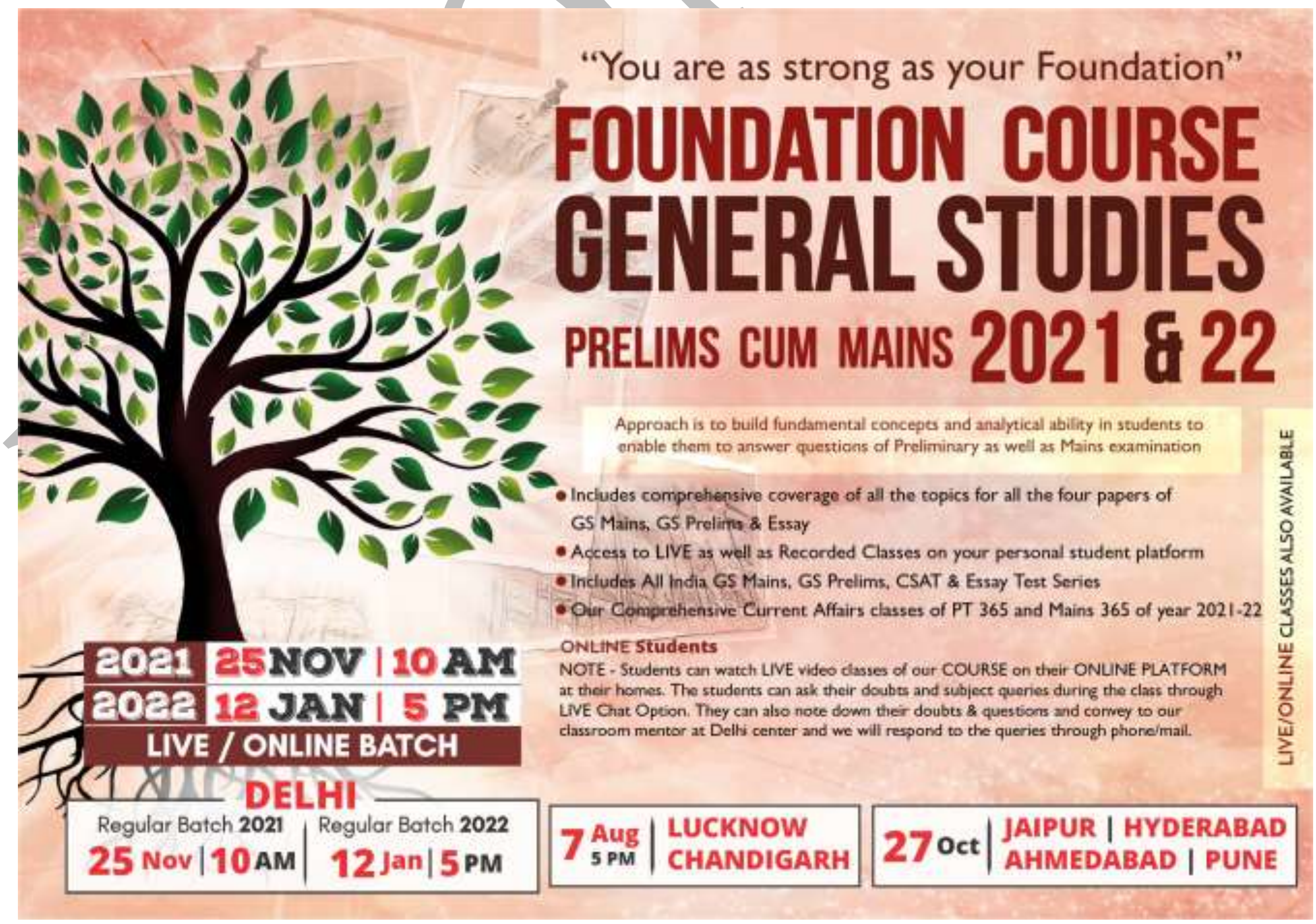

3. दक्षिण-पूर्वी एवं पूर्वी एशिया (South East and East Asia)

3.1. भारत-म्यांमार (India-Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा म्यांमार के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

इस यात्रा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- **इम्फाल** और **मांडले** के मध्य **समन्वित बस सेवा** की शुरुआत।
- मणिपुर की सीमा के निकट **तामू (म्यांमार)** में **एकीकृत चेक-पोस्ट** के निर्माण में भारत द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- भारत द्वारा कैंसर रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सा विकिरण उपकरण **भाभाट्रॉन II** प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ किया जाएगा।
- **'त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं'** (Quick Impact Project: QIPs) का म्यांमार तक विस्तार करना।
- भारत द्वारा म्यांमार की ई-आईडी काड्र्स (e-ID cards) परियोजना हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। यह भारत की **आधार (Aadhaar) परियोजना** के सदृश है।
- दोनों पक्ष म्यांमार में भारत के **रुपे (RuPay) कार्ड** को लॉन्च करने पर सहमत हुए।
- विभिन्न लंबित संधियों, जैसे- **"पारस्परिक विधिक सहायता संधि"** और **"प्रत्यर्पण संधि"** पर वार्ता जारी रखने के प्रति प्रतिबद्धता।

म्यांमार भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- **भारत के लिए भू-रणनीतिक महत्व:** इस प्रकार, यह भारत के लिए भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की **"नेबरहुड फर्स्ट" नीति** और **"एक्ट ईस्ट" नीति** के संदर्भ में अति विशिष्ट राष्ट्र है।
- **उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग:**
  - यह भारत से संलग्न एकमात्र आसियान (ASEAN) देश है। इसलिए इसे दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है तथा यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रमुख घटक भी है।
  - इसके अतिरिक्त, म्यांमार **"बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल" (BIMSTEC)** के साथ-साथ **"मेकांग गंगा सहयोग"** का भी का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ऐसे में यह भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखता है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग:** म्यांमार ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने सम्मान की पुनर्पुष्टि की है तथा किसी भी विद्रोही समूह को भारत सरकार के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कृत्य के लिए म्यांमार की भूमि का उपयोग न करने देने की नीति का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है।
- **भारतीय डायस्पोरा:** म्यांमार के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मूल के लगभग 1.5-2.5 मिलियन लोगों के अधिवासित और कार्यरत होने का अनुमान है।

भारत की लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति

- **लुक ईस्ट नीति** शीत युद्ध के बाद की अवधि में भारत की एक महत्वपूर्ण विदेश नीति पहल के रूप में उभरी है। इसे वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- धीरे-धीरे, यह दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच राजनीतिक संपर्क स्थापित करने और परस्पर सुरक्षा सहयोग विकसित करने पर केंद्रित हो गया।
- वर्ष 2014 में शुरू की गई भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति, विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक राजनयिक पहल है।
- लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की नीति के विकासक्रम को दर्शाते हैं।
- "एक्ट ईस्ट" नीति के प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को

VISION IAS

बढ़ावा देना और रणनीतिक संबंध विकसित करना है। इसके लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर संलग्नता के माध्यम से हमारे पड़ोस में स्थित अन्य देशों के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

भारत- म्यांमार संबंध: विभिन्न पहलू

- **विकास सहयोग:** भारत म्यांमार को अन्य किसी भी देश की तुलना में अधिक अनुदान सहायता प्रदान करता है। हाल ही में, **'इंडिया-म्यांमार फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट'** के तहत, भारत ने शरणार्थियों (उनके लौटने के पश्चात्) के पुनर्वास के लिए रखाइन प्रांत में 250 निर्मित घर उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें निम्नलिखित चार प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी शामिल हैं:
  - **कलादान मल्टी-मॉडल कॉरिडोर;**
  - मिज़ोरम की सीमा के निकट स्थित चिन प्रांत में **रि-तिदिम सड़क** का निर्माण।
- **रक्षा सहयोग:**
  - जुलाई 2019 में, भारत-म्यांमार ने एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  - "मेड इन इंडिया" के तहत अपने हथियार उद्योग को बढ़ावा देने हेतु, भारत ने अपने सैन्य निर्यात को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख हथियार क्रेता देश के रूप में म्यांमार की पहचान की है। म्यांमार ने वर्ष 2017 में **"तल शेना"** (TAL Shyena) नामक भारत के प्रथम स्वदेश निर्मित एंटी-सबमरीन टारपीडो की खरीद की थी। वर्ष 2019 में म्यांमार ने डीज़ल-इलेक्ट्रिक किलो-क्लास पनडुब्बी, **INS सिंधुवीर** की खरीद की थी।
- **वाणिज्यिक सहयोग:** भारत, म्यांमार का **पांचवा** सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 1970 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 में व्यापार 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था।
  - म्यांमार का तेल और गैस क्षेत्रक भारत से अत्यधिक विदेशी निवेश आकर्षित करता है।
- **सांस्कृतिक सहयोग:** साझी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर भारत द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की गई है, उदाहरणार्थ- **बागान** स्थित **आनंद मंदिर** के जीर्णोद्धार का कार्य। इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा **सारनाथ स्थित बुद्ध प्रतिमा के समान 16 फुट ऊँची इसकी एक प्रतिकृति** दानस्वरूप प्रदान की गई है, जिसे यांगून में **श्वेदागोन पैगोडा** परिसर में अधिष्ठापित किया गया है।
- **लोगों के मध्य परस्पर संपर्क (People to People contact):** लोगों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु, दोनों देशों द्वारा वर्ष 2018 में **लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग अग्रीमेंट** पर हस्ताक्षर किए गए। ज्ञातव्य है कि इस समझौते के माध्यम से वैध दस्तावेज़ों से युक्त प्रामाणिक व्यक्तियों को प्रवेश/निकासी के दो अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं **(मोरेह-तामू और जोखाव्थर-रिह)** पर सीमा पार करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
  - म्यांमार की सीमा के निकट अवस्थित राज्यों के लिए 'उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं' और 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की शुरुआत की गयी है।

प्रमुख मुद्दे/चिंतनीय विषय

- **चाइना फैक्टर (चीन कारक) को प्रतिसंतुलन करना:** चीन विभिन्न साधनों के माध्यम से म्यांमार में अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है।
  - दोनों राष्ट्रों के सहयोग से निर्मित किया जाने वाला **चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा** (China-Myanmar Economic Corridor: CMEC) एक प्रमुख परियोजना है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक हिस्सा है। यह म्यांमार को हिंद महासागर तक पहुंच के लिए एक प्रमुख मार्ग प्रदान करता है।
- **विलंबित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं:** म्यांमार में लगभग प्रत्येक भारतीय परियोजना अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है।
- **सीमा सुरक्षा का मुद्दा:** वर्षों से, भारत-म्यांमार सीमा, म्यांमार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी का प्रमुख स्रोत रहा है।
  - हाल ही में, गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्टों से यह ज्ञात हुआ है कि, सीमा पर हल्के हथियारों, मादक पदार्थों और जाली मुद्रा की तस्करी की जा रही है। इसलिए, भारत द्वारा **"मुक्त आवागमन व्यवस्था"** (Free Movement Regime: FMR) का पुनर्परीक्षण किया जा रहा है।
- **रोहिंग्याओं के संबंध में भारत की अवस्थिति:** यद्यपि, भारत द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय राहत प्रदान की गई है, तथापि भारत ने सुरक्षा कारणों से लगभग 40,000 रोहिंग्याओं को निर्वासित करने की योजना निर्मित की है। ज्ञातव्य है कि भारत के इस कदम का न केवल संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों बल्कि म्यांमार के चरम राष्ट्रवादियों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है।

VISION IAS

मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime: FMR)

- भारत और म्यांमार सीमा पर जनजातीय लोगों को अबाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने हेतु FMR तंत्र को प्रस्तुत किया गया था।
- FMR, सीमा के निकट निवास करने वाले जनजातीय लोगों को वीज़ा प्रतिबंधों के बिना सीमा-पार **16 कि.मी.** तक की यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है।

आगे की राह/सहयोग के संभावित क्षेत्र

- **सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना:** भारत सरकार की **"बौद्ध सर्किट"** पहल के माध्यम से भारत की **सांस्कृतिक कूटनीति** को म्यांमार के बौद्ध-बहुल क्षेत्र के साथ संबद्ध करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि "बौद्ध सर्किट" पहल का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में प्राचीन बौद्ध विरासत स्थलों को जोड़कर विदेशी पर्यटकों के आगमन और राजस्व को दोगुना करना है।
- **क्षमता निर्माण:** भारत और म्यांमार के संस्थानों के मध्य सुदृढ़ शैक्षणिक संपर्कों को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतियां अपनाने से मानव संसाधन विकास के साथ-साथ म्यांमार के सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण में भी सहायता प्राप्त होगी।
- भारत की म्यांमार में **आर्थिक भागीदारी** (मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से) बेहतर नहीं है तथा इस संबंध में कई समस्याएं हैं, यथा- कार्यान्वयन में विलंब और गुणवत्ता नियंत्रण आदि। हालाँकि, इस अंतराल को, भारतीय निजी क्षेत्र द्वारा एक अवसर के रूप में देखते हुए कम किया जा सकता है।
- **एक्ट ईस्ट को सुदृढ़ करना - पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी म्यांमार के मध्य सहयोग:** पूर्वोत्तर के चार राज्य म्यांमार के **सैगाइंग** और **चिन प्रांतों** के साथ सीमाएं साझा करते हैं। इस प्रकार,
    - **उभरते गलियारों को विकास गलियारों** के रूप में परिवर्तित करने हेतु सरकारों को एक कार्य योजनाओं के निर्माण करने की आवश्यकता है।
    - तामू/मोरेह एवं जोखाव्थर/रिह के माध्यम से सीमा-पार व्यापार को सिंगल-विंडो क्लीयरेंस तथा सुगम मुद्रा व्यवस्था के साथ और अधिक औपचारिक बनाने की आवश्यकता है।
    - वृहद पहलों के लिए सहयोग, जैसे- ऊपरी म्यांमार क्षेत्र में **नुमालीगढ़ रिफाइनरी** से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री।

3.2. भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा संबंध (India South Korea Defence Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री की सियोल यात्रा के दौरान, रक्षा शैक्षिक आदान-प्रदान तथा एक-दूसरे की नौसेनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स सहायता में विस्तार हेतु भारत और दक्षिण कोरिया ने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

दोनों देशों के मध्य रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने वाले कारक

- जनवरी 2010 में भारत-दक्षिण कोरिया द्वारा रणनीतिक साझेदारी (strategic partnership) के क्षेत्र में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे वर्ष 2015 में **'विशेष रणनीतिक साझेदारी'** (special strategic partnership) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा रक्षा सहयोग को इस 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के तहत प्राथमिकता प्रदान की गई है।
- दक्षिण कोरिया की **न्यू सदर्न पॉलिसी (NSP)** के अंतर्गत भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने की वकालत की गयी है। यह पहली बार है जब दक्षिण कोरिया द्वारा स्पष्ट रूप से भारत हेतु एक विदेश नीति पहल तैयार की गयी है तथा आधिकारिक तौर पर इसका दस्तावेजीकरण भी किया गया है।
- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताओं** और बदलती भू-राजनीति के परिणामस्वरूप सियोल द्वारा भारत के साथ मिलकर क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कोरिया की खुफिया एजेंसियों के मध्य नियमित सुरक्षा संवाद स्थापित किए जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत और आसियान के साथ संलग्न होकर दक्षिण कोरिया द्वारा **'इंडो-पैसिफिक' भू-राजनीतिक भागीदारी का समर्थन** किया जाना एक उचित प्रयास है, जो चीन से संबंधित जोखिमों को कम करने में दक्षिण कोरिया की सहायता करेगा।

भागीदारी के अन्य क्षेत्र

- वर्ष 2018 में भारत की यात्रा पर आए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति द्वारा **समृद्धि और शांति एवं नागरिकों के लिए सहयोग** के माध्यम से, भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु **'3P प्लस'** नामक एक नई पहल की शुरुआत की गयी।
- दोनों देशों के मध्य बौद्ध धर्म, साझा सांस्कृतिक संपर्क के रूप में कार्य करता है। हाल ही की एक राजनयिक यात्रा के दौरान, साझे बौद्ध संबंधों को रेखांकित करते हुए, भारत द्वारा **दक्षिण कोरिया को एक पवित्र बोधि वृक्ष भेंट** किया गया।

VISION IAS

- भारत एवं दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2010 में **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA)** पर हस्ताक्षर किए, जिससे व्यापार संबंधों के विकास को बढ़ावा मिला है। भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 21 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है, जिसे वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक किए जाने का लक्ष्य है।
- कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने हेतु, भारत द्वारा **'इन्वेस्ट इंडिया' के तहत "कोरिया प्लस"** नामक एक सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जो संलग्न निवेशकों को मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करेगा।
- विगत वर्ष, **दक्षिण कोरिया द्वारा सैमसंग कंपनी के एक मोबाइल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो नोएडा में स्थापित विश्व का सर्वाधिक बड़ा सयंत्र** है।

निष्कर्ष

भारत और दक्षिण कोरिया परस्पर सहयोग, समन्वय, सह-उत्पादन एवं सह-विकास के द्वारा अनुकूल स्थितियों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। दक्षिण कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मध्य सामंजस्य और पूरकता में वृद्धि हो रही है। इन दोनों नीतियों का उद्देश्य एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थापना करना है।

3.3. भारत-ताइवान (India-Taiwan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दो भारतीय सांसदों ने प्रथम बार ताइवान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चूअली (आभासी रूप में) भाग लिया।

भारत-ताइवान संबंध

- **पृष्ठभूमि:**
  - स्वतंत्रता के पश्चात, वर्ष 1950 में भारत द्वारा **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना** (People's Republic of China: PRC) को राजनीतिक मान्यता प्रदान करने के पश्चात् भारत और ताइवान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को समाप्त कर दिया गया था।
  - **वर्ष 1995** में ताइपे (ताइवान की राजधानी) में **इंडिया ताइपे एसोसिएशन** (India-Taipei Association: ITA) की स्थापना के साथ भारत और ताइवान ने गैर-आधिकारिक संबंध स्थापित किए।
  - इसके अतिरिक्त, **वर्ष 1995 में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर** (Taipei Economic and Cultural Centre: TECC) की स्थापना की गई, जो भारत में ताइवान सरकार का प्रतिनिधि कार्यालय भी है। यह अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, मीडिया, पर्यटन, संस्कृति आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का संवर्धन करने हेतु उत्तरदायी है।

  - हालांकि, भारत के ताइवान के साथ कोई **आधिकारिक राजनीतिक संबंध नहीं** हैं और न ही यह ताइवान को **स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता** प्रदान करता है।
- **सामरिक संभावनाएं:**
  - इस **क्षेत्र में चीन की हठधर्मिता (assertiveness) में हुई वृद्धि** भारत और ताइवान के सामरिक चिंतकों के मध्य अपने सुरक्षा हितों के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई है।
  - इसके माध्यम से, ताइवान **एक स्वतंत्र राज्य के रूप में** अपनी पहचान को अधिक सुदृढ़ कर सकता है। साथ ही, भारत भी **दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता** सुनिश्चित कर सकता है और इस क्षेत्र में अपनी **तेल एवं गैस अन्वेषण गतिविधियों** का विस्तार कर सकता है।
  - ताइवान स्वयं को **एशिया-प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य** मानता है और इस **क्षेत्र की शांति, स्थिरता एवं समृद्धि** में योगदान करने हेतु अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है, जो क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

VISION IAS

- **आर्थिक संभावनाएं:**
  - वर्ष 1995 से वर्ष 2018 के मध्य, द्विपक्षीय व्यापार **934 मिलियन डॉलर से कई गुणा बढ़कर 7.5 बिलियन डॉलर** हो गया था (वर्ष 2019 में यह घटकर 5.8 बिलियन डॉलर हो गया था)। वर्ष 2020 तक इसे 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य है।
  - भारत में प्रचुर मात्रा में **प्राकृतिक बांस संसाधन उपलब्ध** हैं, जबकि ताइवान को विश्व स्तरीय **बांस चारकोल (काष्ठ कोयला) तकनीक** में विशेषज्ञता प्राप्त है। इससे भारत अपने बांस के संसाधनों का उपयोग कर उच्च मूल्य युक्त वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति और लोगों के मध्य पारस्परिक संबंध:**
  - विदेश नीति में **सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर बल** देने के साथ, **धार्मिक पर्यटन** के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं, क्योंकि ताइवान के **बहुसंख्यक लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं** और भारत इस धर्म का **उत्पत्ति स्थल** है।
  - भारत ने पर्यटन व अनौपचारिक व्यापार यात्राओं हेतु ताइवान से यात्रा करने वाले लोगों के लिए **ई-वीजा सुविधाओं** का विस्तार किया है, जबकि ताइवान अर्ह भारतीय आगंतुकों के लिए ऑनलाइन यात्रा अधिकार-पत्र और **30-दिवसीय वीज़ा मुक्त यात्रा** करने की अनुमति प्रदान करता है।

चुनौतियां

- **चीन** ताइवान के साथ अन्य देशों के किसी भी **आधिकारिक संपर्क का विरोध** करता है तथा अतीत से ही भारत से **'वन-चाइना' नीति** का सख्ती से पालन करने की मांग भी करता रहा है। ताइवान के साथ निकट संबंध चीन के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं, विशेषतः ऐसी स्थिति में जब द्विपक्षीय संबंध एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और सीमा पर सैन्य तनाव बढ़ रहा है।
- दोनों देशों के आर्थिक हितों के बावजूद, **आर्थिक विनिमय अभी भी न्यूनतम स्तर पर** है। दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय व्यापार उनके कुल व्यापार का लगभग 1% है।
- ताइवानी उद्यमी भारत में पूँजी के निवेश हेतु **लंबी समीक्षा प्रक्रिया, विलंबकारी स्वीकृति प्रक्रिया** (जैसे- सिंगल विंडो क्लीयरेंस की अनुपलब्धता), **एकबारगी बैंकिंग स्वीकृति (one-time banking clearance)** का अभाव आदि की शिकायत करते हैं।

आगे की राह

- भारत द्वारा स्वीकृत **"वन-चाइना नीति"** के कारण इसके ताइवान के साथ **घनिष्ठ सुरक्षा और आर्थिक संबंधों** की स्थापना के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (Pakistan-occupied Kashmir: PoK) में अपनी उपस्थिति से पाकिस्तान के साथ अपनी भागीदारी का विस्तार कर रहा है।
- भारत और ताइवान दोनों को **पारस्परिक उच्च-स्तरीय यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र** स्थापित करना चाहिए, ताकि औपचारिक विशेषीकृत आर्थिक साझेदारी के माध्यम से **आर्थिक सहयोग को संस्थागत** बनाया जा सके।
- ताइवान का चीन के साथ भू-रणनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक निकट संबंध है। इसलिए **ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध चीन की रणनीतिक गहनता (strategic depth) को बेहतर रीति से समझने में सहायक सिद्ध** होंगे। इस प्रकार, क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति के एक भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के **त्रिकोणीय (triangular)** और **चतुष्कोणीय (quadrilateral) गठबंधन** में ताइवान को शामिल करना अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- इस प्रकार, भारत को **ताइवान के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण** बनाए रखना चाहिए, जिससे भारत को चीन और ताइवान के मध्य संबंधों में संभावित अवनति से मुख्यभूमि चीन के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के प्रयास में सहायता प्राप्त होगी।

ताइवान और "वन-चाइना नीति" से संबंधित तथ्य

- ताइवान को आधिकारिक तौर पर **रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC)** कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी।
- वर्ष 1949 में **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी** ने **राष्ट्रवादी शक्तियों (कुओमितांग पार्टी)** को पराजित किया और **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (वर्तमान चीन)** की स्थापना की।
- वर्ष 1949 में **ताइवान के मुख्य भूमि चीन से अलग होने** और **ROC की स्थापना** के परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी शक्तियां **ताइवान** पलायन कर गईं। दोनों पक्षों द्वारा संपूर्ण चीन का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया गया।
- प्रारंभ में, USA सहित कई सरकारों ने **ताइवान को एक पृथक देश के रूप में मान्यता** प्रदान की थी। परंतु राजनयिक संबंधों में परिवर्तन के साथ ही USA ने वन चाइना नीति का समर्थन किया।

VISION IAS

- **वन चाइना नीति के अनुसार,** चीन (PRC) के साथ **राजनयिक** संबंध स्थापित करने के इच्छुक किसी भी देश को केवल 'वन चाइना' अर्थात PRC को स्वीकार करना होगा और ताइवान के साथ सभी औपचारिक संबंधों को समाप्त करना होगा।
- ताइवान **संयुक्त राष्ट्र** और **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** का सदस्य नहीं है। परंतु, यह **चीनी ताइपे (Chinese Taipei) (ताइवान) नाम** से विश्व व्यापार संगठन (World trade organisation: WTO) का सदस्य है।
- संयुक्त राष्ट्र के **193 सदस्य देशों में से 179 सदस्य देशों** के ताइवान के साथ **रणनीतिक** संबंध नहीं हैं।

हालिया घटनाक्रम

- **वर्ष 2017 में ताइवान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल** ने भारत की यात्रा की थी, जिसकी चीन द्वारा आलोचना की गई। वर्ष 2016 में **इंडिया ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम** को "मित्रता के औपचारिक मंच" के रूप में स्थापित किया गया था।
- हाल ही में, कोविड-19 **पर ताइवान-भारत वेबिनार** का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कोविड-19 से निपटने में संलग्न भारतीय चिकित्सा कार्मिकों के साथ ताइवान ने अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और ज्ञान को साझा किया।
- ताइवान द्वारा भारत को कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में संलग्न अग्रपंक्ति के चिकित्सा कर्मियों (frontline medical personnel) की सुरक्षा में सहायता करने हेतु **एक मिलियन फेस मास्क** भी प्रदान किए गए हैं।

3.4. भारत-जापान संबंध (India-Japan Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और जापान द्वारा नई दिल्ली में भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता (2+2) की बैठक आयोजित की गई है।

भारत और जापान के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक सहयोग में वृद्धि:**
  - इसके अंतर्गत दोनों देशों द्वारा वर्ष 2011 में **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते** (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) पर हस्ताक्षर किया गया था, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिला है।
  - इसके अतिरिक्त **अप्रैल 2000 से जून 2018 के मध्य 28.16 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** के साथ जापान, भारत में **निवेशों के अंतर्वाह का एक प्रमुख स्रोत** है।
- **वृहत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी:**
  - **भारत में:** आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance: ODA) के माध्यम से जापान भारत में अग्रणी वित्त प्रदाता रहा है।
    - इसने दिल्ली-मुंबई माल ढुलाई गलियारा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा तथा अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल प्रणाली जैसी **भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं** हेतु उच्च स्तरीय अभिरुचि तथा समर्थन प्रदर्शित किया है।
    - **पूर्वोत्तर का एकीकरण:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में रखा गया है। जापान ने पूर्वोत्तर मंच के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किए जाने की घोषणा भी की है।
  - **भारत के बाहर:** इसके अंतर्गत वर्ष 2017 में एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (AAGR) की घोषणा तथा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एवं अफ्रीका इत्यादि जैसे तीसरे देशों में संयुक्त रूप से परियोजनाओं का संचालन किया जाना शामिल है।
- **रक्षा संबंध: चतुष्कोण सुरक्षा वार्ता (Quadrilateral Security Dialogue)** भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित की जाने वाली एक रणनीतिक वार्ता है।
  - भारत और जापान द्वारा **"अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (Acquisition and Cross-Servicing Agreement)" पर हस्ताक्षर** किए गए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता अभियानों के साथ-साथ दोनों देशों की सेनाओं को सैन्य अभ्यास के दौरान आपस में आपूर्ति और सेवाओं का आदान-प्रदान करने की अनुमति प्रदान करेगा।
  - अमेरिका, जापान और भारत के मध्य आयोजित होने वाली **त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** मालाबार को नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा।

VISION IAS

- **वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी:** क्वाड (चार देशों यथा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का गठबंधन), एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा जैसे मंचों के माध्यम से दोनों देश एक साथ सहयोगात्मक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। **चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रसार** ने, विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान की आर्थिक और सामरिक अनिवार्यताओं को घनिष्ठता प्रदान की है।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारत और जापान द्वारा बाह्य अंतरिक्ष में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए **प्रथम वार्षिक द्विपक्षीय अंतरिक्ष वार्ता** को आयोजित किया गया है।

भारत जापान संबंधों के समक्ष चुनौतियां

- CEPA की उपस्थिति के बावजूद भारत-जापान व्यापार अपेक्षित परिणामों का सृजन नहीं कर पाया है। वर्ष 2011-12 में **द्विपक्षीय व्यापार** 18.43 बिलियन डॉलर रहा था जो वर्ष 2016-17 में घटकर 13.48 बिलियन डॉलर हो गया।
- दोनों के मध्य **ई-कॉमर्स नियमों (ओसाका ट्रैक), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी** आदि जैसे आर्थिक मुद्दों के संबंध में साझा हित स्थापित नहीं हो पाए हैं।
- दोनों देशों द्वारा अब तक चीन के संबंध में कोई विशिष्ट नीति विकसित नहीं की जा सकी है। भारत के जापान के साथ घनिष्ठ संबंधों के बावजूद भारत का **चीन के साथ व्यापार,** जापान के साथ भारत कुल व्यापार के 20% से अधिक है।
- वर्ष 2017 में हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद **एशिया अफ्रीका विकास गलियारा** जैसी परियोजनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं जा सकी है।

निष्कर्ष

भारत-जापान संबंधों को 'अपरिहार्य प्राकृतिक साझेदार' के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही, भारतीय प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि ऐसी कुछ ही साझेदारियां हैं जिन्हें भारत में अत्यधिक वरीयता प्रदान की गई है उनमें सबसे प्रमुख भारत-जापान संबंध हैं। दोनों देशों द्वारा परस्पर संबंधों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए व्यापार, रक्षा और अवसंरचनात्मक मुद्दों पर अत्यधिक तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता है। सशक्त भारत-जापान संबंध इस क्षेत्र में विद्यमान विसंगतियों को रोकने में सहायता करेंगे जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र और विश्व में शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

3.5. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध (India-Australia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्रियों के मध्य **प्रथम बार आभासी (virtual) द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन** किया गया था।

इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- दोनों देश द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी से **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** (Comprehensive Strategic Partnership) की ओर बढ़ेंगे।
- **मौजूदा 2+2 संवाद को वर्तमान सचिव स्तर से उन्नत कर विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तर** तक ले जाया जाएगा, जिनके मध्य **प्रत्येक दो वर्षों में सामरिक वार्ता आयोजित** होगी। भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के साथ पहले से ही 2+2 वार्ता प्रणाली में संलग्न हैं।
- **महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनन एवं प्रसंस्करण** के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- **म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट:** यह एक-दूसरे के सैन्य संचालन केंद्रों (bases) का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा तथा रक्षा अभ्यास के माध्यम से सैन्य अंतर-संचालन को बढ़ावा देगा।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए** एक साझा दृष्टिकोण पर **संयुक्त घोषणा-पत्र** जारी किया गया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का विवरण

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:**
    - वर्ष 2018-19 में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय **वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार** 30.3 बिलियन डॉलर का था तथा वर्ष 2018 में देशों के मध्य **निवेश का स्तर 30.7 बिलियन डॉलर** था।

VISION IAS

- वर्ष 2018 में, ऑस्ट्रेलिया ने **"एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035"** (An India Economic Strategy to 2035) के कार्यान्वयन की घोषणा की। यह भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को नया स्वरूप प्रदान करने हेतु एक विज़न दस्तावेज़ है। भारत भी इसी तर्ज पर **ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पेपर** (Australia Economic Strategy Paper: AES) नामक एक दस्तावेज़ निर्मित कर रहा है।

- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:**
  - दोनों पक्षों ने **रणनीतिक साझेदारी** पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वर्ष 2009 में सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा-पत्र भी शामिल है।
  - **वर्ष 2014** में दोनों देशों ने **असैन्य परमाणु सहयोग समझौते (Civil Nuclear Cooperation Agreement)** पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:**
  - वर्ष 2006 में वैज्ञानिकों हेतु अग्रणी अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक **ऑस्ट्रेलिया-भारत सामरिक अनुसंधान कोष** (Australia-India Strategic Research Fund: AISRF) की स्थापना की गई थी।
  - हाल ही में, दोनों देशों द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु **साइबर एवं साइबर-सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी समझौते** (Agreement on Cyber and Cyber-Enabled Critical Technology) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **वैश्विक सहयोग:**
  - **चीन की आक्रामकता और स्वत्वसूचक विदेश नीति (assertive foreign policy)** दोनों देशों के लिए सामान्य चिंता का विषय हैं, जो इन लोकतांत्रिक देशों को निकट लाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।
  - दोनों देशों ने एक **स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र** के परिदृश्य में अपने हितों को साझा किया है।दोनों देश विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जिसमें **क्वाड (QUAD) सुरक्षा संवाद,** इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), आसियान (ASEAN) क्षेत्रीय मंच, G-20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summits) आदि सम्मिलित हैं।
  - ऑस्ट्रेलिया का **पैसिफिक स्टेप अप** (Pacific Step Up) और भारत का **हिंद-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच** (Forum for India-Pacific Islands Cooperation: FIPIC) दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में दोनों के मध्य सहयोग की अभिपुष्टि करता है।
  - **पीपल-टू-पीपल संबंध**
  - ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7 लाख भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, जिनकी **संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है** तथा द्विपक्षीय संबंधों में यह सकारात्मक कारक बन गया है।
  - लगभग 1 लाख भारतीय छात्रों ने ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन के लिए नामांकन दर्ज करवाया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में व्याप्त कुछ चिंतनीय मुद्दे

- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA),** 9 दौर की वार्ता के पश्चात् भी अनिर्णायक बना हुआ है।
- भारत ने **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)** में **शामिल न होने** के विकल्प का चयन किया है। दोनों देशों के मध्य अन्य विषयों के साथ-साथ, **कृषि एवं डेयरी उत्पादों की बाजार तक पहुंच के संबंध में सहमति विकसित नहीं हो पायी है।**
- ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था **चीन पर अत्यधिक निर्भर** है। ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक व्यापार में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ चीन, इसका **सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश** है।

निष्कर्ष

- द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं को दोनों देशों के लिए **रणनीतिक रूप से उपयोगी, आर्थिक रूप से उत्पादक** और एक-दूसरे के नए एजेंडे के साथ समायोजित माना जाता है। हालांकि, ऐसा स्वीकार किया जाता है कि दोनों देशों के मध्य प्राकृतिक सामंजस्य का

VISION IAS

अभी तक **पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया गया** है। दोनों देशों को आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने हेतु CECA को शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करना चाहिए।

- **लोकतंत्र, स्वतंत्रता, विधि के शासन, मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांतों** के आधार पर दोनों देशों को **रक्षा उद्योग और वाणिज्यिक साइबर गतिविधि** इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संलग्नताओं का विस्तार करके द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए।

3.6. भारत-वियतनाम (India-Vietnam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और वियतनाम द्वारा व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया।

भारत-वियतनाम संबंधों का विकास

- 1950 के दशक के शीत युद्ध से दोनों देशों के मध्य सुदृढ़ संबंध बने हुए हैं।
- **भारत ने** फ्रांस से वियतनाम की स्वतंत्रता का **समर्थन किया**, 1960 के दशक में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया और अमेरिका से युद्ध के बाद भारत उन पहले देशों में सम्मिलित था जिन्होंने 1975 में एकीकृत वियतनाम को मान्यता दी।
- भारत ने आरंभ से तत्कालीन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के साथ कांसुलेट-स्तरीय संबंधों को बनाए रखा और 1972 में वियतनाम के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों को स्थापित किया।
- दोनों देशों के मध्य सबंध **2007 में 'रणनीतिक साझेदारी'** और फिर आगे **2016 में 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी'** तक बढ़ चुके हैं।
- वर्तमान में, **भारत अपनी "एक्ट ईस्ट" नीति के लिए वियतनाम को एक केंद्रीय देश के रूप में उसी तरह देखता है जिस प्रकार** चीन पाकिस्तान को भारत के रणनीतिक प्रति संतुलक मानता है।

भारत के लिए वियतनाम का महत्व

- **एक्ट ईस्ट नीति (Act east Policy):** वियतनाम आसियान में भारत का एक प्रमुख भागीदार देश और लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट नीति में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करना है।
- **चीन की घेराबंदी:** चीन के पड़ोस में अपनी महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक अवस्थिति के कारण वियतनाम चीन के आधिपत्यकारी विस्तार को रोकने हेतु भविष्य की रणनीतिओं का महत्वपूर्ण पक्ष है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** वियतनाम हाइड्रोकॉर्बन भंडार में समृद्ध है। **वियतनाम का मत है** कि दक्षिण चीन सागर में **तेल और गैस की खोज में भारत अपनी उपस्थिति को बढ़ाए**।
- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** भारत वियतनाम के शीर्ष दस व्यापारिक साझीदार देशों में सम्मिलित है। मेकॉन्ग गंगा सहयोग (MGC) फ्रेमवर्क के अंतर्गत, निचले स्तर पर समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए भारत **क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स (QIP)** जिनकी परिपक्वता अवधि छोटी होती है, को प्रारंभ कर रहा है।

भारत-वियतनाम संबंधों में चुनौतियां

- **दक्षिण चीन सागर (South China Sea):** दक्षिण चीन सागर (SCS) में वियतनाम का चीन के साथ प्रादेशिक विवाद जारी है। भारत भी दक्षिण चीन सागर के उन क्षेत्रों में तेल अंवेषण गतिविधियों में संलग्न है जिन पर वियतनाम अपना दावा करता है।
- **सांस्कृतिक दूरी (Cultural gap):** दोनों देशों के लोगों के मध्य व्यापक सांस्कृतिक, रीति-रिवाज और भाषा संबंधी अंतराल विद्यमान है। वियतनाम की अपेक्षा भारत थाईलैंड (बौद्ध, हिंदू और ब्राह्मण धर्म) और कंबोडिया (अंकोरवाट पुनरुद्धार) के अधिक निकट है।
- **संपर्क (Connectivity):** भौगोलिक रूप दोनों देश अत्यधिक दूर स्थित हैं। यह केवल पर्यटन को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात तथा व्यावसायिक लेनदेन को भी प्रभावित करता है।
- **उद्योग:** भारत के लिए वियतनाम में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ कठिनाइयां विद्यमान हैं। यह द्रुत गति से वियतनाम में अपना आधार स्थापित करने वाले विनिर्माण उद्योग को बाधित कर रहा है।

VISION IAS

आगे की राह

- भारत-वियतनाम रणनीतिक साझेदारी न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया बल्कि संपूर्ण इंडो-पेसिफिक क्षेत्र की शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश अत्यधिक मात्रा में पूरकताओं को साझा करते हैं। दोनों देश **विभिन्न क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि-रसायन, कृषि-प्रसंस्करण आदि में सुदृढ़ सहयोग विकसित कर सकते हैं।**
- वियतनाम के साथ संबंध सुदृढ़ होने से भारत अंततः **सागर (Security and Growth for All in the Region: SAGAR)** पहल के बेहतर कार्यान्वयन की दिशा में अग्रसरित होगा। साथ ही इससे **ब्लू इकॉनमी और समुद्र सुरक्षा** के युग में दोनों देश परस्पर लाभान्वित हो सकते हैं।

VISION IAS

4. पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व (West Asia/Middle East)

4.1. इज़राइल-फिलिस्तीन (Israel-Palestine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान पर केंद्रित मध्य-पूर्व संबंधी अपनी शांति योजना **'शांति से समृद्धि: फिलिस्तीनी और इजरायली जनता के जीवन में सुधार हेतु एक दृष्टिकोण' (Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People)** को प्रस्तुत किया।

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में

- इस संघर्ष की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, 3 लाख से अधिक यहूदियों का फिलिस्तीन में आव्रजन हुआ और उन्होंने एक नए राष्ट्र की मांग की। इसने अरबों और यहूदियों (दूसरे शब्दों में इज़रायल-फिलिस्तीन) के मध्य शृंखलाबद्ध संघर्षों को उत्पन्न किया।
- **वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों के मध्य विभाजित करने हेतु मतदान हुआ।**
  - यहूदी निवासियों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया तथा वर्ष 1948 में इज़रायल की स्वतंत्रता की घोषणा की, जबकि अरब वासियों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया।
  - परिणामस्वरुप **मिस्र, जॉर्डन, इराक** और **सीरिया** जैसे अरब राज्यों ने इज़राइल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।

- **जून 1967** में इज़रायल और पड़ोसी अरब राष्ट्रों के मध्य **छह दिवसीय युद्ध** हुआ था। इस दौरान, इज़राइल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप (मिस्र से), वेस्ट बैंक (जॉर्डन से) और गोलन हाइट्स (सीरिया से) पर कब्ज़ा कर लिया। इन अधिकृत क्षेत्रों को वापस करने हेतु इज़राइल की अनिच्छा के आलोक में, वर्ष 1973 में एक और अरब-इज़राइल युद्ध हुआ (योम किपुर युद्ध), जिसमें उसे कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा।
- इसके उपरांत **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** द्वारा **"लैंड फॉर पीस"** नामक एक संकल्प अंगीकृत किया गया, जिसमें इज़राइल को यह आदेश दिया गया कि उसे इन अधिकृत क्षेत्रों को पराजित राष्ट्रों को सौंप देना चाहिए।
- वर्ष 1978 में, इज़राइल और मिस्र ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु **कैंप डेविड समझौते** पर हस्ताक्षर किए तथा इसके अंतर्गत इज़रायल ने वर्ष 1982 में मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया। हालाँकि, इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में यह प्रयास विफल रहा।

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का पक्ष

- भारत ने द्वि-राष्ट्र समाधान के सिद्धांत में विश्वास प्रकट किया है तथा यह दोनों राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए हुए है। भारत ने इज़राइल के साथ बढ़ते संबंधों को बनाए रखने के साथ-साथ एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन के एक व्यवहार्य राज्य की स्थापना का समर्थन किया है।

ट्रम्प द्वारा अपने पीस प्लान (शांति योजना) में दिए गए सुझाव

- **यरूशलम की स्थिति:** यरूशलम, इज़राइल की संप्रभु राजधानी होगी। फिलिस्तीन की राजधानी विद्यमान सुरक्षा दीवार के पूर्व और उत्तर में स्थित क्षेत्रों में अर्थात् पूर्वी येरुशलम के भाग में होनी चाहिए, जिसका नाम अल कुद्स (Al Quds) होगा अथवा फिलिस्तीन द्वारा निर्धारित कोई अन्य नाम रखा जा सकता है।

VISION IAS

- **अवधारणात्मक मानचित्र:** जारी किए गए मानचित्र में यह निरूपित किया गया है कि इजरायली और फिलिस्तीनी राज्य की संभावित सीमाएं क्या होंगी। इस योजना के अंतर्गत इन सीमाओं को स्वीकार करने के लिए इज़राइल एवं फिलिस्तीनियों को चार वर्ष की समयावधि दी गई है।
- **आर्थिक पैकेज:** फिलिस्तीन और पड़ोसी अरब राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50 बिलियन डॉलर की निवेश निधि का प्रावधान किया गया है। अमेरिका द्वारा फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्य करते हुए अल कुद्स के लिए आर्थिक परियोजनाओं की पहचान की जाएगी और इन परियोजनाओं के माध्यम से **'शांति से समृद्धि' (पीस टू प्रॉस्पेरिटी)'** को सुनिश्चित किया जाएगा।
- **सुरक्षा:** इज़राइल-फिलिस्तीन शांति समझौते पर हस्ताक्षर के उपरांत, इज़राइल फिलिस्तीन के सुरक्षा दायित्वों को बनाए रखेगा। हालांकि, इस दृष्टिकोण के प्रावधानों के अधीन फिलिस्तीनी अपनी आंतरिक सुरक्षा हेतु अधिकाधिक उत्तरदायी होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलिस्तीन को उसके सुरक्षा मानदंड को स्थापित करने और बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा।
- **पत्तन सुविधाएं:** इज़राइल द्वारा फिलिस्तीन को **हाइफा** और **अशदोद** दोनों पत्तनों पर निर्धारित सुविधाओं का उपयोग करने एवं उन्हें प्रबंधित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- **हमास की समाप्ति:** वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है, अतः इसकी यहां से समाप्ति तटवर्ती पट्टी में महत्वपूर्ण रूपांतरण में सहायक होगी।

यरूशलम इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

- यरूशलम इज़राइल और वेस्ट बैंक के मध्य सीमा पर अवस्थित है। **यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से कुछ यहां अवस्थित है,** इसीलिए इज़राइल एवं फिलिस्तीन दोनों ही इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं।
- यह **ईसाइयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है,** क्योंकि उनका पवित्र **चर्च ऑफ़ सेपल्चर** यहाँ स्थित है।
    - इस चर्च में दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तथा दूसरा ईसा मसीह का एम्प्टी टॉम्ब। ऐसा विश्वास है कि यह उनकी समाधि एवं पुनर्जीवित होने दोनों घटनाओं को चिन्हित करता है।
- **इस्लाम धर्म से संबंधित तीसरा पवित्रतम स्थल अर्थात् 'डोम ऑफ द रॉक'** भी यहीं अवस्थित है, जो इस्लामी स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीनतम प्रसिद्ध कृत्यों में से एक है।
- **पश्चिमी दीवार या बुराक दीवार** इस शहर में स्थित प्राचीनतम चूना पत्थर की दीवार है। टेंपल माउंट से इसके जुड़े होने के कारण इसे भी पवित्र माना जाता है।
    - यह टेंपल माउंट क्षेत्र जब जॉर्डन के नियंत्रण में था तब यहां इजरायली यहूदियों को प्रार्थना करने की अनुमति नहीं थी। जब टेंपल माउंट क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध था, तब यह दीवार सर्वाधिक पवित्र स्थल बन गया था, जहां यहूदियों को प्रार्थना करने की अनुमति थी।

4.1.1. अब्राहम समझौता (Abraham Accord)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तथा इज़राइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे **'अब्राहम समझौते'** के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंध स्थापित करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस समझौते के अनुसार, यू.ए.ई. एवं इज़राइल औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे तथा बदले में, इज़राइल अधिकृत वेस्ट बैंक की बस्तियों को इज़राइल में जोड़ने की अपनी योजना को 'स्थगित' कर देगा।
    - इसके साथ ही, इज़राइल के साथ राजनयिक एवं आर्थिक संबंध स्थापित करने वाला **यू.ए.ई. पहला खाड़ी देश बन जाएगा।**
        - **खाड़ी देशों में,** सात अरब राष्ट्र हैं जो **फारस की खाड़ी** की सीमा के साथ संलग्न हैं। ये हैं- **बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब एवं यू.ए.ई.।**
        - यू.ए.ई. मिस्र (1979 में) एवं जॉर्डन (1994) के बाद इज़राइल को मान्यता देने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बन गया है।
- कई दशकों से, अनेक अरब एवं मुस्लिम-बहुल राज्यों के बीच एक सहमति रही है कि वे तब तक इज़राइल के साथ दुश्मनी की स्थिति को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक कि वह फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा देने के लिए सहमत नहीं होता।

VISION IAS

अरब देश इज़राइल से क्यों जुड़ रहे हैं?

- **अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता:** खनिज तेल (पेट्रोडॉलर) वाली अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए अरब देशों को प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता है। इज़राइल पश्चिम एशिया में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण अरब देशों की सहायता कर सकता है।
- **इज़राइल के साथ वर्धित सहयोग:** इज़राइल मध्य-पूर्व में तकनीकी रूप से सबसे उन्नत देश है तथा यह जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा एवं साइबर निगरानी के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक प्रदान कर सकता है।
- **कट्टरपंथी सुन्नी चरमपंथ से खतरा:** अरब देशों को अब यह समझ में आने लगा है कि यह उनके लिए खतरा बन गया है। इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह का उदय इसका उदाहरण है।
- **ईरान को प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता:** यह क्षेत्र के सुन्नी अरब राष्ट्रों, अमेरिका एवं इज़राइल के लिए उनके साझा शत्रु शिया ईरान के विरुद्ध वर्धित क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- **इस्लामवाद या राजनीतिक इस्लाम के खतरे को संबोधित करने की आवश्यकता:** यह सामान्यतया मुस्लिम ब्रदरहुड (मिस्र का एक धार्मिक राजनीतिक दल) द्वारा अवतीर्ण एक पार-देशीय अवधारणा है और जिसे खाड़ी के कुछ अरब शासक अपने वंशवादी राजशाही के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं।

इस समझौते का भू-राजनीतिक महत्व क्या है?

- **यू.ए.ई. के लिए:** यह समझौता ईरान के संदर्भ में रणनीतिक बढ़त बनाने और जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, रक्षा एवं साइबर निगरानी सहित बेहतर प्रौद्योगिकी तक पहुंच की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह अन्य खाड़ी एवं अरब देशों को भी इज़राइल के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- **इज़राइल के लिए:** इज़राइल को खाड़ी में बड़ी शक्ति के साथ एक राजनयिक एवं आर्थिक अवसर प्राप्त होता है, जो इसके सुरक्षा हितों को देखते हुए अन्य मार्ग खोल सकता है। यह खाड़ी व बड़े क्षेत्र में इज़राइल को एक सुरक्षित उपस्थिति भी प्रदान करेगा।
- **सऊदी अरब गुट के लिए:** गुट अपने हितों को अमेरिका व इज़राइल (ईरान, मुस्लिम ब्रदरहुड आदि के संदर्भ में) के साथ जोड़कर देखता है तथा फिलिस्तीन के लिए उनका समर्थन, जिसे अरब शक्तियों ने ऐतिहासिक रूप से बरकरार रखा था, घट रहा है।
- **अमेरिका के लिए:** यह अमेरिका को इज़राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष का समाधान करने हेतु ट्रंप की शांति से समृद्धि योजना (पीस टू प्रॉस्पैरिटी प्लान) से अलग हटने विकल्प प्रदान करता है। समझौते की व्याख्या ईरान-चीन समझौते के प्रत्युत्तर के रूप में की जा सकती है।
- **फिलिस्तीन के लिए:** विगत दो अरब-इज़राइल शांति समझौतों के विपरीत, वर्तमान समझौते में फिलिस्तीनियों की प्रमुखता नहीं दिखाई देती है। फ़िलिस्तीनी एक व्यवहार्य स्वतंत्र राज्य चाहते हैं, जो इस समझौते के क्षितिज पर कहीं नहीं है।
    - मिस्र एवं इज़राइल शांति समझौते ने वेस्ट बैंक एवं गाजा में एक स्वायत्त स्वशासी प्राधिकरण का वादा किया था।
    - इज़राइल द्वारा वेस्ट बैंक एवं गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के गठन पर सहमति व्यक्त करने के पश्चात जॉर्डन और इज़राइल में संधि हुई थी।

भारत के लिए संभावित महत्व

- **पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता:** यह समझौता पश्चिम एशिया में दो पारंपरिक विरोधियों, इज़राइल एवं अरब, के बीच मैत्री का पहला **बड़ा द्वार** खोलता है।
    - यह भारत के लिए लाभकारी है, क्योंकि **ऊर्जा आपूर्ति तथा प्रवासी जनसंख्या** के मामले में इसका काफी बड़ा हित दांव पर है।
- **दो-राज्य समाधान:** इज़राइल द्वारा इसकी संलग्नकारी (annexation) योजना के निलंबन से इज़राइल एवं फिलिस्तीन के बीच वार्ता शीघ्र ही पुनः आरंभ हो सकती है।
    - भारत ने इज़राइल एवं फिलिस्तीन के बीच एक समझौता वार्ता के भाग के रूप में **दो-राज्य समाधान** का सदैव समर्थन किया है।
- **ईरान के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं**, क्योंकि यह अरब-इज़राइल गठजोड़ को अपनी सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के रूप में देखेगा।
    - भारत के **ईरान में प्रमुख हित दांव** पर हैं, जैसे चाबहार बंदरगाह, मध्य एशिया तक पहुंच बनाने का मार्ग आदि।
- साथ ही, यह समझौता भारत के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के **नए अवसर** खोलता है, क्योंकि **भारत के यू.ए.ई. एवं इज़राइल, दोनों के साथ विशेष संबंध** हैं।

VISION IAS

निष्कर्ष

जहां इस समझौते में अच्छे के लिए अरब-इज़राइल संबंधों को बदलने की क्षमता है, वहीं यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार अरब देश धीरे-धीरे फिलिस्तीन के मुद्दे से स्वयं को अलग कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या यू.ए.ई. यहूदी देश (इज़राइल) को फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपने कब्जे में ढील देने तथा उनके बीच बातचीत आरंभ करने के लिए मनाने में सफल होगा। यदि ऐसा होता है, तो यू.ए.ई.-इज़राइलसमझौता फिलिस्तीनी राज्यत्व एवं मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाएगा।

4.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (India UAE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हालिया वर्षों में भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दोनों देशों के मध्य संबंधों में वृद्धि हुई है।

UAE का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत के कच्चे तेल आयात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6% है। दोनों देशों ने लोअर जाकुम तेल तथा गैस भंडार क्षेत्र में हिस्सेदारी की प्राप्ति हेतु ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **निवेश:** UAE सरकार द्वारा भारतीय अवसंरचना के विकास हेतु 75 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। साथ ही, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) द्वारा भी 3 अरब डॉलर के निवेश हेतु दुबई स्थित एक कंपनी के साथ एक समझौता किया गया है।
- **महत्वपूर्ण व्यापार साझीदार:** विगत वर्ष UAE के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 59 बिलियन डॉलर का था।
- **भारतीय समुदाय:** UAE में 25 लाख से अधिक भारतीय निवास करते हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर अन्य राष्ट्रों की तुलना में किसी भी देश में अधिवासित प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या है। ये प्रवासी भारत को प्रति वर्ष औसतन 13.6 अरब डॉलर विप्रेषित करते हैं।
- **साझा सुरक्षा सरोकार:** हिंद महासागर तथा खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना दोनों देशों के साझे हित में है।
  - इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया में राजनीतिक अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भारत द्वारा UAE को क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साझीदार के रूप में संदर्भित किया गया है। इस संदर्भ में भारत ने आतंकी खतरों का सामना करने तथा इंटरनेट के माध्यम से फैलानी वाली कट्टरता से निपटने हेतु UAE सहित खाड़ी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर बल दिया है।
- **रक्षा:** दोनों देशों के मध्य रक्षा अभ्यास में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाओं के मध्य मई-जून 2016 में दस दिवसीय हवाई युद्धाभ्यास 'डेजर्ट ईगल II' को आयोजित किया गया था। साथ ही, दोनों देशों ने क्रेता-विक्रेता के संबंधों से आगे बढ़ते हुए अपने संबंधों को **समग्र रणनीतिक साझेदारी समझौते** तक विकसित करने का प्रयास किया है।
- **समुद्री सुरक्षा:** भारत द्वारा समुद्री शिक्षा व प्रशिक्षण पर द्विपक्षीय संधि तथा समुद्री परिवहन को सुगम बनाने व बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क के सरलीकरण व कचरे के निपटान की दिशा में मौजूदा प्रतिष्ठानों के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए भी समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

चुनौतियां

- **धीमी क्रियान्वयन प्रक्रिया:** जहां तक निवेश का प्रश्न है, भारत की ओर से विभिन्न परियोजनाओं के धीमे क्रियान्वयन के कारण UAE को प्रणालीगत समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। ज्ञातव्य है कि इस प्रकार का विलंब भारत व संयुक्त अरब अमीरात के सहयोगपूर्ण संबंधों में एक सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।
- **UAE में वाणिज्यिक विनियमन को लेकर स्पष्टता का अभाव:** UAE में संचालित भारतीय कंपनियों को भी वाणिज्यिक विनियमों व श्रम क़ानूनों के कई पहलुओं में स्पष्टता के अभाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही, अमीरात के व्यवसायों की ओर से भी पारदर्शिता की कमी भारतीय व्यापारियों के समक्ष कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं।
- **भारतीय कामगारों हेतु अवसरों में कमी:** बोझिल तथा सख्त विनियमों के कारण भारतीय प्रवासियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। इन विनियमों को अमीरात के नियोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। इन विनियमों एवं क़ानूनों के कारण कई बार भारतीय कामगारों, विशेषकर अकुशल कामगारों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

VISION IAS

आगे की राह

भारत तथा UAE के मध्य बढ़ती साझीदारियों को UAE की आर्थिक संभावनाओं को बेहतर बनाने हेतु एशिया के साथ संलग्नता की नीति के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार, भारत के लिए ये परस्पर संबंध आर्थिक विकास में तेजी लाने एवं चरमपंथ व आतंकवाद के खतरे से निपटने की दिशा में भारत के विदेशी निवेश के प्रयासों को गति प्रदान करेंगे।

- चिकित्सा क्षेत्र में भारत के उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्यबल को देखते हुए चिकित्सा पर्यटन वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां भारत UAE को आकर्षित कर सकता है। इसके साथ ही, इससे देश की चिकित्सा अवसरंचना में भी सुधार होगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा** के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। UAE में सौर ऊर्जा के उत्पादन व पारेषण में आने वाली लागत भारत में होने वाली लागत से बहुत कम है तथा साथ ही यह UAE सरकार का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भी है।

4.3. भारत-सऊदी अरब (India Saudi Arabia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री द्वारा सऊदी अरब की यात्रा की गयी। भारतीय प्रधान मंत्री ने रियाद में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) में भाग लिया।

इस यात्रा के प्रमुख परिणाम

- एक **रणनीतिक साझेदारी परिषद (Strategic Partnership Council: SPC)** की स्थापना से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ज्ञातव्य है कि भारत सऊदी अरब के साथ इस प्रकार का समझौता करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। SPC में निम्नलिखित दो समानांतर प्रभाग होंगे:
    - **राजनीतिक, सुरक्षा, संस्कृति और समाज;** जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा की जाएगी; तथा
    - **अर्थव्यवस्था और निवेश;** जिसकी अध्यक्षता भारत के वाणिज्य मंत्री एवं सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाएगी।
- दोनों देशों द्वारा स्वापक पदार्थों की तस्करी, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, सुरक्षा सहयोग आदि जैसे मुद्दों से संबंधित **12 समझौता ज्ञापनों (MoUs)** पर हस्ताक्षर किए गए।
- **संयुक्त वक्तव्य** के माध्यम से दोनों देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सभी रूपों को अस्वीकृत कर दिया गया। इसे जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के भारत के निर्णय को **सऊदी अरब के मौन समर्थन** के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

सऊदी अरब का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:**
    - सऊदी अरब, भारत हेतु कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (कुल आयात का लगभग 18% सऊदी अरब से) देश है। भारत अपनी LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) आवश्यकताओं के लगभग 32% का आयात भी सऊदी अरब से ही करता है।
    - हाल ही में, सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी **अरामको (ARAMCO) {संयुक्त अरब अमीरात के ADNOC (अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी) के साथ साझेदारी में}** ने **महाराष्ट्र की रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रो-रसायन परियोजना** में साझेदार होने का निर्णय लिया है। इस संयुक्त परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **द्विपक्षीय व्यापार और निवेश:**
    - वर्ष 2018-19 में दोनों देशों के मध्य कुल **द्विपक्षीय व्यापार लगभग 34 बिलियन डॉलर का रहा।** भारत सऊदी अरब का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सऊदी अरब से होने वाले निर्यात के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार है।
    - सऊदी अरब ने **भारत** में पेट्रोरसायन, अवसंरचना और खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रकों में **लगभग 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने** की इच्छा व्यक्त की है।
    - सऊदी अरब ने भारत को **'विज़न 2030'** के तहत अपने 8 रणनीतिक साझेदार देशों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की है। सऊदी अरब का विज़न 2030 तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने और देश की अर्थव्यवस्था को विविधिकृत करने की एक योजना है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध:**
    - पश्चिम एशिया में कार्यरत 11 मिलियन भारतीयों में से, 2.6 मिलियन भारतीय सऊदी अरब में कार्यरत हैं।
    - भारत, सऊदी अरब से विदेशी प्रेषण (वार्षिक रूप से 11 बिलियन डॉलर तक) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है।

VISION IAS

- भारत और सऊदी अरब ने सऊदी अरब में **रुपे (RuPay) कार्ड** का शुभारंभ करने हेतु इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे खाड़ी देशों में रहने वाले 2.6 मिलियन भारतीय और हज एवं उमरा तीर्थयात्री भी लाभान्वित होंगे।
- भारत में **विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी** (इंडोनेशिया और पाकिस्तान के पश्चात्) निवास करती है। इस्लाम धर्म से संबंधित दो प्रमुख पवित्र स्थलों (मक्का और मदीना) का संरक्षक होने के कारण सऊदी अरब, भारत के रणनीतिक आकलनों में महत्वपूर्ण हो जाता है।

- **सामरिक और सुरक्षा सहयोग:**
  - जहाँ **दिल्ली घोषणा-पत्र (2006)** द्वारा आतंकवाद-विरोधी कार्यवाहियों पर सहयोग की आधारशीला रखी गयी, वहीं **रियाद घोषणा-पत्र (2010)** के माध्यम से साझेदारी को सामरिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया तथा अंतरिक्ष एवं ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु संबंधों को विविधता प्रदान की गई।
  - प्रमुख निवेशकों में से एक होने के कारण, सऊदी अरब **पाकिस्तान** को अपनी भारत विरोधी विदेश नीति को त्यागने हेतु बाध्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, पुलवामा में आत्मघाती हमले के पश्चात्, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - हालिया यात्रा में, दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र एवं खाड़ी क्षेत्र में जलमार्गों पर संकट और खतरों (जिससे दोनों देशों के हित प्रभावित हो सकते हैं) से सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु द्विपक्षीय संलग्नता के महत्व पर सहमत हुए हैं।
- **वैश्विक सहयोग:**
  - भारत और सऊदी अरब असमानता को कम करने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए G-20 के अंतर्गत मिलकर कार्य कर रहे हैं।
  - दोनों देश यूनाइटेड नेशंस काउन्टर टेररिज्म सेंटर में सहयोग करते हैं।

भारत-सऊदी अरब संबंधों में चुनौतियां

- **सऊदी-पाकिस्तान संबंध:** पाकिस्तान सऊदी अरब का "ऐतिहासिक सहयोगी" रहा है। सऊदी अरब को इस्लामाबाद और रावलपिंडी से व्यापक सैन्य एवं राजनीतिक समर्थन प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान को उसकी अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय उत्प्रेरण प्राप्त होता है। ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के मध्य यह संबंध धार्मिक संदर्भ के कारण भी प्रोत्साहित होता है।
- **आतंकवाद का वैचारिक समर्थन:** सऊदी अरब पर विश्व भर में वहाबी इस्लामी समूहों को धन उपलब्ध करवाने का आरोप लगाया जाता है, जिससे अंततः भारत के विरुद्ध कार्य करने वाले आतंकवादी समूहों को भी वित्तीय साधन प्राप्त हो जाते हैं।
- **सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता:** दोनों राष्ट्रों के मध्य सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता पश्चिम एशिया को अस्थिर तथा पश्चिम एशियाई भू-राजनीति को प्रभावित कर रही है। ईरान में अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत को दोनों देशों के मध्य संबंधों में अतिसंतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **पश्चिम एशिया में सऊदी अरब की आक्रामक विदेश नीति (उदाहरण के लिए, यमन और सीरिया में):** सऊदी अरब के इस कदम से क्षेत्रीय स्थिरता को अत्यधिक क्षति पहुंच रही है, जबकि इस क्षेत्र में स्थिरता भारत का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
- **द्विपक्षीय मुद्दे:** सऊदी अरब में भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए कार्य करने की निकृष्ट परिस्थितियाँ एक प्रमुख द्विपक्षीय चिंता का विषय रही हैं। प्रतिबंधात्मक वीजा और पारिश्रमिक नीतियां, कठोर श्रम कानून, मानवाधिकारों का अभाव तथा न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप भारतीय श्रमिकों के शोषण के अनेक मामले सामने आए हैं।

भारत की पश्चिम एशिया नीति

- शीत युद्ध के पश्चात्, भारत ने इस क्षेत्र में प्रभुत्व के तीन केंद्रों, यथा- सऊदी अरब, इज़राइल और ईरान के लिए अपने दृष्टिकोण को सफल रीति से वृहद पैमाने पर संतुलित किया है, ताकि उनमें से कोई भी एक-दूसरे के साथ संबंधों के संचालन में भारत की आलोचना न कर सके।
- इस हेतु उत्तरदायी कारण वर्ष 2005 में अपनाई गयी भारत की **लुक वेस्ट पॉलिसी** रही है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
  - **धर्मनिरपेक्ष और गुट-निरपेक्ष नीति:** क्षेत्र के प्रति भारत की नीति को इस क्षेत्र के धार्मिक (मुस्लिम और यहूदी) तथा सांप्रदायिक (शिया-सुन्नी) संघर्षों के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति द्वारा आकार प्रदान किया जाएगा।
  - **विभिन्न स्तरों पर कूटनीति:** सरकार से सरकार (गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट: G2G) के संबंधों को रेखांकित करने वाली कूटनीतिक प्रतिबद्धता जीवंत व्यवसाय से व्यवसाय (बिज़नेस-टू-बिज़नेस: B2B) और पीपल टू पीपल (P2P) संपर्कों की ओर ध्यान

VISION IAS

आकर्षित करती है।

- **भारत का गैर-वैचारिक नीति की ओर बढ़ना:** मध्य पूर्व में त्वरित परिवर्तनों ने भारत को अपनी मध्य पूर्व नीति को पुनर्विलोकित करने के लिए विवश किया जो अरब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सोवियत मित्रता पर आधारित थी। भारत को न केवल अमेरिकी वर्चस्व के साथ तालमेल स्थापित करना था, बल्कि इस क्षेत्र में बढ़ते रूढ़िवाद के साथ भी संबद्ध होना था। व्यावहारिक रूप में इसका तात्पर्य ऐसी नीति को तैयार करना था जो **राजनीतिक वाक्पटुता की तुलना में आर्थिक गणना** से अधिक प्रेरित हो।
- **सामुद्रिक कूटनीति पर प्रमुख बल:** वर्तमान में पश्चिम एशियाई देशों के चतुर्दिक अवस्थित सागरों द्वारा भारत को प्रदत्त ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के कारण इन सागरों का लुक वेस्ट पॉलिसी में अत्यधिक महत्व हो गया है।

आगे की राह

- चूँकि सऊदी अरब अपनी अति-रूढ़िवादी छवि को त्यागने और एक अधिक खुली एवं उदारवादी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था को अपनाने का प्रयास कर रहा है, अतः इस संदर्भ में भारत को एक प्रमुख सहयोगी व बाजार के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत को पश्चिम एशिया में अपने संतुलनकारी कार्य को जारी रखने की आवश्यकता है जो इसे सऊदी अरब, ईरान और इज़राइल (इस क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ संघर्षरत) के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की सुविधा प्रदान करता है।
- साथ ही यदि भारत पश्चिम एशिया में **क्षेत्रीय विघटनों और संघर्षों से दूरी बनाए रखता है तो** उसे इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और भू-रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढाने में सहायता प्राप्त होगी।

4.4. चाबहार-जाहेदान रेलवे लाइन (Chabahar-Zahedan Railway Line)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ईरान ने यह निर्णय लिया है कि वह भारत के सहयोग के बिना **चाबहार बंदरगाह से ज़ाहेदान तक रेलवे लाइन** के निर्माण कार्य को स्वयं आगे बढ़ाएगा। ज्ञातव है कि ज़ाहेदान ईरान-अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में, भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे (International Transport and Transit Corridor) की स्थापना के लिए **त्रिपक्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  - पारगमन और परिवहन गलियारा, भारतीय वस्तुओं को पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश किए बिना, ईरान के माध्यम से अफ़ग़ानिस्तान तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। यह गलियारा वर्ष 2009 में भारत द्वारा अफ़ग़ानिस्तान में निर्मित **जरंज-डेलारम राजमार्ग** (Zaranj-Delaram highway) का एक पूरक है।
- इस समझौते के तहत भारत, **चाबहार बंदरगाह के विकास** के साथ-साथ अफ़ग़ानिस्तान को बंदरगाह से जोड़ने वाले एक स्थल मार्ग के निर्माण हेतु भी प्रतिबद्ध है।
- **चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे लाइन के निर्माण** के लिए अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत ने ईरान के साथ कुछ अन्य समझौते भी किए थे। ज्ञातव्य है कि यह रेलवे लाइन चाबहार बंदरगाह से ईरान-अफ़ग़ानिस्तान सीमा तक यात्रा में लगने वाले समय को कम कर सकती है।
  - इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत के इरकॉन (IRCON) (रेल मंत्रालय से संबंधित विशेष निर्माण संगठन) और ईरान की कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (CDTIC) द्वारा एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस परियोजना से भारत के जुड़ने के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण विलंब:** संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA) से अलग होने के उपरांत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर पुनः प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं। हालाँकि, भारत को इन परियोजनाओं (चाबहार बंदरगाह और रेलवे लाइन) के विकास हेतु विशेष छूट प्रदान की गई थी, परन्तु फिर भी निम्नलिखित कारणों से परियोजनाओं को हानि हुई है-
  - भारी उपकरणों के आयात को वास्तविक स्वीकृति प्रदान करने में अमेरिका में नौकरशाहों द्वारा विलंब करना।
  - यू.एस.ए. द्वारा लक्षित किए जाने के भय के कारण, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और वित्तपोषण भागीदारों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाना अत्यंत कठिन हो रहा था।

VISION IAS

- **भारत में नौकरशाही और कूटनीतिक बाधाएं:** निधियों के वितरण में विलंब, प्रभावी संचार और कूटनीतिक समन्वय का अभाव आदि जैसे परिचालन अवरोध विद्यमान रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए, ईरान ने भारत के बिना ही **फरज़ाद-बी गैस ब्लॉक (Farzad-B gas block) के विकास को** स्वयं आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- **चीन का प्रभाव:** एक मत यह भी है कि ईरान एक दूसरे के मध्य संभावित निवेश/निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, प्रस्तावित चीन-ईरान 25-वर्षीय समझौते का उपयोग कर सकता है।

भारत पर संभावित प्रभाव

- **अफ़ग़ानिस्तान तक पहुंच:** भारत-ईरान द्विपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन संबंधी अन्तराल, चाबहार में भारत की उपस्थिति, प्रभाव और भारत को इससे प्राप्त होने वाले लाभ को कम कर सकता है, जिससे अफ़ग़ानिस्तान के साथ भी भारत के संबंध प्रभावित होंगे।
- **चीन के क्षेत्रीय प्रसार को रोकने में:** भारतीय सहयोग आधारित परियोजनाओं में होने वाले विलंब, इस क्षेत्र में चीन के विस्तार को सुदृढ़ता प्रदान कर सकते हैं (बॉक्स देखें)।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बनाए रखने में भारत की अग्रणी भूमिका:** दीर्घकाल में चाबहार बंदरगाह और रेल परियोजना को प्रस्तावित **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (International North-South Transport Corridor: INSTC)** के साथ संबद्ध करने की परिकल्पना की गई थी। ज्ञातव्य है कि यह गलियारा भू एवं समुद्री मार्गों के माध्यम से मुंबई को मास्को से जोड़ेगा।
    - INSTC में भारत के लिए यूरोप, रूस और मध्य एशियाई देशों तक अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी व्यापार मार्ग प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है।

ईरान में चीन के प्रभाव में वृद्धि

- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** BRI के तहत, चीन वर्तमान में स्टेडियम, रेलवे, औद्योगिक पार्क, 5 जी हाईवे, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं आदि विनिर्माण कार्यों के माध्यम से ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अन्य मध्य-पूर्व देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है।
- **हाल ही में ईरान-चीन ने एक 25 वर्षीय व्यापक रणनीतिक सहयोग समझौते पर अपनी सहमति प्रदान की है:** इस 400 बिलियन डॉलर के 25-वर्षीय प्रारूप समझौते के अंतर्गत ईरान के परिवहन, विनिर्माण क्षेत्र और हाइड्रोकार्बन उद्योगों में आवंटन आदि शामिल हैं, जिससे ईरान में चीनी कंपनियों, उपकरणों और श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
- **ग्वादर-चाबहार कनेक्टिविटी:** विगत वर्ष ईरान द्वारा **ग्वादर और चाबहार** के एकीकरण **(tie-up)** हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह ईरान के साथ भारत के सामरिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है तथा चाबहार बंदरगाह के भारतीय उपयोग को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ तात्कालिक पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है।
- **बंदर-ए-जस्क (Bandar-e-Jask) पत्तन:** चाबहार से केवल 350 कि.मी. दूरी पर स्थित इस पत्तन में ईरान ने चीन की भागीदारी हेतु सहमति प्रकट की है। बंदर-ए-जस्क पत्तन, पाकिस्तान-ईरान तट पर भी चीनी नियंत्रण का विस्तार कर सकता है।
- **इस क्षेत्र में अन्य चिंतनीय मुद्दे:**
    - हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की वर्धित उपस्थिति।
    - ईरान चाबहार विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए चीन और पाकिस्तान का संभावित निवेशकों के रूप में उपयोग कर सकता है।
    - वर्ष 2019 में चीन, ईरान और रूस के मध्य ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ था।

आगे की राह

- भारत को शीघ्र कूटनीतिक वार्ताओं और **समय पर निधियों के वितरण के माध्यम से** विदेशी अवसंरचना परियोजनाओं के अपने कार्यान्वयन लक्ष्यों में सुधार करने की आवश्यकता है।
- भारत को **ईरान और अमेरिका के साथ अपने राजनयिक संबंधों को संतुलित** करने हेतु प्रयास करना चाहिए। ईरान में भारतीय परियोजनाओं पर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने वाली एक प्रभावी और स्पष्ट व्यवस्था पर भी कार्य करने की आवश्यकता है।
- यद्यपि ईरान ने रेल परियोजना के निर्माण को स्वयं आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है तथा ईरान ने यह वक्तव्य भी जारी किया है कि **भारत बाद में इस परियोजना में शामिल हो सकता है।** अत: भारत इस परियोजनाओं में भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु उत्पादक नौकरशाही और राजनयिक माध्यम स्थापित कर इस अवसर का उपयोग कर सकता है।

VISION IAS

5. अफ्रीका (Africa)

5.1. भारत-अफ्रीका (India-Africa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री ने भारत-अफ्रीका संबंधों के बढ़ते महत्व को दोहराया है।

भारत के लिए अफ्रीका का महत्व

अफ्रीका के साथ संलग्नता में भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा सामुद्रिक हित अन्तर्निहित हैं।

- **संसाधन सम्पन्न क्षेत्र:** अफ्रीका अत्यंत संसाधन सम्पन्न क्षेत्र है। यह एक अल्पविकसित महाद्वीप से, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं और नए लोकतांत्रिक देशों वाले महाद्वीप में परिवर्तित हो रहा है।
- **आर्थिक विकास:** वर्ष 2018 में अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि दर 3.2% के स्तर पर रहने की संभावना व्यक्त की गयी थी। विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार, इस महाद्वीप के 6 देश **विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल** हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न अफ्रीकी देश विदेशी निवेशकों तथा भागीदारों को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भारत के लिए भी इस महाद्वीप में अनेक आर्थिक अवसर उपलब्ध हैं।
- **वैश्विक संस्थाओं में सुधार:** यदि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है तो इसे इस महाद्वीप के सभी 54 देशों के साथ संलग्न होना पड़ेगा।
- **निजी क्षेत्र के लिए निवेश के अवसर:** कृषि व्यवसाय, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), और ऊर्जा सहित अनेक रणनीतिक क्षेत्रों में कई भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पहले से ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हित और निवेश हैं।
    - **अफ्रीका, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार** के रूप में उभरा है। साथ ही, यह भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों और इसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पोषित करने के लिए आवश्यक अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज में एक महत्वपूर्ण स्थल है।
    - भारत, अफ्रीका महाद्वीप में डिजिटल पैठ में व्यापक संभावनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकता है।
- **हितों का अभिसरण:** दोनों भागीदार **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** में प्रमुख मुद्दों पर एकमत हैं तथा साथ ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पक्ष में हैं। वर्ष 2013 में बाली में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी अफ्रीका और भारत WTO की निर्धारित शुल्क सीमाओं (caps) के विरुद्ध किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा हेतु एक अंतरिम प्रणाली (जब तक कि स्थायी समाधान खोजे और अपनाए नहीं जाते) की स्थापना के प्रयास में एकजुट थे।
    - **आतंकवाद से निपटने हेतु सहयोग:** भारत ने 54 अफ्रीकी देशों के साथ ख़ुफ़िया जानकारी के आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का दृढ़ता से समर्थन किया है।
    - सुरक्षा परिषद में सुधार के संदर्भ में दोनों के हित लगभग समान हैं। अतः सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए दोनों पक्षों के लिए "एक स्वर" में बोलना अनिवार्य है।
    - **शांति स्थापना अभियान:** भारत अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित शांति स्थापना तथा अन्य अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राष्ट्र है। वर्ष 1960 के बाद से इस क्षेत्र के कुल 22 मिशनों में से भारत के 30,000 से अधिक कर्मी शामिल रहे हैं।
    - अफ्रीकी देशों के समक्ष भारत **लोकतांत्रिक विकास का एक उपयोगी मॉडल प्रस्तुत** करता है। वस्तुतः विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत अपने लोकतांत्रिक अनुभवों को साझा करने, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली, संसदीय प्रक्रियाओं, संघीय शासन तथा विधि के शासन को सुदृढ़ करने हेतु एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अफ्रीकी सरकार के अनुरोधों पर त्वरित रूप से कार्य कर रहा है।

भारत और अफ्रीका के मध्य संबंध

- **आर्थिक:** भारत और अफ्रीका के मध्य व्यापार वर्ष 2001 के 7.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 59.9 बिलियन डॉलर (लगभग आठ गुना से अधिक) हो गया है तथा इससे भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
- इसके अतिरिक्त आगामी पांच वर्षों में इसके तीन गुना बढ़कर 150 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।
    - इस महाद्वीप में निवेश करने वाला भारत पांचवां सबसे बड़ा देश है। भारत ने विगत 26 वर्षों में 54 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

VISION IAS

- **लोगों के मध्य पारस्परिक सम्पर्क:** लोगों के पारस्परिक संपर्कों में वृद्धि हुई है, अत्यधिक संख्या में अफ्रीकी उद्यमी, चिकित्सा पर्यटक, प्रशिक्षु और छात्र भारत आ रहे हैं तथा यहाँ से भी अनेक भारतीय विशेषज्ञ एवं उद्यमी अफ्रीका की ओर प्रवास कर रहे हैं।
- **बिजनेस-टू-बिजनेस:** भारतीय उद्योग जगत अफ्रीका के कृषि-व्यवसाय, इंजीनियरिंग, निर्माण, फिल्म वितरण, सीमेंट, प्लास्टिक, मृत्तिका विनिर्माण आदि क्षेत्रों में सक्रिय है।
- **अफ्रीका को भारत द्वारा वित्तीय सहायता:** भारतीय प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग (ITEC), अखिल-अफ्रीकी ई-नेटवर्क इत्यादि जैसी विविध विकासात्मक पहलों के माध्यम से अफ्रीका को भारत द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  - ज्ञातव्य है कि कोविड-19 महामारी के कारण विश्व आज भी प्रभावित है। इस दौरान, आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक सशक्त भारत ने अफ्रीकी देशों की सहायता के लिए अपनी आर्थिक क्षमता, चिकित्सा उपकरण और औषधियों का उपयोग किया है। अफ्रीका में एच.आई.वी. और एड्स महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत में विनिर्मित दवाओं की उपलब्धता भी आवश्यक है।
- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर:** यह **भारत और जापान** के मध्य एक आर्थिक सहयोग समझौता है जो "सतत एवं नवाचारी विकास" हेतु एशिया एवं अफ्रीका के मध्य घनिष्ठ सहभागिताओं को अभिकल्पित करता है। इस समझौते के निम्नलिखित चार आधार हैं:
  - स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स, कृषि एवं कृषि-प्रसंस्करण, फार्मिंग, विनिर्माण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विकास तथा सहयोग परियोजनाएं;
  - गुणवत्तापूर्ण अवसंरचनाओं का निर्माण करना तथा संस्थाओं को परस्पर जोड़ना;
  - क्षमता एवं कौशल विकास; तथा
  - लोगों के मध्य सहभागिता
- वर्तमान में **उप-राष्ट्रीय संगठन तथा राज्य सरकारें** अफ्रीकी समकक्षों के साथ स्वतंत्र संबंधों का भी सृजन कर रही हैं। उदाहरणार्थ- केरल अपने प्रसंस्करण संयंत्रों हेतु अफ्रीकी देशों से काजू के आयात की योजना बना रहा है। वर्तमान में केरल के प्रसंस्करण संयंत्र कच्चे माल की निम्न उपलब्धता के कारण पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा हैं।

अफ्रीका में भारत की विकासात्मक पहलें

- **भारतीय प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation: ITEC),** जिसका उद्देश्य सहभागी देशों के साथ क्षमता निर्माण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा अनुभवों को साझा करने में सहयोग करना है।
- **अखिल-अफ्रीका ई-नेटवर्क:** इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। यह भारत और अफ्रीकी संघ का एक संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को उपग्रह सम्पर्क, टेली-शिक्षा, टेली-औषधि सेवाएं प्रदान कराना है।
- **अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक (AfDB) के साथ सहयोग:** भारत वर्ष 1983 में AfDB का सदस्य बना था तथा इसकी सामान्य पूँजी (general capital) में योगदान किया गया तथा अनुदान एवं ऋणों हेतु पूँजी को भी प्रतिभूत किया है।
- **विकास सहायता:** भारत ने अफ्रीकी देशों में परियोजनाओं को वित्तपोषण, क्षमता निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में सहायता के लिए 10 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की है।

अफ्रीका में भारत के समक्ष चुनौतियां

- **राजनीतिक अस्थिरता:** अनेक अफ्रीकी देशों में राजनीतिक अस्थिरता भारत के दीर्घकालिक निवेश अवसरों को प्रभावित कर सकती है। **उदाहरणार्थ- दक्षिण सूडान वर्ष 2013 से ही गृह युद्ध का सामना कर रहा है।**
- **अफ्रीका में आतंकवाद:** अफ्रीका में हाल के वर्षों में अल-कायदा तथा ISIS से जुड़े आतंकवादियों के आतंकी हमलों में असाधारण वृद्धि हुई है।
- **भारत में अफ्रीकी लोगों पर हमला:** हाल के महीनों में अफ्रीकियों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाएँ अफ्रीका में भारत की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं तथा महाद्वीप के साथ सदियों पुराने संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं।
- **समन्वय का अभाव:** भारतीय राज्य और अफ्रीका में इसके व्यवसायों के बीच समन्वय के अभाव के साथ-साथ नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में इंडिया इंक की भूमिका सीमित है। यह दोनों देशों की उन क्षमताओं को सीमित करता है, जिनका लाभ उठाया जा सकता है।
- **वित्तीय सीमाएं:**
  - **चेक बुक कूटनीति** (कूटनीतिक हितों की पूर्ति हेतु खुले तौर पर आर्थिक सहायता एवं निवेश का उपयोग करने संबंधी विदेश नीति) के संदर्भ में भारत; चीन और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता है। नाइजीरिया जैसे कुछ धनी अफ्रीकी देश

भी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के अंतर्गत भारत से उपहार प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। हालांकि, भारत बेहतर विकास हेतु संयुक्त प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है।

- **महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने** के बावजूद OECD तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से संबंधित पारम्परिक दाताओं की ओर से उपलब्ध संसाधन भी क्षीण हो रहे हैं। ज्ञातव्य है कि ये लक्ष्य भारत अफ्रीका भागीदारी को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।

- **महाद्वीप में चीन की मजबूत उपस्थिति:**
  - अफ्रीका में चीन, भारत का एक सशक्त प्रतिद्वंदी है। ज्ञातव्य है कि अफ्रीका और चीन के मध्य 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। चीन ने जिबूती में अपने पहले विदेशी सैन्य अड्डे का भी निर्माण किया है।
  - हालाँकि चीन का **आक्रामक आर्थिक दृष्टिकोण** अफ्रीका में अन्य किसी देश की तुलना में अधिक प्रभावित करने वाला कारक बन गया है। तथापि महाद्वीप में भारत की बढ़ती संलग्नता द्वारा चीन के प्रभुत्व को क्रमशः अवरुद्ध किया जा रहा है।
    - **चीन की कंपनियां स्थानीय लोगों को रोजगार** देने के स्थान पर चीन के श्रमिकों को ही नियोजित करती हैं।
    - यह भी देखा गया है कि ये कंपनियां **पर्यावरण संरक्षण** की ओर ध्यान नहीं देती हैं।
    - चीनी ऋण **कठोर शर्तों** पर दिए जाते हैं जिसमें केवल चीन की प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्य होता है।
- ये चिंताएं मुख्य रूप से सिविल सोसाइटी द्वारा व्यक्त की गई हैं। हालांकि, कई सरकारों ने चीन की उपेक्षा करना प्रारम्भ भी कर दिया है। यह भारत के लिए अपनी भागीदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

आगे की राह

भारतीय प्रधान मंत्री ने युगांडा की संसद में अपने भाषण में, न केवल अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय संबंधों, बल्कि वैश्विक स्तर पर साझेदारी के लिए एक दृष्टिकोण को रेखांकित किया। इस दृष्टिकोण के प्रमुख दिशा-निर्देशों में शामिल हैं:

- स्थानीय क्षमता निर्माण और स्थानीय अवसरों के सृजन पर ध्यान देने के साथ अफ्रीका की प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित विकास साझेदारी।
- अफ्रीका के समग्र विकास; सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार; शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण विस्तार आदि को समर्थन प्रदान करने के लिए डिजिटल क्रांति में भारत के अनुभव का दोहन करना;
- कृषि में सुधार, जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को हल करने, आतंकवाद और चरमपंथ से निपटने में सहयोग और आपसी क्षमताओं को मजबूत करने, सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने आदि हेतु साझेदारी।
- अफ्रीका को एक बार फिर से विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्वी महत्वाकांक्षाओं के रंगमंच में बदलने से रोकना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ प्रयास करना कि अफ्रीका, वहाँ के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक नर्सरी बन जाए।

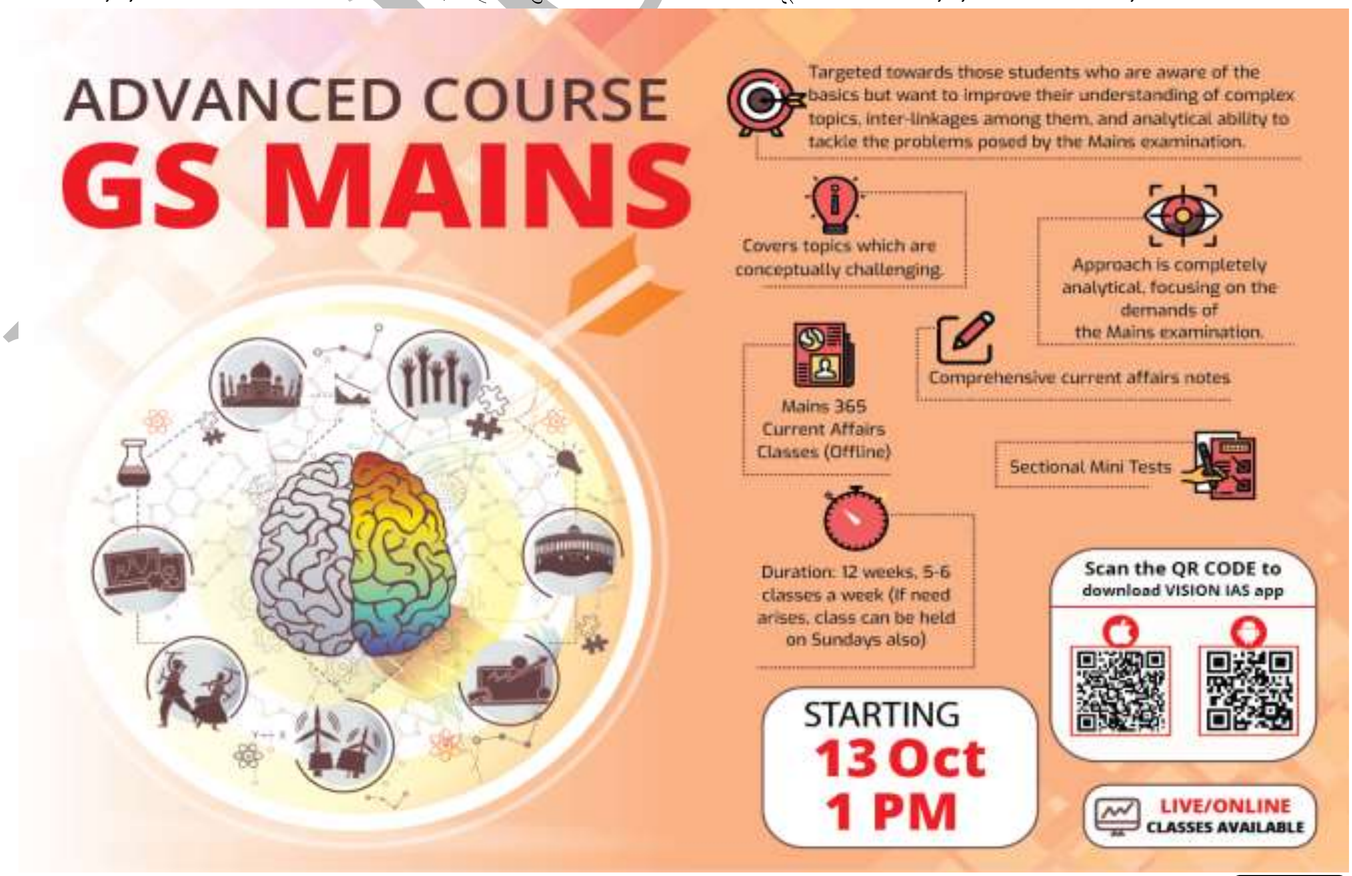

6. यूरोप (Europe)

6.1. भारत-यूरोपीय संघ संबंध (India-E.U. Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 15वें **भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन** को वर्चुअल (आभासी) माध्यम से आयोजित किया गया।

भारत-यूरोपीय संघ (European Union: EU) शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- भारत तथा EU के मध्य सहयोग को आगे बढ़ाने और संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए **'भारत-EU रणनीतिक साझेदारी: वर्ष 2025 तक के लिए एक रोडमैप' (India-EU Strategic Partnership: A Roadmap to 2025)** की शुरुआत की गई है। इस रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य साझेदारी-सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA)** पर वार्ताओं को आगे बढ़ाने तथा पारस्परिक हित से संबद्ध बहुपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए **नियमित उच्च-स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों ने अपनी सहमति प्रकट की है।**
- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबद्ध **अनुसंधान और विकास में सहयोग** पर **भारत-EURATOM (यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय /European Atomic Energy Community)** के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **संसाधन दक्षता (Resource Efficiency) और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)** पर घोषणा-पत्र के अंगीकरण, **समुद्री सुरक्षा पर संवाद आरंभ करने और वैज्ञानिक सहयोग** पर नए सिरे से समझौते को प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

इन संबंधों से जुड़ी चिंताएं

- **भारत-यूरोपीय संघ के मध्य BTIA पर मंद प्रगति:** भारत तथा EU के मध्य **"ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट एग्रीमेंट" (BTIA)** पर वर्ष 2007 से वार्ता की जा रही है, परन्तु अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ज्ञातव्य है कि BTIA में अंतर्निहित कुछ मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के मध्य असहमति विद्यमान है, जैसे कि-
    - **यूरोपीय संघ की मांगें:** ऑटोमोबाइल्स पर शुल्क में उच्च कटौती; वाइन, स्पिरिट्स आदि पर करों में कटौती और एक सुदृढ़ बौद्धिक संपदा व्यवस्था, भारत के डेटा स्थानीयकरण मानदंडों में शिथिलता, इसके सभी उत्पादों की भौगोलिक संकेतक के साथ सुरक्षा आदि।
    - **भारत की मांगें: 'डेटा सिक्योर' दर्जा** (जो भारत के IT क्षेत्रक के लिए महत्वपूर्ण है); कुशल श्रमिकों के अस्थायी आवागमन पर मानदंडों में शिथिलता, व्यापार के लिए सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी (Sanitary and Phytosanitary: SPS) तथा तकनीकी बाधाओं (Technical Barriers to Trade: TBT) से संबद्ध मानदंडों आदि में रियायत।
- **व्यापार असंतुलन:** वर्ष 2019 में यूरोपीय संघ के साथ कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1.9 प्रतिशत रही है, जो चीन (13.8 प्रतिशत) की तुलना में अत्यल्प है।
- **यूरोपीय संघ के प्रति भारत की धारणा:** भारत, यूरोपीय संघ को **मुख्य रूप से एक व्यापार ब्लॉक** के रूप में देखता है तथा यह सभी राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के लिए सदस्य राज्यों के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को प्राथमिकता देता रहा है। **यह क्षेत्रीय सुरक्षा एवं कनेक्टिविटी जैसे मामलों पर मौलिक समझौतों की कमी से स्पष्ट भी हुआ है।**
- **ब्रेक्जिट:** हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी, भारत के यूरोपीय संघ के साथ संबंध को किस प्रकार पूर्णतः प्रभावित करेगी।
- **यूरोपीय संघ की मानवाधिकार संबंधी चिंताएं:** ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लिए गए जम्मू और कश्मीर की विशेष दर्जे की समाप्ति और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम संबंधी निर्णयों की यूरोपीय संसद ने आलोचना की थी।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का अवलोकन

- **पृष्ठभूमि:**
    - भारत-यूरोपीय संघ के मध्य संबंधों की शुरुआत वर्ष 1960 के दशक के दौरान हुई थी, हालांकि भारत, **यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community)** के साथ **राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम देश** रहा है।
    - वर्ष 2000 में प्रथम **भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया था। वर्ष 2004 में, **'रणनीतिक साझेदारी' के रूप में** संबंधों को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया था।

VISION IAS

- **आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध:**
  - यूरोपीय संघ एक ब्लॉक के रूप में **भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है, जिसके साथ वर्ष 2019 में वस्तु व्यापार लगभग 80 बिलियन यूरो रहा है (कुल भारतीय व्यापार का 11.1 प्रतिशत)।
  - इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ, भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिसने वर्ष 2018 में भारत में 67.7 बिलियन यूरो का निवेश किया (कुल FDI अंतर्वाह का 22 प्रतिशत) है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:**
  - यूरोपीय संघ और भारत ने **आतंकवाद जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने तथा समुद्री सुरक्षा एवं परमाणु अप्रसार** की दिशा में अधिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कई तंत्र स्थापित किए हैं।
  - नई दिल्ली स्थित **सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (Information Fusion Centre – Indian Ocean Region: IFC-IOR)** को हाल ही में यूरोपीय नौसेना बल (NAVFOR) द्वारा स्थापित **समुद्री सुरक्षा केंद्र - हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका (Maritime Security Centre – Horn of Africa: MSC-HOA)** के साथ सयोंजित किया गया है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग:**
  - यूरोपीय संघ ने **शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने** के लिए, वर्तमान में भारत के तीन शहरों में प्रायोगिक आधार पर **मोबलाइज योर सिटी (MYC) नामक एक कार्यक्रम** प्रारंभ किया है।
  - इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने **डिजिटल संचार, 5G प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता** आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए आधिकारिक तंत्र भी स्थापित किए हैं।
- **लोगों के मध्य पारस्परिक संबंध (People to People Relations):**
  - भारत और यूरोपीय संघ द्वारा **सांस्कृतिक त्योहारों (जैसे- यूरोपालिया-भारत महोत्सव) का भी आयोजन** किया जाता रहा है तथा विरासत से जुड़े ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु भी प्रयास किए जाते रहे हैं, जैसे **योग और आयुर्वेद** आदि।
  - वर्तमान में 50,000 से अधिक भारतीय छात्र विभिन्न यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से कई यूरोपीय संघ के उच्च शिक्षा के लिए **इरास्मस मंडस छात्रवृत्ति कार्यक्रम (Erasmus Mundus scholarship programme)** के तहत अध्ययनरत हैं।
- **वर्तमान में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को आकार प्रदान करने वाले कारक:**
  - **परिवर्तित भू-राजनीतिक परिदृश्य:** जैसा कि वर्ष 2018 में जारी **"भारत पर यूरोपीय संघ की रणनीति"** के अंतर्गत दर्शाया गया है कि यूरोपीय संघ, भारत के साथ संबंधों को व्यापक भू-राजनीतिक घटनाक्रम के (मुख्य रूप से चीन के उदय के संदर्भ में) परिपेक्ष्य में देखता है। यूरोप और एशिया में चीन के प्रभाव (जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) ने यूरोपीय संघ को इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी की प्रकृति को (विशेष रूप से भारत के साथ) परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया है।
  - **हिंद महासागर में हितों का अभिसरण:** हिन्द महासागर में नौसैन्य अड्डों की बढ़ती स्पर्द्धा और सुरक्षा प्रतिस्पर्धा, यूरोप और भारत दोनों को प्रभावित करेगी, क्योंकि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह का एक मुख्य केंद्र है। भारत और यूरोपीय संघ इस क्षेत्र में संस्थानों, विधि के शासन और एक क्षेत्रीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ कर हिंद महासागर की सुरक्षा को बनाए रखने में एक-दूसरे को भागीदार के रूप में स्वीकार करते हैं।
  - **वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका से अमेरिका के पीछे हटने** और **वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के अधीन अमेरिकी नीति की अनिश्चितता** ने भारत-यूरोपीय संघ सहयोग तथा मध्य-पूर्व, मध्य एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के अवसर प्रदान किए हैं।
  - **अमेरिका और चीन के मध्य सामरिक प्रतिद्वंद्विता:** यूरोपीय संघ और भारत दोनों के द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था से बचने तथा संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन के साथ एक नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने में समान हित निहित हैं।
  - **हरित अभिशासन (Green governance):** पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर होने के उपरांत, भारत और यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा या चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे वैश्विक अभिशासन मामलों पर संयुक्त नेतृत्व प्रदान करते हुए लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं।
  - **कोविड-19 के पश्चात उभरती हुई नई वैश्विक व्यवस्था:** ज्ञातव्य है कि यूरोपीय संघ ऐसी वैश्विक आपूर्ति शृंखला को समाप्त करने हेतु प्रयासरत है, जो चीन पर अत्यधिक निर्भर है, ऐसे में भारत एक प्राकृतिक सहयोगी की भूमिका का निर्वहन कर

VISION IAS

सकता है। यूरोपीय संघ और भारत, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति अनुक्रिया में वैश्विक प्रणाली में सुधार हेतु लचीली आपूर्ति शृंखला को सुनिश्चित करने के लिए एक साझे प्रयास का अनुसरण कर सकते हैं।

आगे की राह

- अपने सामान्य मूल्यों को सामान्य कार्रवाई में परिवर्तित करने हेतु, यूरोपीय संघ और भारत **तीसरे देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं** तथा **निर्वाचन एवं संसदीय संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए** परिवर्तनकारी शासन व्यवस्था की क्षमता निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं।
- यूरोपीय संघ, **तीसरे देशों में कनेक्टिविटी और अवसंरचना परियोजनाओं के विकास** के लिए भारत के साथ सहयोग कर सकता है (विशेष रूप से दक्षिण एशिया के छोटे देशों में, जो **सत्तावादी राजनीति व राजकोषीय अस्थिरता से ग्रसित** हैं तथा जो विशेषकर चीन के ऋण एवं BRI के तहत राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित रहे हैं)।
- इस प्रकार, जैसा कि वर्ष 2018 में अपनाई गई "**भारत पर यूरोपीय संघ की रणनीति**" द्वारा रेखांकित किया गया है, भारत-यूरोपीय संघ को **अपने संबंधों को "व्यापार दृष्टिकोण" तक ही सीमित न रखते हुए इन्हें महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक व रणनीतिक अभिसरणों तक ले जाने का भी प्रयास** करना चाहिए।

6.2. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध (India-UK Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत तथा यूनाइटेड किंगडम (UK) ने **14वीं संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (Joint Economic and Trade Committee: JETCO)** की आभासी बैठक आयोजित की।

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों का संक्षिप्त विवरण

भारत-यूनाइटेड किंगडम के संबंध **भारत के औपनिवेशिक इतिहास** के साथ जुड़े हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भी दोनों देशों के मध्य परस्पर संबंध बने हुए हैं। दोनों देशों द्वारा आपसी द्विपक्षीय संबंधों को **वर्ष 2004 में रणनीतिक साझेदारी (strategic partnership)** के माध्यम से नया रूप प्रदान किया गया था। दोनों के मध्य संबंधों के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- **व्यापार तथा निवेश:**
  - भारत तथा UK के मध्य व्यापार **15.5 अरब पाउंड** तक पहुंच गया है, जिसमें से 2 अरब पाउंड का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है। UK, भारत में निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश है तथा भारत में होने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उसकी हिस्सेदारी **7%** है। इसी प्रकार, UK में निवेश करने के मामले में भारत द्वितीय सबसे बड़ा निवेशक देश है।
  - **UK में भारत की 842 कंपनियां व्यवसाय कर रही हैं।** इन कंपनियों में 1,10,000 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहें हैं।
  - इस वर्ष, दोनों पक्षों ने '**संवर्धित व्यापार साझेदारी (Enhanced Trade Partnership)**' को स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है, जो कि दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते
    (FTA) की दिशा में पहला कदम है।
- **रक्षा संबंध:**
  - भारत तथा UK के मध्य **अजेय वॉरियर** (थल सेनाओं के मध्य द्विवार्षिक युद्धाभ्यास), कोंकण (नौसेनिकों के मध्य संयुक्त वार्षिक युद्धाभ्यास) तथा **इन्द्रधनुष** (वायु सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास) जैसे युद्धाभ्यासों को आयोजित किया जाता है।
  - वर्ष 1995 से ही दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों के मध्य **द्विपक्षीय रक्षा सलाहकार समूह (Defence Consultative Group: DCG)** की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित हो रही है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:**
  - UK-भारत के मध्य अनुसंधान के क्षेत्र में संयुक्त निवेश **वर्ष 2008 के 10 लाख पाउंड से भी कम था जो कि अब 20 करोड़ पाउंड से भी अधिक हो गया है।**
  - वर्ष 2021 तक, **UK-भारत न्यूटन-भाभा कार्यक्रम** को संयुक्त अनुसंधान तथा नवाचार के लिए लगभग 40 करोड़ पाउंड उपलब्ध कराया जाएगा।

VISION IAS

- **सांस्कृतिक तथा प्रवासी संबंध:**
  - वर्ष 2017 को **"यूनाइटेड किंगडम-भारत संस्कृति वर्ष"** घोषित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार **UK में भारतीय मूल के लगभग 15 लाख लोग निवास करते हैं।** ये लोग UK की जनसंख्या के लगभग 1.8 प्रतिशत के बराबर हैं तथा UK की GDP में 6% का योगदान करते हैं।
  - वर्ष 2017 में लगभग UK के 10 लाख नागरिकों ने भारत की यात्रा की थी। UK में भारतीय संस्कृति जैसे भारतीय व्यंजनों, सिनेमा, भाषाओं, धर्म, दर्शन, निष्पादन कला, इत्यादि का मुख्यधारा में धीरे-धीरे समावेशन हो रहा है।

भारत-UK संबंधों से संबंधित समस्या

- **UK के पास भारत को हथियारों की बिक्री के लिए कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क नहीं है,** इसके लिए वह वाणिज्यिक नेतृत्व वाले लेनदेन पर निर्भर है।
- **चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में UK सक्रिय भागीदारी कर रहा** है। इससे भारत की संप्रभुता (क्योंकि BRI का कुछ हिस्सा POK से होकर गुजरता है) के समक्ष एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है।
- **लोगों में अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता की विद्यमानता, UK** के साथ घनिष्ठ संबंधों पर निर्णय लेने में भारत के नीति निर्माताओं को प्रभावित कर रही है।
- **ब्रेक्जिट (Brexit) ने** भारतीय व्यवसायों के लिए **प्रमुख समस्याएं उत्पन्न की हैं जैसे:**
  - इसके कारण राजनीतिक अनिश्चितता व अस्थिर व्यापार नीति ने भविष्य में बाजार में भागीदारी करने हेतु संशय उत्पन्न किया है।
  - भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ में अपनी सहायक कंपनियां स्थापित करने हेतु अपनी संगठनात्मक संरचना का पुनर्निर्माण करना पड़ता है।

आगे की राह

- दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से निर्धारित करना चाहिए। इस संदर्भ में **UK द्वारा वैश्विक स्तर पर** भारत की व्यापक अंतरराष्ट्रीय भूमिका तथा **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी स्थायी सदस्यता व परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता संबंधी वैश्विक महत्वाकांक्षा** का समर्थन किया जा रहा है।
- **UK द्वारा राष्ट्रमंडल** (53 देशों का समूह, जिनमें से अधिकांश पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे) देशों को ब्रेक्जिट के पश्चात् भविष्य की संभावनाओं के रूप में **देखा जा रहा है।** UK तथा भारत राष्ट्रमंडल में सामंजस्य के साथ तथा पारस्परिक लाभ के लिए कार्य कर सकते हैं।
- **UK** तथा भारत, **भारतीय महत्वाकांक्षाओं जैसे** नगरीकरण, डिजिटलीकरण व कौशल विकास **के लिए भागीदारी कर सकते** हैं। शिक्षा, विज्ञान एवं रचनात्मक उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में दोनों देशों हेतु **सहयोग की अपार संभावनाएं** व्याप्त हैं।
- भारत के लिए, ब्रेक्जिट के पश्चात् **कुशल भारतीय श्रमिकों हेतु UK में रोज़गार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे।** इसके अतिरिक्त, **भारत द्वारा UK के साथ प्रत्यक्ष रूप से मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता को परिणत किया जा सकता है,** क्योंकि भारत-यूरोपीय संघ FTA वार्ता में कई वर्षों से कोई प्रगति नहीं हुई है।

6.3. भारत-फ्रांस (India France)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पहली बार आयोजित की गई **भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता** ने भारत तथा फ्रांस के मध्य बढ़ती रणनीतिक घनिष्ठता को रेखांकित किया है।

भारत-फ्रांस संबंध के मुख्य आधार

भारत तथा फ्रांस के मध्य पारंपरिक रूप से घनिष्ठ तथा मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। वर्ष 1998 में, दोनों देशों के मध्य **रणनीतिक साझेदारी** स्थापित हुई थी। यह साझेदारी तीन मुख्य उद्देश्यों पर आधारित थी यथा- **रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग** और **असैन्य परमाणु सहयोग।** हाल के वर्षों में, दोनों देशों के मध्य संबंधों की घनिष्ठता में वृद्धि हो रही है। परस्पर सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- **हिंद महासागर में साझेदारी:** फ्रांस **प्रथम यूरोपीय देश था, जिसने हिंद-प्रशांत रणनीति का शुभारंभ किया था तथा भारत इस रणनीति में मुख्य साझेदार भी है।** इस प्रकार, भारत तथा फ्रांस द्वारा अपने द्विपक्षीय संबंधों के दायरे में विस्तार किया गया है। दोनों

VISION IAS

देश हिन्द महासागर में गहन समुद्री तथा नौसैनिक सहयोग के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- **ज्ञातव्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस का विशिष्ट हित निहित है,** क्योंकि यहाँ उसके **विदेशी क्षेत्र (रीयूनियन द्वीप और मायोटे)** अवस्थित हैं। इन क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक फ्रांसीसी नागरिक निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त, फ्रांस का 2 करोड़ 80 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) भी मौजूद है। यह हिंद महासागर की सतह के 10% से अधिक भाग पर प्रसारित है।

- **रणनीतिक घनिष्ठता:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता के आलोक में भारत के समान फ्रांस भी चिंतित है। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों को चीन की आर्थिक तथा सैन्य सहायता का विश्वसनीय विकल्प प्रदान करने के लिए साझा प्रयास करने के इच्छुक हैं। साथ ही, दोनों देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के विखंडित होने से अत्यंत चिंतित हैं और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की पुनर्स्थापना हेतु प्रयासरत भी हैं।
- **वैश्विक सहयोग:** भारत व फ्रांस जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के गठन संबंधी संयुक्त प्रयास के पश्चात्, अत्यधिक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस दिशा में, दोनों देशों ने **साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक रोडमैप** जारी किया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस द्वारा समर्थन:** फ्रांस उन देशों में से एक है, जिसने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में** भारत की **स्थायी सदस्यता** का लगातार समर्थन किया है। साथ ही, फ्रांस ने पाकिस्तान में हिंसक चरमपंथ के स्रोतों को लक्षित कर उन्हें समाप्त करने संबंधी भारतीय प्रयासों को सतत समर्थन प्रदान करने का अपना मंतव्य प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर में व्यवस्था के लिए नए नियम कार्यान्वित करने संबंधी भारत के प्रयास के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को सीमित करने में भी सहायता की है।
- **परमाणु सहयोग:** जब भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण के पश्चात् स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया था तब फ्रांस प्रथम बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र था, जिसने भारत के साथ वार्ता जारी रखी थी। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में फ्रांस ने भारत की सुरक्षा संबंधी बाध्यताओं को अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से समझा था। दोनों देशों ने वर्ष 2008 में **असैन्य परमाणु सहयोग समझौते** पर भी हस्ताक्षर किए थे।
    - वर्ष 2018 में **जैतापुर (महाराष्ट्र) में छह परमाणु संयंत्रों** के निर्माण के लिए फ्रांस तथा भारत ने **'इंडस्ट्रियल वे फारवर्ड एग्रीमेंट' (IWFA)** पर हस्ताक्षर किए थे।
- **रक्षा सहयोग:** भारत को हथियारों की आपूर्ति करने में फ्रांस महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग 1950 के दशक में आरंभ हुआ था। इस दौरान भारत ने फ्रांस से औरागन विमान को अधिग्रहित किया था। इसके उपरांत मिस्टेरे, जगुआर, **राफेल, स्कॉर्पीन पनडुब्बियों** इत्यादि की खरीद के साथ सफल रक्षा समझौते किए थे।
    - दोनों देशों ने लॉजिस्टिकल सहयोग प्राप्त करने, आधिकारिक बंदरगाह यात्राओं के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के मध्य अपूर्तियाँ व सेवाएं सुनिश्चित करने, संयुक्त अभ्यासों आदि के संबंध में पारस्परिक लॉजिस्टिक्स सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 1960 के दशक से ही फ्रांस के साथ **अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग** जारी है, जब फ्रांस ने भारत की श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट की स्थापना में सहयोग किया था। इसके पश्चात द्रव इंजन के विकास और पेलोड प्रेक्षपण में भी सहायता की है। वर्तमान में परिचालित अन्य परियोजनाओं में पारितंत्र दबाव व जल उपयोग निगरानी हेतु तृष्णा (TRISHNA) नामक संयुक्त उपग्रह मिशन एवं साथ ही भारत के ओशनसैट-3 (OCEANSAT-3) उपग्रह में फ्रांस के उपकरणों का उपयोग करना भी शामिल है।
- **आतंक-रोधी:** फ्रांस की मुख्य भूमि में उत्पन्न हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमलों ने **खुफ़िया जानकारी साझा करने तथा कट्टरपंथ को समाप्त करने की रणनीतियों** दोनों के संदर्भ में आतंक-रोधी सहयोग के लिए काफी संभावनाएं प्रकट की हैं।
    - शहरी नियोजन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के साथ फ्रांस **स्मार्ट शहर मिशन** में भी भारत की सहायता कर रहा है। ऐसे तीन स्मार्ट शहर **चंडीगढ़, नागपुर तथा पुडुचेरी** हैं।

आगे की राह

- भले ही उपर्युक्त क्षेत्रों ने परस्पर भागीदारी के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया हो, परन्तु अभी भी यह मुख्य रूप से दोनों देशों की **सरकार से सरकार के मध्य** ही बना हुआ है।
- हाल के वर्षों में, यह स्पष्ट हुआ है कि व्यापक साझेदारी के लिए दोनों देशों के व्यावसायियों तथा लोगों के मध्य संबंधों में घनिष्ठता लाना आवश्यक है। हालांकि, भारत तथा फ्रांस के मध्य व्यापार में वृद्धि हो रही है, तथापि ये दोनों देश अपनी वास्तविक संभावनाओं का दोहन नहीं कर पाए हैं।

VISION IAS

- अनुमानों के अनुसार फ्रांस, यूरोप के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन सकता है। फ्रांस, एशिया में भारत को फ्रांस का प्रथम रणनीतिक साझेदार बनाने का अभिलाषी है।
- चीन के उद्भव के साथ-साथ, पश्चिमी देश आंतरिक समस्याओं तथा रूस की प्रतिद्वंद्विता का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी की "अमेरिका फ़र्स्ट" नीति तथा वैश्वीकरण के बढ़ते खतरों से वैश्विक भू-राजनीति के आधारभूत सिद्धांतों में तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परिवेश में एक **नियम-आधारित बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता के साथ मध्यम शक्तियों वाले देशों के गठबंधन** को विकसित करना फ्रांस तथा भारत के हित में होगा।

6.4. भारत-जर्मनी संबंध (India-Germany)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ द्विवार्षिक **अंतर-सरकारी परामर्श** (IGC) के पांचवें दौर की वार्ता के लिए भारत की यात्रा की गई।

भारत-जर्मनी संबंधों का अवलोकन

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:**
  - वर्ष 2017-18 में 21.98 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ जर्मनी, यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा था।
  - "मेक इन इंडिया मित्तलस्टैंड" (MIIM) कार्यक्रम का लक्ष्य जर्मन SMEs द्वारा भारत में निवेश की सुविधा प्रदान करना है। 135 से अधिक जर्मन मित्तलस्टैंड (Mittelstand) और परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों (SMEs) द्वारा 1.2 बिलियन यूरो से अधिक के निवेश की घोषणा की गई है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:**
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए जर्मनी सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारों में से एक है। भारत एवं जर्मनी के मध्य "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग के विशिष्ट अवसरों की पहचान करने के लिए **उच्च प्रौद्योगिकी भागीदारी समूह (HTPG)** को स्थापित किया गया है।
  - संयुक्त रूप से वित्त पोषित "इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर" की स्थापना वर्ष 2008 में गुड़गांव में प्रत्येक पक्ष द्वारा 1 मिलियन के वार्षिक योगदान के साथ की गई थी।
- **सांस्कृतिक संबंध:**
  - जर्मनी में भारतीय मूल के लगभग 1,69,000 लोग निवास करते हैं (वर्ष 2017 के आंकड़े), जिनमें जर्मन और भारतीय दोनों पासपोर्ट धारक शामिल हैं।
  - वर्ष 2015 के समझौते के अनुसार जर्मन शिक्षण संस्थानों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **वैश्विक सहयोग:**
  - G-4 के ढांचे के भीतर जर्मनी और भारत, **UNSC में विस्तार के मुद्दे पर सहयोग कर** रहे हैं।
  - जर्मनी, NSG की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:**
  - भारत-जर्मनी रक्षा सहयोग समझौते पर वर्ष 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे। जर्मनी ने सैन्य उपकरणों के निर्यात के साथ-साथ भारत के साथ प्रौद्योगिकी साझाकरण को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया है।

दोनों देशों के मध्य संबंधों में हालिया सुधार के कारण

हाल ही में, एंजेला मर्केल की भारत यात्रा से पूर्व जर्मनी की संसद द्वारा भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह जर्मनी के व्यापक भू-राजनीतिक दृष्टि से भारत के महत्व को दर्शाता है। इसके कारण निम्नलिखित हैं:

- यूरोप का एक अग्रणी राष्ट्र होने के नाते, जर्मनी को अपने पड़ोसी देशों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों में व्याप्त अनिश्चितताओं (यथा- आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा) से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस पर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने और वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने में अधिक योगदान देने के कारण दबाव बना हुआ है।

VISION IAS

- अमेरिकी सुरक्षा नीतियों की मौजूदा अप्रत्याशितताओं एवं चीन-रूस राजनीतिक धुरी की बढ़ती आक्रामकता के कारण जर्मनी, यूरो-अटलांटिक क्षेत्र से परे अपनी वैश्विक भागीदारी को विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए संभावित रणनीतिक साझेदारों की इसकी सूची में भारत अनिवार्य रूप से शीर्ष पर है।
- उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्मुख चीन द्वारा प्रस्तुत खतरे के प्रति जर्मनी की चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसमें चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी शामिल है। जर्मनी, हिंद महासागर में चीन के विस्तार पर गंभीरता से निगरानी कर रहा है। इस संदर्भ में, भारत के साथ रणनीतिक सहयोग आवश्यक है।
- भारत भी, यूरोप के साथ लंबे समय तक विद्यमान रणनीतिक उदासीनता को समाप्त कर रहा है तथा यूरोप के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में, जर्मनी के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का आशय **केवल जर्मनी के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना नहीं है।** इसका आशय समग्र रूप से जर्मनी के नेतृत्व वाले यूरोपीय संघ के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना है।
- हालिया वार्ता में, अतीत के विपरीत, भारत-जर्मन चर्चाओं का **एक प्रमुख विषय रक्षा और सुरक्षा रहा है।**

निष्कर्ष

ब्रेक्जिट के साथ, यूरोप के कायाकल्प की प्रक्रिया में जर्मनी की केंद्रीय भूमिका का विस्तार हुआ है और इसलिए यह आवश्यक है कि जर्मनी के साथ हमारी सुदृढ़ भागीदारी हो। आर्थिक, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में दोनों के मध्य संपूरकता **'दोनों हेतु लाभप्रद (विन-विन) स्थिति'** का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथ ही, भारतीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि तकनीकी और आर्थिक रूप से समृद्ध जर्मनी जैसा देश वर्ष 2022 तक 'नए भारत' के निर्माण के मार्ग में उपयोगी सिद्ध होगा।

6.5. ब्रेक्जिट: यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपीय संघ का परित्याग (BREXIT: UK Leaves the European Union)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम (UK) ने 47 वर्ष की सदस्यता के उपरांत आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ (EU) का परित्याग कर दिया है। इस घटना को **ब्रेक्जिट (BREXIT अर्थात् ब्रिटिश एग्जिट)** की संज्ञा दी गयी है।

ब्रेक्जिट के उपरांत ब्रिटेन की प्रस्तावित नई आप्रवास नीति

- ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की है कि वह मुक्त आवागमन को समाप्त कर रही है और उच्च कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने वाली एक दृढ़ एवं निष्पक्ष अंक-आधारित प्रणाली लाने हेतु एक आप्रवासन विधेयक (Immigration Bill) संसद में प्रस्तुत करेगी।

यूरोपीय संघ के लिए ब्रेक्जिट के परिणाम

- **भावी विघटन को बढ़ावा:** ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान संपूर्ण यूरोप में आव्रजन का विरोध करने वाले दलों को मजबूत कर सकता है। इस स्थिति का उपयोग वे अपने देशों में यूरोपीय संघ विरोधी भावना को प्रोत्साहित करने में कर सकते हैं।
- **यूरोजोन:** ब्रेक्जिट के परिणामस्वरूप **'यूरो'** (यूरोपीय संघ की मुद्रा) में मूल्यह्रास संबधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, दीर्घकाल में, यूरोपीय संघ में आर्थिक और वित्तीय नीतियों के संचालन की दिशा में यूरोज़ोन को अधिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी।
- **संरक्षणवाद:** अब ब्रिटेन के वार्षिक योगदान के बिना यूरोपीय संघ के बजट का निर्धारण किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप अधिक राजकोषीय संरक्षणवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** ब्रेक्जिट, सीमा-पार संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने की यूरोपीय संघ की क्षमता को प्रभावित करेगा। हालांकि, ब्रिटेन के साथ नए समन्वय और सहयोग तंत्र स्थापित कर इस समस्या को दूर किया जा सकता है।
- **यूरोपीय संघ की प्रतिष्ठा:** ब्रेक्सिट, यूरोपीय संघ की वैश्विक तथा सॉफ्ट पॉवर की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। साथ ही, यह समकालीन वैश्विक व्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन क्षमता को भी बाधित करेगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **अनिश्चितता:** इसके वैश्विक प्रभाव का पूर्वानुमान कर पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण प्रक्रिया को भी बाधित कर सकता है।

VISION IAS

- **सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को प्राथमिकता:** निवेशकों द्वारा स्टॉक (शेयर) जैसी जोखिम युक्त परिसंपत्तियों के विक्रय को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, वे सुरक्षा के लिए सरकारी बॉण्ड्स में निवेश हेतु उन्मुख हो सकते हैं।

यूरोपीय संघ (European Union: EU)

- यह एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है, जिसमें **27 यूरोपीय देश** सम्मिलित हैं।
- यह यूरोपीय लोगों को अपनी इच्छानुसार किसी भी सदस्य देश में निवास करने, व्यापार करने और कार्य करने हेतु मुक्त व्यापार तथा मुक्त आवागमन की अनुमति प्रदान करता है।

- **लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50** में सदस्य देशों द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता त्यागने का प्रावधान किया गया है।
    - कोई भी सदस्य देश जो यूरोपीय संघ का परित्याग करना चाहता है, तो उसे इस हेतु यूरोपीय संघ के साथ एक **व्यवस्थापन समझौते (settlement deal)** पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है।
- इसकी अपनी मुद्रा **यूरो** है, जिसका उपयोग इसके 19 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। इसकी स्वयं की एक संसद और अन्य संस्थाएं हैं।
- ब्रिटेन वर्ष 1973 में इस संघ में सम्मिलित हुआ था।

भारत पर प्रभाव

प्रमुख अवसर

- **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement: FTA):** भारत, ब्रेक्जिट के उपरांत ब्रिटेन व यूरोपीय संघ के साथ FTA पर वार्ता प्रारंभ कर सकता है।
    - EU और भारत वर्ष 2007 से ही FTA पर वार्ता कर रहे हैं। EU और भारत के मध्य बढ़ते व्यापार के बावजूद, वर्ष 2013 में यह वार्ता स्थगित हो गयी थी तथा वर्ष 2018 में यह वार्ता पुनः प्रारंभ हुई।
    - UK-भारत FTA से लाभान्वित होने वाले संभावित क्षेत्रों में वस्त्र, मशीनरी, इंजीनियरिंग वस्तुएं, सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग सम्मिलित हैं।
- **भारतीय श्रम की मांग:** भारत की कुशल कामकाजी-आयु की जनसंख्या का उच्च अनुपात और उच्च वृद्धि दर UK को विशेष रूप से आकर्षित करेगा।
- **सेवा क्षेत्र:** नवाचार और हाई एंड उत्पादों पर भारत द्वारा अधिक बल दिया जा रहा है। अत: भारत UK के लिए उच्च तकनीकी निर्यात के प्रमुख स्रोत के रूप में उभर सकता है।
- **सुगम बाजार पहुंच:** भारत UK हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि कई भारतीय फर्मों ने यूरोप में प्रवेश हेतु इसका उपयोग किया है।
    - चूंकि, UK यूरोपीय संघ से अब बाहर निकल रहा है, अतः वह भारतीय फर्मों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रस्तुत कर सकता है, जैसे- टैक्स ब्रेक (रियायत), सरल विनियम, बाजार पहुँच आदि।
- **सस्ता आयात:** यह आशंका व्यक्त की गयी है कि आने वाले समय में UK की मुद्रा कमजोर होगी। इससे भारतीय कंपनियों को UK में अवस्थित अपनी सहायक कंपनियों से आयात करना अल्प व्ययसाध्य होगा।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **राजनीतिक जोखिम:** ब्रेक्जिट से क्षेत्रीय अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है और परिवर्तित गत्यात्मकताएं (dynamics) संभावित रूप से एशिया और भारत तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संवृद्धि का प्रभाव:** भारत वैश्विक और क्षेत्रीय संवृद्धि के प्रभाव से पृथक नहीं रह सकता है। ब्रेक्जिट के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला कोई भी वैश्विक स्लोडाउन निर्यात और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **दोहरी वार्ता:** द्विपक्षीय निवेश के मुद्दे पर EU के साथ पहले से ही भारत की FTA वार्ता में एक गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में ब्रेक्जिट के उपरांत EU के साथ इस पर पुनः समझौता वार्ता करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त, UK के साथ भी एक पृथक व्यापार वार्ता का आयोजन करना पड़ सकता है।
- **मुद्रा का कमजोर होना और गंभीर जोखिम:** यद्यपि भारतीय रुपया मुख्यतया डॉलर के सापेक्ष अस्थिर रहा है तथापि मुद्रा को पूर्णतया स्थिर नहीं किया जा सकता। अत: आवश्यकतानुसार RBI के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- भारत द्वारा EU और UK दोनों के साथ FTA पर अपनी वार्ताओं को शीघ्रतापूर्वक संपादित किया जाना चाहिए।
- यूरोपीय संघ के बाजार तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने हेतु भारत को अन्य यूरोपीय देशों, जैसे- जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि के साथ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए।
- इस क्षेत्र के प्रति भारतीय नीति को क्षेत्र के डी-हाईफनेशन (ऐसी विदेश नीति जिसमें दो विपक्षी देशों के साथ एक ही समय में स्वंतत्र वैदेशिक संबंध रखे जाते हैं) परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आकार प्रदान करना चाहिए।

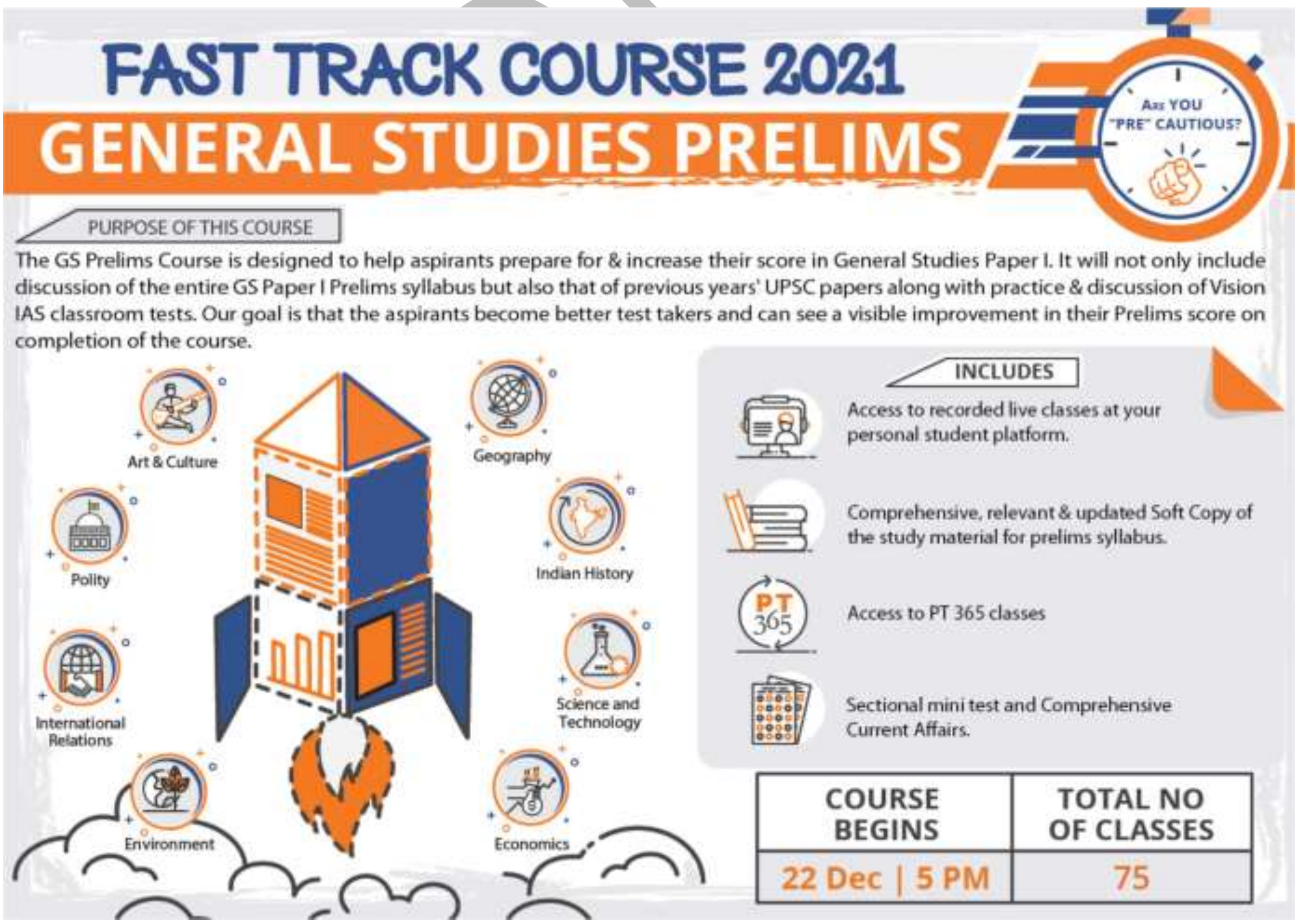

7. रूस (Russia)

7.1. भारत-रूस (India-Russia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

20वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित की गयी।

भारत-रूस संबंधों की पृष्ठभूमि

- भारत और रूस के मध्य 1947 से ही बेहतर संबंध रहे हैं। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने **शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि** पर हस्ताक्षर किए थे। यह दोनों देशों के साझा लक्ष्यों की अभिव्यक्ति थी। इसके साथ ही यह क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) भी थी।
- **सोवियत संघ के विघटन के बाद** दोनों देशों द्वारा जनवरी 1993 में **शांति, मैत्री एवं सहयोग की एक नई संधि** को अपनाया गया था। तत्पश्चात 1994 में द्विपक्षीय सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।वर्ष 2000 में दोनों देशों ने एक **रणनीतिक साझेदारी** आरम्भ की।

भारत-रूस संबंधों का आधार

- **रक्षा साझेदारी:** रूस भारत की सुरक्षा नीति का **मुख्य आधार रहा** है। रक्षा संबंध दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख पहलू है जो **तीन विशेषताओं** यथा - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; संयुक्त विकास; उपकरणों की मार्केटिंग एवं बिक्री तथा निर्यात पर निर्भर करता है। भारत का **किसी भी अन्य देश के साथ ऐसा समझौता नहीं है**। इस व्यवस्था के फलस्वरूप भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
  - **प्रमुख रक्षा सहयोग कार्यक्रम:** ब्रह्मोस (BrahMos) क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, सुखोई एसयू-30 एवं सामरिक परिवहन विमान।
- **आर्थिक संबंध:** यद्यपि यह संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है किन्तु अभी भी इसमें सुधार की अत्यधिक संभावना है। भारत एवं रूस द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक संभव प्रयास करने में संलग्न हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** ऊर्जा क्षेत्रक के अंतर्गत रूस ने भारत में परमाणु रिएक्टरों (कुडनकुलम रिएक्टर) का निर्माण किया है**।** इसके अतिरिक्त, रूस द्वारा ऊर्जा सुरक्षा हेतु रणनीतिक दृष्टिकोण को अपनाकर तेल और गैस का निर्यात किया गया है**।** इसके साथ ही रूस द्वारा अपने ईंधन क्षेत्रक में निवेश संबंधी अवसर प्रदान करना जैसे - सखालिन-I इत्यादि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं**।**
  - हालांकि, दोनों देशों द्वारा अन्य देशों को असैन्य परमाणु सहयोग प्रदान किया जा रहा है, उदाहरण के लिए- बांग्लादेश।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विगत चार दशकों से भारत एवं रूस के मध्य सुदृढ़ संबंध स्थापित हुए हैं। पूर्व सोवियत संघ द्वारा भारत के दो उपग्रहों, यथा- आर्यभट्ट एवं भास्कर का प्रक्षेपण किया गया था। रूस ने भारत को भारी रॉकेटों के निर्माण हेतु क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी भी प्रदान की है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन:** रूस ने भारत की UNSC की स्थायी सदस्यता की दावेदारी और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की प्रविष्टि का समर्थन किया है। दोनों देश BRICS, SCO, G-20 आदि सहित विभिन्न मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध:** यह दोनों देशों के मध्य सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोगों के मध्य परस्पर (पीपल-टू-पीपल) संबंधों ('नमस्ते रूस' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से) से लेकर शैक्षणिक प्रतिभाओं के साझाकरण (जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र जैसे संस्थानों के माध्यम से) द्वारा दोनों देशों के मध्य सुदृढ़ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए हैं।

संबंधों में शिथिलता के कारण

भारत-रूस संबंध घनिष्ठ रहे हैं, परन्तु अब इन संबंधों में भारत-सोवियत संबंधों जैसी गहनता समाप्त हो चुकी है। हाल ही में भारत-रूस संबंधों में एक स्पष्ट शिथिलता आई है।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती निकटता:** भारत और अमेरिका के मध्य विस्तृत होते संबंध एवं बढ़ता रक्षा सहयोग तथा भारत के अमरीकी नेतृत्व वाले चतुष्पक्षीय समूह (quadrilateral group) में शामिल होने के कारण रूस ने भारत के प्रति अपनी विदेश नीति में रणनीतिक परिवर्तन किये हैं। रूस हेतु यह पश्चिम के साथ अत्यधिक शत्रुतापूर्ण संबंधों का काल रहा है, इस प्रकार यह रूस को चीन के साथ संबंध स्थापित करने हेतु प्रेरित करता है।

VISION IAS

- **रक्षा साझेदारी:**
    - हाल ही में भारत ने अमेरिका, इज़राइल इत्यादि देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को विस्तारित किया है। भारतीय रक्षा आयातों में रूस का भाग **2008-2012 के 79 प्रतिशत से घटकर 2013-2017 की अवधि में 62 प्रतिशत रह गया है।**
    - भारत ने **अमेरिका के साथ LEMOA, LSA जैसे लॉजिस्टिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए** हैं। भारत-अमेरिका के मध्य समझौतों एवं सैन्य अभ्यासों के फलस्वरूप दोनों देशों की सेनाओं के मध्य अंतःक्रियाशीलता में वृद्धि हुई है। भारत-रूस संबंधों में इस पहलू का अभाव रहा है।
- **एक-आयामी व्यापार:**
    - दोनों देशों के मध्य होने वाला व्यापार एक-आयामी अर्थात् रक्षा आधारित ही रहा है। विगत वर्ष में 42 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, 2017-18 में व्यापार की मात्रा केवल 10.7 बिलियन डॉलर के स्तर पर ही पहुँच सकी। जबकि इसकी तुलना में भारत द्वारा चीन (89.7 बिलियन डॉलर), संयुक्त राज्य अमेरिका (74.5 बिलियन डॉलर) तथा जर्मनी (22 बिलियन डॉलर) आदि देशों के साथ किए गए व्यापार की मात्रा अधिक है।
    - भारत-रूस **व्यापार में अवरोध उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक** - दोनों के मध्य कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे, दूरी, कमजोर बैंकिंग संबंध, दोनों ओर जटिल और समयसाध्य विनियम तथा रूस की प्रतिबंधात्मक वीज़ा प्रणाली।
- **रूस की विदेश नीति में परिवर्तन:**
    - **पाकिस्तान की ओर:** वर्ष 2014 में रूस ने पाकिस्तान के ऊपर से हथियारों के विक्रय संबंधी प्रतिबंध को हटा दिया था। रूस और पाकिस्तान ने सितंबर 2016 में एक सैन्य अभ्यास का संचालन किया था। वर्ष 2017 में, एक **सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते** पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जो हथियारों की आपूर्ति एवं हथियारों के विकास से संबंधित था। ज्ञातव्य है कि इन सभी कारकों ने भारत की चिंताओं में वृद्धि की है।
    - **चीन की ओर:** रूस एवं चीन के मध्य सामरिक सैन्य संबंधों में वृद्धि ने भारत-रूस संबंधों को प्रभावित किया है। रूस ने बीजिंग को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी का विक्रय किया है, चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल का समर्थन किया है तथा भारत से इस पहल से संबंधित अपनी आपत्तियों को समाप्त करने का आग्रह भी किया है। BRICS जैसे मंचों पर बीजिंग की ओर मास्को के झुकाव के संबंध में भी चिंता व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त, चीन और रूस द्वारा दोनों देशों के मध्य प्रथम सीमा-पार पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत रूस के सुदूर-पूर्वी क्षेत्रों से चीन को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसे "पावर ऑफ़ साइबेरिया" (Power of Siberia) की संज्ञा दी गई है। यह इन दो देशों के मध्य बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।
    - **तालिबान की ओर:** रूस, अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के प्रति भी अपना झुकाव प्रदर्शित कर रहा है, जबकि भारत ने इस समूह के संबंध में निरंतर अपनी चिंताएं प्रकट की हैं।

संबंधों में व्याप्त कटुता के निवारण हेतु किए गए उपाय

- **सोची (Sochi) अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 2018:** दोनों देशों के मध्य सामरिक साझेदारी को **"विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी"** (special privileged strategic partnership) के रूप में प्रमुखता प्रदान की गई है।
- **रक्षा संबंध को पुन:सुदृढ़ करना:** रक्षा संबंधों को पुनर्स्थापित करने हेतु हाल ही में किए गए उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
    - दोनों देशों ने **S-400 वायु रक्षा प्रणाली** और **परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी (चक्र III)** की खरीद तथा मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत भारत में **Ka-226 हेलिकॉप्टर** के विनिर्माण हेतु समझौते किए हैं।
    - **भारत और रूस के सशस्त्र बलों के मध्य प्रथम ट्राइ-सर्विसेज एक्सरसाइज (त्रयी-सेवा अभ्यास) इंद्र-2017 (INDRA-2017)** का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत संयुक्त रूप से त्रयी-सेवा अभ्यास का आयोजन करता है।
- **व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना:**
    - वर्ष 2017 में **दोनों देशों के मध्य व्यापार** में 20% की वृद्धि दर्ज की गई थी। दोनों देशों ने अपने निवेश को वर्ष 2025 तक 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों देश अन्य देशों में रेलवे, ऊर्जा एवं अन्य क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने हेतु सहमत हुए हैं।
    - भारत **पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum)** की बैठक (वर्ष 2020) में भी सम्मिलित हुआ था। यह रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष रूस में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। साथ ही, इस क्षेत्र के विकास के लिए भारत द्वारा 1 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट भी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री मार्ग के विकास पर भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

VISION IAS

- भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (Eurasian Economic Union: EEU) के मध्य मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर सहमति प्रदान करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं।

- **ऊर्जा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करना:**
  - इसके तहत आर्कटिक मग्नतट सहित **रूस में तेल के विकास में सहयोग** तथा पेचोरा (Pechora) और ओखोटस्क (Okhotsk) समुद्री मग्नतटों पर परियोजनाओं के संयुक्त विकास को बढ़ावा देना शामिल है। उदाहरणार्थ- रूस में वानकॉर्नेफ्ट और तास-युर्याख (Taas-Yuryakh) तथा एस्सार आयल कैपिटल में PJSC रॉसनेफ्ट तेल कंपनी की भागीदारी।
  - इसके अलावा, भारत ने **साइबर अपराध पर एक पृथक अभिसमय** की स्थापना हेतु रूस के नेतृत्व में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया है।

आगे की राह

विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते मतभेदों के बावजूद, दोनों पक्ष परिवर्तित व अनिश्चित वैश्विक परिवेश में एक-दूसरे के महत्व को समझते हैं। प्राय: उपेक्षित समझे जाने वाले रूस के **सुदूर पूर्व क्षेत्र में निवेश,** सोवियत युग के पश्चात् रूस पुनः उदय की ओर संकेत करता है। यह हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में रूस को अपने रणनीतिक भागीदार के रूप में शामिल करने की भारत की इच्छा को भी रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से, भारतीय प्रधान मंत्री और रूसी राष्ट्रपति ने कई बार वार्ताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। साथ ही, भारतीय रक्षा मंत्री ने भी रूस की 'विजय दिवस' परेड के लिए रूस की यात्रा की थी। यह महामारी के दौरान भारत द्वारा की जाने वाली किसी भी देश के लिए पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। इसके अतिरिक्त, काउन्टरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट (CAATSA) के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों के बावजूद, भारत S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के खरीद पर प्रतिबद्ध रहा है। इन सभी तथ्यों से ज्ञात होता है, कि दोनों के संबंध एक मजबूत प्रक्षेप पथ की ओर अग्रसर हैं।

न्यूज़ टुडे

- 2 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

8. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

8.1. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका (India-USA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के द्वितीय संस्करण को वाशिंगटन डी.सी. (संयुक्त राज्य अमेरिका) में आयोजित किया गया।

भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों की पृष्ठभूमि

21वीं सदी में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पारस्परिक संबंधों में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2008 के असैन्य परमाणु समझौते के माध्यम से इसे एक ठोस रूप प्रदान किया गया था। 'उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण' (LPG) से संबंधित सुधार, चीन का उदय, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय समुदाय के बढ़ते प्रभाव सहित विभिन्न कारक भारत-अमेरिका संबंधों में हुए परिवर्तन हेतु उत्तरदायी हैं। साथ ही, लोकतंत्र के साझा मूल्य, विधि का शासन, मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता इन दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करने में सहयोग करते हैं। दोनों देशों के मध्य बढ़ती भागीदारी और हाल ही में हुए विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं:

- **अर्थव्यवस्था:** संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है तथा अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्प्रवाह 50 बिलियन डॉलर से अधिक रही है। हालांकि भारतीय और अमेरिकी वार्ताकार व्यापार समझौते को अंतिम स्वरुप प्रदान करने में विफल रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने भावी समझौतों को अंतिम स्वरुप प्रदान करने हेतु एक विधिक संरचना के निर्माण पर प्रतिबद्धता जाहिर की है जो व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का एक प्रथम चरण हो सकता है।
- **ऊर्जा सहयोग:** अमेरिका तथा भारत द्वारा वर्ष 2018 में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने तथा रणनीतिक संरेखण को सुदृढ़ता प्रदान करने आदि के लिए एक रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया था।
    - **न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी** विशेषकर छह नाभिकीय रिएक्टरों के निर्माण हेतु तकनीकी-व्यावसायिक प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप प्रदान प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत हैं।
    - इसके अतिरिक्त, भारत ने हाल के वर्षों मे **अमेरिका के साथ कच्चे तेल और तरल प्राकृतिक गैस (LNG) के आयात को प्रारम्भ कर दिया है** जिसके तहत तहत कुल आयात शून्य से बढ़कर 6.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में साझेदारी:** यह दोनों देशों के मध्य स्थापित साझेदारियों के सुदृढ़ स्तंभों में से एक है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 के दौरान, शिक्षा एवं शोध जगत से जुड़े भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त अनुसंधान (कोविड-19 से संबंधित) हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए **भारत-अमेरिकी वर्चुअल नेटवर्क स्थापित किया गया था।**
    - दोनों देश, नासा और इसरो के संयुक्त मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जिसे वर्ष 2022 में लांच किया जाएगा। यह विश्व का पहला दोहरी आवृत्ति वाला सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है।
- **वैश्विक साझेदारी:**
    - यह दोनों देशों के बीच **साझेदारी की सर्वाधिक निर्धारक विशेषता रही है।** दोनों ही देश **चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue: Quad)** का हिस्सा हैं और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, G-20 जैसे फोरमों पर एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। साथ ही अमेरिका ने G-7 में भारत के एकीकरण के लिए इच्छा व्यक्त की है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में और उसके बाहर **चीन की बढ़ती आक्रामकता की** पृष्ठभूमि में इन साझेदारियों को स्थापित किया गया है, जिसे अमेरिका और भारत उभयनिष्ठ रणनीतिक चुनौती के रूप में देखते हैं।
    - **'वैश्विक अवसंरचना के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय मानक'** को बढ़ावा देने हेतु भारत तथा अमेरिका एवं अन्य देशों द्वारा **ब्लू डॉट नेटवर्क** प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। यह एक **संपूर्ण बोर्डव्यापी प्रमाणन प्रक्रिया (across-the-board certification process)** है जिसका उद्देश्य सरकारों, निजी क्षेत्रक और नागरिक समाज को एकजुट करना है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जाता है।
- **प्रवासी वर्ग और लोगों से लोगों का संबंध:** अमेरिका में भारतीय प्रवासी वर्ग की संख्या लगभग 4.5 मिलियन है जो इसकी जनसंख्या का लगभग 1% है। भारतीय प्रवासी वर्ग को **सॉफ्ट पावर के एक स्रोत और कारक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है,** जो प्रभावी पब्लिक डिप्लोमेसी के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। इसे इसके कार्यों, लोकाचार, अनुशासन, गैर-हस्तक्षेप और स्थानीय लोगों के साथ शांतिपूर्ण जीवन के लिए महत्ता भी प्रदान की जाती है।

VISION IAS

भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में टकराव

- **संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार से संबंधित लेन-देन प्रणाली:** यह प्रणाली **ट्रम्प के शासन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की नीतियों में परिलक्षित हुई है,** जैसे कि अमेरिका द्वारा भारत को विकासशील देशों की अपनी सूची से हटाना और सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalised System of Preferences: GSP) की अपनी योजना के अंतर्गत भारत को लाभार्थी-विकासशील देशों की सूची से निकालना।
- **प्रशुल्क युद्ध (टैरिफ वॉर):** वर्ष 2018 के बाद से दोनों देशों के मध्य प्रशुल्क गतिरोध से संबंधित अनेक स्थितियां उत्पन्न हुईं हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2018 में अमेरिका द्वारा भारत सहित विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले इस्पात पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% का अतिरिक्त प्रशुल्क आरोपित किया गया था। भारत द्वारा **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों पर 20% प्रशुल्क को हटाने से इनकार किए जाने के कारण** भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते में विलंब हुआ जो अभी भी लंबित है।
- **विश्व व्यापार संगठन से जुड़े विवाद:** भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व व्यापार संगठन के विवादों में संलग्न रहे हैं, जैसे कि भारत द्वारा चिकित्सा उपकरणों के मूल्यों पर ऊपरी सीमा अधिरोपित करना, अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार की अधिक से अधिक उपलब्धता का मुद्दा आदि।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** भारत को अमेरिका की "प्राथमिकता निगरानी सूची" में शामिल किया गया है जो **अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकारों के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करने वाले देशों को** चिन्हित करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका चाहता है कि भारत पेटेंट विनियमों को मजबूत करे, और भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए सीमाओं को उदार बनाए जाएं।
- **H1बी वीजा:** अमेरिका ने "अमेरिकी खरीद और अमेरिकी लोगों की नियुक्ति" (Buy American and Hire American) के अपने कार्यकारी आदेश के अंतर्गत H1बी बीजा पर प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। H-4 वीजा भी अत्यधिक सीमित स्तर पर जारी किए गए हैं।
- **पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की उदारवादी नीति:** अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का संबंध "बेहतर स्थिति" में है और वर्ष 2019 में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम (International Military Education and Training Programme: IMET) को पुन: प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है, जो वर्षों तक अमेरिका-पाकिस्तान सैन्य सहयोग की दिशा में एक केंद्रीय स्तंभ/प्रमुख आधार रहा था।
- **ईरान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य तनाव:** संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा CAATSA अधिनियम के माध्यम से भारत में रूसी और ईरानी आयातों पर एकपक्षीय प्रतिबंधों का आरोपण, ईरान तथा रूस के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करेगा।
- **अफ़ग़ानिस्तान के हित बाधित हो सकते हैं:** अफगान शांति समझौते की पृष्ठभूमि में, यदि अमेरिका अपनी सेनाओं को अफ़ग़ानिस्तान हटा लेता है, तो इससे **अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलेगा,** जिसका अर्थ है कि अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ जाएगा।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संबंध में रणनीतिक दृष्टिकोण:** जहाँ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति चीन के उदय को सीमित करने वाली रही है, वहीं भारत एक स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Free, Open, and Inclusive Indo-Pacific: FOIIP) नीति का अनुसरण करता है। यह अमेरिका के मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत (Free and Open Indo-Pacific: FOIP) क्षेत्र की नीति से भिन्न है।

आगे की राह

- कुछ क्षेत्रों में भिन्नता/अंतराल होने पर भी भारत-अमरीका संबंधों में बढ़ोतरी **द्विपक्षीय संबंधों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता** पर बल देता है। इससे यह प्रतीत होता है कि द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण न केवल शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वों के बीच किए जाएं, अपितु रूपरेखाओं की अभिकल्पना भी इस प्रकार हो कि जिससे दोनों देशों के बीच हितों का अधिकतम अभिसरण संभव हो सके।
- परिवर्तित होती भू-राजनीति और **चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए** भारत-अमरीका के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अतः इन संबंधों की प्रकृति द्विपक्षीय है। जिस प्रकार डोकलाम में हुए और हाल ही में हुए भारत चीन गतिरोध के दौरान अमेरिका के इनपुट से भारत को लाभ हुआ, उसी प्रकार भारतीय रक्षा व्यय से अमेरिका को लाभ हुआ है।
- किन्हीं भी दो देशों के बीच मतभेद की स्थिति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। हालांकि **विगत वर्षों में सामंजस्य विकसित करने हेतु प्रयास किए गए हैं।** भारत ने चाबहार में पत्तन परियोजना के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट प्राप्त कर, अपनी ऊर्जा आपूर्ति में

VISION IAS

विविधता लाने हेतु समय और संभावनाओं को समायोजित करते हुए, ईरान के साथ अमेरिका की तनावपूर्ण परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों को प्रबंधित करने का प्रयास किया है। ये घटनाएँ एक-दूसरे के हितों के प्रति समंजस्यपूर्ण रवैया को दर्शाती हैं।

- हालांकि अमेरिका को **पाकिस्तान के प्रति अपनी उदार नीति के विरुद्ध भारत के शर्तों के संबंध में अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, वहीं भारत को अफ़ग़ानिस्तान में अपेक्षाकृत बड़ी सुरक्षा संबंधी भूमिका के लिए स्वयं को बड़े पैमाने पर तैयार करने की आवश्यकता है।** अमेरिका द्वारा अफ़ग़ानिस्तान और खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति हटाने से वाशिंगटन के प्रति पाकिस्तान के लाभ उठाने की प्रवृत्ति में कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत को सीमाओं पर, दक्षिण एशियाई क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र में - चीनी चुनौती को देखते हुए अमेरिका के सहयोग की आवश्यकता है।

भारत अमेरिकी रक्षा सहयोग मुद्दे को मेन्स 365 अपडेशन में समाविष्ट किया जाएगा।

9. भारत-मध्य एशिया (India-Central Asia)

9.1. भारत-मध्य एशिया संवाद (India-Central Asia Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक डिजिटल वीडियो-सम्मेलन प्रारूप में आयोजित की गई थी।

इस बैठक के प्रमुख निष्कर्ष

विदेश मंत्रियों द्वारा सामूहिक रूप से जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को उजागर किया:

- कोविड-19 वैश्विक महामारी का सामना करने में **घनिष्ठ सहयोग जारी रखने की आवश्यकता है।**
- **आतंकवाद के सभी प्रारूपों और प्रकारों की निंदा:** सभी राष्ट्रों ने **आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने, नेटवर्क, अवसंरचना और वित्त-पोषण के स्रोतों को नष्ट करके** आतंकवाद के खतरे से निपटने हेतु अपने देशों के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की और उन्होंने इस आवश्यकता को सुनिश्चित करने पर भी बल दिया कि किसी भी देश की अधिकारिता वाले क्षेत्र का उपयोग अन्य देशों के विरुद्ध आतंकवादी हमले करने के लिए न किया जाए।
- **अफ़ग़ानिस्तान के संयुक्त, संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए समर्थन दर्शाया गया।**

भारत-मध्य एशिया संवाद के बारे में

- **भारत पांच मध्य एशियाई देशों,** यथा- कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के साथ इस वार्ता को आयोजित करता है।
    - **तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर** इस वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश, **शंघाई सहयोग संगठन** के भी सदस्य हैं।
- भारत-मध्य एशिया संवाद की पहली बैठक जनवरी 2019 में समरकंद (उज्बेकिस्तान) में आयोजित हुई थी।
    - इसके अतिरिक्त, **अफ़ग़ानिस्तान ने प्रथम और द्वितीय बैठकों** में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया था।

- यह संवाद **राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक, विकास साझेदारी, मानवीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में** भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने, साथ ही साथ आपसी हित के **क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर** विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य बहुपक्षीय मंचों की रूपरेखा के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

मध्य एशिया में भारत के हित

- **खनिज संसाधन:** मध्य एशियाई देशों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी, कोयला और यूरेनियम जैसे प्रचुर खनिज संसाधन मौजूद हैं, जो भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए- कजाकिस्तान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है।
- **अफ़ग़ानिस्तान में शांति वार्ता में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करना:** भारत ने हमेशा “अफगान-स्वामित्वाधीन, अफगान के नेतृत्व वाले और अफगान-नियंत्रित” (Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled) शांति प्रक्रिया के सिद्धांत पर अफगान संघर्ष के समाधान का पक्ष समर्थन किया है, जिसे मध्य एशियाई देशों के समर्थन से सुगम बनाया जा सकता है।
- **कनेक्टिविटी:** मध्य एशिया, यूरेशियाई महाद्वीप के बीच में स्थित है और भारत को यूरोप से संपर्क स्थापित (भू-भाग से) करने में सहायता कर सकता है। यह क्षेत्र भारत के लिए **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (International North-South Transport Corridor: INSTC)** जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारों के माध्यम से अपनी पारगमन और परिवहन क्षमता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

- **आर्थिक अवसर:** भारत द्वारा प्रदान की जा सकने वाली IT सेवाएं, पर्यटन, चाय, औषध आदि जैसी वस्तुओं और सेवाओं की शृंखला के लिए मध्य एशिया विशाल उपभोक्ता बाजार है।
- **क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना:** भारत से क्षेत्रीय निकटता के कारण और तापी (TAPI) पाइपलाइन इत्यादि जैसी भारत की विदेशी परियोजनाओं पर इस क्षेत्र की अस्थिरता का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इस क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में सम्मिलित हैं:
    - आतंकवादियों हेतु सुरक्षित ठिकानों, नेटवर्कों, अवसंरचना और वित्त-पोषण स्रोतों की विद्यमानता के कारण **आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा का उदय।**
    - **सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of Mass Destruction: WMD) के प्रसार का खतरा,** क्योंकि यह क्षेत्र WMD के लिए नाभिकीय सामग्री (fissile material) की तस्करी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहा है।
    - **अफीम उत्पादन के 'गोल्डन क्रिसेंट' (ईरान-पाक-अफगान) से उत्पन्न होने वाला मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार।**

चुनौतियाँ

- **मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव:** भारत द्वारा मध्य एशिया के साथ आर्थिक-राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संपर्कता संबंधी मुद्दों का हल करने वाले भारतीय उद्देश्यों के प्रति चीन की वन बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) एक संभाव्य खतरा हो सकती है।
- **सुगमता में कमी:** मध्य एशियाई राष्ट्रों में से किसी के साथ भी भारत भौगोलिक सीमा साझा नहीं करता है और अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिर स्थिति, क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं पर यू.एस.-ईरान तनाव के प्रभाव और पाकिस्तान के साथ भारत के अस्थिर संबंधों ने मध्य-एशिया के साथ भारत की संपर्कता और व्यापार संभावनाओं को और अधिक जटिल बना दिया है।
- **इस क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू चुनौतियां:** धार्मिक अतिवाद, सत्तावादी शासनों, आतंकवाद, निरंतर जारी संघर्ष आदि के कारण व्यापत और नई चुनौतियां भारत के आर्थिक हितों की प्रगति की दिशा में भी चुनौतियां उत्पन्न करती हैं।

आगे की राह

- भारत को अपनी मध्य एशिया साझेदारी विकसित करने के लिए **ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों** के साथ-साथ पारंपरिक रूप से परस्पर घनिष्ठ संपर्क में रहने वाले लोगों के संपर्कों का लाभ उठाना चाहिए।
- **भारत-मध्य एशिया व्यापार परिषद (ICABC)** व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने, भारत और मध्य एशियाई देशों में कराधान, व्यावसायिक विनियम की बेहतर समझ संभव करने, तथा विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और निवेश को प्रोत्साहित करने में सहायता कर सकती है।
- मध्य एशिया संवाद के माध्यम से, **भारत के लिए अफ़ग़ानिस्तान हेतु** अवसंरचना, ऊर्जा, पारगमन और परिवहन परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित अफ़ग़ानिस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न होने का अवसर है।
- भारत को मध्य एशियाई बाजारों के साथ व्यापार और परिवहन संपर्क स्थापित करने के लिए **ईरान में चाबहार पत्तन** का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत और मध्य एशिया को आतंकवाद, उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी जैसी कई समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये सभी समानताएँ उन्हें अपनी विकास यात्रा में स्वाभाविक साझेदार बनाती हैं और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक से अधिक सहयोग का आह्वान करती हैं।

भारत द्वारा मध्य एशिया में संलग्नता बढ़ाने के प्रयास

- **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का प्रावधान:** भारत के द्वारा कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आई.टी., स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली विकासात्मक परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना।
- ईरान से होकर भारत और मध्य एशिया के बीच माल के परिवहन की सुविधा संभव करने के लिए, भारत वर्ष 2017 में **TIR कार्नेट्स के अंतर्गत माल के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर सीमा शुल्क अभिसमय** (Customs Convention on International Transport of Goods under cover of TIR Carnets) में सम्मिलित हुआ। भारत वर्ष 2018 में **अश्गाबात समझौते** में शामिल हुआ जिसमें ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य राष्ट्र हैं।

VISION IAS

- **उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (High Impact Community Development Projects: HICDP):** इन परियोजनाओं के अंतर्गत भारत सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है।
- **भारत-मध्य एशिया व्यापार परिषद (India-Central Asia Business Council: ICABC):** इसे फरवरी 2020 में आरंभ किया गया था और इसमें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) और 5 केंद्रीय एशियाई देशों के वाणिज्य मंडल सम्मिलित हैं।
- **अन्य उपाय:**
  - अप्रैल 2019 में भारत ने **मध्य एशियाई मीडिया प्रतिनिधिमंडल** की मेजबानी की।
  - जुलाई 2019 में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में **मध्य एशियाई राजनयिकों** को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
  - दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में **मध्य एशिया पर केंद्रित करते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council of Cultural Relations: ICCR) द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव।**
  - भारत सरकार ने वर्ष 2019 में, **किर्गिस्तान की रक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाने संबंधी सैन्य उपकरणों की आवश्यकता हेतु 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया।**
  - वर्ष 2019 में, भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

10. लैटिन अमरिका और कैरिबियन देश (Latin America and the Caribbean)

10.1. भारत-मर्कोसुर (India-MERCOSUR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मर्कोसुर में विद्यमान आंतरिक मतभेदों के कारण 'भारत और मर्कोसुर के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता' अवरुद्ध हो गयी है।

भारत मर्कोसुर व्यापार वार्ताओं के बारे में

- **मर्कोसुर लैटिन अमेरिका का एक व्यापारिक समूह है।** इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे (वेनेजुएला की सदस्यता वर्ष 2016 से निलंबित है) शामिल हैं। वर्ष 1991 में **चारों सदस्य देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और मानव श्रम के मुक्त आवागमन की सुविधा** प्रदान करने के उद्देश्य से मर्कोसुर का गठन किया गया था।
- भारत और मर्कोसुर द्वारा प्रथम चरण में वार्ता हेतु शर्तों एवं तंत्रों का निर्माण करने तथा द्वितीय चरण में दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र पर वार्ता के लिए **वर्ष 2003 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर** किए गए थे।
- इसी तर्ज पर, वर्ष 2004 में एक अधिमान्य व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement: PTA) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस PTA का उद्देश्य मर्कोसुर और भारत के बीच मौजूदा संबंधों का विस्तार करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा **पारस्परिक निर्धारित प्रशुल्क अधिमान्यताएं प्रदान करते हुए व्यापार के विस्तार को बढ़ावा देना था।**
- भारत और मर्कोसुर टैरिफ लाइन्स (प्रशुल्क संबंधी रूप रेखाओं) को 450 उत्पादों की मौजूदा सूची से बढ़ाकर 1,500-2,000 उत्पादों तक विस्तारित करने हेतु प्रयासरत हैं।
- **मर्कोसुर के साथ किए जाने वाले मुक्त व्यापार समझौते के लाभ:**
    - मर्कोसुर, **दो ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और 290 मिलियन से अधिक लोगों का एक** सफल क्षेत्रीय बाजार बन गया है।
    - यह यूरोपीय संघ, नाफ्टा और आसियान के बाद **चौथा सबसे बड़ा एकीकृत बाजार है।**
    - समझौते के इस विस्तार द्वारा **सम्मिलित देशों के मध्य व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलेगा तथा वर्ष 2030 में 30 बिलियन डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने** की दिशा में भी मदद मिलेगी।
    - **लैटिन अमेरिकी देशों से व्यापार हेतु एक प्रवेशद्वार के रूप में:** वर्ष 2013 में मर्कोसुर के साथ भारत ने 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया था, जो कि **लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत के कुल व्यापार का 60% था।** इस प्रकार, मर्कोसुर में भारतीय निवेश और निर्यात, अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारतीय उद्योगों को एकीकृत करने में मदद करेंगे।
    - **मर्कोसुर के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत मुक्त व्यापार समझौते को स्थापित कर पाना कठिन है** क्योंकि मर्कोसुर चार्टर का वर्तमान प्रावधान, सदस्य देशों को (अन्य सदस्यों की सहमति के बिना) गैर-सदस्य देशों के साथ किसी भी प्रकार के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने से निषिद्ध करता है।
- **चुनौती:** समूह के सदस्यों के मध्य मतभेद (विशेष रूप से ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच) का होना, विस्तार वार्ताओं में विलम्ब का प्रमुख कारण रहा है।

VISION IAS

आगे की राह

इस विस्तार को **व्यापार भारांश (ट्रेड बास्केट) के विस्तार पर केंद्रित सरकारी नीतियों तथा साथ ही इस भू-भाग में देशों के साथ मौजूदा व्यापार संबंधों के विस्तार के प्रयासों के अनुरूप बढ़ावा दिया गया है।** हाल ही में, ब्राज़ील ने आश्वासन दिया है कि वह व्यापार वार्ताओं के शीघ्र ही अंतिम निर्णय तक पहुँचाने में सहयोग करेगा (क्योंकि इसने मर्कोसुर की अध्यक्षता स्वीकार की है)। मर्कोसुर के भीतर आंतरिक मतभेद होने के बावजूद, भारत द्वारा भारत-मर्कोसुर संबंधों को उन्नत स्वरूप प्रदान करते हुए इन संबंधों को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते में परिणत करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की जानी चाहिए।

10.2. भारत-कैरीकॉम (India-CARICOM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन के अवसर पर कैरीकॉम (कैरिबियाई समुदाय) नेताओं के साथ अलग से बैठक की।

इस वार्ता के प्रमुख परिणाम

- यह क्षेत्रीय प्रारूप में **कैरिकॉम नेताओं के साथ प्रधान मंत्री मोदी की पहली बैठक थी।** इस बैठक में भारत और कैरेबियाई क्षेत्रों में स्थित साझेदार देशों के न केवल द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय संदर्भ में भी निरंतर तीव्र तथा प्रगाढ़ होते संबंधों पर चर्चा की गई।
- यह बैठक **जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और कैरिकॉम के साथ भारत की भागीदारी में वृद्धि करने पर केंद्रित थी।**
- इस बैठक के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा कैरिकॉम में सामुदायिक विकास परियोजनाओं हेतु **14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान** तथा सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है।

कैरीकॉम (Caribbean Community: CARICOM) के बारे में

- यह अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने, एकीकरण के लाभों के न्यायोचित साझाकरण को सुनिश्चित करने तथा विदेश नीति को समन्वयित करने हेतु **कैरिबियन राष्ट्रों के मध्य एक संधि** है।
- **कैरीकॉम के सदस्यों में शामिल हैं:** एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद एंड टोबैगो।
- यह एक **एकल बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है** जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लोगों को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं बिक्री तथा निवेश को आकर्षित करने हेतु अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करके लाभान्वित करना है।

भारत-कैरिकॉम संबंधों का दायरा

- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:** कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंध **उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से देखे** जा सकते हैं। इस अवधि से लेकर बीसवीं सदी के शुरूआती दौर तक भारत के विभिन्न भागों से कई क़रारबद्ध खेतिहर मजदूरों को बागानों में काम करने हेतु वहाँ भेजा जाता था।
- **भारतीय प्रवासी वर्ग:** कैरिकॉम देशों में **एक मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी वर्ग अधिवासित हैं** जो कैरिबियन लोगों के साथ मित्रता की जीवंत और चिरस्थायी कड़ी के रूप में परलक्षित हुआ है। **गुयाना, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद एंड टोबैगो में लगभग तीस से चालीस प्रतिशत नृजातीय भारतीय अधिवासित हैं।**
- **व्यापार:** भारत द्वारा कैरिकॉम को मुख्यतः औषधीय उत्पाद, लोहा और इस्पात, मशीनरी और उपकरणों का निर्यात किया जाता है। अपरिष्कृत (क्रूड) पेट्रोलियम, सोना, धातुमय अयस्क और स्क्रैप ऐसी प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भारत कैरिकॉम से आयात करता है। यह एकल बाजार होने के कारण, निर्यात के साथ-साथ आयात में विविधता लाने का अवसर प्रदान करता है।
- **निवेश:** अत्यधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के कारण, कैरिकॉम क्षेत्र में होटलों का अधिग्रहण और नवीनीकरण, भारत के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इन होटलों में लोकप्रिय भारतीय शैली पर आधारित आयुर्वेद / योग / स्वास्थ (वेलनेस) केंद्रों में निवेश ऐसी सेवाओं की बढ़ती मांग को वास्तव में पूरा कर सकता है।

VISION IAS

- **विकास सहायता:** भारत द्वारा वर्ष 2019 में कैरिकॉम डेवलपमेंट फंड (CDF) के लिए एक मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। यह भारत को एक विकास साझेदार के रूप में स्थापित करता है क्योंकि CDF का उद्देश्य कैरिबियाई समुदाय के भीतर, देशों या क्षेत्रकों को नवीकरणीय ऊर्जा के विकास या ऊर्जा दक्षता आदि क्षेत्रों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

निष्कर्ष

इस क्षेत्र के साथ व्यापार करने हेतु उत्पादों की प्राकृतिक पूरकताओं सहित, क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में विद्यमान भारतीय प्रवासी समुदाय का लाभ प्राप्त करते हुए, कैरिकॉम देशों के साथ आपसी हित और चिंताओं के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों प्रकार से, भारत के सन्दर्भ में घनिष्ठ सहयोग तथा पारस्परिक वार्ता स्थापित करने हेतु अधिकाधिक संभावनाओं की खोज करने का यह उचित समय है।

11. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह और शिखर सम्मेलन (Important International/Regional Groups and Summits)

11.1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका (Role of WHO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की गई कार्यवाहियों के भेदभावपूर्ण होने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों ने पर्यवेक्षकों को इस संगठन पर चीन के प्रभाव और इसके राजनीतिकरण के संदर्भ में प्रश्न करने हेतु प्रेरित किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में

- **उद्भव:** WHO की स्थापना वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक **विशेषीकृत एजेंसी** के रूप में की गई थी।
  - उस दौरान वैश्वीकरण, गत्यात्मकता और शहरीकरण के कारण रोगों के प्रसार की संभावना के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के विस्तार हेतु एक वैश्विक संस्था के सृजन की आवश्यकता की मांग की गई थी।
- **संरचना:** WHO की त्रि-स्तरीय संरचना है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - **विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA):** यह नीति निर्देशन हेतु सर्वोच्च निर्णय निर्मात्री निकाय है, जिसमें संगठन के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं।
  - **कार्यकारी बोर्ड:** यह WHA के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक निकाय है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं।
  - **सचिवालय:** इसकी अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है तथा अपनी गतिविधियों को क्रियान्वयित करने के समग्र उत्तरदायित्व के साथ यह WHO के प्रशासनिक एवं तकनीकी संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- **वित्तपोषण:** WHO का वित्तीयन **निर्धारित एवं स्वैच्छिक योगदान** की एक प्रणाली के माध्यम से होता है।
  - **निर्धारित योगदान (Assessed contributions)** का भुगतान सभी सदस्य देशों द्वारा किया जाता है और इसका निर्धारण देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
  - **स्वैच्छिक योगदान** एक ऐसी राशि है, जिसका भुगतान संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों, निजी कंपनियों, व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों और सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया जाता है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका, WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश था तथा इसके द्वारा वर्ष 2019 में निर्धारित और स्वैच्छिक दोनों प्रकार के योगदानों में कुल 893 मिलियन डॉलर का योगदान किया गया था।
- **सरकारों को चुनौती देने का प्राधिकार:** अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), WHO को वे कार्यवाहियां करने का प्राधिकार प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय सरकारों द्वारा निम्नलिखित रीति से अपनी प्रभुसत्ता के उपयोग को निर्धारित करती हैं:
  - WHO गैर-सरकारी स्रोतों से **रोग-प्रकरण सूचना** को संग्रहीत कर सकता है, इस प्रकार की सूचनाओं के बारे में सरकारों से सत्यापन की मांग कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो अन्य देशों के साथ इन सूचनाओं को साझा भी कर सकता है।
  - यहाँ तक कि किसी देश में प्रकोप का प्रसार होने पर भी WHO महानिदेशक उसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता से संबद्ध एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल **(Public Health Emergency of International Concern: PHEIC)** घोषित कर सकता है।
  - WHO को, किसी सदस्य देश द्वारा व्यापार या यात्रा प्रतिबंधों हेतु (जो WHO की अनुशंसाओं या स्वीकृत रोग नियंत्रण उपायों के अनुरूप नहीं हों) वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रामाणिकता प्रदान करने की आवश्यकता का प्रवर्तन कराने का प्राधिकार प्राप्त है।
  - IHR सदस्य देशों से किसी रोग की घटनाओं का प्रबंधन करते समय मानवाधिकारों के संरक्षण की अपेक्षा करता है, जिनका नेतृत्व WHO द्वारा किया जाता हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations: IHR) (वर्ष 2005)

- यह वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एकजुट होकर कार्य करने के लिए सभी WHO सदस्य देशों सहित 196 देशों के मध्य एक समझौते को निरूपित करता है।
- IHR के माध्यम से, देशों ने लोक स्वास्थ्य से संबंधित घटनाओं का पता लगाने, उनका आकलन करने और रिपोर्ट करने हेतु अपनी

VISIONIAS

क्षमताओं का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन, IHR में समन्वयकारी भूमिका का निर्वहन करता है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देशों की क्षमता का निर्माण करने में सहायता करता है।
- **PHEIC:** IHR में इसे "वह असाधारण घटना जो रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य राज्यों के समक्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के सृजन हेतु निर्धारित है तथा जिसके विरुद्ध संभावित रूप से एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है" के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - PHEIC के कुछ उदाहरण H1N1 इन्फ्लूएंजा महामारी (वर्ष 2009), पश्चिम अफ्रीका इबोला महामारी (वर्ष 2014), जीका वायरस का प्रकोप (वर्ष 2016) आदि हैं।

कोविड-19 के दौरान WHO की आलोचनाएँ

- **तैयारियों का अभाव:** WHO के पास पहले से ही SARS के प्रकोप एवं आगामी वर्षों में इस संबंध में किए गए अनुसंधानों से संबंधित आंकड़े मौजूद थे।
  - वर्ष 2015 में, कोरोना वायरस वंश के रोगों को तत्काल अनुसंधान और विकास की आवश्यकता वाली प्राथमिकताओं की सूची में सम्मिलित करने हेतु चयनित किया गया था।
    - वर्ष 2018 में हुई WHO की प्राथमिक रोगों की वार्षिक समीक्षा में इस प्रत्याशित संभावना को दोहराया गया था।
- **घोषणा में विलंब:** कोविड-19 को **PHEIC** घोषित करने में हुए अकारण विलंब के लिए WHO की आलोचना हुई है।
  - हालांकि, 18 देशों में संक्रमण के मामलों में दस गुना वृद्धि होने की पुष्टि होने के पश्चात् अंततः इसे PHEIC घोषित करना पड़ा।
  - इसके पश्चात्, WHO द्वारा इसे महामारी के रूप में घोषित करने में भी विलंब किया गया, विशेष रूप से तब, जब कोविड-19 में महामारी के लक्षण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे, अर्थात् विश्व भर में इसका तेजी से प्रसार हो रहा था।
- **चीन की यात्रा करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं:** WHO ने चीन में एक अन्वीक्षण दल भेजने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। फरवरी के मध्य में **संयुक्त WHO-चीन दल** द्वारा केवल वुहान की यात्रा की गई थी।
- **ताइवान का बहिष्कार:** वर्ष 1971 में चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित होने के पश्चात् से ही समय-समय पर ताइवान की WHO सदस्यता को इस आधार पर अवरुद्ध किया गया कि लोकतांत्रिक रूप से शासित यह द्वीप चीन का भाग है।
- **विषाणु के मनुष्यों से-मनुष्यों में संचरण की पहचान करने में विलंब:** विशेष रूप से, चीन के बाहर प्रथम मामले की घोषणा के पश्चात्।
  - इस स्थिति के संबंध में ताइवान द्वारा दिसंबर 2019 के अंत में यथाशीघ्र WHO को इसकी चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी WHO द्वारा विलंब किया गया।
- **व्यापार एवं यात्राओं पर प्रतिबंधों को समर्थन प्रदान नहीं करना:** देशों द्वारा कोविड-19 का सामना करने के लिए लागू किए गए यात्रा प्रतिबंधों के विरूद्ध WHO द्वारा ऐसे तर्कों को प्रस्तुत किया गया कि इन प्रतिबंधों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों (IHR) का उल्लंघन होगा। साथ ही अधिकृत होने के बावजूद भी WHO द्वारा उल्लंघन की जांच नहीं की गई।
  - इसके विपरीत, WHO ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यात्रा प्रतिबंध के अधिरोपण द्वारा भय का प्रसार एवं दोषारोपण न करने का आग्रह किया।
- **तथाकथित स्वतंत्रता का अभाव:** यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान WHO महानिदेशक द्वारा चीन के समर्थन से अपने निर्वाचन में सफलता प्राप्त की थी, जिसके कारण चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार रहा है।
  - **चीन की तीव्र प्रतिक्रिया की प्रशंसा:** WHO के महानिदेशक ने "इस महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने की दिशा में एक नया मानक स्थापित करने" और "सूचना साझा करने हेतु खुलेपन" के लिए चीनी नेतृत्व की प्रशंसा की थी, विशेष रूप से तब जब इसके प्रकोप को गोपनीय रखने के चीन द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए थे।

WHO से संबंधित मुद्दे:

- **परिभाषित/निर्धारित कार्यों का अभाव:** कोई भी ऐसा एकल दस्तावेज़ नहीं है, जो संक्रामक रोगों के संबंध में इसके उत्तरदायित्वों, बाध्यताओं और शक्तियों का व्यापक रूप से वर्णन करता हो।
  - संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) जैसे विनियमों, विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के संकल्पों और परिचालन

अभ्यासों जैसे दस्तावेज़ों का एक संग्रह, WHO की शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

- **अनुशंसात्मक शक्तियां:** WHO के प्राधिकार की प्रकृति अनुशंसात्मक है और इसमें सम्मेलनों, समझौतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय नामकरण को प्रस्तावित करना सम्मिलित है।
  - विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे निकायों के विपरीत, इसे अपने सदस्यों को बाध्य करने या स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- **महामारी के प्रकोप में कार्य करने की क्षमता:** किसी महामारी के दौरान संगठन के उत्तरदायित्वों में, सदस्य राज्यों के लिए निरीक्षण, निगरानी और मूल्यांकन तथा दिशा-निर्देश विकसित करना सम्मिलित है।
  - इसके समन्वयकारी प्राधिकार और क्षमता कमजोर हैं और यह केवल एक तकनीकी संगठन के रूप में कार्य करता है।
  - यह नियंत्रण के लिए नौकरशाही और क्षेत्रीय कार्यालयों पर निर्भर है।
  - इसमें जीवन के समक्ष संकट उत्पन्न करने वाली महामारी के लिए **एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को निर्देशित करने की क्षमता का भी अभाव** है।
- **सीमित वित्तपोषण:** WHO का वार्षिक परिचालन बजट, वर्ष 2019 में लगभग 2 बिलियन डॉलर था, जो कई चिकित्सीय विश्वविद्यालय की तुलना में कम है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के मध्य विविधीकृत है।

कोविड-19 के दौरान WHO की आलोचना के विरुद्ध तर्क

- **WHO में क्षमता का अभाव:** जैसा कि बॉक्स में प्रस्तुत किया गया है, सरकारों को राजनीतिक रूप से चुनौती देने के लिए WHO के पास कार्यात्मक क्षमताओं का अभाव है।
- **इस मुद्दे पर कथित भू-राजनीति:** आरंभ से ही, देशों ने महामारी को भू-राजनीतिक संदर्भों में प्रस्तुत किया और इस त्रासदी के लिए चीन को दोषी ठहराया है।
  - **वास्तव में, WHO** संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपनी सलाह मनवाने में काफी हद तक असमर्थ रहा।
  - जबकि, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे सक्रिय देश, प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं।
- **वैक्सीन का विकास:** कोरोना वायरस वैक्सीन और चिकित्सा संबंधी उपकरणों के विकास के लिए WHO के प्रयासों की प्रशंसा की गई है।
- **गलत सूचनाओं का खंडन:** सूचनाओं के साझाकरण और ऑनलाइन मिथ्या सूचना एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के संबंध में WHO द्वारा किए गए प्रयासों की व्यापक प्रशंसा की गई है।

आगे की राह

- WHO द्वारा सामना की जा रही आलोचना से इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और इसके अस्तित्व को अत्यधिक क्षति पहुंच सकती है।
  - WHO का राजनीतिकरण एक गंभीर चिंतनीय विषय है, साथ ही इसने व्यापक वैश्विक शासन संरचना के आधारों पर पुनर्विचार करने का एक अवसर भी प्रस्तुत किया है।
- कुछ माह पूर्व घोषित WHO सुधारों को तीव्रता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
  - भविष्य में इसके तीन बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसकी दाताओं पर निर्भरता और कमजोर होती क्षमता का प्रभावी रूप में समाधान किया जाना चाहिए।
- भारत, संगठन की कार्यप्रणाली को स्थिरता एवं विश्वास प्रदान करने में भी योगदान कर सकता है।

11.1.1. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया, जो कि आभासी (वर्चुअल) रूप में आयोजित प्रथम स्वास्थ्य सभा थी।

विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA) के बारे में

- WHA विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation: WHO) का **निर्णय निर्माणकारी निकाय** है।
- इसमें सभी WHO सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और यह **WHO कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर केंद्रित** है।
- **WHA के मुख्य कार्य:**
  - WHO की नीतियों का निर्धारण,
  - महानिदेशक की नियुक्ति,

VISION IAS

  - वित्तीय नीतियों की निगरानी और
  - प्रस्तावित कार्यक्रमों के बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन।
- WHA का आयोजन प्रतिवर्ष **जिनेवा, स्विट्जरलैंड** में किया जाता है।

संबंधित तथ्य: WHO का कार्यकारी बोर्ड

- भारतीय स्वास्थ्य मंत्री ने **WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष** के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य क्षेत्र के **34 तकनीकी रूप से अर्ह सदस्यों से मिलकर** गठित हुआ है, जो तीन वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इनकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होती है।
- बोर्ड का **प्राथमिक कार्य WHA के निर्णयों को लागू करना**, परामर्श प्रदान करना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है।
- अध्यक्ष पद 6 क्षेत्रीय समूहों (अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, पूर्वी भूमध्य और पश्चिमी प्रशांत) के मध्य **एक वर्ष के कार्यकाल हेतु चक्रीय क्रम में** व्यवस्थित होता है।

WHA के प्रमुख परिणाम (आउटकम)

- WHA द्वारा कोरोना वायरस के **"जूनोटिक (पशुजन्य)" स्रोत की पहचान** के साथ-साथ इस **महामारी पर WHO की प्रतिक्रिया के निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन** हेतु एक संकल्प को अपनाया गया।
  - इसमें विशेष रूप से **WHO की कार्रवाइयों और कोविड-19 महामारी से संबंधित उनकी समयसीमाओं का मूल्यांकन** करने का उल्लेख किया गया।
- **कोविड-19** पर प्रतिक्रिया के क्रम में सभी गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, प्रभावोत्पादक और वहनीय आवश्यक स्वास्थ्य तकनीकों एवं उत्पादों के **सार्वभौमिक, समयबद्ध व समान पहुंच तथा उचित वितरण** का आह्वान किया गया।
- इसने **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS/ट्रिप्स समझौते)** और **ट्रिप्स समझौते व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा-पत्र** से संबद्ध लचीलेपन पर समझौते से संबंधित अनुचित बाधाओं की समाप्ति का आह्वान किया है।

ट्रिप्स समझौता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा-पत्र

- इसे विश्व व्यापार संगठन **(World Trade Organization: WTO)** के सदस्यों द्वारा वर्ष 2001 में अपनाया गया था, ताकि **सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों और TRIPS की शर्तों** को लागू करने के लिए सरकारों की आवश्यकता के मध्य मौजूद अस्पष्टताओं का निवारण किया जा सके।
- यह घोषणा-पत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि **ट्रिप्स समझौता सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सदस्यों को उपाय करने से नहीं रोकता** है और न ही उसे ऐसा करना चाहिए।

11.2. विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली (Dispute Settlement System of WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कुछ सदस्यों द्वारा व्यापार विवादों के समाधान के लिए आकस्मिक अपील प्रबंधन के रूप में **बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था** (Multi-party Interim Appeal Arbitration Arrangement: MPIA) की स्थापना की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- MPIA की स्थापना WTO के **विवाद निपटान समझौते** के अनुच्छेद 25 के तहत की गई है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में WTO का विवाद निपटान निकाय (dispute settlement body) निष्क्रिय रूप में है क्योंकि अमेरिका ने इस निकाय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी है।
- यह विभिन्न पक्षकारों के मध्य हुए परस्पर समझौतों के आधार पर WTO के **अपीलीय निकाय (Appellate Body)** के बाहर मध्यस्थता (arbitration) की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- WTO के अपीलीय निकाय के कार्यात्मक नहीं होने पर ही, WTO के किन्हीं भी सदस्यों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है।
- **भारत और संयुक्त राज्य अमरीका** MPIA समझौते का भाग नहीं हैं।

WTO की विवाद निपटान प्रणाली (Dispute Settlement System: DSS) के बारे में

- **DSS** वस्तुतः WTO के सदस्य राष्ट्रों के मध्य व्यापार विवादों का समाधान करने हेतु एक तंत्र है। इसके द्वारा राजनीतिक वार्ता और न्याय-निर्णयन दोनों के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है।

VISION IAS

- **उरुग्वे दौर की वार्ता (वर्ष 1986-1994)** की परिणति, सदस्य राष्ट्रों के मध्य व्यापार विवादों के नियमन हेतु DSS के गठन और **विवाद निपटान समझौते (Dispute Settlement Understanding: DSU)** को अपनाने के रूप में हुई थी।
- DSU के तहत DSS की कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है, यथा-
    - बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को **स्थिरता और पूर्वानुमेयता** (predictability) प्रदान करना; तथा
    - विवादों के समाधान हेतु एक **तीव्र, कुशल, विश्वसनीय और नियम-आधारित** प्रणाली स्थापित करना।
- **विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body: DSB):**
    - WTO की जनरल काउंसिल, विवादों के निपटान हेतु सर्वोच्च संस्था है तथा इसकी बैठक DSB के तौर पर होती है।
    - यह मूल रूप से एक राजनीतिक निकाय है तथा इसके द्वारा DSU के नियमों एवं प्रकियाओं को प्रशासित किया जाता है।
    - यहाँ **व्युत्क्रम सहमति विधि** (reverse consensus method) के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात्, किसी मुद्दे के विरुद्ध सर्वसम्मति बन जाने के पश्चात् ही इससे संबंधित निर्णयों को अपनाया जाता है।
- **अपीलीय निकाय (Appellate Body: AB):** यह WTO की एक सात सदस्यीय स्थायी संस्था है, जो DSS के अंतर्गत अपीलों पर न्याय-निर्णयन करती है।
    - इसके सदस्यों को DSB द्वारा चार वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।
    - इसके द्वारा एक **रिवर्स सर्वसम्मति तंत्र** (reverse consensus mechanism) का अनुसरण किया जाता है।

विवाद निपटान प्रणाली का महत्व

- विगत 24 वर्षों के दौरान, DSS के समक्ष 500 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। उल्लेखनीय है कि इन शिकायतों के लगभग 90 प्रतिशत भाग का निस्तारण किया जा चुका है, जो किसी भी अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की तुलना में अत्यधिक है।
- DSS, **नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थिरता** और **पूर्वानुमेयता** को बनाए रखता है। यह विभिन्न देशों द्वारा अनुसरण की जाने वाली एक **स्थिर व्यापार नीति का समर्थन** करता है, जो कृषकों, विनिर्माताओं, उद्योगों, व्यवसायों और अन्य लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है।
- DSS एक सत्ता-आधारित प्रणाली के विपरीत एक **नियम-आधारित प्रणाली** होने के कारण **विकासशील देशों और अल्प-विकसित देशों (LDCs) के हितों की रक्षा** करता है।
- सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवादों का समाधान कर, यह WTO के तत्वावधान में व्यापार वार्ता के मुख्य उद्देश्य को पूरा करता है। इस प्रकार, यह एक बहुपक्षीय संगठन के रूप में WTO को **व्यावहारिक तौर पर प्रासंगिक बनाता** है।

विवाद निपटान प्रणाली के समक्ष समस्याएँ

अपीलीय निकाय (Appellate Body: AB) के सदस्यों की नियुक्ति		
मुद्दें	**विवरण**	**प्रस्तावित समाधान**
AB के सदस्यों की नियुक्ति	सर्वसम्मति के आधार पर इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अत: इसकी नियुक्तियों को बाधित करना एक सदस्य राष्ट्र (वर्तमान में अमेरिका) के लिए आसान है।	सर्वसम्मति के स्थान पर बहुमत के आधार पर सदस्यों को नियुक्ति करना। हालाँकि, दीर्घकालिक रूप से सर्वसम्मति आधारित निर्णयन सभी सदस्यों के हित में होता है। **अन्य सुधार:** AB की सदस्य संख्या (पद के संदर्भ में) में वृद्धि करना तथा इन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही इनकी चयन प्रक्रिया के स्वत: क्रियान्वयन किए जाने संबंधी प्रावधान किया जाना चाहिए।
प्रक्रियात्मक मुद्दे		
AB द्वारा अपने निर्णयों को पूर्ववर्ती-निर्णयों के रूप में माना जाना	इस संबंध में ठोस कारणों की अनुपस्थिति के बावजूद पैनल द्वारा अपने पूर्ववर्ती-निर्णयों के आधार पर निर्णयन किया जाता है। कुछ राष्ट्रों द्वारा इसका विरोध किया गया है, क्योंकि AB द्वारा	• बेहतर दृष्टिकोण यह हो सकता है कि AB को इस पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाए कि पूर्व की रिपोर्ट किस सीमा तक प्रासंगिक और विवाद समाधान हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकती है

VISION IAS

	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान विद्यमान नहीं हैं।	तथा इस संबंध में यह अपनी रिपोर्ट में कारणों को भी प्रस्तुत करे। • कभी-कभी, पूर्व रिपोर्टों का उल्लेख करने से भविष्य के विवादों के संबंध में WTO कानून के अनुप्रयोग के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है, क्योंकि WTO के पैनल और AB कानूनों की अनुपस्थिति में कार्य नहीं कर सकते हैं।
AB द्वारा अपने न्यायिक अधिदेश का अतिक्रमण	AB का क्षेत्राधिकार "कानून के मुद्दों" और "पैनल द्वारा विकसित कानूनी व्याख्याओं" की समीक्षा करने तक सीमित है। कभी-कभी AB द्वारा तथ्यपरक जांच भी की जाती है और इसी संबंध में AB की आलोचना की गई है।	• AB को जुडिशल इकॉनमी (न्यायिक मितव्ययिता) का प्रयोग करना चाहिए और केवल पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए। • यह विचार करने हेतु कि क्या AB द्वारा अपने अधिदेश का अतिक्रमण किया गया है, एक संभावित बाह्य समीक्षा तंत्र प्रस्तावित किया गया है।
प्रणालीगत मुद्दे		
DSS प्रक्रिया में विलंब	DSS के कार्यभार में समग्र कमी होने के बावजूद, विवादों का समाधान करने में लगने वाले औसत समय में निरंतर वृद्धि हुई है।	• सचिवालय में अधिक संख्या में वकीलों की नियुक्ति करना, अनुवाद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पैनल की संख्या में कमी करना आदि। • विवादों के शीघ्र समाधान के माध्यम से वादी देशों की लंबित मामलों की अवधि के दौरान होने वाली आर्थिक हानियों को कम किया जा सकता।
विकासशील राष्ट्रों और LDCs को DSS तक उचित पहुंच का अभाव	DSS में समग्र रूप से विकासशील राष्ट्रों और LDCs की भागीदारी निम्न रही है।	• वार्ता चरण के दौरान विकासशील राष्ट्रों और LDCs को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। • वार्ता और परामर्श के दौरान राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने हेतु ACWL (एडवाइजरी सेंटर ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लॉ) की सहायता प्राप्त की जा सकती है। • इसके अतिरिक्त, विवादों की बढ़ती जटिलता और पुराने होते व्यापार नियमों के साथ, DSU के तहत वैकल्पिक तंत्र का उपयोग करना लाभप्रद होगा, जैसे- (1) परामर्श प्रक्रिया, (2) बेहतर कार्यालय, सुलह और मध्यस्थता प्रक्रिया (3) पंच-निर्णय (arbitration)।
सदस्यों और न्यायनिर्णयन निकायों के मध्य वार्ता हेतु कोई औपचारिक तंत्र विद्यमान नहीं है	औपचारिक तंत्र की अनुपस्थिति में, DSS के समक्ष नए मुद्दे प्रस्तुत करने और उन पर चर्चा करने हेतु सदस्य राष्ट्रों के लिए कोई मंच उपलब्ध नहीं है।	• DSB और AB के मध्य वार्षिक बैठक का आरंभ किया जाना चाहिए। • AB सदस्यों पर अनुचित दबावों से बचने के लिए ऐसी कार्यवाही के लिए पर्याप्त पारदर्शिता और बुनियादी नियमों को स्थापित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

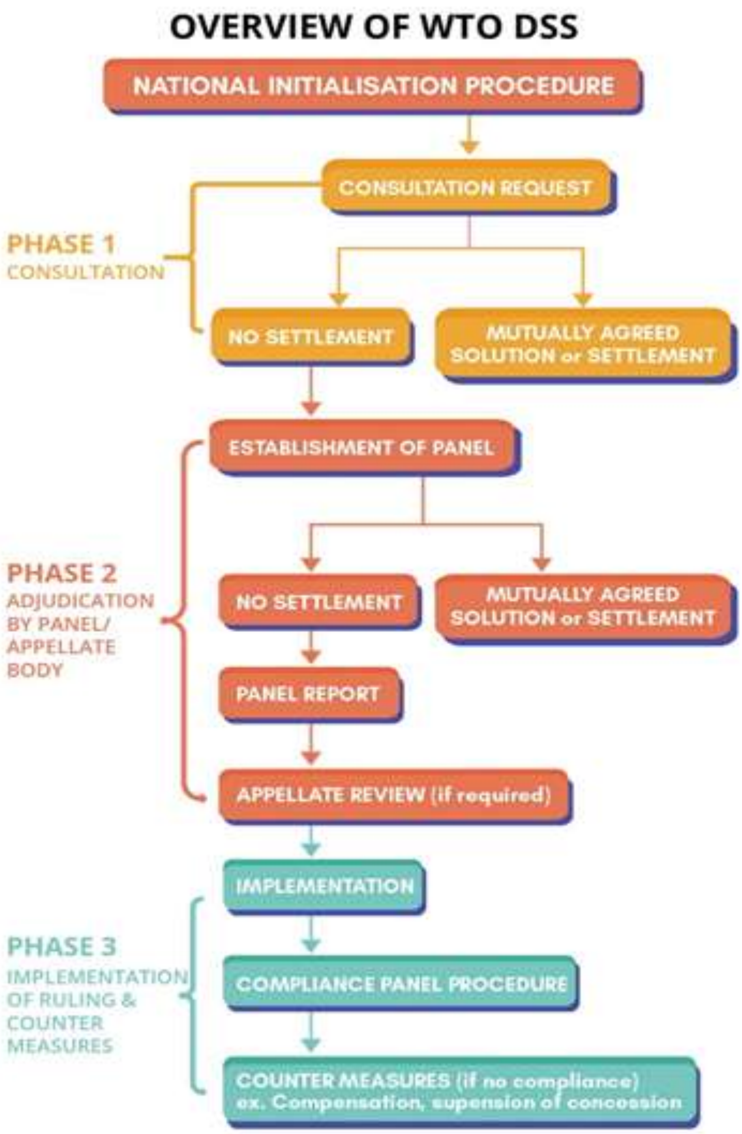

DSS के साथ भारत का अनुभव

- भारत DSS के समक्ष प्रस्तुत मामलों में सक्रिय भागीदार रहा है।
- भारत को कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक मामलों में आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे, जिससे दूरगामी कानूनी और नीतिगत सुधारों को बढ़ावा मिला:
    - **"मेल बॉक्स" पेटेंट मामले** के परिणामस्वरूप पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999 को लागू किया गया था जिसके माध्यम से मेलबॉक्स के अनुप्रयोगों के प्रतिपादन और विशेष विपणन अधिकार प्रदान करने हेतु एक विधिक आधार स्थापित किया गया।
    - **क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मामले** में भारत के विरुद्ध दिए गए निर्णय ने भारत को अपनी व्यापार नीतियों में कई सुधार करने हेतु प्रेरित किया।
- इन मामलों में मिली हार ने भारत को अपनी मानवीय और संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने, उद्योग हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने और विश्व व्यापार संगठन के समक्ष मामलों को प्रस्तुत करने संबंधी तैयारियों को सुदृढ़ करने में भी सक्षम बनाया है।
- कुछ मामलों में मिली हार ने भारत को अधिक अग्रसक्रिय वादी बनने में सक्षम बनाया है, जैसे:
    - **सौर सेल संबंधी मामले** में अनपेक्षित परिणाम प्राप्त होने के पश्चात्, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू सामग्री की आवश्यकता संबंधी इसी प्रकार के मामले में अमेरिका के विरुद्ध शिकायत दर्ज की और भारत को अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हुए।
- इसी दौरान, भारत ने WTO के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामलों को प्रस्तुत किया और अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हुए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों की स्थापना में सहायता की है।

WTO के समक्ष अन्य चुनौतियां

- **दोहा विकास वार्ता पर गतिरोध (Stalled Doha Development Round negotiations):** दोहा दौर की बातचीत के तहत कृषि, औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विद्यमान व्यापार बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालाँकि, एक दशक की बातचीत के बाद भी अभी तक किसी भी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका है।
- **बढ़ता संरक्षणवाद:** पिछले दो वर्षों में, अनेक देशों की सरकारों ने व्यापार प्रतिबंधों को पुनः आरोपित करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण गत वर्ष 747 बिलियन डॉलर का वैश्विक आयात प्रभावित हुआ था। WTO इन प्रतिबंधों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध को समाप्त करने में कम प्रभावी रहा है। इसके कारण विश्व व्यापार संगठन की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।
- **नए उभरते मुद्दे:** सदस्यों के समूह कई मुद्दों (जैसे- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, निवेश सुगमता, सेवाओं में घरेलू विनियमन आदि) पर नए नियमों की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के अत्याधुनिक क्षेत्रों में व्यापार को अधिक कुशल और पूर्वानुमान योग्य बनाना है। हालांकि, विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ते मतभेद किसी भी शुरुआती निपटान में विलंब कर रहे हैं।
- **WTO की उपेक्षा:** दोहा दौर की शुरुआत के बाद से, देशों ने नए बाजारों में महत्वपूर्ण व्यापार पहुंच प्राप्त करने और व्यापार से संबंधित नवीन पहलुओं का दोहन करने के लिए (जो वर्तमान में WTO के भीतर संबोधित नहीं किए जाते हैं) मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को अपनाया है। चूंकि कई FTAs लागू किए जा चुके हैं, अतः व्यापार को उदार बनाने में विश्व व्यापार संगठन की केंद्रीय भूमिका को पर प्रश्नचिह्न लग गया है।
- **प्रमुख मुद्दों में सीमित सफलता:** व्यापार से संबंधित अन्य वैश्विक मुद्दों, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार असंतुलन को दूर करने में WTO ने बहुत सीमित भूमिका निभाई है।
- **प्रभावी ढंग से समझौता वार्ता करने में विफलता:** 18 वर्षों से वार्ता जारी रहने के बावजूद सदस्य देश अभी भी मत्स्य सब्सिडी को सीमित करने के लिए एक समझौते तक पहुंचने में विफल रहे हैं।

11.3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान, **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council: UNHRC)** में पुनर्निर्वाचित हुआ है। ज्ञातव्य है कि, मानवाधिकार संगठनों द्वारा पाकिस्तान के **खराब मानवाधिकार इतिहास को लेकर** इसका विरोध किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की **स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** के प्रस्ताव 60/251 के तहत की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अंतर्गत प्रमुख **अंतर सरकारी संस्था** है, जो **विश्व भर में मानवाधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।** इसे विश्व में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का समाधान करने और कार्रवाई करने का भी दायित्व सौंपा गया है।
    - मानवाधिकार परिषद ने **पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को प्रतिस्थापित किया है।**
- इसमें **47 सदस्य देश** सम्मिलित हैं, जिनका निर्वाचन सामान्य: गुप्त मतदान के माध्यम से साधारण बहुसंख्यक मत से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। परिषद के सदस्यों की सदस्यता अवधि **तीन वर्षों** की होती है। **प्रत्येक वर्ष एक-तिहाई नए सदस्य निर्वाचित होते हैं।**
- परिषद की सदस्यता **सीटों के समान भौगोलिक वितरण** पर आधारित होती है। सीटों को क्षेत्रवार अग्रलिखित प्रकार से वितरित किया गया है: 13 अफ्रीकी राष्ट्र; 13 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्र; 8 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राष्ट्र; 7 पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य राष्ट्र तथा 6 पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र।
    - **संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य** परिषद की **सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं।**
    - 117 देश अब तक परिषद के सदस्य रह चुके हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विविधता को दर्शाता है और इससे UNHRC को सभी देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की वैधता प्राप्त हुई है।
- प्रत्येक वर्ष इसके तीन सत्रों का आयोजन होता है, जो कम से कम कुल 70 दिनों तक संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, किसी देश और विषय से संबंधित अत्यंत आवश्यक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए विशेष सत्र भी आहूत कर सकती है।
- इसके निर्णय, प्रस्ताव, एवं संस्तुतियां कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीनस्थ होने के कारण, इसे प्रत्यक्ष रूप से महासभा के सभी 193 सदस्यों को रिपोर्ट करना होता है। इसे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अधीन **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR)** से विशिष्ट एवं तकनीकी सहायता प्राप्त होती है।

मानवाधिकार क्या हैं?

- मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं, जो हमें केवल इसलिए प्राप्त हैं कि हम मानव हैं – **वे किसी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं।** ये सार्वभौमिक अधिकार राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या नृजातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा, या किसी अन्य दर्जे के आधार पर प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये हमारे जन्मजात अधिकार हैं।
- ये अधिकार सर्वाधिक मौलिक अधिकार अर्थात् जीवन के अधिकार से लेकर उन अधिकारों तक विस्तृत हैं, जो जीवनयापन हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं जैसे कि खाद्य, शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य व स्वतंत्रता के अधिकार।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)** को वर्ष 1948 में अंगीकृत किया गया था। यह **मौलिक मानवाधिकारों** को सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित करने वाला प्रथम कानूनी दस्तावेज़ था।
  - मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के साथ दो संविधि- **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र (the International Covenant for Civil and Political Rights)** एवं **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र (the International Covenant for Economic, Social and Cultural Rights)**- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सहिंता का आधार हैं।
- **मानवाधिकार की प्रमुख विशेषताएं**
  - **सार्वभौमिक:** मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का आधार स्तंभ है। इसका अर्थ यह हुआ है कि हम सभी हमारे मानवाधिकारों के लिए समान रूप से हकदार हैं।
  - **अपरिहार्य:** हमें इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। केवल **कुछ परिस्थितियों में तथा** विधिवत प्रक्रिया के अनुसार ही शासन द्वारा इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है।
  - **अविभाज्य और अन्योन्याश्रित:** इसका अर्थ यह हुआ कि एक प्रकार के अधिकारों को अन्य के बिना पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों में प्रगति से **आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का प्रयोग** सरल हो जाता है। इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन से कई अन्य अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा।
  - **भेदभावरहित:** यह सिद्धांत सभी प्रमुख मानवाधिकार संधियों में विद्यमान है। यह दो और महत्वपूर्ण अभिसमयों से भी प्रमुख रूप से संबंधित है, यथा- **नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय** (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) तथा **महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय** (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)।

मानवाधिकार परिषद का महत्व

- यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों के मानवाधिकार रिकॉर्ड का मूल्यांकन करती है। ऐसा प्रत्येक साढ़े चार वर्ष में **सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review)** के माध्यम से किया जाता है।
- **यह स्वतंत्र विशेषज्ञों को नियुक्त करती है,** जिसे **"विशेष प्रक्रिया" (Special Procedures)"** के रूप में जाना जाता है। इन विशेषज्ञों का कार्य विशिष्ट देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों की समीक्षा करना होता है। इसके अतिरिक्त, वे मानवाधिकार से संबंधित मामलों का परीक्षण एवं उनका संवर्धन भी करते हैं।
- यह मानवाधिकार उल्लंघन के **पीड़ितों या ऐसे पीड़ितों की ओर से सक्रियतावादी संगठनों से** मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करती है।
- **यह मानवाधिकार से संबंधित शिक्षा एवं ज्ञान के प्रचार के साथ-साथ परामर्श संबंधित सेवाओं, तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण सुविधा प्रदान करती है।** ये सुविधाएं संबंधित सदस्य राष्ट्र के परामर्श से और उनकी सहमति से प्रदान की जाती हैं।

VISION IAS

- **यह सभी प्रकार के मानवाधिकारों से संबंधित विषयगत मुद्दों पर वार्ता के लिए एक मंच के तौर पर भी कार्य करती है।**
- यह मानवाधिकार के क्षेत्र में **अंतर्राष्ट्रीय कानून को और अधिक विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को संस्तुति करती है।**
- **यह राज्यों द्वारा मानवाधिकार से संबंधित किए गए दायित्वों के पूर्ण क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करती है।** साथ ही, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों एवं शिखर सम्मेलनों में निर्धारित किए जाने वाले मानव अधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण से संबंधित लक्ष्यों एवं प्रतिबद्धताओं पर आगे कार्यवाही करने की दिशा में कार्य भी करती है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (UN Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR)

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक विभाग है। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों व संधियों में **जो अधिकार दिए गए हैं, उन सभी अधिकारों का सभी लोग पूर्णतया प्रयोग कर सकें।**
- इसको सौंपे गए दायित्व हैं- **मानवाधिकारों के उल्लंघनों को रोकना, सभी मानवाधिकारों के लिए सम्मान का भाव सृजित करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों में संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना** एवं मानवाधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र तंत्र को सुदृढ़ एवं सुचारु बनाना।
- अपने अनिवार्य दायित्व के अतिरिक्त, यह कार्यालय **संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में मानवाधिकार का दृष्टिकोण एकीकृत करने के प्रयासों का नेतृत्व करता है।**

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सीमाएं

- **सदस्यता की शर्त:** उम्मीदवारों को **मानवाधिकार के उच्च मानकों के लिए प्रतिबद्ध होना अनिवार्य** है तथा किसी राष्ट्र को मतदान करते समय नामांकित सदस्य के **मानवाधिकार रिकॉर्ड** को ध्यान में रखना होता है। जबकि ये दोनों नियम व्यवहार्य रूप से लागू होने योग्य नहीं है।
    - मानवाधिकारों को लेकर भिन्न-भिन्न विचार विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका चाहता था कि **केवल 'लोकतांत्रिक राष्ट्रों' को योग्य माना जाए।** इस प्रकार की शर्त से 'लोकतंत्र' के अर्थ को लेकर परिचर्चा करनी होती और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की शर्तों से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राथमिकता** दी जा रही है।
- **भौगोलिक कोटा प्रणाली (Geographical quota system):** कई बार, ऐसा होता है कि जितने सदस्यों का निर्वाचन आवश्यक है, उतनी संख्या में सदस्यों को क्षेत्रीय समूहों द्वारा नामित कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ देश निर्विरोध चुने जाते हैं। कई विशेषज्ञों का मत है कि इस प्रकार की परिस्थिति में पसंद का विकल्प सीमित हो जाता है और नामांकित सदस्य का **खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसका निर्वाचित होना** सुनिश्चित हो जाता है।
- **दागी लोकतंत्र:** मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित अधिकतर सदस्यों का कुछ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के मानदंडों, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में खराब रिकॉर्ड रहा है।
- **गुप्त मतदान प्रणाली:** परिषद के कुछ पर्यवेक्षकों ने चिंता प्रकट की है कि महासभा में परिषद के गुप्त मतदान निर्वाचन से उन देशों के लिए भी परिषद के लिए निर्वाचित होना सरल हो जाता है, जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड संदेह के दायरे में है।
    - इस समस्या के समाधान के लिए कुछ विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं ने परिषद के चुनाव में **खुले मतदान का प्रस्ताव** प्रस्तुत किया है, ताकि देशों को **उनके वोट के लिए सार्वजनिक रूप से जवाबदेह** ठहराया जा सके।
- **मानवाधिकार परिषद का राजनीतिकरण:** चूंकि मानवाधिकार परिषद के सदस्य अपनी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए मानवाधिकार परिषद भी अपने पूर्ववर्तियों की भांति अधिक राजनीतिक संस्था है। किसी देश की सरकार राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, इसलिए सरकारी प्रतिनिधियों से निर्मित कोई भी संस्था अनिवार्य रूप से राजनीतिक ही होती है।
    - कोई भी देश सामान्य रूप से **मानवाधिकार हितों की तुलना में अपने राष्ट्रीय हितों के पक्ष में मतदान** करता है।
- **इज़राइल और मानवाधिकार परिषद:** कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मानवाधिकार परिषद **इज़राइल के विरुद्ध पक्षपाती** है। ज्ञातव्य है कि परिषद में इस देश के विरुद्ध कई असंगत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।
    - अन्य देशों की तुलना में **इज़राइल को लेकर अधिक विशेष सत्रों का आयोजन** किया गया है। (एक चौथाई से अधिक, 28 सत्र)
    - वर्ष 2018 में **संयुक्त राज्य अमेरिका** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पृथक हो गया था तथा उस पर "राजनीतिक पक्षपात का केंद्र" होने का आरोप लगाया था, जिसने "मानवाधिकारों का उपहास किया है।"

VISION IAS

निष्कर्ष

प्राय: मानवाधिकारों को **संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण स्तंभ** माना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है कि परिषद के महत्वपूर्ण परिणाम परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर, जहां मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंधित सर्वाधिक सुधार अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए।

11.4. गुट-निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन (Non-Aligned Movement Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने **अज़रबैजान के बाकू में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के 18वें शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन के बारे में

- गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM) का उद्भव शीत युद्ध के दौरान उन राष्ट्रों के एक संगठन के रूप में हुआ था, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ औपचारिक रूप से स्वयं को संबद्ध करने की बजाय स्वतंत्र या तटस्थ रहने के दृष्टिकोण का समर्थन किया था।
- वर्ष 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशिया-अफ्रीका सम्मेलन में इस आंदोलन की आधारशिला रखी गई थी। इस सम्मेलन में ही NAM के प्रयासों को निर्देशित करने वाले **"बांडुंग के दस सिद्धांतों"** को प्रतिपादित किया गया था।
- भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया के नेतृत्व में NAM की स्थापना की गई तथा इसका **प्रथम सम्मेलन वर्ष 1961 में (बेलग्रेड)** आयोजित किया गया था।
- **वर्ष 2018 तक इसमें 120 सदस्य सम्मिलित थे,** जिसमें अफ्रीका के 53 देश, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 तथा यूरोप के 2 देश (बेलारूस व अज़रबैजान) शामिल हैं। 17 राष्ट्रों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को NAM में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- **NAM के प्रमुख सिद्धांत: गुटनिरपेक्षता की नीति** पंचशील के पांच सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत हैं:
  - एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति परस्पर सम्मान;
  - एक-दूसरे के सैन्य और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप;
  - परस्पर गैर-आक्रामकता;
  - समानता और परस्पर लाभ; तथा
  - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और आर्थिक सहयोग।

बांडुंग के दस सिद्धांत

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित इसके उद्देश्यों एवं सिद्धांतों तथा मूलभूत मानव अधिकारों का सम्मान करना।
2. प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना।
3. सभी नृजातीय समूहों और सभी राष्ट्रों (लघु एवं बड़े दोनों) के मध्य समानता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करना।
4. किसी देश के आंतरिक मामलों में गैर-व्यवधान या अहस्तक्षेप।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुरूप, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्येक राष्ट्र के आत्म संरक्षण के अधिकार का सम्मान।
6. किसी भी महाशक्ति के विशिष्ट हितों के लाभ हेतु सामूहिक सुरक्षा समझौतों (collective defence pacts) का उपयोग न करना तथा किसी भी देश द्वारा अन्य देशों के विरुद्ध दबावों का प्रयोग न करना।
7. किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग करने या आक्रमण करने या आक्रमण करने की धमकी देने का कार्य न करना।
8. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुरूप सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
9. परस्पर हितों और सहयोग का संवर्धन।
10. न्याय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान।

क्या NAM की प्रासंगिकता का ह्रास हो रहा है?

पक्ष में तर्क

- NAM को उपनिवेशवाद और शीत युद्ध की विचारधारा के विरोधी गठबंधन के तौर पर देखा जाता रहा है। ऐसे में, शीत युद्ध की समाप्ति और बदलती वैश्विक व्यवस्था के साथ NAM की प्रासंगिकता का ह्रास हो रहा है।
- भारत सहित NAM के कई सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु पूंजी उपलब्ध करवाने एवं प्रौद्योगिकी व बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने तथा विशाल बाजारों की प्राप्ति हेतु **विकसित विश्व के साथ अपनी संलग्नता को सुदृढ़ कर रहे हैं।** इससे देशों को एक साथ लाने हेतु NAM के प्रभावी एजेंडा का दायरा संकुचित होता है।

VISION IAS

- हाल के वर्षों में NAM की विश्वसनीयता में कमी आई है, क्योंकि इसे निरर्थक वार्ता मंच का दर्जा पुनः प्रदान किया गया है। इसका कारण यह है कि **NAM समस्याओं और खतरों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में असमर्थ रहा है, जिससे विकासशील विश्व के समक्ष संकट उत्पन्न हुआ है।**
- साथ ही, विकासशील देशों की शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक नीतियों पर **सदस्यों के मध्य अल्प सहमति** विद्यमान है।
- वैकल्पिक मंच, जैसे- BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका), IBSA (भारत, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और G20 आदि का उदय अतिव्यापी एजेंडों के साथ हुआ है, जो NAM की आवश्यकता तथा दायरे को कम करते हैं।

विपक्ष में तर्क

- गुटनिरपेक्षता का दर्शन और विचारधारा **रणनीतिक स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता** पर बल देती है, तथा "गुट-निरपेक्ष आंदोलन" विकासशील विश्व के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है। ये सिद्धांत सदैव प्रासंगिक रहेंगे।
- NAM को **नव स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्रों हेतु नीतिगत स्वायत्तता के लिए** एक मंच प्रदान करने हेतु सृजित किया गया था, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है।
- **विकासशील देश सम्मिलित रूप से अत्यधिक विशेषताओं को साझा करते हैं तथा समान अनुभव और साझा आकांक्षाएं रखते हैं,** यहां तक कि वे विविध लोगों, परिस्थितियों एवं विकास के स्तरों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। NAM एक विशाल समूह है, जो इस प्रकार की चुनौतियों के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाओं को आकार प्रदान कर सकता है, जैसा कि इसने अतीत में किया है।
- NAM अपने सदस्य राष्ट्रों के नेताओं के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के मुद्दों पर एक-दूसरे से भेंट करने एवं चर्चा करने हेतु **एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है।**

आगे की राह

- विश्व अब पूर्व से कहीं अधिक परस्पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, आतंकवाद, चरमपंथ, निर्धनता, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति आदि ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका सामना केवल एक साथ मिलकर किया जा सकता है, न कि तब जब विश्व विभाजित स्थिति में हो। इसके लिए दबाव के बजाय सहयोग की आवश्यकता है। संक्षेप में, प्रभावी बहुपक्षवाद ही एकमात्र समाधान बना हुआ है। NAM वह समाधान हो सकता है।
- भारत ने NAM की आवश्यकता को बदलते समय और सुधार के अनुरूप बनाए रखने तथा वर्तमान व्यवस्था एवं कार्य करने की पद्धतियों को पुनर्विलोकित करने का आह्वान किया है। यह NAM को एक सकारात्मक और अग्रगामी तथा केंद्रित एजेंडा बनाने की अनुमति प्रदान करेगा।
- NAM द्वारा किसी भी विचारधारा या राष्ट्रों के पक्ष में या उनके विरुद्ध दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। बल्कि, NAM को विभिन्न क्षेत्रकों की विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए, जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे- आतंकवाद से निपटना, वैश्विक शासन सुधार, सतत विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग।
- उल्लेखनीय है कि 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था के लिए NAM जैसे लोकतांत्रिक, प्रभावी, लचीली, विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रतिनिधित्वकारी तथा बहुपक्षीय संगठन की आवश्यकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

हाल ही में, गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संपर्क समूह (Contact Group) के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की थीम (विषय) **"यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19"** थी। भारतीय प्रधान मंत्री ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उनके भाषण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड-19 से संघर्ष करने हेतु वास्तविक जन आंदोलन का निर्माण करने के लिए **लोकतंत्र (democracy), अनुशासन (discipline) और निर्णायकता (decisiveness)** का एक साथ सहयोग लिया जा सकता है।
- उन्होंने NAM के **सभी देशों के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं, संकट-प्रबंधन प्रोटोकॉल, अनुसंधान और संसाधनों को एक मंच पर लाने का आह्वान** किया।
- NAM को **विश्व की नैतिक आवाज़** बताते हुए, उन्होंने आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों के अनुरूप सभी NAM देशों से एक **समावेशी और सहयोगी वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान** किया।
- उन्होंने **आतंकवाद, फर्जी समाचार और विवादास्पद वीडियो** को एक ऐसे घातक वायरस के रूप में उल्लेख किया, जो समुदायों और देशों को विभाजित करता है।

- मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सीमाओं की ओर इंगित करते हुए उन्होंने अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया।
- उन्होंने मानव कल्याण को बढ़ावा देने और केवल आर्थिक संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित नहीं करने का सुझाव दिया।
- उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient infrastructure) जैसी भारतीय पहलों पर प्रकाश डाला।

NAM और सामरिक स्वायत्तता

- सामरिक स्वायत्तता किसी देश की अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और अन्य देशों द्वारा किसी भी तरीके से बाधित किए बिना अपनी पसंदीदा विदेश नीति को अपनाने की क्षमता को दर्शाती है। अपने शुद्ध रूप में, सामरिक स्वायत्तता एक देश के अधिक श्रेष्ठ शक्ति रखने वाली अवस्था की पूर्वधारणा पर आधारित है।
- NAM को भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में अपनी सामरिक स्वायत्तता को संरक्षित करने के प्रयास के रूप में देखा गया था, जब शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 ध्रुवों में विभाजित था।
- NAM ने इस स्वायत्तता की रक्षा के लिए नव स्वतंत्र विकासशील देशों को एक मंच प्रदान किया। हालाँकि, शीत युद्ध की समाप्ति और उपनिवेशवाद एवं रंगभेद के अंत के साथ, यह देखा गया कि गुटनिरपेक्षता ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है, क्योंकि यह परिवर्तित होती वैश्विक व्यवस्था के अनुसार खुद को समायोजित करने में विफल रहा है।
- हालांकि, सामरिक स्वायत्तता का विचार अभी भी और हमेशा से प्रासंगिक रहा है। कोविड-19 के पश्चात् के युग में, विश्व में एक नई वैश्विक व्यवस्था के उभरने की अपेक्षा है। वैश्विक मामलों में एक स्वतंत्र ध्रुव बनने के इच्छुक राष्ट्र के रूप में, भारत स्वयं के हित के मुद्दों पर समर्थन जुटाने में NAM जैसे मंचों का अधिक उपयोग कर सकता है।

11.5. भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित {India Elected Non-Permanent Member of UN Security Council (UNSC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत दो वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है।

UNSC में भारत की प्राथमिकताएँ

UNSC में निर्वाचन अभियान के दौरान, विदेश मंत्रालय ने भारत की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक विवरणिका (brochure) जारी की थी। इसके अनुसार, भारत का समग्र उद्देश्य **नॉर्म्स** अर्थात् "एक दुरुस्त बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए नवीन अभिविन्यास" (**N**ew **O**rientation for a **R**eformed **M**ultilateral **S**ystem: **NORMS**) की प्राप्ति करना है। भारत ने कहा है कि वह **नॉर्म्स** के तहत अति महत्वपूर्ण पांच प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होगा। इन प्राथमिकताओं में शामिल हैं:

- **प्रगति के नए अवसर:** भारत, नियमों का पालन करने वाले लोकतंत्र के रूप में और वैश्विक प्रक्षेत्रों (ग्लोबल कॉमन्स) में सकारात्मक योगदानकर्ता के रूप में, सहभागियों के साथ रचनात्मक रीति से कार्य करेगा, जैसे-
  - विकास को प्रोत्साहित करने हेतु अभिनव एवं समावेशी समाधानों का सृजन करना;

- महिलाओं और युवाओं की व्यापक भागीदारी द्वारा नए प्रतिमान को आकार प्रदान करना; तथा

- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी प्रतिक्रिया:** भारत, UNSC की ठोस और परिणामोन्मुखी कार्रवाई का अनुसरण करेगा, जैसे-
  - आतंकवादियों द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communications Technology: ICT) के दुरुपयोग से निपटना,
  - प्रायोजकों (धन अथवा अन्य सहायता उपलब्ध करवाने वाले) और अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक संस्थाओं के साथ उनके गठजोड़ को समाप्त करना,
  - आतंकवाद की ओर वित्त के प्रवाह को रोकना, तथा
  - अन्य बहुपक्षीय मंचों के साथ व्यापक समन्वय के लिए मानक और क्रियाशील ढांचे को सशक्त करना।
- **बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार:** विद्यमान बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा परिणाम प्राप्त करने अथवा नई चुनौतियों का सामना करने में अक्षमता पर व्यापक सरोकार।
  - **सुधारित बहुपक्षवाद (Reformed multilateralism):** कोविड-19 वैश्विक महामारी के पश्चात् बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार अपरिहार्य है।
  - प्रथम और महत्वपूर्ण कदम, सुरक्षा परिषद का सुधार करना है। इसे समकालीन वास्तविकताओं को अधिक प्रभावी रूप से प्रकट करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण:**
  - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत का दृष्टिकोण- संवाद एवं सहयोग, परस्पर सम्मान तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित होता है।
  - संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का कार्य काफी समय से लंबित है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन अभियानों में व्यापक स्पष्टता, दिशा और दक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **समाधान के चालक के रूप में मानवीय स्पर्श के साथ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना:** भारत तकनीकी नवाचार के लाभों का दोहन करने के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा, जैसे-
  - मानवीय पीड़ा को कम करना,
  - जीवनयापन में सुधार करना तथा
  - प्रत्यास्थ समुदायों (resilient communities) का निर्माण करना।

भारत इन प्राथमिकताओं को **पांच-"स" दृष्टिकोण (Five-S approach)** के माध्यम से आगे बढ़ाएगा, यथा- सम्मान (Respect), संवाद (Dialogue), सहयोग (Cooperation), सार्वभौमिक शांति (Peace) और समृद्धि (Prosperity)।

11.6. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping Forces)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, साउथ सूडान में तैनात भारतीय शांति सैनिकों ने प्रतिष्ठित **यू.एन. मेडल** (संयुक्त राष्ट्र पदक) प्राप्त किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- साउथ सूडान में सेवारत लगभग 850 भारतीय शांति सैनिकों को "संघर्षरत राष्ट्र में शांति स्थापित करने और स्थानीय समुदायों की सहायता करने हेतु" उनकी सेवा एवं योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है।
- वर्तमान में, **2,342 भारतीय सैनिक और 25 पुलिस कर्मी यू.एन. मिशन इन साउथ सूडान (UNMISS)** के तहत तैनात हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाले पदक

- **डेग हम्मरस्कॉल्ड पदक (Dag Hammarskjöld Medal):** शांति अभियान में शहीद हुए सैनिकों को **मरणोपरांत** प्रदत्त सम्मान।
- **कैप्टन म्बाए डियाग्ने (Captain Mbaye Diagne) पदक:** इससे उन सैन्य, पुलिस एवं असैन्य संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संबद्ध कर्मियों को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया हो।
- **सयुंक्त राष्ट्र पदक:** इससे **संयुक्त राष्ट्र की सेवा में कार्यरत** सैन्य कर्मियों और नागरिक पुलिस को सम्मानित किया जाता है।

यू.एन. पीसकीपिंग (संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान) के सिद्धांत:

ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं तथा अंतर-संबंधित एवं पारस्परिक समर्थन

VISION IAS

पर निर्भर हैं:

- **पक्षकारों की सहमति:** संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को संघर्षरत मुख्य पक्षकारों की सहमति से ही परिनियोजित किया जाता है।
- **निष्पक्षता:** शांति सैनिकों को संघर्षरत पक्षकारों के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्ष होना चाहिए, किन्तु अपने अधिदेश के निष्पादन में तटस्थ नहीं होना चाहिए।
- **आत्म-रक्षा और अधिदेश की रक्षा के अतिरिक्त अन्य परिस्थिति में बल प्रयोग नहीं:** संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान एक प्रवर्तनीय उपकरण नहीं है। हालांकि, यदि इनके द्वारा अधिदेश की रक्षा एवं आत्मरक्षा में कार्य किया जाता है, तो ये सुरक्षा परिषद के प्राधिकार के साथ सामरिक स्तर पर बल का प्रयोग कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में

- यू.एन. पीसकीपिंग वस्तुतः संघर्षरत देशों में दीर्घस्थायी शांति स्थापित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकसित एक उपाय है।
- **प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन** मई 1948 में तब स्थापित किया गया था, जब इज़राइल और उसके अरब पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य युद्धविराम समझौते की निगरानी हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों के परिनियोजन को अधिकृत किया था।
- वर्तमान में, 125 देशों से 1,10,000 से अधिक सैन्य, पुलिस और असैन्य कर्मी 14 शांति अभियानों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का वित्तीयन, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के सामूहिक अंशदान से होता है। शांति अभियानों की स्थापना, प्रबंधन या प्रसार के संबंध में निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाते हैं।

यू.एन. पीसकीपिंग में भारत का योगदान

- यू.एन. पीसकीपिंग में भारत अपना योगदान 1950 के दशक में इसके प्रारंभ होने के समय से ही कर रहा है, जब भारतीय सेना ने वर्ष 1950 से वर्ष 1954 तक **कोरियाई युद्ध के दौरान सैन्य एवं चिकित्सीय सहायता** का योगदान दिया था।
- भारत ने **विगत 70 वर्षों में 50 से अधिक यू.एन. पीसकीपिंग मिशन** के लिए **2 लाख** से अधिक सैन्य एवं पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराए हैं।
- वर्तमान में भारत साइप्रस, कांगो, हैती, लेबनान, मध्य पूर्व, साउथ सूडान और वेस्टर्न सहारा में 7,500 से अधिक कर्मियों को तैनात करने के साथ **विश्व में अधिकतम सैन्य योगदानकर्ताओं** में से एक है, जो लोगों का जीवन बचाने, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने तथा एक स्थायी शांति की स्थापना हेतु मंच सृजित करने में सहायता कर रहे हैं।
- विगत 70 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति अभियानों में भारत के ही सर्वाधिक सैनिक शहीद हुए हैं। इस दौरान भारत से 168 सैन्य, पुलिस और असैन्य कर्मी अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हैं।
- **यू.एन. पीसकीपिंग मिशन में महिलाओं को भेजने की भारत की एक दीर्घकालिक परंपरा** रही है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए एक पूर्ण महिला सैन्यदल तैनात करवाने वाला भारत प्रथम देश बना था।
- **भारत के विशिष्ट योगदान:**
    - इरीट्रिया में, भारतीय अभियंताओं ने **यू.एन. मिशन इन इथियोपिया एंड इरिट्रिया (UNMEE)** के एक भाग के रूप में सड़कों का जीर्णोद्धार करने में सहायता की थी।
    - भारतीय चिकित्सकों ने विश्व भर के शांति मिशनों में स्थानीय जनसंख्या को भी चिकित्सीय देखभाल प्रदान की है।
    - शांति सैनिकों ने योग की प्राचीन भारतीय प्रथा को संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भी प्रचलित किया है।

11.7. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (United Nations Convention on the Law of The Sea: UNCLOS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) ने केरल के दो मछुआरों की हत्या से संबंधित एनरिका लेक्सी मामले में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS) के अंतर्गत अपना निर्णय दिया है।

स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration: PCA)

- इसे वर्ष 1899 में हेग में संपन्न **कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स** द्वारा स्थापित किया गया था।
- **यह एक अंतर-सरकारी संगठन है** जो राष्ट्रों, राष्ट्र संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों के विविध संयोजनों को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार की विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करता है।
- PCA में **तीन-भागों वाली एक संगठनात्मक संरचना** है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं यथा:
    - एक प्रशासनिक परिषद, जो इसकी नीतियों और बजट की देखरेख करती है,

- ○ **मेंबर्स ऑफ़ द कोर्ट** के रूप में ज्ञात स्वतंत्र सक्षम मध्यस्थों का एक पैनल तथा
- ○ **इंटरनेशनल ब्यूरो** के नाम से जाना जाने वाला एक सचिवालय, जिसकी अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है।
- इसका **मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में** स्थित है।
- **भारत इसका सदस्य देश है।**

UNCLOS के तहत विवाद समाधान तंत्र

UNCLOS समुद्री सीमाओं के संबंध में एक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है, जिसके तहत सदस्य देश विवादों के निपटान हेतु निम्नलिखित में से किसी एक का चयन कर सकते हैं:

- इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ़ द सी (ITLOS)
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)
- आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (परिशिष्ट VII, UNCLOS के अनुसार गठित)
- स्पेशल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (परिशिष्ट VIII, UNCLOS के अनुसार गठित)।

UNCLOS के बारे में

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे तृतीय **यूनाइटेड नेशंस कांफ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS III)** के दौरान अपनाया गया था।
  - ○ इसे वर्ष 1982 में स्वीकार किया गया था तथा वर्ष 1958 की **कन्वेंशन ऑन द हाइ सीज़** को इससे प्रतिस्थापित कर दिया गया था। वर्ष 1994 में इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था।
- यह विश्व के महासागरों का राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले उपयोग हेतु **राष्ट्रों के अधिकारों व उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है** तथा इससे संबद्ध व्यवसायों, पर्यावरण और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करता है।
- **भारत द्वारा वर्ष 1982 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे** और वर्ष 1995 में इसकी अभिपुष्टि कर दी गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए इस कन्वेंशन द्वारा **तीन नए संस्थानों** का गठन किया गया है:

इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ़ द सी (ITLOS)	इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA)	कमिशन ऑन द लिमिट्स ऑफ़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ (CLCS)
• **यह UNCLOS द्वारा** कन्वेंशन के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबद्ध विवादों के निर्णयन हेतु **स्थापित एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है।** • **कवेंशन से संबद्ध विवादों में शामिल हैं,** यथा- समुद्री जीवित संसाधनों से संबंधित विवाद, समुद्री क्षेत्र के परिसीमन, संरक्षण और परिरक्षण, नौसंचालन, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन तथा समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित मुद्दे। • इसे 21 स्वतंत्र सदस्यों के सहयोग से गठित किया गया है। • विवादों की सुनवाई हेतु **कन्वेंशन के पक्षकार देशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय उपक्रम और निजी संस्थाएं भी अपील दायर कर सकती** हैं।	• यह किंग्स्टन, जमैका में स्थित एक अंतर-सरकारी निकाय है, **जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS) द्वारा स्थापित किया गया है।** • यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र (जो अधिकांश महासागरों में अवस्थित है) में सभी खनिज संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन, **विनियमन और नियंत्रण हेतु अधिदेशित है।** • UNCLOS, 1982 के सभी पक्षकार देश ISA के सदस्य हैं।	• इसे किसी तटीय राज्य के 200 समुद्री मील से परे **महाद्वीपीय मग्नतट की बाह्य सीमाओं के निर्धारण में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण भूमिकाओं के निर्वहन हेतु** निर्दिष्ट किया गया है। ○ 200 समुद्री मील से परे महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्र से संबंधित तटीय राज्य के **दावे का मूल्यांकन करता है।** ○ अपने दावे को प्रस्तुत करने के दौरान **तटीय राज्य को वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श प्रदान करना।** • **इसमें 21 सदस्य शामिल होंगे,** जो भू-विज्ञान, भू-भौतिकी या हाइड्रोग्राफी (जलराशि विज्ञान) के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, जो **कन्वेंशन के तहत** सदस्य राष्ट्रों द्वारा पक्षकार देशों से ही चयनित किए जाते हैं।

VISION IAS

UNCLOS द्वारा समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य ज़ोन्स में विभाजित किया गया है:

- तटीय राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर **तट के साथ एक आधार रेखा (बेसलाइन) नामक निम्न-जल रेखा का निर्धारण किया गया है।**
- **आंतरिक जल (Internal Waters):** ये आधार रेखा से भूमि की ओर स्थित जल क्षेत्र है, जहाँ से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई का मापन किया जाता है।
- **प्रादेशिक सागर (Territorial Sea):** इसके तहत आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील (nautical miles: nm) तक विस्तारित क्षेत्र शामिल है।
    - तटीय राज्यों का प्रादेशिक सागर पर भी पूर्ण अधिकार होता है। ये अधिकार न केवल सतह पर बल्कि समुद्र तल, अधोभूमि (subsoil) और यहां तक कि हवाई क्षेत्र तक विस्तारित है।

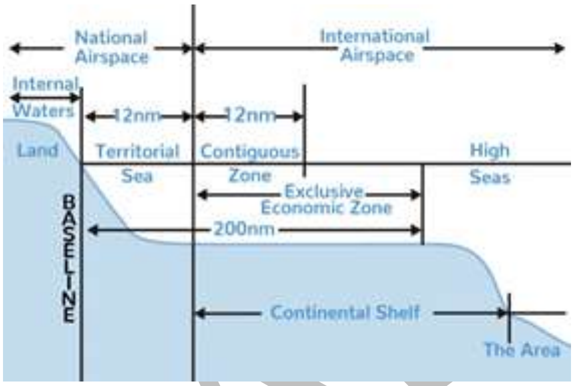

- **संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone):** इसके तहत बेसलाइन से समुद्र की ओर 24 nm तक विस्तारित क्षेत्र शामिल है।
    - तटीय राज्य को अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय समुद्र के भीतर राजकोषीय, आप्रवासन, स्वच्छता और सीमा शुल्क क़ानूनों के उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।
    - प्रादेशिक समुद्र के विपरीत, संलग्न क्षेत्र राज्य को केवल समुद्र की सतह और तल पर ही अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। परन्तु यह हवाई एवं अंतरिक्ष अधिकार उपलब्ध नहीं करवाता है।
- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ):** प्रत्येक तटीय राज्य अपने प्रादेशिक सागर के परे और सन्निकट क्षेत्र का EEZ के रूप में दावा कर सकता है, जो इसकी आधार रेखा से 200 nm तक विस्तारित होता है।
    - EEZ के भीतर तटीय राज्य, समुद्र तल और अधोभूमि पर पाए जाने वाले जीवित एवं निर्जीव प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं।
    - तटीय राज्यों को जल, जल-धाराओं और वायु आधारित ऊर्जा के उत्पादन से संबद्ध गतिविधियों के कार्यान्वयन का अधिकार प्राप्त होता है।
- **उच्च सागर:** EEZ से परे सागरीय सतह और जल पृष्ठों को उच्च सागर के रूप में संदर्भित किया जाता है।
    - यह किसी भी राष्ट्र के अधिकार-क्षेत्र के दायरे से बाहर होते हैं अर्थात इन पर किसी का अधिकार नहीं होता है। राज्यों द्वारा इन क्षेत्रों में केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है जैसे कि- पारगमन, समुद्री विज्ञान और सागरीय नितल से संबंधित अन्वेषण।

11.8. परमाणु अप्रसार संधि के 50 वर्ष (Nuclear Non-Proliferation Treaty at 50)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, परमाणु अप्रसार संधि, जो वर्ष 1970 में प्रभावी हुई थी, ने अपनी 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है।

परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT) के बारे में

- **उद्देश्य:** परमाणु हथियारों और परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना, परमाणु निरस्त्रीकरण और सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- इसे **"वैश्विक परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण की आधारशिला"** के रूप में वर्णित किया गया है तथा यह सर्वाधिक व्यापक रूप से अनुपालन की जाने वाली वैश्विक संधियों में से एक है।
- यह संधि परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बाध्यकारी प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करने वाली एकमात्र बहुपक्षीय संधि है।
- भारत द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस संधि में 5 परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों सहित कुल **191 सदस्य देश** हैं।
- यह संधि **परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों** (Nuclear-Weapon States: NWS) को ऐसे देशों के रूप में परिभाषित करती है, जिन्होंने **1 जनवरी 1967** से पूर्व परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और परीक्षण कर लिया था। इसके तहत परमाणु हथियार संपन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तथा चीन सम्मिलित हैं।
    - उपर्युक्त के अतिरिक्त चार अन्य राष्ट्रों, यथा- **भारत, पाकिस्तान, इज़राइल** और **उत्तर कोरिया** ने भी परमाणु हथियार बना लिए हैं अथवा धारण करते हैं।
    - ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त चार देश NPT के **पक्षकार नहीं हैं।**

VISION IAS

- इस संधि के परिचालन की समीक्षा करने और इसे सुदृढ़ करने के साधनों पर विचार करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में **NPT समीक्षा सम्मेलन** का आयोजन किया जाता है।

NPT द्वारा प्राप्त उल्लेखनीय सफलता

- **शीत युग की दो महाशक्तियों के परमाणु हथियारों की संख्या में नाटकीय कमी:** परमाणु हथियारों की संख्या वर्ष 1986 के 70,300 से कम होकर वर्तमान में लगभग 14,000 रह गई हैं, जिसमें से 12,500 से अधिक परमाणु हथियार केवल अमेरिका और रूस के पास दर्ज किए गए हैं।
- **वैश्विक स्तर पर प्रसार को सफलतापूर्वक प्रतिबंधित किया गया:** कुछ ही देश इस संधि के दायरे से बाहर हैं तथा उन्होंने अपने परमाणु हथियार विकसित किए हैं।
    - वर्ष 1970 के उपरांत से, केवल चार अन्य देशों ने ही परमाणु हथियार विकसित किए हैं, जिससे वर्तमान में परमाणु-हथियार वाले देशों की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है।
- **जाँच-पड़ताल के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल:** यह निरीक्षकों को संदेहास्पद कार्यकलापों के स्थानों पर जाँच-पड़ताल करने का अधिकार प्रदान करता है। यह संधि **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** की निगरानी में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।
    - इसने ईरान परमाणु समझौते में परमाणु निरीक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार की अवधारणा उत्तर कोरिया के साथ आने वाले वर्षों में किसी भी परमाणु समझौते में प्रयोग की जा सकेगी।
- **परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का निर्माण:** इसके अतिरिक्त, विश्व के विभिन्न देशों ने परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के प्रयोजनार्थ अपनी प्रतिबद्धता की ठोस अभिव्यक्ति के रूप में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency: IAEA) के बारे में

- इसकी स्थापना वर्ष 1957 में परमाणु सहयोग और परमाणु प्रौद्योगिकियों के सावधनीपूर्वक, सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अंतर्गत **एक विशेषीकृत एजेंसी** है, परन्तु इसकी स्थापना स्वयं इसकी अंतर्राष्ट्रीय संधि **"IAEA संविधि"** के माध्यम से हुई है।
- इसकी **तीन प्रमुख भूमिकाएँ** निम्नलिखित हैं:
    - विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से विकासशील देशों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के संदर्भ में;
    - असैन्य उपयोग में परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्रियों हेतु परमाणु संबंधी सुरक्षा एवं संरक्षा को प्रोत्साहित करना; तथा
    - 900 से अधिक असैन्य प्रतिष्ठानों में जाँच करके यह सत्यापित करना कि परमाणु सामग्री का उपयोग परमाणु हथियार निर्माण में तो नहीं किया जा रहा है।
- IAEA परमाणु अप्रसार संधि का पक्षकार नहीं है, परंतु इस संधि के तहत यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय रक्षोपाय निरीक्षक के रूप में तथा परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों को स्थानांतरित करने के एक माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का संपादन करती है।

विद्यमान चिंताएं

- **P5 सदस्यों में निहित शक्ति:** NPT द्वारा मान्यता प्राप्त पांच परमाणु हथियार संपन्न देश (N-5) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य (P-5) भी हैं, जो इस अपरिहार्य निष्कर्ष का सृजन करते हैं कि **परमाणु हथियार, राजनीति और सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है।**
- **परमाणु शस्त्रागार हेतु निवेश में वृद्धि और नई तकनीकों का उदय:** नवीन प्रौद्योगिकियां एवं हथियारों के प्रकार (जैसे- आक्रामक साइबर, अंतरिक्ष-रोधी और हाइपरसोनिक हथियार) सुरक्षात्मक परिवेश को और अधिक अस्थिर बना सकते हैं।

- ○ **रूस** विभिन्न विशिष्ट परमाणु क्षमताओं में नए निवेशों के साथ परमाणु हथियारों पर अत्यधिक निर्भर हो रहा है।
- **अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षात्मक परिवेश:** संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA) से अमेरिका का बाहर होना; ईरान द्वारा अपने संवर्धन कार्यक्रम का पुनर्निर्माण किया जाना और सऊदी अरब-ईरान के मध्य तनाव में वृद्धि; तुर्की की परमाणु शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षाएँ; अमेरिका-उत्तर कोरिया के मध्य वार्ता में विराम इत्यादि कारण देशों को परमाणु प्रसार का मार्ग अपनाने के लिए ध्रुवीकृत या प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **गैर-अनुपालन:** यह अप्रसार के संबंध में NPT के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौती है। NPT के प्रावधानों और अपने रक्षोपाय दायित्वों का पालन करने में कुछ गैर-परमाणु हथियार सदस्यों (Non-NWS) की विफलता विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाती है तथा संधि के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक भी सिद्ध होती है।
  - ○ NPT, गैर-हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों, यथा- भारत, इज़राइल और पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियारों के विकास की सीमा निर्धारित करने और पूर्व NPT हस्ताक्षरकर्ता, **उत्तर कोरिया** को परमाणु हथियार बनाने से रोकने में विफल रही है।
- **हथियारों का अधिग्रहण:** NPT एक गैर-परमाणु हथियार वाले देश को परमाणु हथियार रखने से प्रतिबंधित नहीं करती है (यह अधिग्रहण को प्रतिबंधित करती है, परन्तु सैद्धांतिक रूप से कोई देश गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्य के रूप में NPT पर हस्ताक्षर कर सकता है और पूर्व में निर्मित हथियारों को बनाए रख सकता है।)
  - ○ संधि के अंतर्गत **उल्लंघन या परित्याग की स्थिति में प्रतिबंध** से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

आगे की राह

- **संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस पर अधिक उत्तरदायित्व:** वे **न्यू स्टार्ट (START) संधि को वर्ष 2026** तक विस्तारित करने और परमाणु हथियार तथा संबंधित मुद्दों की समग्र शृंखला को शामिल करने के लिए गहन रणनीतिक स्थिरता वार्ता प्रारंभ करने पर सहमत होकर स्वयं परमाणु निरस्त्रीकरण में सहायता कर सकते हैं। साथ ही **चीन** को रणनीतिक स्थिरता वार्ता में संलग्न करना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
- **वर्ष 2017 में अंगीकृत परमाणु हथियारों के निषेध पर नई संधि का पालन करना:** यह परमाणु निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में सदस्य-पक्षकारों के लिए **NPT के अनुच्छेद VI के दायित्व** में एक सुदृढ़ योगदान करेगा।

NPT पर भारत का पक्ष

- भारत ने इस आधार पर इस संधि में शामिल होने से मना कर दिया था कि **यह भेदभावपूर्ण है तथा देशों का समूहीकरण** करती है।
- भारत का मानना है कि यह एक **पक्षपातकारी विधिक उपकरण** है, जिसने विश्व को "परमाणु संपन्न" और "गैर-परमाणु संपन्न" दो भागों में विभाजित कर दिया है।
- भारत ने एक गैर-परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के तौर पर NPT में शामिल होने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि **परमाणु हथियार भारत की सुरक्षा का एक अभिन्न अंग** हैं।
  - ○ चूँकि, भारत के दो पड़ोसी राष्ट्र परमाणु संपन्न है तथा इनमें से एक ने अपने परमाणु शस्त्र भंडार को भारत-विशिष्ट घोषित किया हुआ है, अत: इसके परिणामस्वरूप भारत ने स्वयं को अनिच्छा से परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया है।
  - ○ इस संधि में देशों द्वारा परमाणु ऊर्जा तक पहुँच मिलने के प्रतिफल में परमाणु हथियार निर्माण की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना का त्याग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु निरस्त्रीकरण की अवधारणा की स्थापना के पश्चात् से ही **वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का लगातार समर्थन किया है।**
- हालांकि, भारत के NPT में शामिल न होने के बावजूद, **परमाणु अप्रसार पर भारत का अविवादित रिकॉर्ड और परमाणु हथियारों पर लगातार उत्तरदायी स्थिति** ने वर्ष 2008 में **भारत-अमेरिका परमाणु समझौते** को सफलतापूर्वक संपन्न करने और **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)** के दिशा-निर्देशों से छूट प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। साथ ही, भारत परमाणु क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पुनः प्रारम्भ करने और अंतर्राष्ट्रीय असैन्य परमाणु बाजार तक पहुंच प्राप्त करने में भी सफल हुआ है।

प्रमुख वैश्विक परमाणु संधियाँ और व्यवस्थाएं

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Test Ban Treaty: CTBT)

- वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई यह संधि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाती है। यह संधि उन सभी 44 राष्ट्रों द्वारा इसकी पुष्टि करने के पश्चात् लागू होगी, जो संधि की वार्ता और इसके अंगीकृत किए जाने के समय परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र थे। भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW)

VISION IAS

- इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2017 में अपनाया गया था। यह संधि अक्टूबर 2020 में लागू हुई।
- यह राज्य पक्षकारों द्वारा परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, अधिग्रहण, स्वामित्व, या एकत्रीकरण को प्रतिबंधित करती है।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (Conference on Disarmament: CD)

- इसे वर्ष 1979 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए **एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच (single multilateral disarmament negotiation forum)** के रूप में गठित किया गया था। ज्ञातव्य है कि निरस्त्रीकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly: UNGA) के प्रथम विशेष सत्र के दौरान (वर्ष 1978) सदस्य देशों के मध्य एक समझौता सम्पन्न होने के पश्चात् यह अमल में आया था।
- वर्ष 1996 में CTBT की समझौता वार्ता के समापन के बाद से, CD में गतिरोध बना हुआ है। अभी भी इसके कुछ बिंदुओं पर आम सहमति नहीं बन पाई है और इस प्रकार इस पर मौलिक रूप से विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

विखंडनीय पदार्थ कटौती संधि (Fissile Material Cut-off Treaty: FMCT):

- यह एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों के दो मुख्य घटकों, यथा- उच्च संवर्द्धित यूरेनियम (Highly-Enriched Uranium: HEU) और प्लूटोनियम के उत्पादन को प्रतिबंधित करेगा।
- न तो इस संधि पर समझौता वार्ता हुई है और न ही इसकी शर्तों को परिभाषित किया गया है।

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (Multilateral Export Control Regimes: MECR)

- ये प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों की स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी व्यवस्थाएं हैं, जिनका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of Mass Destruction: WMD) तथा उनसे संबंधित उपकरणों और प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं उनके वितरण को रोकना है।
- वर्तमान में MECR के तहत चार ऐसी व्यवस्थाएं हैं:
  - **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group: NSG) (वर्ष 1975):** यह उन 48 परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है, जो केवल उन देशों को संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकी निर्यात करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कठोर अप्रसार मानकों का पालन करते हैं।
  - **ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group) (वर्ष 1985):** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात से रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में वृद्धि नहीं हो। इसका गठन ईरान-इराक युद्ध (वर्ष 1980-1988) के दौरान इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के उपयोग किए जाने से प्रेरित था।
  - **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime: MTCR) (वर्ष 1987):** इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल और मानव रहित हवाई यान प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।
  - **वासेनार अरेंजमेंट (वर्ष 1996):** इसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों तथा दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकियों (dual-use goods and technologies) के हस्तांतरण में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता में योगदान करना है।
- भारत NSG को छोड़कर उपर्युक्त चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में से तीन का सदस्य है।

11.9. ओपन स्काई संधि (Open Skies Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह **ओपन स्काई संधि** से पृथक हो जाएगा, क्योंकि रूस ने "निरंतर और प्रत्यक्ष रूप से" इस संधि का उल्लंघन किया है।

ओपन स्काई संधि (Open Skies Treaty: OST) के बारे में

- OST एक समझौता है, जो प्रत्येक पक्षकार देश को सैन्य बलों और गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने हेतु अन्य देशों के क्षेत्रों पर **अल्प सूचना (शॉर्ट-नोटिस) पर निःशस्त्र व आवीक्षण उड़ानों का संचालन करने की अनुमति प्रदान करता है।**
- इसका उद्देश्य पक्षकार देशों की ओवरफ्लाईट्स (विदेशी क्षेत्र पर उड़ान) में भागीदारी के माध्यम से उनके मध्य **विश्वास और मित्रता का निर्माण करना है।**
- वर्ष 1992 में OST पर हस्ताक्षर किए गए और यह वर्ष 2002 में लागू हुई।

VISION IAS

- वर्तमान में **34 राष्ट्र इस संधि के पक्षकार हैं** जबकि 35वें, सदस्य देश किर्गिस्तान ने हस्ताक्षर तो किया है, परन्तु अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है। प्रमुख सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और तुर्की जैसे **उत्तरी अमेरिकी एवं यूरोपीय राष्ट्र** शामिल हैं।
  - भारत व चीन इस संधि के सदस्य नहीं हैं।
- हालांकि पक्षकारों को किसी सदस्य के सभी क्षेत्रों में ओवरफ्लाई की अनुमति प्रदान की जाती है, परन्तु यह संधि **प्रवेश और निकास तथा ईंधन भरने वाले हवाई क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्रों को निर्धारित करती है।**
- **ओपन स्काइज कंसल्टेटिव कमीशन (OSCC),** जिसमें सभी पक्षकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, OST के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

11.10. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ष 2003 से अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) के अधिकारियों पर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किए हैं।

ICC के बारे में

- ICC एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराधों अर्थात् **नरसंहार के अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रामकता संबंधी अपराध** करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों की **जांच, अभियोग चलाने और सुनवाई करने** के लिए स्थापित किया गया है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1998** में ICC की **रोम संविधि (Rome Statute)** के तहत की गई थी।
  - इस न्यायालय की अधिकारिता **केवल 1 जुलाई, 2002 के उपरांत किए गए अपराधों** पर है, क्योंकि इस तिथि को ही **रोम संविधि लागू** हुई थी।
- 123 देश **रोम संविधि** में पक्षकार के रूप में शामिल हैं।
  - इस संधि पर अभी तक **हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों** में शामिल हैं: **भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की** आदि।
  - **जिन देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, परन्तु इसकी अभिपुष्टि नहीं की** उनमें मिस्र, ईरान, इज़राइल, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल हैं।
  - बुरुंडी और फिलीपींस ICC में शामिल हुए थे, परन्तु बाद में उन्होंने इसका त्याग कर दिया था।
- ICC **राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणालियों को प्रतिस्थापित नहीं** करता है; बल्कि, यह उनका पूरक है।
- **इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तरीके से मामलें प्रस्तुत किए जाते हैं:**
  - एक सदस्य देश अपने राज्यक्षेत्र के भीतर के मामलों को ICC को संदर्भित कर सकता है;
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी मामले को संदर्भित कर सकती है; तथा
  - अभियोजक किसी सदस्य राज्य में **स्वप्रेरणा (proprio motu)** या **"स्वयं की पहल पर"** एक जांच शुरू कर सकता है।

रोम संविधि (Rome Statute) पर भारत की प्रमुख आपत्तियाँ

- न्यायालय को मामले संदर्भित करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को प्रदत्त असाधारण विशेषाधिकार।**
  - इसने ICC को UNSC के अधीनस्थ बना दिया है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय UNSC के स्थायी सदस्यों एवं उनके राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित हुआ है।
- यह संधि विशेष रूप से मानवता के विरुद्ध अपराधों की परिभाषा एवं आंतरिक संघर्षों के लिए उनकी प्रयोज्यता के संबंध में, **निर्देशात्मक प्रथागत कानून और संधि दायित्वों के मध्य विधिक अंतर को स्पष्ट नहीं करती है।**
  - **भारत एक विशुद्ध पूरक व्यवस्था का समर्थन करता है,** जिसके तहत न्यायालय केवल असाधारण परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय अधिकारिता का अनुपूरक होगा। उदाहरणार्थ- जब किसी राज्य में न्यायिक प्रणाली अनुपस्थित हो या न्यायालय अपराधों से निपटने में असमर्थ हों।
- भारत द्वारा **परमाणु हथियारों के उपयोग को ICC के अंतर्गत अपराधों की श्रेणी में नामित करने की** प्रस्तावित व्यवस्था को **अस्वीकृत** कर दिया गया था।

ICC के **मुख्य अभियोजक को अपने विवेकानुसार मामलों को शुरू करने के लिए शक्ति प्रदान** की गई है।

VISION IAS

ICC की सीमाएं

- **अफ्रीकी महाद्वीप को अविवेकपूर्ण रीति से लक्षित करना:** न्यायालय में दो दर्जन से अधिक मामले, केवल अफ्रीकी देशों में कथित अपराधों से संबंधित हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्य इसके सदस्य नहीं: चीन** ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तथा न ही **संयुक्त राज्य अमेरिका** और न ही **रूस** ने इसकी अभिपुष्टि की है। इन देशों की अनुपस्थिति न्यायालय द्वारा स्थापित विधियों को लागू करने की क्षमता को प्रभावित करती है।
- **निश्चित सिद्धांतों को लागू करना:** सभी राज्यों में उदार लोकतंत्र के सिद्धांतों को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रदान करने के लिए "वन साइज़ फिट फ़ॉर आल" (one-size-fits-all) जैसे समाधान लागू करने हेतु ICC की आलोचना की जाती है।
- **आंतरिक संघर्षों पर ICC की अधिकारिता:** इस संदर्भ में चिंता व्यक्त की जाती है कि ICC राजनीतिक प्रयोजनार्थ अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग कर सकता है।
  - भारत का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष (जो कि अंतर्राष्ट्रीय चरित्र वाला न हो) के संदर्भ में किए गए कृत्यों को युद्ध अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- **समर्थन का अभाव:** न्यायालय को विश्व के सभी राष्ट्रों से समर्थन की कमी और उसकी संविधि के हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के व्यवस्थित सहयोग के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय के पास **स्वयं का कोई पुलिस बल नहीं** है, जो संदिग्धों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि यह सदस्य राज्यों के सहयोग पर निर्भर करता है।
- **पक्षपातपूर्ण प्रकृति:** ICC पर **पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक साधन बनने** और **शक्तिशाली देशों के पक्ष में कमजोर देशों के विरुद्ध पक्षपात** करने का आरोप लगाया गया है।

ICC VS INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Feature	International Court of Justice (ICJ)	International Criminal Court (ICC)
Year Court Established	1946	2002
UN-Relationship	Official court of the U.N., commonly referred to as the "World Court."	Independent. May receive case referrals from the UN Security Council. Can initiate prosecutions without UN action or referral.
Location	Peace Palace , The Hague, The Netherlands	The Hague, The Netherlands
Jurisdiction	U.N. member-states (i.e. national governments)	Individuals
Types of Cases	(1) Contentious between parties, (2) Advisory opinions	Criminal prosecution of individuals
Subject Matter	Sovereignty, boundary disputes, maritime disputes, trade, natural resources, human rights, treaty violations, treaty interpretation, and more	Genocide, crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression
Authorizing Legal Mechanism	States that ratify the U.N. Charter become parties to the ICJ Statute under Article 93. Non-UN member states can also become parties to the ICJ by ratifying the ICJ Statute. Each state must provide consent to any contentious case by explicit agreement, declaration, or treaty clause.	Rome Statute (India has not signed the Rome Statute)
Appeals	None. The ICJ decision in a contentious case is binding upon the parties. If a State fails to comply with the judgment, the issue may be taken to the UN Security Council, which has the authority to review, recommend, and decide upon enforcement.	Appeals Chamber. Article 80 of the Rome Statute allows retention of an acquitted defendant pending appeal.

आगे की राह

- न्यायालय को **अफ्रीका से परे अपना ध्यान केंद्रित** करने की आवश्यकता है।
- ICC को अपनी वैधता और कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए **निष्पक्षता, स्थानीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय** पर ध्यान देना चाहिए।
- अभियोजक को **उन देशों में सत्तारुढ़ दलों को लक्षित करना आरंभ करना चाहिए,** जो उसे आमंत्रित करते हैं या जिनका वह अपनी जांच के लिए चयन करता है।
- न्यायालय को अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के और अधिक स्थायी सदस्यों को शामिल करके तथा जांच एवं अभियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करके अपने दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

12. अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ (International Events)

12.1. दक्षिण चीन सागर (South China Sea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन ने कथित रूप से दक्षिण चीन सागर (South China Sea: SCS) क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वारा की जाने वाली सैन्य गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक एयरशिप (एक प्रकार का हवाई जहाज या गुब्बारा) तैनात किया है।

दक्षिण चीन सागर का महत्व

- **रणनीतिक अवस्थिति:** यह एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यावसायिक मार्ग है।
- एक तिहाई वैश्विक जहाज (कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 3.37 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरते हैं।
    - ऐसा अनुमान है कि मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरने के बाद बीजिंग द्वारा आयातित तेल का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से ही चीन में पहुँचता है।
    - भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 97 प्रतिशत भाग समुद्रों के माध्यम से ही संपादित होता है, जिसका आधा हिस्सा मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त, आसियान भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। ऐसे में SCS क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता से समुद्री व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा।
- **प्राकृतिक संसाधन:** इस सागर में प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख भंडार उपस्थित हैं, जैसे- प्राकृतिक गैस और तेल।
- **मत्स्य पालन:** विश्व का लगभग 10 प्रतिशत मत्स्यपालन इसी क्षेत्र में होता है, जो इसे करोड़ों लोगों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत बनाता है।

दक्षिण चीन सागर से संबद्ध मुद्दे

- **क्षेत्रीय संघर्ष:** विभिन्न ऐतिहासिक और भोगौलिक विवरणों के आधार पर फिलीपींस, वियतनाम, चीन, ब्रुनेई, ताइवान और मलेशिया द्वारा अक्सर SCS के ऊपर **अतिव्यापी, क्षेत्रीय दावे किए जाते रहे हैं।**
    - चीन इस क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक भाग पर अपना दावा करता है। चीन की **"नाइन-डैश लाइन"** एक भौगोलिक सीमा (चिह्नक) है जिसका उपयोग वह अपने दावे की पुष्टि करने के लिए करता है। यह चीनी मुख्य भूमि से 2,000 कि.मी. दूर तक विस्तृत है तथा इंडोनेशिया और मलेशिया के निकटवर्ती समुद्रों को स्पर्श करती है।
    - **वियतनाम:** यह पार्सेल (Paracel) और स्प्रैटली (Spratly) द्वीप समूहों पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है।
    - **फिलीपींस:** यह स्प्रैटली द्वीप समूह और स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal) पर अपने स्वामित्व का दावा करता है।
    - **ब्रुनेई और मलेशिया:** ये राष्ट्र SCS के दक्षिणी हिस्सों और स्प्रैटली द्वीप समूह के कुछ भागों पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन:** वर्ष 2016 में, चीन ने UNCLOS आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को अस्वीकृत कर दिया।
    - इस अधिकरण ने यह निर्णय दिया था कि चीन "नाइन-डैश लाइन"(जिसमें दक्षिण चीन सागर का अधिकांश भाग शामिल है) के माध्यम से उन समुद्री संसाधनों पर अपने ऐतिहासिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है, जहाँ ये समुद्री जल क्षेत्र अन्य तटीय राज्यों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ) के अंतर्गत शामिल हैं।
    - उल्लेखनीय है कि फिलीपींस द्वारा मध्यस्थता हेतु पहल की गई थी, जिसमें चीन की नाइन-डैश लाइन की वैधता, फिलीपींस के EEZ के भीतर चीन द्वारा द्वीपों के निर्माण, विवादित जल क्षेत्र में संसाधनों के दोहन तथा अन्य मुद्दों पर विचार किया गया था।

- **शक्ति संतुलन:** SCS से उन तीन राष्ट्रों (यथा- जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस) की सीमाएं संलग्न हैं, जो विभिन्न संधियों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी देश हैं। इसके अतिरिक्त, SCS से अन्य कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भी सीमाएं संलग्न हैं, जो वर्तमान में अमेरिका के उभरते हुए या संभावित साझेदार देश हैं, जैसे- सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया। ऐसे में SCS में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती दी है।
- **SCS का सैन्यीकरण:** SCS में चीन और अमेरिका दोनों की सैन्य उपस्थिति में वृद्धि हुई है। इन विकासक्रमों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के साथ-साथ इस क्षेत्र से बाहर अवस्थित देशों के मध्य भी आशंका उत्पन्न हुई है, क्योंकि उन सभी का हित यह सुनिश्चित करने में है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं सैन्य पहुंच निर्बाध बनी रहे।

नौवहन संचालन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation Operations: FONOPs)

- नौवहन संचालन की स्वतंत्रता वस्तुतः अमेरिकी नौ सेना और वायु सेना के अभियान हैं, जो अत्यधिक समुद्री दावों या एकाधिकारों को चुनौती देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकारों तथा स्वतंत्रता को सुदृढ़ करते हैं।
- इनमें से प्रत्येक अभियान का निर्धारण, उस विस्तृत समुद्री दावे के आधार पर किया जाता है जिसका विरोध किया जा रहा है।

वैश्विक प्रतिक्रिया

- **एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN):** इस विवादित जल क्षेत्र में होने वाले संघर्ष से बचने हेतु **आसियान** और **चीन** साथ मिलकर एक आधिकारिक आचार संहिता (कोड ऑफ़ कंडक्ट) के विकास पर कार्य रहे हैं। इन सभी विवादों से राहत पाने के लिए वर्षों से दोनों एक बाध्यकारी समझौते पर परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें अत्यल्प प्रगति हुई है। हालांकि, अगस्त 2018 में यह खुलासा हुआ कि सभी पक्षों ने एकल मसौदे (सिंगल ड्राफ्ट) पर वार्ता के लिए सहमति व्यक्त की है।
  - चीन को छोड़कर, दक्षिण चीन सागर के अन्य पक्षकार (यथा- ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम) आसियान के सदस्य हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधि और नौसैनिक उपस्थिति में वृद्धि की है, जिसमें FONOPs भी शामिल हैं।
- **भारत का दृष्टिकोण:** भारत हमेशा से समावेशिता और बहुलता का समर्थन करता आया है। भारत का मानना है कि सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के लिए संस्थानों और व्यवस्था को परामर्शी व गैर-निर्देशात्मक होने की आवश्यकता है, जहाँ SCS की प्राथमिकता को बल मिले।

आगे की राह

- वास्तविक चुनौती **चीन के वैध हितों के निर्धारण** में है, कि उन्हें किस हद तक समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि, यह एक कठिन कार्य सिद्ध होगा क्योंकि बीजिंग अपने हितों के आकलन के आग्रह को स्वीकार नहीं करेगा।
- एक नवीन व्यवस्था के अनुपालन के लिए चीन को तैयार करने हेतु, एक अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से उसे पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करते हुए निवारक उपायों को अपनाना होगा, जिससे वह अंततः अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था के ढांचे को स्वीकार कर सके।
- **सुदृढ़ और अधिक गतिशील संस्थागत तंत्र:** यह समाधान प्राप्त करने का एक उपाय हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य हितों के क्षेत्रों का पता लगाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए, जिससे चीन रचनात्मक रूप से योगदान कर वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था से जुड़ सके और इससे लाभ उठाए।

12.2. हांगकांग में नया सुरक्षा कानून (New Security Law in Hong Kong)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) ने हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून को स्वीकृति प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कानून हांगकांग में **अलगाव (Secession), सत्ताच्युति (subversion), आतंकवाद और विदेशी हस्तक्षेप** को गैर-कानूनी घोषित करता है।
- इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि इस कानून के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षोपायों हेतु इस शहर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ **हांगकांग में चीन की अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी हो सकती हैं।**
- यह चिंता प्रकट की गई है कि इसके द्वारा **हांगकांग वासियों पर** उनके या मुख्य भूमि के नेतृत्व की आलोचना करने, विरोध प्रदर्शन में शामिल होने या स्थानीय क़ानूनों के तहत अपने वर्तमान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए **अभियोग चलाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।**

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, इससे **"एक देश, दो प्रणाली"** के कमजोर होने की भी आशंका है, जिसके तहत चीन हांगकांग की व्यापक स्वतंत्रता, स्वायत्तता और इसकी स्वतंत्र कानूनी प्रणाली की रक्षा करने के लिए सहमत हुआ था।

एक देश दो प्रणाली (One Country Two Systems: OCTS)

- एक देश दो प्रणाली नीति को मूल रूप से **चीन और ताइवान को एकजुट करने हेतु प्रस्तावित किया गया था,** जिसे ताइवान ने अस्वीकार कर दिया था।
- यह विचार पुनः प्रकट हुआ जब चीन ने ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ता प्रारंभ की, जिनका क्रमशः हांगकांग और मकाऊ पर औपनिवेशिक शासन था।
- OCTS मॉडल के तहत, चीन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि, हांगकांग और मकाऊ में मुख्य भूमि चीन से **पृथक आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालियां हो सकती है,** जबकि वे चीन का हिस्सा ही रहेंगे।
- इसी प्रकार, **वर्ष 1997 में हांगकांग चीन के पुन: नियंत्रणाधीन आ गया** और वर्ष 1999 में मकाऊ की संप्रभुता हस्तांतरित की गयी।
- दोनों क्षेत्र **अपनी-अपनी मुद्राओं, आर्थिक और कानूनी प्रणालियों** के साथ चीन के **विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Regions: SAR)** घोषित किए गए, परन्तु रक्षा एवं विदेशी मामलों का निर्णय चीन द्वारा ही किया जाना था।
- साथ ही, हांगकांग के लोगों को **सभा करने और भाषण की स्वतंत्रता तथा कुछ लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं,** जो मुख्य भूमि चीन में प्रदत्त नहीं हैं।
    - ये स्वतंत्रताएं **मूल क़ानून (Basic Law)** द्वारा संरक्षित हैं (एक उप-संविधान जो हांगकांग और चीन के मध्य संबंधों को निर्देशित करता है)।
- **मूल कानून 50 वर्षों के लिए वैध है यथा** हांगकांग के लिए वर्ष 2047 तक और मकाऊ के लिए वर्ष 2049 तक। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि इस अवधि के पश्चात क्या होगा।
- **मूल कानून** को हांगकांग की विधायिका (LegCo) में दो-तिहाई बहुमत के साथ संशोधित किया जा सकता है।

13. विविध (Miscellaneous)

13.1. भारतीय कूटनीति (Indian Diplomacy)

13.1.1. बदलते विश्व में भारतीय विदेश नीति (Indian Foreign Policy in a Changing World)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा **"बियॉन्ड द डेल्ही डोग्मा: इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड"** विषय पर व्याख्यान दिया गया।

भारतीय कूटनीति के विभिन्न चरण:

- **1947-1962: आशावादी गुटनिरपेक्षता का चरण:**
    - इस चरण को **आशावादी गुटनिरपेक्षता के युग** के रूप में जाना जाता है, जहाँ द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था (संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में) में भारत ने अपने विकल्पों के समक्ष विद्यमान बाधाओं और संप्रभुता के कमजोर होने का विरोध किया था। कोरिया और वियतनाम से लेकर स्वेज और हंगरी मुद्दे के समय में भारतीय कूटनीति सक्रिय रही थी। हालांकि, भारत द्वारा कभी-कभी कूटनीतिक दृश्यता पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण कठिन सुरक्षा संबंधी कठोर वास्तविकताओं की उपेक्षा की गई है, जैसे-
        - जम्मू-कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना।
        - चीन के "ईस्ट-वेस्ट स्वैप डील" के प्रस्ताव को अस्वीकार करना, जिसके तहत भारत द्वारा अक्साई चिन पर चीनी दावों को मान्यता प्रदान करना था और चीन द्वारा भारत के पूर्वी क्षेत्र पर अपने दावे का त्याग किया जाना था।
        - वर्ष 1962 का युद्ध अप्रत्याशित था, किन्तु सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अधिभावी प्राथमिकता को संलग्न करने की अनिच्छा फिर भी बनी थी।
- **1962-71: पुनर्प्राप्ति और यथार्थवाद का चरण (Phase of recovery and realism):** भारत ने गुटनिरपेक्षता से परे सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों के संबंध में व्यावहारिक विकल्पों पर विचार किया, उदाहरणार्थ- वर्ष 1964 में अमेरिका के साथ संपन्न रक्षा समझौता।
    - इसके अतिरिक्त, राजनीतिक अशांति से लेकर आर्थिक संकट के साथ-साथ घरेलू चुनौतियां विशेष रूप से अधिक थीं।
    - भारत ने वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण स्थिति का सामना किया था और अंततः वर्ष 1971 में बांग्लादेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
    - वर्ष 1971 में भारत-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के पश्चात् भारत और अधिक यथार्थवादी हो गया।
- **तृतीय चरण (1971-91): भारत के (अधिकाधिक) क्षेत्रीय दावों और जटिलताओं वाला चरण:**
    - उदाहरण के लिए इसका प्रारंभ बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ, किन्तु समापन श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (Indian Peace Keeping Force: IPKF) की तैनाती की घटना के साथ हुआ।
    - वर्ष 1971 में अमेरिका-चीन के मध्य घनिष्ठता एवं वार्ताकार के रूप में पाकिस्तान की भूमिका का अर्थ था कि भारत को अब अमेरिका-चीन-पाकिस्तान धुरी का सामना करना पड़ेगा।
    - वर्ष 1972 में शिमला में, पाकिस्तान के प्रति भारत के आशावादी दृष्टिकोण की परिणति अंततः शत्रु पाकिस्तान तथा जम्मू और कश्मीर में निरंतर समस्या के रूप में हुई।
- **1991-1999: एकध्रुवीयता (unipolarity) का चरण:** "एक-ध्रुवीय" विश्व के उदय ने भारत की सामरिक स्वायत्तता के समक्ष चुनौती उत्पन्न की।
    - भारत ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इज़राइल (जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था) के साथ अपने राजनयिक संबंधों को विकसित किया।
    - भारत द्वारा विश्व के साथ मुक्त आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन इस मामले में यह आसियान और चीन से पीछे रह गया, जिन्होंने एक दशक पूर्व ही अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल दिया था।
    - वर्ष 1998 में, भारत ने स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में घोषित किया, जिसके कारण अमेरिका द्वारा प्रतिबंध आरोपित किया गया।

VISION IAS

- **2000-2013: वाजपेयी-मनमोहन चरण:**
  - भारत ने इस दौर में एक **बैलेंसिंग पावर** (शक्ति संतुलनकर्ता) की विशेषताएं प्राप्त कीं, क्योंकि वैश्विक भू-राजनीति में चीन एक द्वितीय ध्रुव के रूप में उभरने लगा था और इसके साथ ही वैश्विक भू-राजनीति का केंद्र एशिया-प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गया था।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए परमाणु समझौता किया तथा **कारगिल युद्ध** और **ऑपरेशन पराक्रम** के संदर्भ में विश्व समुदाय द्वारा भारत का समर्थन किया गया क्योंकि भारत अब एक बैलेंसिंग पावर (शक्ति संतुलनकर्ता) बन गया था।
  - भारत ने जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को संतुलित करने के लिए रूस और जापान की बढ़ती शक्ति का भी उपयोग किया।
- **वर्ष 2014 से वर्तमान समय तक: सक्रिय संबंधों का चरण:**
  - हाल ही में, अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा एक सकारात्मक कदम माना गया है। यह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती स्थिति को स्पष्ट करता है।
  - **भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** बहु-ध्रुवीय विश्व के केंद्र में रहते हुए एक बहु-ध्रुवीय एशिया पर बल देना।

वैश्विक स्तर पर भारत की सुदृढ़ होती स्थिति

- भारत द्वारा **'ग्लोबल साउथ'** के देशों को कूटनीतिक और भू-राजनीतिक सहायता प्रदान की जा रही है, उदाहरणार्थ-
  - तेल टैंकरों पर हमले के पश्चात् खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना को तैनात किया गया है।
  - चीन के उम्मीदवार को भारी अंतर से पराजित करते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) की सदस्यता के लिए पुन: चयनित किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं को तीव्रता से पूर्ण करना:**
  - अफ़ग़ानिस्तान में, भारत ने सलमा बांध, संसदीय भवन इत्यादि का निर्माण कार्य पूर्ण किया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देश भी इन परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु तैयार नहीं थे।
- **बहुपक्षवाद (Multilateralism):**
  - भारत बहुपक्षवाद से संबंधित पक्षकारों के गठबंधन का एक भाग है और नियम स्थापित करने का समर्थन करता है। इसका मानना है कि किसी भी प्रकार के नियम न होने के बजाए नियम होना बेहतर है, भले ही नियम अपूर्ण क्यों न हों।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  - भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के लिए विश्व समुदाय के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में स्थित है।

बदलते परिप्रेक्ष्य में भारतीय कूटनीति हेतु सुझाव

- **यथार्थवाद पर अधिक बल देना:** बदलते वैश्विक व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों की उद्देश्यपूर्ण प्राप्ति आसान नहीं है, लेकिन हमें इस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
- कूटनीति का मार्गदर्शन करने हेतु आर्थिक निरंकुशता, आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन जैसी पुरानी हठधर्मिता (dogmas) के बजाय **पूर्व की तुलना में आर्थिक चालकों की उपलब्धता अधिक है।**
- **बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था** का उदय हो चुका है, ऐसे में बिना किसी को संकट में डाले इसके सभी स्तंभों (यथा- यू.एस.ए., चीन, रूस जापान आदि) से संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है।
- विश्व व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रस्थिति प्राप्त करने हेतु भारत को सुविचारित जोखिम (calculated risk) उठाने की आवश्यकता है, जैसे- उरी और डोकलाम मुद्दा।
- **वैश्विक संवाद (global discourse) को भली-भांति समझने की आवश्यकता है:** उदाहरणार्थ- बढ़ती बहुध्रुवीयता, कमजोर बहुपक्षवाद, व्यापक आर्थिक और राजनीतिक पुनर्संतुलन का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- **हठधर्मिता का त्याग करना:** भारत को वर्तमान बदलती विश्व व्यवस्था के प्रति हठधर्मिता जैसे दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए, उदाहरणार्थ-
  - भारत अनसुलझे सीमाओं (unsettled borders), पृथक्कृत क्षेत्र (unintegrated region) और अल्प-दोहित अवसरों (under-exploited opportunities) जैसे मुद्दों की विद्यमानता के साथ-साथ विकास की गति पर अग्रसर नहीं हो सकता है।
  - भारत को हठधर्मिता का त्याग करने और विरोधाभासी दृष्टिकोणों से निपटने तथा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अभिसरण के इस वास्तविक विश्व में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जैसे-
    - RIC (रूस-भारत-चीन) के साथ -साथ JAI (जापान-अमेरिका-भारत);
    - क्वाड (Quad) के साथ-साथ SCO (शंघाई सहयोग संगठन);

VISION IAS

- सउदी अरब के साथ-साथ ईरान; तथा
- फिलिस्तीन के साथ-साथ इजरायल।

13.1.2. भारत की सॉफ्ट पावर (India's Soft Power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स-2020** में भारत को **27वां** स्थान प्राप्त हुआ।

सॉफ्ट-पावर क्या है?

- सॉफ्ट पावर वस्तुतः किसी देश की वह क्षमता होती है, जिसके माध्यम से वह देश बिना किसी बल या दबाव के विचारों की समता के आधार पर अन्य राष्ट्रों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप सहमत करता है। सॉफ्ट पावर वस्तुतः एक देश की आकर्षण शक्ति से संबद्ध होती है और यह निम्नलिखित **तीन स्रोतों** से प्राप्त होती है:
  - देश की **संस्कृति** (उस स्थिति में जहां यह अन्य देशों के लिए आकर्षक होती है);
  - देश के **राजनीतिक मूल्य** (जब वह देश घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका पालन करता हो); और
  - देश की **विदेश नीति** (जब इन्हें वैध एवं नैतिक रूप से सही माना जाता हो)।
- यद्यपि सॉफ्ट पॉवर के प्रयोग से परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, तथापि यह अन्य देशों से अपने इच्छित कार्य संपादन में **सैन्य बल प्रयोग और आर्थिक प्रलोभनों की तुलना में अल्प व्ययी** होती है।
- **कौटिल्य** और **कामंदक** जैसे प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विद्वानों ने **संधि (शांति) जैसे साधनों** को शामिल करने वाली 'मृदु' (सॉफ्ट) कूटनीति का उल्लेख किया है।

सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की सुदृढ़ता

- **भारत का दीर्घकालिक इतिहास, संस्कृति और सभ्यता:** इसने विश्व भर के बुद्धिजीवियों और सामान्य जन को भारत की ओर आकर्षित किया है।
- **विश्व के सभी प्रमुख धर्मों की उपस्थिति:** जिसमें चार धर्म स्वदेशी हैं, यथा- हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म तथा चार धर्मों का समावेश बाहर से हुआ है, जैसे- पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। इस कारण से धार्मिक दृष्टिकोण युक्त विदेशी नागरिक भारत का भ्रमण करने हेतु प्रेरित होते हैं।
  - भारत सरकार इस विशेषता का उपयोग **पूर्व, दक्षिण-पूर्व और मध्य-एशिया** में अपनी पहुंच स्थापित करने के लिए वृहद स्तर पर कर रही है।
  - **यहाँ बौद्ध धर्म इस कूटनीति के केंद्र में निहित है।** इसी प्रकार भारत सरकार की एक प्रमुख सॉफ्ट पॉवर पहल **नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना** है। इसके अंतर्गत बौद्ध शिक्षा के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई है।
- **योग और ध्यान:** अधिकांश देशों में इनका घरेलू स्तर पर उपयोग किया जा रहा है और प्रख्यात काय चिकित्सकों एवं डॉक्टरों द्वारा इनके स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर शोध किए जा रहे हैं तथा इनका बेहतर प्रचार किया जा रहा है।
- **संगीत, नृत्य, कला और स्थापत्य:** यद्यपि ताजमहल भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक है, तथापि विदेशी पर्यटक संपूर्ण भारत में हजारों अन्य ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों में भी अपनी रूचि प्रदर्शित करते हैं।
  - **विदेश मंत्रालय** (MEA) के तहत **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** न केवल विदेशों में हमारी संस्कृति के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाती है, अपितु सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में अन्य देशों की संस्कृतियों के प्रदर्शन को भी प्रेरित करती है।
- **बॉलीवुड (भारतीय सिनेमा)** को भी एक बेहतरीन सॉफ्ट पॉवर साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्में विभिन्न देशों के लोगों के मध्य काफी लोकप्रिय हैं।
  - उदाहरण के लिए, **अफ़ग़ानिस्तान** में बॉलीवुड फिल्मों और भारतीय धारावाहिकों के वृहद पैमाने पर प्रशंसक व दर्शक मौजूद हैं। साथ ही, बॉलीवुड फिल्में अफ्रीका में भी लोकप्रिय हैं।
- **भारतीय व्यंजन:** ये भी विदेशियों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख घटक हैं। वर्तमान में कम से कम दो या तीन भारतीय रेस्त्रां विश्व के लगभग सभी बड़े शहरों में मिल जाते हैं।
- **प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora):** अनिवासी भारतीय (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) भारत की सॉफ्ट पावर के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति के विस्तार में सहायता प्रदान की है, बल्कि अनेक अवसरों पर, भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है।

VISION IAS

भारत द्वारा प्रारंभ की गई कुछ पहलें

- वर्ष 2006 में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक **लोक राजनय प्रभाग (public diplomacy division)** की स्थापना की गई थी।
- **पर्यटन मंत्रालय** ने विदेशों में अपनी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिसंपत्तियों का प्रदर्शन करने के लिए **"अतुल्य भारत"** अभियान का प्रारंभ किया है।
- **लुक ईस्ट पॉलिसी (अब एक्ट ईस्ट), कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी और अफ्रीका में रणनीतिक सहायता एवं व्यापार साझेदारी** विकसित करने जैसी विदेश नीति संबंधी व्यापक पहलों को आरंभ किया गया है।
- विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा भारत की सॉफ्ट पावर आउटरीच की प्रभावशीलता का मापन करने के लिए एक **"सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स"** विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि विदेश मंत्रालय ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के बजटीय आवंटन में वृद्धि की अनुशंसा की है, जो भारत की सॉफ्ट पॉवर के प्रसार हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है।

भारत की सॉफ्ट पावर के समक्ष चुनौतियाँ

- **क्षमता के दोहन का अभाव:** यद्यपि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत का उल्लेख प्रायः सॉफ्ट पॉवर मॉडल के तौर पर किया जाता है, तथापि भारत अपनी इस स्थिति का संपूर्ण दोहन करने में अधिक सफल नहीं रहा है।
  - इसी प्रकार, भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या विकसित विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में अधिक है, परंतु भारत में अभी भी **पर्यटन और शिक्षा** का स्तर निम्न बना हुआ है।
- **सांस्कृतिक केंद्रों में विविधता का अभाव:** यद्यपि विभिन्न देशों में **37 भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICCs)** अवस्थित हैं, परन्तु ये सभी मुख्यतया **कैरेबियन, दक्षिण अफ्रीकी व दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों** के डायस्पोरा पर लक्षित हैं, जबकि नॉर्डिक और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों की उपेक्षा की जा रही है।
- **नकारात्मक अवधारणा:** भ्रष्टाचार, स्थानिक निर्धनता और व्यापार के समक्ष विद्यमान प्रतिकूल परिवेश के कारण भारत की छवि व्यापक रूप से नकारात्मक है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रायः **शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण, बाल श्रम और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा** की ख़बरों से पेशेवर व्यक्ति, पर्यटक, व्यापारी तथा अन्य आगंतुक भारत आने से हतोत्साहित हुए हैं।
- **राज्य द्वारा सक्षम प्रयासों का अभाव:** राज्य द्वारा संचालित सांस्कृतिक प्रसार के कार्यकलाप प्रायः निजी क्षेत्र और नागरिकों के नेतृत्व वाले प्रयासों की तुलना में कम सफल रहे हैं।
  - वास्तव में, अधिकांश भारतीय सांस्कृतिक प्रसार (जैसे- बॉलीवुड) सरकार की भागीदारी के बिना संभव हुए हैं।
- **भारत की लोकप्रियता अधिकांशत: विकासशील देशों तक ही सीमित है:** अनेक मामलों में भारत की गतिविधियाँ विकसित बाज़ारों की बजाय विकासशील देशों में अन्य क्षेत्रकों को संदर्भित करती हैं।
  - उदाहरण के लिए, भारत के विश्वविद्यालय अनेक कमियों के बावजूद विभिन्न विकासशील देशों (यथा- नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान और अफ्रीकी देश) के छात्रों को विस्तृत संख्या में आकर्षित करते हैं।

आगे की राह

- **भारत को एक उत्कृष्ट सॉफ्ट पावर के तौर पर उभरने एवं इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता, प्रशिक्षण, उत्कृष्टता और निवेश पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है:** वर्तमान समय में, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था होने तथा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में सशक्त उपस्थिति दर्ज करने हेतु प्रयासरत है; जबकि यहाँ 250 मिलियन से अधिक मध्यम वर्ग की विद्यमानता है।
- **वस्त्र शिल्पकारिता** से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी संस्कृतियों में सांस्कृतिक रूपांकनों और प्रतिमानों के रूप में उपयोग किए जाते है। भारत के **खादी वस्त्र डिज़ाइन** इतिहास के साथ-साथ भारत के राजनीतिक दर्शन का भी एक विस्तृत पहलू प्रस्तुत करते हैं, जिससे भारत के प्रति अधिकांश विश्व की समझ बेहतर की जा सकती है।
- **भारत द्वारा एक भारतीय सांस्कृतिक सेवा (ICS) की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है:** उच्च-प्रोफ़ाइल करियर में रणनीतिकारों के प्रवेश के साथ एक **सांस्कृतिक संवर्ग** का विकास किया जा सकता है, जिसमें उन्हें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ रचनात्मकता का पोषण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

सॉफ्ट पावर **हार्ड पावर का विकल्प नहीं हो सकती है,** क्योंकि यह तभी सहायता प्रदान कर सकती है, जब किसी देश ने आर्थिक और सैन्य शक्ति के अपने पारंपरिक स्रोतों का निर्माण कर लिया हो। आधारभूत रूप में, सॉफ्ट पावर लोगों के हृदय और मस्तिष्क को विजित करने पर आधारित है।

VISION IAS

13.1.3. चिकित्सा कूटनीति (Medical Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत नॉवल कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित अपने पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों को भी **पैरासिटामोल और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ)** सहित आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करेगा, इससे वैश्विक चिकित्सा कूटनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित होगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने HCQ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लगभग दो सप्ताह पश्चात्, इसके निर्यात पर आरोपित प्रतिबंध को हटा दिया था।
- वर्तमान में, भारत कोरोना वायरस से पीड़ित 97 देशों को **मलेरिया-रोधी दवा HCQ** की आपूर्ति अनुदान के साथ-साथ वाणिज्यिक आधार पर भी कर रहा है।
    - भारत **HCQ की वैश्विक आपूर्ति का 70 प्रतिशत** हिस्सा विनिर्मित करता है तथा इसने वित्त वर्ष 2019 में इस दवा का 51 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था।
    - **HCQ एक मलेरिया-रोधी दवा है,** जिसे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में चिन्हित किया है।
- **97 देशों की सूची में शामिल प्रमुख देश हैं:** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका के 20 देशों के अतिरिक्त भारत के कई पड़ोसी देश, जैसे- नेपाल, मालदीव आदि।
- HCQ की आपूर्ति के अतिरिक्त, भारत कोरोना वायरस के रोगियों के परीक्षण और उपचार हेतु भारतीय चिकित्सक दलों को नेपाल भी भेज रहा है।
    - भारत इस महामारी के दौरान मध्य-पूर्व के देशों के साथ भी निकटता से कार्य कर रहा है।
- कोविड-19 प्रबंधन रणनीतियों तथा संबंधित पहलुओं पर **दक्षिण एशिया और अन्य पड़ोसी देशों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण** आयोजित किया गया है।
- भारत के आग्रह पर कई देशों ने **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर उच्च स्तरीय संपर्क** भी स्थापित किए हैं।
    - इनमें **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) सदस्य देशों का वर्चुअल समिट और G-20 देशों के नेताओं की वार्ता** शामिल हैं।

चिकित्सा कूटनीति क्या है?

- हालिया वर्षों में, विश्व के कई देशों और क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य को एक **रणनीतिक विदेश नीति तथा कूटनीतिक सरोकार** के रूप में अपनाया गया है।
- **चिकित्सा कूटनीति** एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो **वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाने के दोहरे लक्ष्यों को समाविष्ट करता है।**
- **यह मुख्य रूप से सॉफ्ट पॉवर का एक घटक है,** जिसमें चिकित्सा देखभाल, विशेषज्ञता तथा कर्मियों का निर्यात करके उन देशों के लोगों से सुदृढ़ एवं सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया जाता है, जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है।
- यह न केवल विकास पर **खराब स्वास्थ्य के आर्थिक दुष्प्रभाव** से या वैश्विक बाजार पर महामारी के प्रकोप से संबंधित है, बल्कि **स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते वैश्विक बाजार के लाभ से भी संबंधित है।**
- यह स्वास्थ्य को एक सामाजिक मूल्य और मानवाधिकार के रूप में सुदृढ़ता प्रदान करता है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है, दवाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन करता है तथा उच्च आय वाले देशों से वैश्विक स्वास्थ्य पहल की एक विस्तृत शृंखला में निवेश करने की मांग भी करता है।

भारत की चिकित्सा कूटनीति को संचालित करने वाले कारक

- **वैश्विक उपस्थिति:**भारत के फार्मास्युटिकल उत्पादों की अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान व ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के अधिकांश देशों में एक सुदृढ़ और व्यापक उपस्थिति है।
- **औषधि निर्यात:** औषधियों और चिकित्सा उपकरणों सहित इस उद्योग का कुल आकार लगभग 43 बिलियन डॉलर है, जिसमें से यह 20 बिलियन डॉलर मूल्य की औषधियों का निर्यात करता है।
- **जेनेरिक दवाइयां:** भारत जेनेरिक दवाओं का प्रमुख उत्पादक भी है, वैश्विक जेनेरिक दवा निर्यात के मूल्य (नवंबर 2019 तक) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भारतीय दवाओं की थी, जिसमें उत्तरी अमेरिका को सर्वाधिक निर्यात किया गया था।
- **पारंपरिक चिकित्सा:** भारत **पारंपरिक चिकित्सा, जैसे- आयुर्वेद और योग** में भी वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश है।
    - भारत ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सफलतापूर्वक अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त किया था।

VISION IAS

- **वैक्सीन विनिर्माण:** भारतीय निर्माताओं ने विश्व भर के लाखों लोगों के लिए दवाओं व टीकों की कीमतों को कम करने तथा टीकों और एचआईवी / एड्स उपचार तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **प्रशिक्षण:** भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण में अग्रणी होने का अवसर भी प्राप्त किया है, क्योंकि भारतीय डॉक्टर व चिकित्सा विशेषज्ञ सार्क देशों के डॉक्टरों तथा चिकित्सा कर्मचारियों हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं।
- **चिकित्सा पर्यटन:** 1990 के दशक के पश्चात् भारत **"चिकित्सा पर्यटन"** में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उपस्थित हुआ है। चिकित्सा पर्यटन को लोगों द्वारा चिकित्सीय उपचार हेतु अपने मूल देश के अतिरिक्त किसी अन्य देश में की गई यात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है।

चिकित्सा कूटनीति से संबंधी चुनौतियां

- **विदेशी विनियम:** चूंकि भारत का आधे से अधिक दवा निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अत्यधिक विनियमित बाजारों में होता है, इसलिए भारतीय निर्माताओं को कठोर अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ता है। इन दिशा-निर्देशों में अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु नियमित एवं कठोर निरीक्षण अनिवार्य किया गया है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** यह स्वास्थ्य चिकित्सकों द्वारा सामना किए जाने वाले उन महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जहां स्वास्थ्य और विदेश नीति के मध्य परस्पर असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
    - ट्रिप्स (TRIPS) समझौता राष्ट्रों को लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने की दिशा में पर्याप्त नम्यता प्रदान करता है। पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d) एवरग्रीनिंग पर प्रतिबंध आरोपित करती है, जो विदेशी दवा कंपनियों द्वारा अपनी मौजूदा दवाओं में अल्प व नगण्य परिवर्तन करके अपने पेटेंट अधिकार का विस्तार करने और **इसके माध्यम से जेनेरिक दवाओं के प्रवेश को बाधित करने की पद्धति है।**
- **सक्रिय औषधि घटक (API):** कई देशों में दवाओं का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता होने के बावजूद, भारत कच्चे माल जैसे- API और **बल्क ड्रग्स** के लिए (यहां तक कि आधारभूत दवा क्रोसिन के उत्पादन हेतु भी) चीन पर अत्यधिक निर्भर है। अनुमानों के अनुसार, भारत का 70 प्रतिशत API चीन से आयात किया जाता है।
- **पर्याप्त समर्थन और अवसंरचना का अभाव:** भारत में दशकों से स्वास्थ्य सेवा में पर्याप्त और प्रभावी निवेश का अभाव रहा है (वर्तमान में GDP का 3.5 प्रतिशत, जिसमें निजी निवेश भी शामिल है)।

आगे की राह

- **प्रवासी भारतीयों** ने अपने निवास के देशों (countries of their residence) में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतर पहचान स्थापित की है।
- **चिकित्सा पर्यटन के व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं** को अपने सेवा क्षेत्रों की स्थापना और अपनी सेवाओं का वितरण लक्षित समुदायों के साथ दीर्घकालिक रूप से संलग्न होने के उद्देश्य से करनी चाहिए।
- भारत को **API उत्पादन में असाधारण रूप से उच्च मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता है** ताकि चीनी API के क्रेता भारत से आयात हेतु प्रेरित हो सकें।
- कोविड-19 जैसी चुनौतियां भारत को HCQ जैसी दवाएं प्रदान करके अपने मानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती हैं। **यह भारत के लिए विश्व भर में लॉकडाउन के दौरान पारंपरिक कल्याण तकनीकों, जैसे- योग को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान कर सकती है।**

13.1.4. नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी प्रभाग (New and Emerging Strategic Technologies Division)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने **नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों (New and Emerging Strategic Technologies: NEST)** के लिए एक **नए प्रभाग** की स्थापना करने की घोषणा की है।

NEST के बारे में

- यह नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों के लिए विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक **नोडल प्रभाग** के रूप में कार्य करेगा।
- **उद्देश्य:**
    - उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं प्रौद्योगिकी-आधारित संसाधनों के संदर्भ में विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निहितार्थों का आकलन करना।
    - संयुक्त राष्ट्र, G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारतीय हितों की रक्षा के लिए विचार-विमर्श को सुगम बनाना।
    - तकनीकी आधारित कूटनीतिक कार्यों के लिए इस मंत्रालय के भीतर मानव संसाधन क्षमता का निर्माण करना।
    - 5G और कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग स्थापित करना।

उभरती प्रौद्योगिकियाँ (Emerging Technologies)

- यह सामान्यतः उन प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जिन्हें वर्तमान समय में विकसित किया जा रहा है, या जिनका अगले पांच से दस वर्षों के भीतर उपलब्ध होना अपेक्षित है। यह सामान्यतः उन प्रौद्योगिकियों को भी संदर्भित करता है जो महत्वपूर्ण सामाजिक या आर्थिक प्रभाव सृजन कर रही हैं, या सृजन करने हेतु अपेक्षित हैं।
- इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

विदेशी संबंधों के संदर्भ में उभरती हुई प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलू

- **डिजिटल कूटनीति:** यह कूटनीति के संचालन में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, विशेष रूप से इंटरनेट और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों को संदर्भित करता है। डिजिटल उपायों की राजनयिक गतिविधियों से संबंधित वार्ताओं, नीतिगत प्रक्रियाओं और संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं।
- **प्रौद्योगिकी और शक्ति-संतुलन:** उभरती प्रौद्योगिकियां मुख्य रूप से **सैन्य और आर्थिक साधनों के माध्यम से शक्ति-संतुलन को आकार प्रदान करती हैं।** युद्ध लड़ने और जीतने के लिए प्रौद्योगिकियाँ प्रत्यक्ष रूप से देशों की क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से किसी देश की आर्थिक शक्ति को प्रभावित करके भी शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं।
- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** गैर-राज्य अभिकर्ताओं, जैसे- आतंकवादी संगठनों, द्वारा भर्ती उद्देश्यों, वित्त-संबंधी लामबंदी, अवैध निगरानी आदि के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चिंता का विषय है।
- **विज्ञान कूटनीति:** विज्ञान के लिए कूटनीति का आशय है कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अथवा वैश्विक स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने हेतु कूटनीति का उपयोग करना।
    - वैश्विक स्तर पर बढ़ती चुनौतियां, जैसे- सामूहिक विनाश के हथियार, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष आदि सभी को समझने तथा उनसे निपटने के लिए वैज्ञानिक इनपुट की आवश्यकता होती है। ये चुनौतियां भौगोलिक सीमाओं से स्वतंत्र हैं तथा इन्हें सामान्य कूटनीतिक प्रयासों से सुलझाने के अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच: "प्राप्तकर्ता"** और **"अप्राप्तकर्ता" के मध्य का अंतराल** भविष्य में संघर्ष का कारण साबित हो सकता है। इन तकनीकियों तक अपर्याप्त पहुंच नवीन आर्थिक एवं सैन्य विषमता उत्पन्न कर सकती है।
- **सॉफ्ट पावर:** लोगों के निवास विकल्पों में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकियों को साझा करना विदेश नीति में एक बहुत बड़ा लाभ प्रदान करता है।
- **आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप:** बिग डेटा एवं कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग के माध्यम से धारणात्मक हेरफेर (opinion manipulations) विश्व भर के लोकतंत्रों के समक्ष एक बड़ा खतरा है।
    - भारतीय चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका की कथित भूमिका और वर्ष 2016 के अमेरिकी चुनावों में कथित रूसी हस्तक्षेप इसके प्रमाण हैं।

भारत के समक्ष चुनौतियां

- **तकनीकी प्रतिनिधियों की कमी:** भारत के पास तकनीकी कूटनीति के क्षेत्र में विशेषज्ञों या मौजूदा राजनयिकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक प्रभावी भर्ती और प्रशिक्षण तंत्र का अभाव है।
- **सौदेबाजी की निम्न शक्ति:** वैश्विक बाजार में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में भारत की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है तथा उच्च प्रौद्योगिकीय उत्पादों का आयात बढ़ रहा है। इससे इस क्षेत्र में सॉफ्ट पावर के तौर पर इसके विकसित होने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- **द्विपक्षीय समझौतों का अभाव:** उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र आदि से संबंधित मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों का अभाव।
- **नीतिगत अनिश्चितता एवं संरचनात्मक चुनौतियां:** भारत को कई नियामकों एवं विभागों के मध्य समन्वय की कमी, सुसंगत और व्यापक घरेलू नीति की अनुपस्थिति आदि जैसे विभिन्न मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की वार्ता शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- **विदेशी नीति के साथ भारत के घरेलू हितों को समेकित करना:** जहाँ एक ओर भारत को अभिशासन, रक्षा, अनुसंधान आदि के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के उद्भव से काफी हद तक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर इसे स्व-चालन के माध्यम से रोजगारों की क्षति, वैश्विक कंपनियों के तकनीकी एकाधिकार आदि जैसे मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।
- **राजनीतिक प्रतिबंध और बौद्धिक संपदा से जुड़े नियम प्रौद्योगिकी के साझाकरण को प्रतिबंधित कर रहे हैं:** यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी के प्रवाह को प्रतिबंधित करेगा।

VISION IAS

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी को विदेशी मामलों और कूटनीतिक क्षेत्रों में शक्ति तथा वैधता दोनों के लिए एक चालक के रूप में देखा जाता है। इसलिए, विकासशील देशों के लिए इन उभरती प्रौद्योगिकियों से निपटने और अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी करना महत्वपूर्ण है।

- भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- उभरती प्रौद्योगिकियों की अनिश्चितताओं को कम करने हेतु एक सुदृढ़ विधिक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए।
- भारत को इन तकनीकियों के जोखिम के बारे में वैश्विक मंच पर अपनी चिंताओं को बताना चाहिए।
- हानिकारक सैन्य प्रौद्योगिकियों के संबंध में अप्रसार की नीति का पालन किया जाना चाहिए।
- डिजिटल डिप्लोमेसी में विशेषज्ञता वाले कुशल राजनयिकों के एक दल को सृजित करने की आवश्यकता है।

13.2. वैश्विक मंच पर कश्मीर मुद्दा (Kashmir Issue at Global Forums)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त करने से कश्मीर मुद्दे ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में भारत एवं पाकिस्तान ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं।

कश्मीर मुद्दे पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों की पृष्ठभूमि

- 1 जनवरी 1948 को, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बारे में सुरक्षा परिषद को सूचना दी गई।
- 20 जनवरी को **संयुक्त राष्ट्र मिशन** के गठन का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत लिया गया था, जिसके द्वारा इस मिशन को संघर्ष समाप्त करने हेतु स्थिति से संबंधित तथ्यों की जांच करने और "मध्यस्थता" संबंधी हस्तक्षेप करने हेतु प्राधिकृत किया गया।
  - अनुच्छेद 34, सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या विवाद को उत्पन्न करने वाले किसी भी विवाद या किसी भी स्थिति की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि विवाद या स्थिति की निरंतरता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष संकट उत्पन्न न करे।
- पांच सदस्यीय मिशन **(डिक्सन मिशन),** जिसमें भारत और पाकिस्तान द्वारा नामित सदस्यों के अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य भी शामिल थे, के प्रयासों से अंततः 1 जनवरी 1949 से युद्ध विराम लागू किया गया।
  - **1950 की डिक्सन योजना** के तहत भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों (लद्दाख भारतीय क्षेत्र में तथा PoK एवं उत्तरी क्षेत्र पाकिस्तानी क्षेत्र में और जम्मू दोनों देशों के मध्य विभाजित) का विभाजन किया गया। साथ ही, इसके तहत घाटी में जनमत संग्रह (जो कभी आयोजित नहीं किया गया) का प्रावधान किया गया।
- इसके अतिरिक्त, भारत और पाकिस्तान के मध्य समस्याओं के द्विपक्षीय समाधान के लिए रूपरेखा **1972 के शिमला समझौते** में तैयार की गई थी और 27 वर्ष पश्चात् **1999 में लाहौर घोषणा-पत्र** में इसे दोहराया गया।
  - **शिमला समझौता, 1972:** इसे 2 जुलाई 1972 को प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इसमें 1971 के युद्ध के दुष्परिणामों को समाप्त करने हेतु तैयार एक शांति संधि की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रावधान (अर्थात् सैनिकों की वापसी और युद्ध-बंदियों का आदान-प्रदान) शामिल किए गए थे।
    - दोनों देशों द्वारा अपने द्विपक्षीय मतभेदों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता या किसी अन्य शांतिपूर्ण रीति के माध्यम से परस्पर सहमति से करने का संकल्प लिया गया।
  - **लाहौर घोषणा-पत्र, 1999:** इस घोषणा-पत्र में न केवल शिमला समझौते के सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, अपितु दोनों राष्ट्रों से आतंकवाद का मुकाबला करने और आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप की नीति का अनुपालन करने का भी आह्वान किया गया।
    - इस घोषणा-पत्र में दोनों देशों की संबंधित सरकारों द्वारा जम्मू-कश्मीर मुद्दे सहित सभी मुद्दों का समाधान करने हेतु अपने प्रयासों को गति प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की गयी।
- हालांकि, **पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे का निरंतर "अंतर्राष्ट्रीयकरण"** करने का प्रयास किया जाता रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को ऐसा प्रतीत होता था कि इससे जम्मू-कश्मीर पर भारत के अधिकार क्षेत्र में कमी की जा सकती हैं। साथ ही, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर भारत के "अवैध कब्जे" के रूप में आलोचना करने के लिए प्रत्येक वैश्विक मंच का उपयोग किया गया है।

VISION IAS

संबंधित तथ्य

जनमत संग्रह (plebiscite) क्यों नहीं हुआ?

- 5 जनवरी 1949 को, UNCIP (भारत और पाकिस्तान के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग) प्रस्ताव में निर्दिष्ट किया गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत या पाकिस्तान में विलय का प्रश्न एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
- हालाँकि, इसके लिए एक पूर्व आवश्यक शर्त यह थी कि पाकिस्तानी नागरिक और कबीलाई लोगों (जो कश्मीर में लड़ने आए थे) को वापस बुला लिया जाएगा। यह शर्त कभी पूर्ण नहीं हो सकी और दोनों देश युद्धविराम समझौते को कार्यान्वित करने में विफल रहे।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम के अनुच्छेद 35 और 51

- यह तर्क दिया गया कि भारत द्वारा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 के बजाय अनुच्छेद 51 के तहत संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया गया था। यदि इसे अनुच्छेद 35 के तहत प्रस्तुत किया गया होता तो इसके परिणाम भिन्न होते।
- अनुच्छेद 35 यह प्रावधान करता है कि यदि विवाद से संबंधित पक्ष परस्पर वार्ता के माध्यम से मामलों का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं तो संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य सुरक्षा परिषद या महासभा के समक्ष विवादों को प्रस्तुत कर सकता है।
- अनुच्छेद 51 यह प्रावधान करता है कि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य को उस पर आक्रमण होने की स्थिति में "व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार" प्राप्त है, जब तक कि सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु आवश्यक उपाय नहीं किए जाते हैं।
- हालाँकि, इसका परिणाम यह हुआ कि अनुच्छेद 34 के तहत संयुक्त राष्ट्र मिशन की स्थापना की गयी।

कश्मीर मुद्दे पर भारत का पक्ष

- **अनुच्छेद 370:** भारत ने यह तर्क दिया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना भारत का एक 'आंतरिक मामला' है।
  - भारत के मतानुसार, न केवल जम्मू और कश्मीर राज्य बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) भी भारतीय राज्यक्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। भारत, सीमाओं के पुनर्सीमांकन की मांग को पूर्णत: अस्वीकृत करता है।
- **सीमा पार आतंकवाद:** भारत ने अपनी दीर्घकालिक स्थिति को दोहराया है कि उसके द्वारा कश्मीर या किसी भी अन्य भारत-पाकिस्तान मुद्दे पर मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों देशों के मध्य लंबित विवादों को द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाएगा, हालांकि यह वार्ता केवल तभी आरंभ की जाएगी जब तक कि पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा-पार आतंकवाद को रोक नहीं दिया जाता है।
- **तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं:** भारतीय स्थिति ऐतिहासिक रूप से अपने आंतरिक मामलों में बाह्य पक्षों द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के प्रति अविश्वास से निर्मित हुई है, अत: अपने पंथनिरपेक्ष राष्ट्रत्व के विचार (secular nationhood project) के संरक्षण के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता है।
  - भारत ने तीसरे पक्ष के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।
  - भारत द्वारा सुझाव दिया गया है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बजाय दोनों क्षेत्रों और LoC पर भारत-पाक संयुक्त गश्ती तंत्र को स्थापित करना अधिक उपयुक्त कदम सिद्ध हो सकता है।

भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर कश्मीर मुद्दे का किस प्रकार समाधान किया गया?

- **अन्य देश की मध्यस्थता की अस्वीकृति:** भारत मुख्यतः यह अभिव्यक्त करने में सफल रहा है कि वह किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा।
  - दक्षिण एशियाई मामलों के जानकारों और अन्य देशों के राजनयिकों द्वारा कश्मीर पर भारत के रुख और किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के संबंध में भारत की अस्वीकृति को सही माना गया है।
  - भारत द्वारा "भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UN Military Observer Group in India and Pakistan: UNMOGIP)" को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि UNMOGIP की स्थापना प्रथम भारत-पाक युद्ध में संघर्ष विराम की निगरानी हेतु 1949 में की गई थी।
- **कूटनीतिक सफलता:** भारत को दक्षिण एशिया का परमाणुकरण (nuclearisation) और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्व की बढ़ती रूचि के संबंध में अत्यधिक कूटनीतिक सफलता प्राप्त हुई है।
- **संयुक्त राष्ट्र:** जनवरी 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कश्मीर मुद्दे के समाधान हेतु किसी भी मध्यस्थता (जब तक कि सभी पक्ष इसके लिए सहमत नहीं हों) को अस्वीकार कर दिया तथा भारत और पाकिस्तान से अपने सभी मुद्दों को वार्ता के माध्यम से हल करने के लिए कहा।

VISION IAS

- **खाड़ी देशों का समर्थन:** खाड़ी देशों (जिनके साथ पाकिस्तान का दशकों से 'मित्रवत' संबंध रहा है) द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत की कार्यवाही की निंदा नहीं की गई।
    - हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सऊदी प्रिंस से वार्ता की गई।
- **आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के संबंध को स्पष्ट करना:** पाकिस्तान आतंकवाद रोधी वित्त-पोषण पर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल होने पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF) द्वारा ब्लैक लिस्टेड होने के एक आसन्न जोखिम का सामना कर रहा है।

भारत के प्रयास सफल क्यों रहे हैं?

- **हितों का समन्वय:** 9/11 हमले के पश्चात् वैश्विक स्तर पर हितों का समन्वय हुआ है और आतंकवाद का सामूहिक विरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत द्वारा पाकिस्तान की निरंतर आलोचना की जाती रही है।
    - कारगिल हमले के दौरान भारत को वैश्विक समर्थन प्राप्त होने के कारण इसकी छवि में सुधार हुआ। ज्ञातव्य है कि कारगिल युद्ध के पश्चात् वर्ष 2002 में संसद पर और वर्ष 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था।
- **वैश्विक परिदृश्य:** विश्व में अनेक संकट व्याप्त हैं और पश्चिमी देश इनसे सर्वाधिक प्रभावित हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: जलवायु परिवर्तन, ब्रेक्जिट, चीन के आक्रामक रवैये पर अंकुश लगाना, अफगान शांति प्रक्रिया का बाधित होना, ईरान संकट आदि। इनके पास कश्मीर मुद्दे पर अपनी संलग्नता बढ़ाने के पर्याप्त कारण विद्यमान नहीं है और इनके द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु दोनों पक्षों के मध्य परस्पर वार्ता पर बल दिया गया है।
- **कूटनीतिक सुदृढ़ता:** वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के साथ बढ़ती संलग्नता के कारण विश्व में भारत के महत्व और स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भूमिका:** भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां पूर्व से ही विश्व के अनेक हितधारक विद्यमान हैं। अत: दोनों दक्षिण एशियाई देशों के मध्य किसी भी प्रकार का संघर्ष विश्व के हित में नहीं होगा।
- **सॉफ्ट पावर:** भारत को पाकिस्तान के विपरीत विश्व भर में सुदृढ़ सॉफ्ट पावर का दर्जा प्राप्त है।

पाकिस्तान किस प्रकार कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रहा है?

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA):** पाकिस्तान द्वारा UNGA में अपने विभिन्न संबोधनों में कश्मीर मुद्दे को उठाया गया है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):** पाकिस्तान द्वारा UNSC से संपर्क किया गया और कश्मीर मुद्दे पर एक गुप्त बैठक भी आयोजित की गई, जिसका निष्कर्ष यह रहा कि इस विवादास्पद मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए।
- **मुस्लिमों को पीड़ितों के रूप में चित्रित करना:** पाकिस्तान द्वारा "इस्लामोफोबिया" और "मुसलमानों के साथ अन्याय" के संदर्भ में कश्मीर मुद्दे को प्रस्तुत किया जाता है।
- **संबंधों को कमजोर करना:** भारत के राजदूत को वापस भेजने और संबंधों को कमजोर करने का बारंबार प्रयास किया गया है।
- **चीन से समर्थन:** चीन ने अपनी कश्मीर नीति में पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन प्रदान किया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):** पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में अपील करेगा।
- **इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC):** पाकिस्तान ने OIC से मानव त्रासदी से बचने के लिए कश्मीर की स्थिति को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है।
- कश्मीर में संचार को बाधित करने संबंधी मुद्दे को चिन्हित किया गया।

निष्कर्ष

कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए पाकिस्तान का हालिया कदम व्यापक रूप से असफल रहा है क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के साथ अपने रुख पर कायम है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा कश्मीर में पाक प्रयोजित आतंकवाद के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है न कि कश्मीर समस्या का।

13.3. ई-कूटनीति (E-Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 संकट के आलोक में प्रथम बार **भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य आभासी शिखर सम्मेलन (virtual summit) ने ई-कूटनीति की अवधारणा** को सुर्ख़ियों में ला दिया है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- वैश्विक स्तर पर कई देशों ने कोविड-19 के दौरान, विदेशों के साथ संबंधों को गति प्रदान करने हेतु **ई-कूटनीति माध्यम** को अंगीकृत किया है।
- अन्य हालिया शिखर सम्मेलनों के उदाहरण हैं- **जी 20 नेताओं का असाधारण आभासी शिखर सम्मेलन (Extraordinary virtual G20 Leader's Summit), दक्षेस आभासी शिखर सम्मेलन (SAARC virtual summit)**। हाल ही में, **गुट-निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन (Non-Aligned Movement Summit)** को भी आभासी (virtual) रूप से आयोजित किया गया।

ई-कूटनीति के बारे में

- राष्ट्रों द्वारा अपने **कूटनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित एवं स्थापित** करने के साथ-साथ अपने **राजनयिकों के कार्यों** का कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु **इंटरनेट एवं संचार प्रौद्योगिकियों** का उपयोग **ई-कूटनीति** कहलाता है।
- इन कार्यों में गृह राष्ट्र (home nation) का प्रतिनिधित्व और संवर्धन करना, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों, दूतावास संबंधी सेवा (consular services) और सामाजिक संलग्नता स्थापित करना शामिल है।
- **लाभ:**
    - **असाधारण परिस्थितियों में शारीरिक सुरक्षा और कूटनीति की निरंतरता:** कोविड-19 वैश्विक महामारी जैसे संकट के समय में, ई-कूटनीति विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के मध्य शारीरिक संपर्क को कम करती है और कूटनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है।
    - **आर्थिक रूप से मितव्ययी:** इसके लिए अधिक महंगी यात्राओं और भव्य शिखर सम्मेलनों हेतु अतिशय धनराशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे राष्ट्रीय निधि की अत्यधिक बचत होती है।
    - **समय का दक्ष उपयोग:** इससे राजनयिकों द्वारा की जाने वाली यात्राओं में लगने वाले समय में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप वह नीति निर्माण और रणनीतियों में बेहतर सहभागिता हेतु अधिक समय प्रदान कर सकते हैं।
    - विदेश मंत्रालय का **अधिकांश समय यात्राओं को आयोजित करने** संबंधी गतिविधियों में व्यय हो जाता है, परन्तु अनुवर्ती कार्रवाई सदैव कठिन बनी रहती है। वर्चुअल कूटनीति (Virtual diplomacy) **उच्च स्तर पर संलग्नता को अल्प बोझिल बनाती है।**
- **चुनौतियाँ:**
    - **घटती उत्पादकता:** ई-कूटनीति आमने-सामने की **प्रत्यक्ष वार्ता, गोपनीय विचार-विमर्शों और समझौता वार्ताओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है**, जो पारंपरिक कूटनीति के पूर्ण स्वरूप का निर्माण करती हैं।
    - आभासी शिखर सम्मेलन राष्ट्रप्रमुखों द्वारा **अपेक्षित व्यापक राजनीतिक लक्ष्यों और वृहद उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकता है।** प्रमुख सफलताओं या समझौतों के लिए नेताओं के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिसे आभासी सम्मेलनों द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।
    - आभासी शिखर सम्मेलन वार्ताओं की **स्वाभाविकता और स्पष्टवादिता को कम कर सकता है।** यह विवादास्पद है कि क्या ई-शिखर सम्मेलनों द्वारा भू-रणनीतिक समन्वय (geo-strategic alignments) हेतु आवश्यक नए विचारों या प्रस्तावों को प्रकट किया जा सकता है।
    - **साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे:** साइबर अपराध जैसे हैकिंग और गोपनीय और संवेदनशील जानकारी के लीक होने के खतरे राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं।

निष्कर्ष

ई-कूटनीति की अपनी सीमाएं और आरंभिक अवस्था में होने के बावजूद, यह पारंपरिक कूटनीति हेतु **प्रेरक शक्ति और समयबद्ध पूरकता** प्रदान करने के रूप में कार्य कर सकती है। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा इस अवसर का उपयोग अन्तःक्रिया और संलग्नता में वृद्धि करने एवं कूटनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए विचार-विमर्शों को जारी रखने हेतु ई-कूटनीति के समावेश हेतु किया जा सकता है।

13.4. कोविड जनित आपात स्थितियों से निपटने हेतु सामूहिक कार्रवाई (Collective Action in the Times of COVID)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक आपात स्थितियों का सामना करने के लिए **सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता** के संबंध वैश्विक बहस प्रारंभ हो गई है। हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधान मंत्री गॉर्डन ब्राउन ने मौजूदा संकट से निपटने के लिए एक नई **'वैश्विक सरकार'** के गठन का आह्वान किया है।

VISION IAS

ऐसी आपात स्थितियों में सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता

- **सर्वसम्मति का निर्माण:** देशों को इस महामारी की प्रतिक्रिया में मिलकर कार्य करना चाहिए।
    - ऐसी स्थितियों में, देशों को राष्ट्रीय मांगों के आधार पर सीमित दायरे में कार्य करने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए और वैज्ञानिक इनपुट्स प्राप्त करने चाहिए।
- **सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व:** क्योंकि सभी देशों के पास ऐसे खतरे से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं होते, जैसे कि-
    - वैक्सीन के विकास, निर्माण और समतापूर्ण वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- **जानकारी साझा करना:** विश्व के विभिन्न हिस्सों में वैज्ञानिक अनुसंधान, निष्कर्षों और आंकड़ों के रूप में।
    - **क्राउड सोर्सिंग:** उदाहरणार्थ- हालिया संकट में, 45,000 से अधिक शोध पत्र एक ओपन सोर्स डेटाबेस में एकत्र किए गए हैं, जो संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
    - **विगत अनुभवों से सीखना:** उदाहरणार्थ- वर्ष 2014 के **इबोला प्रकोप** के दौरान लाइबेरिया के अनुभव से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, समुदाय संचालित कार्यक्रम और स्थानीय समाधानों ने महामारी के प्रसार की दर को कम करने में सहायता की है।
- **प्रतिक्रियावादी शक्तियों को इस स्थिति का दुरुपयोग करने से रोकना:** जिसके लिए देशों को एक साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, जैसे-
- **जन विश्वास की क्षति को रोकना:** यदि सरकारों द्वारा इस तरह की आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जाता है।

इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम

- **संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव:** 'कोविड-19 का सामना करने के लिए दवाओं, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' (International cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19) नामक शीर्षक से एक प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया है। भारत ने **संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव** का समर्थन किया है।
- **कोव-एक्सेस समझौता (COV-Access agreement):** विभिन्न देशों ने विश्व भर में कोरोना वायरस वैक्सीन और उपचार के लिए सभी को समान पहुंच प्रदान करने का संकल्प लिया है।
    - यूनाइटेड किंगडम ने वर्चूअली नॉवल **कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पॉन्स समिट** की सह-मेजबानी की है।
- **कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म:** इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई के लिए व्यापारिक समुदाय को एकत्र करना, लोगों की आजीविका की रक्षा करना और कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए समर्थन जुटाना है।
- **वैक्सीन का विकास:** वैश्विक नेताओं ने कोरोना वायरस वैक्सीन पर सहयोग में तेजी लाने तथा विश्व भर में अनुसंधान, उपचार और दवाओं को साझा करने का संकल्प लिया है।
- **कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड:** इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा लॉन्च किया गया है। इस महामारी से लड़ने के लिए यह अनुदान संचयन की योजना को समर्थन प्रदान करता है।
- **फास्ट ट्रैक वित्तपोषण:** इसे **विश्व बैंक** द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के रोकथाम के साथ-साथ कोविड के पश्चात् व्यापक परिणामों का सामना करने की दिशा में देशों को समर्थन प्रदान करना है।
- **बहुपक्षवाद हेतु गठबंधन (Alliance for multilaterism):** भारत द्वारा कोविड-19 से संघर्ष हेतु वर्चूअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया था। इस पहल को वर्ष 2019 में जर्मनी और फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा यह देशों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है।

कोविड-19 के दौरान सामूहिक कार्रवाई के समक्ष आने वाले मुद्दे

- **बढ़ता संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद:** इस प्रवृत्ति में हाल ही में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए- ग्लोबल ट्रेड अलर्ट प्रोजेक्ट के अनुसार, कम से कम 69 देशों ने सुरक्षात्मक उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों या दवाओं के निर्यात को सीमित या प्रतिबंधित कर दिया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चीन के प्रति घृणा का भाव:** इसके कारण विश्व के कुछ हिस्सों में चीनी लोगों के प्रति ज़ेनोफोबिक (अन्य देशों के लोगों के प्रति घृणा का भाव) प्रतिक्रियाएं हुई हैं।

VISION IAS

- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका**, यथा-
    - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO):** इस पर कोरोना वायरस के जोखिम को कम करके बताने और चीन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
    - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:** एक विशेष सत्र जो कोविड-19 लिए बुलाया गया था, अनिर्णायक रूप से समाप्त हुआ।
- **बहुपक्षीयता में त्रुटियां (Fault Lines in Multilateralism):** विशेषज्ञों का मत है कि कोविड-19 देशों को निकट लाने की बजाय, विपरीत प्रवासन (reverse migration), आपूर्ति शृंखलाओं के बाधित होने और G-20, G-7 जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को हाशिए पर डालने के रूप में परिणत हुआ है।

आगे की राह

- **वित्त पोषण:** वैक्सीन के विकास और परिनियोजन के लिए धन संग्रहण, इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन (IFFIm), वैक्सीन एलायंस (GAVI) आदि का उपयोग करना।
    - सरकारों को **वैक्सीन बॉण्ड** और उन्नत बाजार प्रतिबद्धताओं (AMCs) जैसे अभिनव वित्त तंत्र का उपयोग करना चाहिए।
- **ऋणों का निलंबन:** ऋणों का अस्थायी निलंबन किया जाना चाहिए ताकि देश, इस स्वास्थ्य संकट का समाधान करने के लिए संसाधनों को पुनर्निर्देशित कर सकें। इसमें शामिल हो सकते हैं-
    - निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) और अन्य अनुचित व्यापार उपायों का निलंबन जो वित्तीय भार को बढ़ाते हैं तथा सार्वजनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की दिशा में देशों की क्षमता को कम करते हैं।
- **सोशल मीडिया और समाचार संगठनों की उत्तरदायी भूमिका:** विशेष रूप से तब, जब उनके प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना और षड्यंत्र के सिद्धांतों के प्रसार का मामला सामने आता है।
- **नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण:** यह संकट वैश्विक व्यवस्था में मौजूद अन्याय के निवारण हेतु अवसर प्रस्तुत करता है।

13.5. डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (Data Free Flow with Trust)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। यह घोषणा-पत्र **डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (DFFT)** की अवधारणा का प्रस्ताव करती है।

DFFT के बारे में

- इसका उद्देश्य उत्पादकता, नवाचार और सतत विकास के लिए **इलेक्ट्रॉनिक साधनों** द्वारा व्यक्तिगत जानकारी और विदेशी सर्वरों में डेटा संग्रहीत करके **सूचना के सीमा-पार अंतरण पर प्रतिबंध को समाप्त करना है।**
- यह सुरक्षा, डेटा संरक्षण और बौद्धिक संपदा जैसी चुनौतियों के समाधान के महत्व पर भी बल देता है, जो अन्यथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों में लोक विश्वास को क्षति पहुँचा सकती हैं।

DFFT की आवश्यकता

- **सीमा-पार डेटा विवादों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का अभाव:** हाल के समय में डेटा प्रवाह से संबंधित मुद्दों, जैसे- वाक् स्वातंत्र्य, बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षण, कराधान, वाणिज्यिक विनियमन और अन्य संबद्ध मुद्दों के संदर्भ में विवाद में वृद्धि परिलक्षित हुई है।
- **व्यवसाय करने की सुगमता (ease of doing business) पर प्रभाव:** डेटा अंतरण और डेटा स्थानीयकरण नीतियों की विनियामक शर्तें या अनिवार्यताएं निर्यातकों को उनके संचालन से संबंधित प्रत्येक देश में डेटा सेंटर बनाने या पट्टे (लीज़) पर लेने के लिए बाध्य कर सकती हैं। ऐसा करना निषेधात्मक रूप से उच्च अनुपालन और प्रवेश लागत को आरोपित कर सकता है।
- **डिजिटल क्षेत्र के दिग्गजों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी व व्यापार-विकृत करने वाले कार्यों की वृद्धि:** इस हेतु उत्तरदायी कारण परस्पर विरोधी नीतियों और डेटा प्रवाह के प्रबंधन हेतु व्यापक ढांचे का अभाव है।
- **"सोसायटी 5.0" की ओर बढ़ना:** यह रेखांकित करता है कि डिजिटलीकरण वर्तमान की सामाजिक चुनौतियों से कैसे निपट सकता है तथा सामाजिक और कल्याणकारी प्रणालियों के अनुकूलन द्वारा किस प्रकार व्यापक परिवर्तन ला सकता है।

VISION IAS

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण:** डेटा प्रवाह द्वारा समर्थित डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा है। कुछ देशों द्वारा वर्तमान डेटा प्रवाह पर आरोपित प्रतिबंधों और डेटा स्थानीयकरण संबंधी आवश्यकताओं ने अर्थव्यवस्था और उपायों की गंभीरता के आधार पर उनकी GDP को 0.4% से 1.7% तक कम कर दिया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका घोषणा-पत्र के बारे में

- **वर्ष 2019 में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान** इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षरकर्त्ताओं में कुछ G-20 देश और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में ई-कॉमर्स पर अनौपचारिक बहुपक्षीय वार्ताओं में भाग लेने वाले अन्य देश शामिल थे।
- इसके तहत **"ओसाका ट्रैक"** के शुभारंभ की घोषणा की गई है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा, व्यक्तिगत जानकारी और साइबर सुरक्षा के लिए वर्धित सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था (विशेष रूप से डेटा प्रवाह) और ई-कॉमर्स पर अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्माण के प्रयासों को तीव्र करना है।
- ओसाका ट्रैक, वर्ष 2019 के विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में पूर्व जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित **डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (DFFT)** के विचार से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य सीमा-पार डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध को समाप्त करना है।

भारत के लिए चिंताएं

- **स्पष्टता का अभाव:** DFFT को न तो भलिभांति समझा गया है और न ही इसे कई देशों के क़ानूनों में व्यापक स्थान प्राप्त है।
- **नीति-निर्माण में विकासशील देशों के लिए स्थान संरक्षित करने की आवश्यकता:** भारत, कई अन्य विकासशील देशों की भांति, अभी भी अपने डेटा संरक्षण और ई-कॉमर्स क़ानूनों के लिए एक कानूनी व विनियामक ढांचा तैयार करने के चरण में है। भारत को डिजिटल व्यापार और डेटा के लिए क़ानूनों को अंतिम रूप देने हेतु नीति-निर्माण में एक स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि यह विकास के लिए एक क्षमतावान साधन है।
- **डेटा तक समान पहुंच के निहितार्थ:** मौजूदा विनियम, जिन पर DFFT को आधार बनाने की मांग की जाती है (जैसे कि डेटा का निर्बाध सीमा-पार प्रवाह), डेटा तक पहुँच पर भारत की चिंताओं के निवारणार्थ अपर्याप्त हो सकते हैं और देशों के मध्य डिजिटल विभाजन को और अधिक बढ़ा सकते हैं।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के इतर की जाने वाली वार्ताओं पर आशंका:** ओसाका ट्रैक, **डब्ल्यू.टी.ओ. वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स** के तहत आयोजित हो रही बहुपक्षीय और सर्वसम्मति पर आधारित वार्ताओं को कमजोर कर सकता है।
  - "डब्ल्यू.टी.ओ वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स" वैश्विक ई-कॉमर्स से उत्पन्न होने वाले व्यापार से संबंधित मुद्दों को शामिल करता है। इनमें से कुछ मुद्दों में **गोपनीयता और सार्वजनिक नैतिकता** का संरक्षण तथा धोखाधड़ी की रोकथाम, सार्वजनिक दूरसंचार परिवहन नेटवर्क और सेवाओं तक पहुंच व उनका उपयोग, उत्पत्ति के नियम आदि सम्मिलित हैं।
- **राष्ट्रीय नीतियों और क़ानूनों पर प्रभाव:** भारत विदेशी निगरानी और हमलों को रोकने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डेटा स्थानीयकरण को महत्वपूर्ण मानता है। भारत के डेटा स्थानीयकरण नियमों की DFFT द्वारा उपेक्षा की जा सकती है।

आगे की राह

- **WTO में संलग्नताओं को प्रोत्साहित करना:** डेटा प्रवाह से संबंधित किसी भी सुधार को WTO के प्रमुख सिद्धांतों (यथा- सर्वसम्मति आधारित निर्णयन, बहुपक्षीय सहमति आधारित नियम और विवाद निपटान निकाय द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्यप्रणाली) के अनुरूप होना चाहिए।
- **विकासशील देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना:** विकासशील देशों में क्षमता की कमी को समय-समय पर प्रशिक्षण आधारित समर्थन से पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक समान अवसर उपलब्ध करवाने और डेटा मुक्त प्रवाह का समान लाभ उठाने हेतु डिजिटल अवसंरचना का निर्माण भी अपरिहार्य है।
- कुछ सिद्धांत और नीतियां निम्नलिखित हैं, जिनका पालन वर्तमान डेटा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है:
  - डेटा के संग्रहण या प्रसंस्करण के स्थान से निरपेक्ष, **कंपनियों को डेटा के प्रबंधन (जिन्हें वे एकत्रित करते हैं) हेतु जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।** यह स्थानीय जवाबदेही और अंतर-संचालनीयता (interoperability) को सक्षम बनाएगा।
  - यह सुनिश्चित करने के लिए एक **जवाबदेही-आधारित दृष्टिकोण का विकास** करना कि फर्म वित्तीय विनियामक अधिकारियों से डेटा के अनुरोधों की प्रतिक्रिया में समय पर डेटा तक पहुँच प्रदान करें।

VISION IAS

- **उन अक्षम प्रक्रियाओं और अप्रचलित कानूनी समझौतों को संशोधित करना**, जिनके माध्यम से किसी अन्य देश के अधिकार-क्षेत्र में संग्रहित डेटा तक पहुंच हेतु कानून प्रवर्तन अनुरोधों को शासित किया जाता है।
- पारदर्शिता के लिए **अंतर्राष्ट्रीय नियम स्थापित करना,** क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्नों का निपटान करना और कानून प्रवर्तन निकायों के सीमा-पार अनुरोधों में सहयोग एवं समन्वय बढ़ाना।
- **गैर-कानूनी सामग्री के अवैध वितरण और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक ढांचे का विकास करना।**
- **डेटा प्रवाह और डिजिटल तकनीकों को सुरक्षित** करने के लिए **कूटलेखन (encryption) का समर्थन** करना।

निष्कर्ष

आर्थिक संवृद्धि, विकास और सामाजिक कल्याण के एक प्रवर्तक के रूप में डेटा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सीमा-पार डेटा प्रवाह से संबंधित किसी भी सुधार को प्रमुख मूल्यों एवं बुनियादी सिद्धांतों, जैसे- गैर-भेदभाव, समावेशिता, विशिष्ट व विभेद आधारित व्यवहार की पहचान तथा सर्वसम्मति-आधारित निर्णयन प्रक्रिया को संरक्षित करना चाहिए।

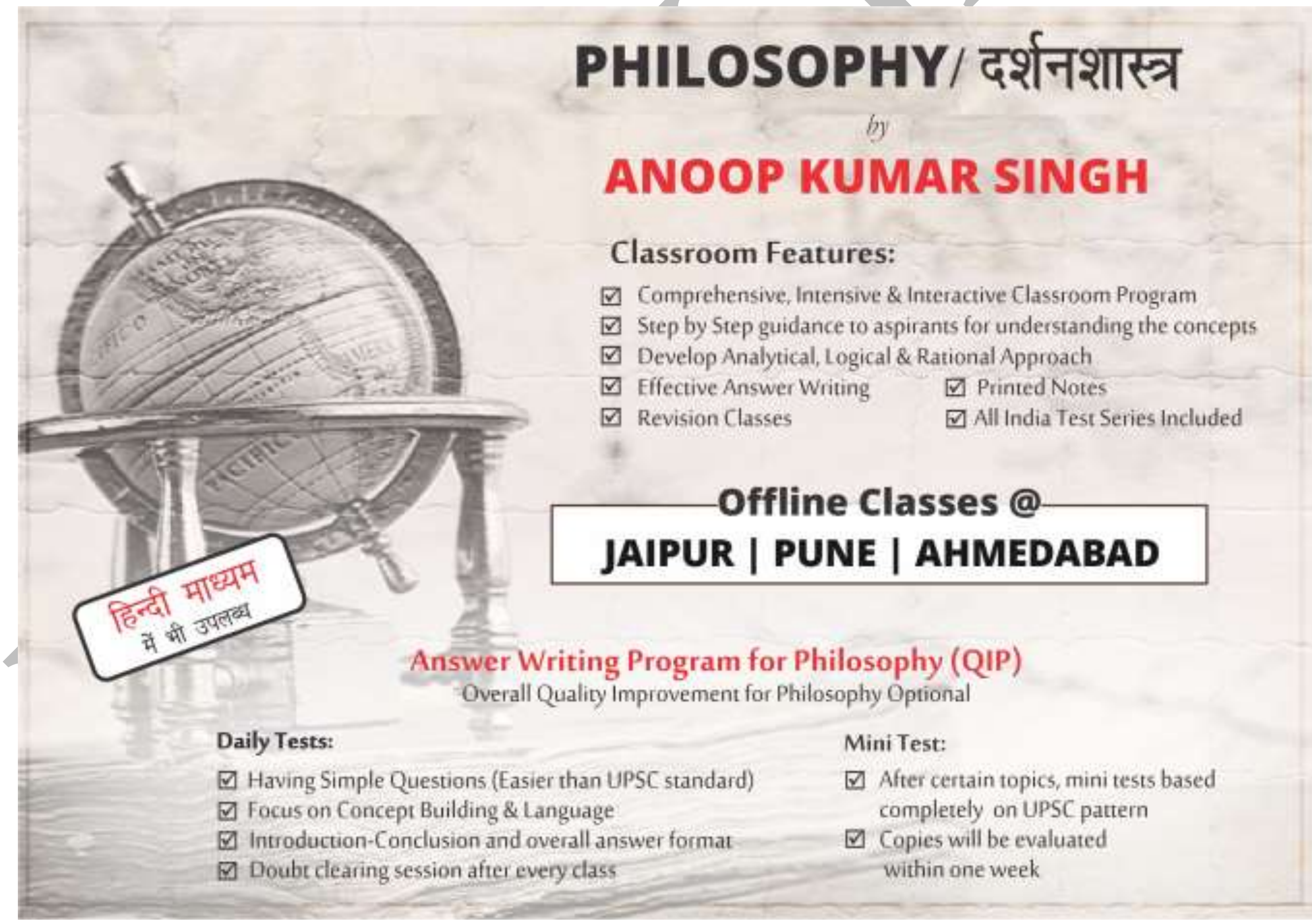

Copyright © by Vision IAS

All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.